खण्ड-362, अंक-2
सोमवार, 30 फाल्गुन, शक संवत् 1904
(21 मार्च, 1983 ई0)

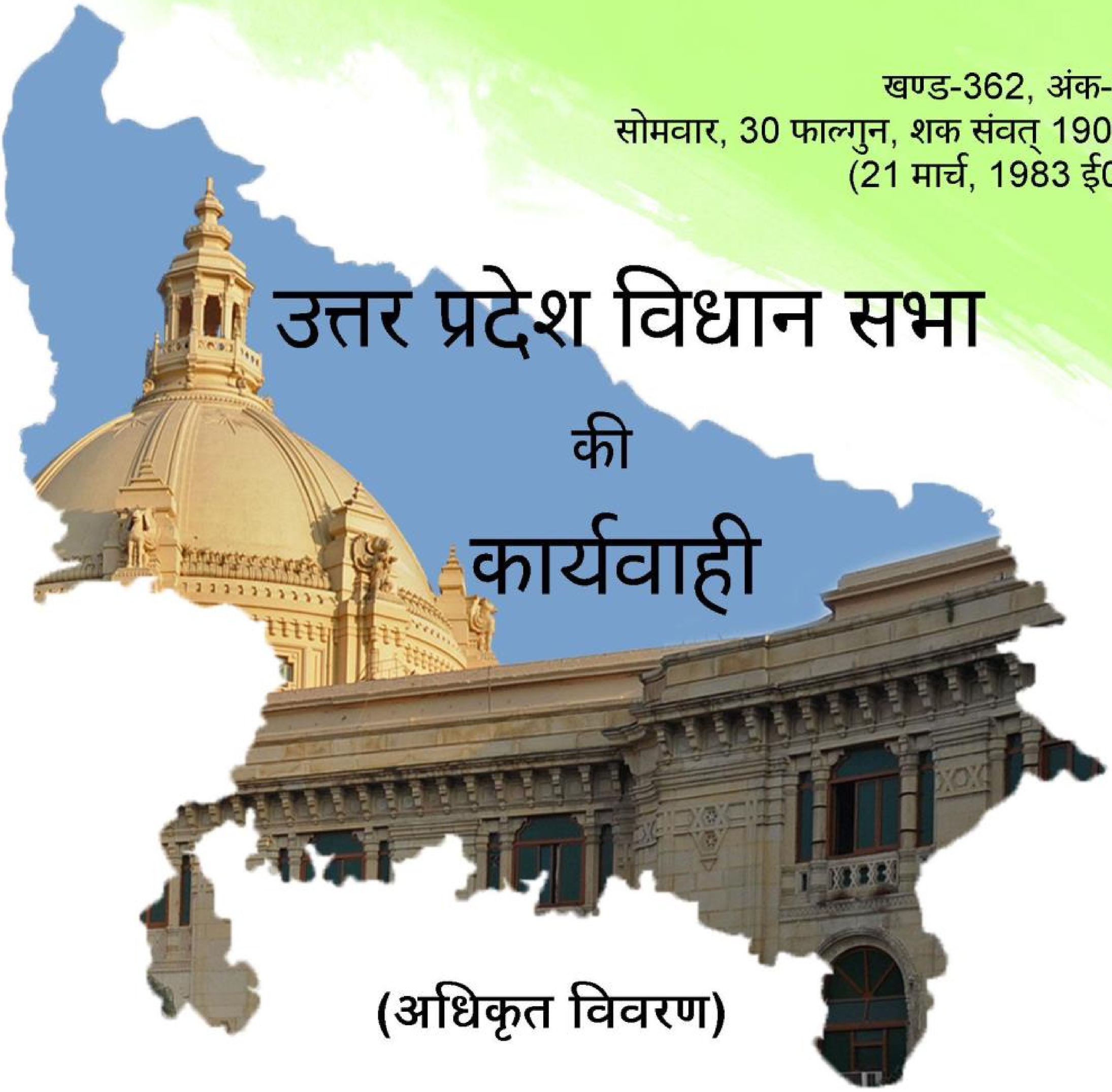

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 362 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1983

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

लालबहादुर शास्त्री
विधान पुस्तकालय
उत्तर प्रदेश

विषय-सूची

विषय		पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	..	163–167
गणपूर्ति के अभाव में श्री अध्यक्ष के निर्देश	..	169
प्रश्नोत्तर	..	169–186
निर्धारित समय के अन्दर सभी तारांकित प्रश्न न लिए जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न		187
प्रश्नों के सही उत्तर न दिये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	..	246
बाबा राघवदास मेडिकल कालेज, गोरखपुर के फार्मेसिस्टों एव टेक्नीशियनों द्वारा की जा रही हड़ताल के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	248
देवरिया जनपद में ओलावृष्टि से फसलों की क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	249
ग्राम फिरोजपुर (मुरादाबाद) में हुए अग्निकाण्ड से सम्पत्ति के नष्ट होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	249
शाहजहाँपुर जनपद में सस्ते गल्ले की दूकानों पर खाद्यान्न उपलब्ध न होने से जनता में व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना	..	249
प्रदेश में बीज निगम के पांच भण्डार गृहों को भूमि उपलब्ध न कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	250
उत्तर प्रदेश अष्टम विधान सभा (1982-83) की अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बंधी संयुक्त समिति का ग्यारहवां प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	..	250
उत्तर प्रदेश अष्टम विधान सभा (1982-83) की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति का बारहवां प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	..	251
उत्तर प्रदेश अष्टम विधान सभा (1982-83) की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति का तेरहवां प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	..	252
श्री दीप नारायण की विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर शीघ्र निर्णय की मांग	..	252
गढ़वाल विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, अवध विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश महिला संस्था तथा बाल संस्था, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं औद्योगिक विश्वविद्यालय तथा संजय गाँधी स्नात्कोत्तर आयुर्विज्ञान, संस्थान की सभा। बोर्ड से सम्बन्धित निर्वाचन कार्यक्रम की सूचना	..	253–254

विषय	पृष्ठ संख्या
इलाहाबाद स्थित करछना तहसील को लिफ्ट नहरों के सूख जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में होने वाले वक्तव्य के सम्बन्ध में सूचना ..	255
झांसी नगर में वर्तमान कानून व्यवस्था के कारण शिक्षा संस्थायें तथा सम्पूर्ण झांसी बंद होने और पुलिस द्वारा लाठी चार्ज किये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य ..	255–257
उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद् द्वारा 15 मार्च से शुरू होने वाली बोर्ड की परीक्षा में सहयोग न देने के सम्बन्ध में वक्तव्य ..	258–266
बाराबंकी जिले के सरस्वती जयन्ती हायर सेकेण्डरी विद्यालय के सी0 टी0 ग्रेड के अध्यापक श्री शेर बहादुर सिंह की आमरण अनशन के कारण मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य ..	267–274
कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं ..	275–283
वित्तीय वर्ष 1983-84 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या 18-ग्राम्य विकास विभाग, अनुदान संख्या 30-पंचायती राज विभाग तथा अनुदान संख्या 82 क्षेत्रीय विकास विभाग-(स्वीकृत) ..	284–317
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं ..	318
इलाहाबाद स्थित करछना तहसील की लिफ्ट नहरों के सूख जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य ..	318–320
उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1983 (पारित) ..	321–325
नत्थियाँ ..	329–330

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार दिनांक 21 मार्च, 1983

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री धर्मसिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—336

अकबर हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
अकबाल हुसैन, श्री (गोंडा)
अजहर ईमाम, श्री (मिर्जापुर)
अजीजुर्रहमान, श्री (बिजनौर)
अजीत कुमार सिंह, श्री (कानपुर)
अनवार खां, श्री (अलीगढ़)
अनवार मुहम्मद खां, श्री (फर्रुखाबाद)
अमरनाथ सिंह, श्री (उर्फ अनिल सिंह) (फतेहपुर)
अमर सिंह, श्री (सहारनपुर)
अम्बिका सिंह, श्री (बस्ती)
अम्मार रिजवी, श्री (सीतापुर)
अलमेलु अम्माल, कुमारी (बस्ती)
अशोक कुमार बाजपेयी, श्री (इलाहाबाद)
इन्द्रजीत, श्री (फतेहपुर)
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (लल्लू) (बहराइच)
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री (गाजियाबाद)
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री (इलाहाबाद)
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री (गोंडा)
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी, (एटा)
ऊदल, श्री (वाराणसी)
ए0 सी0 ग्राइस, श्री (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)
ओम प्रकाश जिन्दल, श्री (आगरा)
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री (ललितपुर)
कन्हैया लाल, श्री (मथुरा)
कन्हैया लाल, महेन्द्र श्री (लखनऊ)
कमला देवी, श्रीमती (हरदोई)
कमला प्रसाद सिंह, श्री (जौनपुर)
कमला साहनी, श्रीमती (बस्ती)
कल्याण सिंह सोलंकी, श्री (बरेली)
कल्लू राम, श्री (मिर्जापुर)
काशीनाथ मिश्र, श्री (बलिया)
किशोरी शुक्ला, श्रीमती (गोरखपुर)
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री (हमीरपुर)
कुंवर सिंह नेगी, श्री (चमोली)
कुदसिया बेगम, श्रीमती (हरदोई)
कुबेर भण्डारी, श्री (देवरिया)
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री (रायबरेली)
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज) (फतेहपुर)
कृष्ण मगन सिंह, श्री (बाराबंकी)
कृष्णवीर सिंह, श्री (बदायूं)
केदार सिंह, श्री (आजमगढ़)
केदारनाथ सिंह, श्री (गोरखपुर)
केशरी प्रसाद, श्री (जौनपुर)
केशोराम, श्री (बदायूं)
कैलाश टण्डन, श्री (वाराणसी)
कैलाश प्रसाद, श्री (गोरखपुर)
खरपत, श्री (वाराणसी)
खान गुफरान जाहिदी, श्री (फतेहपुर)
खुर्शीद अहमद अन्सारी, श्री (मुरादाबाद)
खुर्शेद अहमद, श्री (बहराइच)
खुशहाल सिंह रागड़, श्री (टिहरी गढ़वाल)
खैरुल बशर, श्री (आजमगढ़)
ख्वाजा हलीम, श्री (अलीगढ़)
गंगा सागर शंखवार, श्री (कानपुर)
गजेन्द्र सिंह, श्री (इटावा)
गजेन्द्र सिंह, श्री (बाराबंकी)
गया सिंह, श्री (उन्नाव)
गुलाब सेहरा, श्री (आगरा)

गुलाम नबी, श्री (आगरा)
गेंदा देवी, श्रीमती (बस्ती)
गोपीनाथ दीक्षित, श्री (उन्नाव)
गोपी नाथ वर्मा, श्री (फैजाबाद)
गोरे लाल शाक्य, श्री (इटावा)
गोवर्धन तिवारी, श्री (अल्मोड़ा)
गौरी देवी, श्रीमती (गोरखपुर)
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री (इटावा)
गौरी शंकर भैय्या, श्री (बलिया)
चन्द्र प्रकाश शर्मा, प्रो० (बांदा)
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री (पौड़ी गढ़वाल)
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री (लखनऊ)
चारु चन्द्र ओझा, श्री (पिथौरागढ़)
चेतराम गंगवार, श्री (बरेली)
छत्तर सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
छेदा लाल चौधरी, श्री (खीरी)
छेदी लाल श्री, (गोण्डा)
जंग बहादुर, श्री (जौनपुर)
जगदीश नरायन, श्री (फतेहपुर)
जगदीश प्रसाद, श्री (इलाहाबाद)
जगदीश सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
जटाशंकर सिंह, श्री (बहराइच)
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री (गोरखपुर)
जफर अली नकवी, श्री (खीरी)
जमुना प्रसाद, श्री (बाराबंकी)
जयदीप सिंह बराबर, श्री (बरेली)
जसवन्त सिंह विष्ट, श्री (अल्मोड़ा)
जावेद अली, श्री (मथुरा)
जितेन्द्र पाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
जियाराम शुक्ल,
'विकल साकेती', श्री (फैजाबाद)
जीराज सिंह मौर्य, श्री (मुरादाबाद)
जैराज गौतम, श्री (सुल्तानपुर)
झिलमिट राम, श्री (गाजीपुर)
तपेश्वर, श्री (आजमगढ़)
तेज बहादुर गंगवार, श्री, (पीलीभीत)
तेज बहादुर सिंह, श्री (जौनपुर)
दलगंजन सिंह, श्री (जालौन)
दलजीत सिंह, श्री (रामपुर)
दल सिंगार, श्री (आजमगढ़)
दामोदर शर्मा, श्री (मेरठ)
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री (बस्ती)
दीना नाथ, श्री (बस्ती)
दीपक कुमार, श्री (मुजफ्फरनगर)
दीप नरायन वन महन्थ, श्री (गोंडा)
दीपू उर्फ दीप नारायण, श्री (आजमगढ़)
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री (देवरिया)
दूधनाथ राजभर, श्री (आजमगढ़)
देवी प्रसाद, श्री (बहराइच)
देवेन्द्र पाण्डेय, श्री (सुल्तानपुर)
देवेन्द्र बहादुर सिंह चन्देल, श्री (कानपुर)
द्वारिका नाथ धवन, श्री (देहरादून)
धनी राम वर्मा, श्री (इटावा)
धनेश्वरी देवी, श्रीमती (वाराणसी)
धरमपाल, श्री (बहराइच)
धर्मपाल सिंह, डाक्टर (अलीगढ़)
धर्मवीर सिंह, श्री (मेरठ)
धर्मवीर सिंह त्यागी, श्री (मुजफ्फरनगर)
धर्म सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
ध्रुप राय, श्री, (देवरिया)
नत्थू लाल, श्री (हरदोई)
नन्द किशोर सिंह, श्री (देवरिया)
नन्द राम, श्री (बरेली)
नरेन्द्र सिंह, श्री (मेरठ)
नरेन्द्र सिंह भण्डारी, श्री (पौड़ी गढ़वाल)
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री (पिथौरागढ़)
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री (हरदोई)
नाजिर अली, श्री (शाहजहांपुर)
नियाज हसन खां, श्री (प्रतापगढ़)
निर्भय नारायण सिंह, श्री (बलिया)
(उर्फ लाल बाबू)
नेत्रपाल सिंह, श्री (एटा)
पंचानन राय, श्री (आजमगढ़)
पन्ने लाल, श्री (गोरखपुर)
परमाई लाल, श्री (हरदोई)
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री (बस्ती)
परागी लाल चौधरी, श्री (सीतापुर)
पहलवान, श्री (जौनपुर)

पारवती देवी, श्रीमती (बाराबंकी)
पुरुषोत्तम, श्री (मिर्जापुर)
पुष्पा चौहान, श्रीमती (अलीगढ़)
पूरन चन्द्र, श्री (अलीगढ़)
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री (हमीरपुर)
प्रदीप कुमार यादव, श्री (बाराबंकी)
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री (प्रतापगढ़)
प्रभू नारायण सिंह, श्री (जौनपुर)
प्रमोद कुमार, श्री (प्रतापगढ़)
प्रवीन कुमार शर्मा, श्री (बुलन्दशहर)
प्रियदर्शी जेतली, श्री (फैजाबाद)
प्रेमवती, श्रीमती (बदायूं)
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती (लखनऊ)
फखरे आलम, श्री (बदायूं)
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री (गोरखपुर)
बंशीधर, श्री (रामपुर)
बंशीधर राज, श्री (खीरी)
बदन सिंह, श्री (आगरा)
बब्बन सिंह, श्री (बलिया)
बलराम सिंह यादव, श्री (इटावा)
बल्देव सिंह आर्य, श्री (उत्तर काशी)
बाबू राम, श्री (पीलीभीत)
बाबू लाल, श्री (गोंडा)
बाबू लाल, श्री (हमीरपुर)
बाबू सिंह, श्री (अलीगढ़)
बिहारी लाल, श्री (नैनीताल)
बिहारी लाल दोहरे, श्री (फर्रुखाबाद)
बृज किशोर मिश्र, डा० (देवरिया)
बेनी बाई, श्रीमती (झांसी)
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री (इलाहाबाद)
भगवती सिंह विशारद, श्री (उन्नाव)
भगवानदीन कुशवाहा, श्री (कानपुर)
भागीरथ, श्री (झांसी)
भास्कर पाण्डेय, श्री (देवरिया)
भीखा लाल, श्री (उन्नाव)
भूधर नारायण मिश्रा, श्री (कानपुर)
भूपसिंह केन, श्री (गाजियाबाद)
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री (गोरखपुर)
भोला पाण्डेय, श्री (बलिया)
मण्डलेश्वर सिंह, श्री (आगरा)
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
मन्जूर अहमद, श्री (मेरठ)
मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ, श्री (बस्ती)
मगरूर जाफरी, श्री (उर्फ शबरोज) (गोंडा)
महेश उपाध्याय, श्री (आगरा)
महेश चन्द्र, श्री (मेरठ)
महेश प्रसाद, श्री (देवरिया)
माण्डवी प्रसाद सिंह, श्री (वाराणसी)
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
माधव प्रसाद, श्री (फैजाबाद)
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री (एटा)
मान बहादुर, श्री (गोंडा)
मित्रसेन, श्री (फैजाबाद)
मीर मजहर अली, श्री (बदायूं)
मुईद अहमद, श्री (सुल्तानपुर)
मुख्तार अनीस, श्री (सीतापुर)
मुन्शी लाल, श्री (मैनपुरी)
मुरलीधर मुनीम, श्री (गोंडा)
मुहम्मद आजम खां, श्री (रामपुर)
मेंहदी असगर, श्री (मुजफ्फरनगर)
मोती लाल देहलवी, श्री (कानपुर)
मोहन लाल, श्री (हमीरपुर)
मोहन सिंह, श्री (देवरिया)
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री (बदायूं)
मोहम्मद उमर, डाक्टर (गोंडा)
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री (लखनऊ)
मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री (वाराणसी)
यदुनाथ सिंह श्री (मिर्जापुर)
यशपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
यशपाल सिंह, श्री (सहारनपुर)
योगेन्द्र सिंह, कुंवर (फर्रुखाबाद)
रघुराज प्रसाद उपाध्याय (श्री गोंडा)
रघुबीर सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
रतीराम, श्री (बिजनौर)
रमाकान्त मिश्रा, श्री (इलाहाबाद)
रमेश चन्द्र शुक्ल, श्री (रायबरेली)
रवीन्द्र, श्री (आजमगढ़)

राज किशोर राव, श्री (बहराइच)
राज कुमार राय, श्री (आजमगढ़)
राजपति देवी, श्रीमती (सुल्तानपुर)
राजमंगल पाण्डेय, श्री (देवरिया)
राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री (झांसी)
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री (सीतापुर)
राजेन्द्र सिंह, श्री (अलीगढ़)
राजेन्द्र सिंह, श्री (एटा)
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री (फर्रुखाबाद)
राधेश्याम पटेल, श्री (इलाहाबाद)
राधेश्याम वर्मा, श्री (फर्रुखाबाद)
राम अवध प्रसाद, श्री (बस्ती)
राम आसरे पासवान, श्री (बस्ती)
राम आसरे वर्मा, श्री (हरदोई)
राम औतार दीक्षित, श्री (हरदोई)
राम करन, श्री (वाराणसी)
राम कुंवर सिंह, श्री (आजमगढ़)
राम कृष्ण उपाध्याय, डा० (जौनपुर)
राम गोविन्द, श्री (बलिया)
राम चन्द्र, श्री (वाराणसी)
राम चरण सिंह, श्री (मिर्जापुर)
राम जनम सिंह, श्री (वाराणसी)
रामजी राम, श्री (फैजाबाद)
राम धनी, श्री (गाजीपुर)
राम नारायण सिंह (एडवोकेट) श्री (गाजीपुर)
राम प्यारे पाण्डेय, श्री (फतेहपुर)
राम प्रसाद, श्री (जालौन)
राम प्रसाद, श्री (मुजफ्फरनगर)
राम भजन लाल, श्री (खीरी)
राम यश सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम लाल, श्री (सीतापुर)
राम लाल वर्मा, श्री (हरदोई)
राम शिरोमणि, श्री (जौनपुर)
राम समुझावन, श्री (जौनपुर)
राम सागर, श्री (बाराबंकी)
राम सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
राम सिंह खन्ना, श्री (बरेली)
राम सिंह रावल, श्री (एटा)
राम सेवक, श्री (सुल्तानपुर)
राम स्वरूप वर्मा, श्री (कानपुर)
राम हर्ष मिश्र, श्री (बहराइच)
राम हर्ष राय, श्री (गाजीपुर)
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री (बरेली)
रामेश्वर प्रसाद, श्री (बांदा)
रिजवानुर्रहमान किदवाई, श्री (बाराबंकी)
रियासत हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
रुद्र प्रताप सिंह, श्री (देवरिया)
रेवती रमण सिंह, (इलाहाबाद) . (उर्फ मणि जी)
लटूरी सिंह, श्री (एटा)
लल्लू सिंह चौहान, श्री (मैनपुरी)
लाल प्रताप सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
लालसा, श्री (आजमगढ़)
लोकमणि शर्मा, श्री (मथुरा)
वासुदेव सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
विजय कुमार, श्री (लखनऊ)
विजय पाल सिंह, श्री (गाजियाबाद)
विजय शंकर सिंह, श्री (गाजीपुर)
विजय सिंह, श्री (मिर्जापुर)
विद्या सागर नौटियाल, श्री (टिहरी गढ़वाल)
विमल प्रसाद तिवारी, श्री (फर्रुखाबाद)
विलायती राम कत्याल, श्री (कानपुर)
विशन लाल, श्री (बिजनौर)
विश्राम दास, श्री (इलाहाबाद)
वीर बहादुर सिंह, श्री (गोरखपुर)
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री (सीतापुर)
शंकर सिंह, श्री (जालौन)
शम्भूनाथ, श्री (आजमगढ़)
शिरोमणि, श्री (बांदा)
शिव दर्शन, श्री (रायबरेली)
शिव नरेश, श्री (बांदा)
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर (कानपुर)
शिव नारायण सिंह नेगी, श्री (नैनीताल)
शिवपाल सिंह, श्री (उन्नाव)
शिवमंगल सिंह, श्री (मैनपुरी)
शिवराज सिंह, श्री (अलीगढ़)

शिवानन्द नौटियाल, डाक्टर (पौड़ी गढ़वाल)
शेर बहादुर, श्री (फैजाबाद)
श्याम नरायन तिवारी, श्री (गोरखपुर)
श्याम लाल बाजपेयी, श्री (बाराबंकी)
श्याम सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री (इलाहाबाद)
श्रीकृष्ण गोयल, श्री (बदायूं)
श्रीनाथ सिंह, श्री (वाराणसी)
श्रीपति मिश्र श्री (सुल्तानपुर)
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री (वाराणसी)
संजय सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
सईदुल हसन, श्री (बुलन्दशहर)
सच्चिदानन्द, श्री (उन्नाव)
सतीश चन्द्र जायसवाल, श्री (इलाहाबाद)
सत्यपाल सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
सत्येन्द्र चन्द्र गुड़िया, श्री (नैनीताल)
सन्त बक्स रावत; श्री (लखनऊ)
सरजू प्रसाद 'सरोज', श्री (प्रतापगढ़)
सरदार सिंह, श्री (मथुरा)
साहब सिंह, श्री (गाजीपुर)
सिकन्दर अली खां नवाब, श्री (शाहजहांपुर)
सीताराम निषाद, श्री (फैजाबाद)
सुखदा मिश्रा, श्रीमती (इटावा)
सुग्रीव सिंह, श्री (देवरिया)
सुजान सिंह बुन्देला, श्री (ललितपुर)
सुनीता चौहान, श्रीमती (रायबरेली)
सुन्दर सिंह, श्री (बहराइच)
सुमन लता, श्रीमती (कानपुर)
सुरेन्द्र कपिल, श्री (सुल्तानपुर)
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री (बस्ती)
सुरेन्द्र सिंह, श्री (गाजीपुर)
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री (अलीगढ़)
सुल्तान सिंह, श्री (मुरादाबाद)
सूबेदार सिंह, श्री (मैनपुरी)
सूर्यनाथ उपाध्याय श्री (जौनपुर)
स्वरूप कुमारी बख्शी श्रीमती (लखनऊ)
स्वामी नेमपाल, श्री (बुलन्दशहर)
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री (हमीरपुर)
हंस राज सिंह वर्मा, श्री (एटा)
हर गोविन्द वर्मा, श्री (सीतापुर)
हरदेव, श्री (बलिया)
हरवंश प्रसाद पाण्डेय, श्री (बांदा)
हरिद्वार पाण्डेय, श्री (गोरखपुर)
हरि प्रसाद कुरील, श्री (उन्नाव)
हरिबंश सहाय, श्री (देवरिया)
हरी किशन श्रीवास्तव, श्री (कानपुर)
हरीशंकर, श्री (हरदोई)
हाफिज मोहम्मद सिद्दीक, श्री (मुरादाबाद)
हेमचन्द निमेष, श्री (मेरठ)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विधान सभा
उत्तर प्रदेश

गणपूर्ति के सम्बन्ध में श्री अध्यक्ष के निर्देश गणपूर्ति के अभाव में सदन की कार्यवाही 7 मिनट बिलम्ब से प्रारम्भ होने पर

श्री अध्यक्ष—

मैं दोनों पक्षों के माननीय सदस्यों से निवेदन करूँगा कि भविष्य में ध्यान रखें कोरम का। क्योंकि आपका समय चला जाता है। प्रश्न का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है।

श्री रियासत हुसैन—

सत्ता पक्ष की ज्यादा जिम्मेदारी है, इनसे ज्यादा कहिये, हमसे कम।

प्रश्नोत्तर

सोमवार, 21 मार्च, 1983 ई0

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

पटेल स्मारक इण्टर कालेज, पटेल नगर, भटहट जिला गोरखपुर के श्री राम करन स्वीपर को प्रोन्नति विषयक प्रकरण की जांच

श्री केदारनाथ सिंह—

*1 क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पटेल स्मारक इण्टर कालेज, पटेल नगर, भटहट, जिला गोरखपुर के प्रधानाचार्य के विरुद्ध कोई शिकायती-पत्र प्रश्नकर्त्ता ने दिनांक 15-12-80 को तथा उक्त विद्यालय के अतिरिक्त स्वीपर श्री राम करन ने दिनांक 4-12-80 को जिला विद्यालय निरीक्षक, गोरखपुर को प्रेषित किया है? यदि हां, तो मामला क्या है और उस पर अभी तक क्या कार्यवाही की गयी?

शिक्षा मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)—

1—जी हाँ।

यह प्रकरण श्री राम करन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के संबंधित विद्यालय में रिक्त हुये लिपिक के एक पद पर प्रोन्नति न दिये जाने के विषय में है। इस संबंध उच्च स्तरीय जाँच कराई जा रही है।

श्री केदारनाथ सिंह—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या डी0 आई0 ओ0 एस0 डा0 उमाशंकर मिश्र ने इस सम्बन्ध में जांच किया था जिसे डी0 डी0 आर0 ने निरस्त करके पुनः जांच के आदेश दिये हैं?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, इस सम्बन्ध में जांच डी0 आई0 ओ0 एस0 16-2-83 को किया।

श्री केदारनाथ सिंह—

मेरा प्रश्न यह है कि क्या इसकी जांच तत्कालीन डी0 आई0 ओ0 एस0 डा0 उमा शंकर मिश्र ने किया था और डी0 डी0 आर0 ने उसे निरस्त करके पुनः जांच के लिये लिखा है?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी नहीं ऐसी सूचना नहीं है।

श्री केदारनाथ सिंह—

दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूँ कि जो उत्तर में इन्होंने राम करन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की बात कही है क्या उसकी योग्यता घटाने के अभिप्राय से जो पेनल इन्सपेक्शन रिपोर्ट है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का जो चार्ट है उसमें ओवर राइटिंग करके इण्टर से हाई स्कूल किया गया है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

यह सारा प्रकरण संदेह से परिपूर्ण है। आज्ञा दें तो जितनी जानकारी मेरे पास है आपके समक्ष रख दूं ताकि आप लोग गम्भीरतापूर्वक विचार करें। इस व्यक्ति की नियुक्ति 1-1-1975 को की गई, 1-1-75 को जो प्रार्थनापत्र लिखा है उसमें राम करण लिखा है दूसरे उसमें लिखा है कि मैं हाई स्कूल पढ़ा लिखा नौजवान आदमी हूँ। यह नहीं लिखा कि पास हूँ। पास होता तो अवश्य लिखता की पास हूँ।

मान्यवर, दूसरी बात यह कि 1975 के बाद, 1965 और 1968 के इस व्यक्ति ने दो प्रमाण-पत्र दाखिल किये कि 1965 में हाई स्कूल परीक्षा, नाम रामकरण प्रसाद और दूसरा 1968 में उसमें भी नाम रामकरण प्रसाद है। 1975 में आवेदन पत्र दिया, उसमें न हाई स्कूल पास का जिक्र किया और न इण्टर पास का। जब प्रमोशन का सवाल आया तो कहने लगे कि इण्टर पास हूँ। यह संदेह पूर्ण स्थिति है और इसकी जांच हो रही है।

श्री पंचानन राय—

माननीय मंत्री जी ने स्वीकार कर लिया है कि यह सब मामला संदेहपूर्ण है और इसमें जालसाजी की गयी है। अब तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि जब प्रार्थना-पत्र में इतनी सारी त्रुटियाँ थीं तो जिस आदमी ने इन्हें नियुक्त किया, पैसे के बल पर 75 में और 78 में झगड़ा हो गया उससे, उसने शिकायत कर दी, तो उस आदमी के खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है और शासन के खजाने से कितना वेतन इस अवधि में दिया गया है, उसकी वसूली के लिए क्या किया जा रहा है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

प्रारम्भ में कोई गलती नहीं है। उसमें उसने सीधे-साधे लिखा है राम करन और हाई स्कूल तक पढ़ा है। स्वीपर के लिए हाई स्कूल तक पढ़ा होना काफी है। झगड़ा तो तब हुआ जब उसने दो प्रमाण-पत्र दाखिल किये प्रमोशन के लिए।

खानपुर जनपद बुलन्दशहर में कन्या जूनियर हाई स्कूल खोलने की मांग

श्री छत्तर सिंह—

क्या शिक्षा मन्त्री को ज्ञात है कि कस्बा खानपुर जनपद बुलन्दशहर में एक कन्या जूनियर हाई स्कूल खोलने के लिए एक व्यक्ति ने भूमि दी है ? यदि हां, तो अब तक स्कूल खोलने तथा उसके भवन न बनने का क्या कारण है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हाँ।

कस्बा खानपुर जनपद बुलन्दशहर में एक कन्या जूनियर हाई स्कूल खोलने के लिये श्री सीताराम पुत्र श्री छज्जूमल ने 50 वर्गफीट भूमि की रजिस्ट्री की थी।

कन्या जूनियर हाई स्कूल, खानपुर। जुलाई, 1972 में प्रारम्भ किया गया था जो वर्ष 1977 तक चला। वर्ष 1981 में पुनः प्रारम्भ करने का प्रयास किया गया किन्तु छात्रायें न होने के कारण स्कूल पुनः बन्द कर दिया गया।

प्रश्नगत स्कूल भवन न बनने के मुख्यतया निम्नलिखित कारण रहे हैं :—

(क) भवन हेतु दी गई भूमि केवल 50 वगफीट ही है जिसमें जू0 हा0 स्कूल का भवन नहीं बन सकता। इस भूमि का रजिस्टर्ड दान पत्र जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को 6 मार्च, 1982 को ही प्राप्त हुआ है।

(ख) वर्ष 1971-72 में जिला परिषद्, बुलन्दशहर को उक्त स्कूल भवन निर्माण हेतु रु0 18,000 का अनुदान प्राप्त हुआ था जो जू0 हा0 स्कूल भवन निर्माण हेतु अपर्याप्त था। यह धनराशि अब भी जिला परिषद् के पास है।

(ग) स्कूल में छात्राओं का न होना, तथा,

(घ) स्कूल भवन निर्माण हेतु जिला बेसिक शिक्षा समिति द्वारा चयन न किया जाना।

श्री बी0 के0 सिंह, अधीक्षक, राष्ट्रीय उद्यान फैजाबाद द्वारा सी0 पी0 आर0 आई0 शिमला से खरीदे गये आलू बीज का भुगतान

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या कृषि मन्त्री कृपया बतायेंगे कि श्री बी0 के0 सिंह, अधीक्षक, राष्ट्रीय उद्यान फैजाबाद ने मेरट में अपने कार्यकाल में करीब 24 हजार के बीज दक्षिण भारत की एक संस्था सी0 पी0 आर0 आई0 से मंगाए थे जिसका भुगतान उस संस्था को नहीं मिला परिणामस्वरूप पूरे प्रदेश में उक्त संस्था ने बीज देना बन्द कर दिया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि मंत्री (श्री यशपाल सिंह)—

सी0 पी0 आर0 आई0 दक्षिण भारत में नहीं बल्कि शिमला में है जिससे श्री बी0 के0 सिंह द्वारा रुपये 4,21,525-60 का आलू बीज मंगाया गया था। इसमें से केवल 6,505-70 का भुगतान रुक गया था वह अब कर दिया गया है। भुगतान रुकने के कारण उन्होंने बीज देना नहीं बन्द किया। श्री सिंह को उक्त मामले में गबन का दोषी पाए जाने के कारण निलम्बित किया जा चुका है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

माननीय मंत्री जी के उत्तर से संबंधित, जो 4 लाख का बीज खरीदा गया आलू का उसमें 6 हजार का भुगतान रुक गया था, जो कर दिया गया, तो इसका भुगतान कब-कब किया गया ?

श्री यशपाल सिंह—

सम्मानित सदस्य, जरा ध्यान दें। यह भुगतान विवरण, तारीख भी दूंगा, रुपया भी देते चले जायेंगे—7-3-75 और 12-3-75, दो बीजक प्राप्त हुए 10 लाख 4 हजार 344 और 13 हजार 455 रुपये के और टोटल भुगतान कर दिया गया 31-3-75 को। फिर बीजक प्राप्त हुआ 11-3-75 और 19-3-75, 11 हजार 888 रुपये और 44 हजार 844 रुपये, टोटल भुगतान कर दिया गया 31-3-75 को। 19-3-76 और 19-3-76, दो बीजक प्राप्त हुए—28 हजार 309 और 3 हजार 528 रुपये, इसका टोटल भुगतान...

श्री अध्यक्ष—

इसमें जो आखिरी भुगतान हुआ है, उसका विवरण बता दीजिये।

श्री यशपाल सिंह—

मान्यवर, यह भुगतान तारीखों में हुआ है। जैसे-जैसे बीजक आये उसी समय पर उनका भुगतान होता चला गया। मान्यवर, एक-दो आइटम और रह गये हैं। 812.85, 6000/-,3559/- रुपये का भुगतान मुखतलिफ तारीख में 19-4-1976 को भुगतान हुआ है। दिनांक 19-1-1977 को रुपया 6505/- का जो शेष रह गया था यह दिनांक 1-11-1975 का बीजक था जिसका अब भुगतान हो गया है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, मेरी जानकारी को सही मानते हुए कि यह 6 हजार रुपए का भुगतान कागज में दिखला दिया गया था और संबंधित व्यक्ति को मिला नहीं। जब उसने बीज सप्लाई करने पर रोक लगा दी, इस बात पर कि उसका भुगतान नहीं हुआ है, तो इस संबंध में माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि उनको इस गबन की कब सूचना मिली और कब उस आदमी को ससपेण्ड किया गया ?

श्री यशपाल सिंह—

मान्यवर, जो सूचना माननीय सदस्य दे रहे हैं यह करीब-करीब उसी प्रकार से है कि यह रुपया पेमेण्ट दिखाया गया किन्तु उसे पेमेण्ट नहीं किया गया। इसी आधार पर उन्होंने फिर लिखा कि मेरा रुपया पिछला बकाया है। उस समय सरकार के सामने यह तथ्य आया और उसी समय उसका स्पेशल आडिट कराया गया। और यह स्पेशल आडिट दिनांक 7-8-1982 को किया गया।

पटेल स्मारक इन्टर कालेज, पटेलनगर, भटहट गोरखपुर के पदाधिकारियों के विरुद्ध आरोपों की जांच

श्री केदारनाथ सिंह—

*2क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पटेल स्मारक इण्टर कालेज, पटेल-नगर भटहट, जिला गोरखपुर में व्याप्त अशान्ति एवं भयावह वातावरण तथा उक्त विद्यालय के पदाधिकारियों के विरुद्ध आरोपों के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता को जो पत्रांक एम0 2036 दिनांक 22-9-80 को शासन द्वारा भेजा गया था उस सम्बन्ध में इस समय के भीतर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं की गयी, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

इस सम्बन्ध में शिक्षा निदेशक तथा मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, गोरखपुर को मामले की जाँच करके पूर्ण आख्या शासन को भेजने के लिये निदेशित किया गया। अभी उनकी आख्या प्राप्त नहीं हुई है।

(प्रश्न का उत्तर पढ़ने के उपरांत)

मान्यवर, यदि आप आज्ञा दें, आख्या प्राप्त हो गई है।....

श्री अध्यक्ष—

कृपया आप बैठें।

श्री केदार नाथ सिंह—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या इस सम्बन्ध में भी वही डी0 आई0 ओ0 एस0, जो तत्कालीन डी0 आई0 ओ0 एस0, डा0 उमा शंकर मिश्र, थे ने जाँच की और जाँच रिपोर्ट डी0 डी0 आर0 को भेजी थी? लेकिन वह जाँच प्रभावित होकर लिखी गई थी निष्पक्षपूर्ण नहीं लिखी गई थी। इस नाते डी0 डी0 आर0 ने इसे निरस्त कर दिया और पुनः जाँच करने के आदेश जारी कर दिये थे?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, पहली बात को डी0 आई0 ओ0 एस0 के जाँच की आख्या प्रस्तुत है। उप शिक्षा निदेशक ने उस जाँच आख्या को निरस्त कर दिया इसकी मेरे पास कोई सूचना नहीं है।

श्री केदार नाथ सिंह—

मान्यवर, मेरी इस निश्चित जानकारी को सही मानते हुए कि यह जो जाँच रिपोर्ट है उन्होंने डी0 डी0 आर0 को भेजी थी किन्तु डी0 डी0 आर0 ने उस जाँच को निष्पक्षतापूर्वक न होने के नाते उसे निरस्त कर दिया था। तो क्या माननीय मंत्री जी मेरी इस जानकारी को सही मानते हुए इस सम्बन्ध में भी जाँच करायेंगी कि जाँच रिपोर्ट निष्पक्ष नहीं थी और डी0 आई0 ओ0 एस0 ने पक्षपातपूर्ण रवैया अख्तियार किया था?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, जाँच आख्या डी0 आई0 ओ0 एस0 की प्रस्तुत है और मेरे पास इसकी कोई सूचना नहीं है जिससे यह समझा जाय कि यह जाँच निष्पक्ष नहीं है। मान्यवर, अगर आप आदेश दें तो इस जाँच को डी0 डी0 आर0, उच्चतर माध्यमिक से पुनः करा ली जायेगी।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि यह बात 1980 में माननीय सदस्य ने कही है। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि वह शिकायती पत्र क्या है और उस पत्र में मूल-मूल बातें कौन सी हैं तथा क्या यह सही है कि 1980 से आज तक जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है इसमें कई अधिकारियों द्वारा जाँच की गई है। क्या फिर इस जाँच को केवल एक ही अधिकारी ने की है?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, जो शिकायतें की गयी थीं, कहिए तो पढ़ दूं ?

श्री अध्यक्ष--

खास-खास बातें बता दें।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जो शिकायतें की गयीं थीं उसमें पहली शिकायत थी कि परीक्षा फार्मों का विक्रय 1/- रु0 और 2/- रु0 में किया गया, यह शिकायत असत्य पायी गयी। दूसरी बात, भवन निर्माण के लिये छात्रों से 2/-लिये जाने विषयक थी यह भी छात्रों ने कहा कि नहीं लिया गया, यह भी असत्य पायी गयी। 80-85 प्रतिशत संयुक्त खाते में जमा न करने की शिकायत थी, वह भी रोकड़ पंजिका से देखा गया, जमा किया गया है। परीक्षा शुल्क भी निर्धारित लिया गया है और यह शिकायत थी कि ऋण दिया गया है, वापस नहीं लिया गया। यह शिकायत सही पायी गयी रोकड़ पंजिका में भवन निर्माण के लिये ढाई हजार रु0 ऋण लिया गया था, जो वापस नहीं किया गया था, उसके आदेश दे दिये जायेंगे।

श्री केदार नाथ सिंह--

मान्यवर, यह नेचुरल जस्टिस का तरीका होता है कि जो कम्पलेंट करता है, उससे साक्ष्य लिया जाता है, उससे पूछा जाता है। मैंने शिकायत प्रस्तुत की थी कि मैं मा0 मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह जांच किसने की थी और अगर की थी, तो मुझसे साक्ष्य क्यों नहीं लिया गया ? ताकि जितने आरोप आरोपित किये गये हैं, उनमें पुष्टि प्रस्तुत कर सकूं।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मैंने अभी निवेदन किया कि यह जांच डी0 आई0 ओ0 एस0 ने की और इस जांच में स्थानीय स्कूल में छात्रों से, अध्यापकों से और प्रधानाचार्य से साक्ष्य लिया गया। यह भी सही है कि मा0 विधायक का साक्ष्य नहीं लिया गया क्योंकि उनका जिक्र इसमें नहीं है। मैंने निवेदन किया कि अगर आज्ञा हो तो दूसरी जांच डी0 डी0 आर0 के द्वारा करा दी जाय, सब तथ्य सामने आ जायेंगे।

श्री अध्यक्ष--

आप दूसरी भी जांच करा लें।

मैंने यह कहा था कि जब कोई मा0 विधायक पत्र लिखते हैं तो जहां तक सम्भव हो सके उनसे भी जानकारी करनी चाहिये। मैं फिर कहता हूँ कि इस आशय का आप एक सर्कुलर भेजें, जिसकी प्रतिलिपि मुझको भी भेजें कि जिन माननीय सदस्यों ने जांच के लिये प्रार्थना-पत्र दिये हैं, जांच के समय उनसे भी वस्तुस्थिति की जानकारी की जाय।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, आपकी आज्ञानुसार कार्यवाही की जायगी।

परिषदीय जूनियर हाई स्कूल तथा राजकीय आदर्श विद्यालय के अध्यापकों व प्रधानाध्यापकों के वेतन मान

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

*3 क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि समान कार्य के लिए समान वेतन की शासन की नीति के उपरान्त कक्षा 8 तक शिक्षा देने वाले परिषदीय जू0 हा0 स्कूलों के सहायक अध्यापकों को 450-720 रु0 सेलेक्शन ग्रेड रु0 620-820 रुपया तथा प्रधानाध्यापकों को रुपया 490-860 वेतनमान दिया गया है जबकि कक्षा 8 तक की शिक्षा दे, वाले राजकीय आदर्श विद्यालय के सहायक अध्यापकों को 400-620 (सलेक्शन ग्रेड नहीं) प्रधानाध्यापकों को 450-720 रुपया वेतनमान दिया गया है, शासन की नीति के विरुद्ध ऐसा निर्णय क्यो ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

परिषदीय जूनियर हाई स्कूल के अध्यापकों को (1) 400-620 (नान इंटर प्रशिक्षित)। (2) 450-720-(इंटर प्रशिक्षित) का वेतनमान तथा रु0 620-820 का चयन वेतनमान दिया गया है। प्रधानाध्यापकों को रु0 490-860 का वेतनमान दिया गया है।

राजकीय आदर्श विद्यालय के सहायक अध्यापकों को--

(1) 400-620(सेवा के प्रथम 10 वर्ष तक)

(2) 450-720 (10 वर्ष की सेवा पर) का वेतनमान तथा प्रधानाध्यापकों को रु0 490-860 का वेतनमान दिया गया है।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, एक ही प्रबन्ध तंत्र में दोनों स्कूलों में जबकि समान काम, समान क्वालीफिकेशन पर वेतनमानों में विसंगति के क्या कारण हैं और जबकि संस्था एक ही है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

कारण मान्यवर स्पष्ट है कि जो परिषद् की प्राथमिक पाठशालाएं हैं, वह कक्षा एक से पाँच तक हैं और जूनियर हाई स्कूल कक्षा 6 से 8 तक हैं और जब कि आदर्श जूनियर हाई स्कूल है, उनमें कक्षा 1 से लेकर 8 तक चलती हैं। इसलिए इनके वेतनमानों में भी फर्क है। इसलिए समानता का कोई प्रश्न नहीं उठता।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

प्रश्न मान्यवर, कक्षा 6 से 8 और 1 से 8 का नहीं है, जो यह पढ़वाते हैं, वह अध्यापकगण पढ़ाते हैं, समान काम में और समान क्वालीफिकेशन पर समान वेतन भी दिया जाना चाहिए तो क्या माननीय मंत्री जी इस विसंगति को दूर करने की घोषणा करेंगी ? और यही विसंगति एडेड और रिकानाईज्ड स्कूलों में भी है। जो संविधान की भावनाओं

और आप द्वारा घोषित सिद्धान्तों के खिलाफ भी है। तो क्या निकट भविष्य में दोनों वेतन समान किये जाने की कार्यवाही की जायेगी ? इसका आश्वासन मा0 मंत्री जी कृपया दे दें।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, प्रश्न नं0 एक का उत्तर यह जो मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि समान काम नहीं है परिषद की प्राथमिक पाठशालाओं, जूनियर हाई स्कूल्स की तथा आदर्श जूनियर हाई स्कूल के नेचर आफ वर्क में डिफरेंस हैं, इसलिए इनके वेतनमान में भी डिफरेंस हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूँ जो अध्यापक कक्षा 6 से 8 पढ़ाते हैं या जो अध्यापक कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाते हैं। यह तो उनसे जो पढ़वाया जाता है, वह ही पढ़ाते हैं और हर एक काम के घंटे फिक्स होंगे पढ़ाने के चाहे वह कक्षा 6 से 8 तक पढ़ाते हों या चाहे कक्षा 1 से 8 तक, तो समान काम, समान वक्त में अध्यापक गण करते हैं परन्तु उन्हें वेतन अलग-अलग दिये जाएं यह कोई औचित्य समझ में नहीं आता है, दूसरे आप इन अध्यापकों को सेलेक्शन ग्रेड भी देते हैं और इन अध्यापकों को 10 वर्ष बाद दिया जाता है इसमें भी काफी विसंगति है, इसलिए क्या इसमें माननीय मंत्री जी स्पष्ट कोई घोषणा करने की कृपा करेंगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

हाँ, इनके सेलेक्शन ग्रेड के बारे में विचार किया जायेगा।

जिला फर्रुखाबाद के मोहम्मदाबाद के रजलामई हायर सेकेण्डरी स्कूल के परीक्षा केन्द्र से हाई स्कूल व इण्टरमीडिएट परीक्षा का छात्रों द्वारा बहिष्कार

श्री भीखा लाल--

*4 क्या शि ा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला फर्रुखाबाद के मोहम्मदाबाद क्षेत्र के रजलामई हायर सेकेण्डरी स्कूल के परीक्षा केन्द्र से वर्ष 1982 की हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट परीक्षा से 1181 छात्रों ने परीक्षा का बहिष्कार किया ? यदि हां, तो बहिष्कार करने का कारण क्या था और इन विद्यार्थियों के लिए परीक्षा देने की क्या व्यवस्था की गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हाँ, कतिपय परीक्षार्थियों द्वारा परीक्षा का बहिष्कार किया गया था।

परीक्षा केन्द्र की अधिक दूरी, काष्ठोपकरण की कमी स्थानाभाव व निवास की असुविधा इत्यादि के प्रश्नों को लेकर बहिष्कार किया गया था। संयुक्त परीक्षा समिति के निर्णय के अनुपालन में इन परीक्षार्थियों की दुबारा परीक्षा नहीं कराई गई और बहिष्कार किये गये प्रश्न-पत्र में अनुपस्थित मान कर उनका परीक्षाफल घोषित किया गया।

गोरखपुर विश्वविद्यालय, में चीनी टेक्नोलाजी विभाग खोलने की मांग

श्रीमती गौरी देवी--

*5 क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अधिकांश चीनी मिलें पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, बस्ती व देवरिया जिलों में स्थापित हैं ? यदि हां, तो गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर में वह चीनी टेक्नालोजी विभाग खोलेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां।

गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर द्वारा अभी चीनी टेक्नालाजी का पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने का विचार नहीं है। विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम प्रारम्भ करना विश्वविद्यालय का अधिकार है।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, महिलाओं के प्रश्नों का उत्तर देने में मुझे बड़ा मजा आता है और खासकर के श्रीमती गौरी देवी जी के प्रश्नों का क्योंकि वे बहुत बढ़िया तरीके के प्रश्न करती हैं।

श्रीमती गौरी देवी--

मान्यवर, क्या सरकार अपने स्तर पर गोरखपुर विश्वविद्यालय के लिये यह विषय खोलने के हेतु उचित सलाह देने की कृपा करेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, पहले तो मैं ऐसा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाने के लिये आदरणीय गौरी देवी जी को बधाई देती हूं। अभी तक हमने केवल इसको स्टार्ट करने के विषय में नहीं सोचा है। इस समय कानपुर में नेशनल शूगर इंस्टीट्यूट स्थापित है और वहां पर टेक्नोलाजी की शिक्षा आलरेडी दी जा रही है और यह राष्ट्रीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण संस्था है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, प्रदेश में एकमात्र कानपुर में ही नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट है और आपकी 91 शूगर की फैक्ट्रियां हैं जो चल रही हैं तो केवल एक इंस्टीट्यूट ही खुला हुआ है कानपुर में जहां कि इतनी बाढ़ है कि जल्दी अभ्यर्थियों को वहां पर प्रवेश नहीं मिल पाता है। दूसरे पूर्वांचल की शुगर फैक्ट्रियों में नान-टेक्निकल केमिस्ट आ कर काम कर रहे हैं। शुगर इंडस्ट्रीज को विकसित करने के लिये और लोगों को रोजगार देने के लिये अपने इस उत्तर से परे हट कर क्या मंत्री जी गोरखपुर विश्वविद्यालय में चीनी टेक्नोलोजी विषय खोलने पर विचार करेंगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, इस समय गोरखपुर विश्वविद्यालय में चीनी टेक्नोलोजी खोलने की कोई योजना नहीं है और न ही ऐसा विचार है। दूसरी बात जैसा कि श्रीमती गौरी देवी जी ने पूछा है तो उस संबंध में विश्वविद्यालय को कोई प्रकरण भी नहीं भेजा गया है। विश्वविद्यालय स्वायत्त शासी संस्था है। मैं यह कर सकती हूँ कि यदि सदन की ऐसी भावना है

तो गोरखपुर विश्वविद्यालय को यानी उसके वाईस चान्सलर को इस बात से अवगत करा दूंगी और आगे जो वे उचित समझेंगे, कार्यवाही करेंगे ।

श्री अध्यक्ष—

आप उन्हें इस सम्बन्ध में अवगत करा दीजियेगा।

श्री गंगा सागर कन्या हाई स्कूल भवन्तनगर मल्लावां, जनपद हरदोई में अध्यापिकाओं के पदों का सृजन

श्री राम आसरे वर्मा—

*6 क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि श्री गंगा सागर कन्या हाई स्कूल भवन्तनगर, मल्लावां, जनपद हरदोई में अध्यापिकाओं के पद सृजन का प्रकरण जिला विद्यालय निरीक्षक, हरदोई ने अपने पत्र संख्या 19/80-81 दिनांक 16 अप्रैल, 1980 द्वारा मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका षष्टम मण्डल, लखनऊ को अनुमोदन हेतु भेजा था ? यदि हां, तो अब तक पद सृजित न किए जाने के क्या कारण हैं ? क्या यह सही है कि इसके सम्बन्ध में एक पत्र प्रश्नकर्त्ता द्वारा मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका षष्टम मण्डल को अगस्त, 1982 के प्रथम सप्ताह में भेजा गया ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि कार्यवाही नहीं की गयी, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हाँ,

प्रकरण शिक्षा निदेशक के विचाराधीन है।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, मेरा प्रश्न था कि हरदोई जनपद में एक कन्या विद्यालय है भवन्त नगर में, मेरे ही क्षेत्र में वहां की अध्यापिकाओं के पद सृजन का प्रकरण जिला विद्यालय निरीक्षक के सामने प्रस्तुत किया गया था और सन्दर्भित पत्र द्वारा उसे डी0 डी0 आर0 के यहाँ अनुमोदन के लिये भेजा गया परन्तु इसमें शासन के द्वारा रोक लगा दी गयी और पद के सृजन में गहरा संकट पैदा हो गया। 1982 में जिस पत्र के लिये माननीय मंत्री जी ने कहा कि प्राप्त हुआ है, उसकी ओर ध्यान आकर्षित करते हुए पत्र लिखा तब जाकर वह प्रकरण सामने आया। जो सन्दर्भित पत्र जिला विद्यालय निरीक्षक के द्वारा भेजा गया वह क्या है ? उसमें क्या प्रकरण था और किस सिलसिले में थी । अन्त में मुझे माननीय मंत्री जी का इस संबंध में जवाब चाहिये। वह प्रकरण शिक्षा निदेशक द्वारा विचाराधीन है क्या ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, जिला विद्यालय निरीक्षक ने कोई पत्र मण्डलीय बालिका विद्यालय को भेजा है, इसकी कोई सूचना मेरे पास नहीं है और न पत्र ही उपलब्ध है । यह सही है कि मण्डलीय बालिका विद्यालय ने इस प्रकरण को 2-12-82 को निदेशालय में डाईरेक्ट पद

सृजन के संबंध में भेजा। यह डाइरेक्टर के यहां पर विचाराधीन है और उसकी जो आख्या आयेगी तो विचार किया जायेगा।

श्री राम आसरे वर्मा—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदया से जानना चाहता हूं कि मंडलीय बालिका निरीक्षिका द्वारा शिक्षा निदेशक को यह प्रकरण कब भेजा और मंडलीय बालिका निरीक्षका को कब मिला और किस के माध्यम से मिला और जो प्रकरण शिक्षा निदेशक के यहां पर विचाराधीन है वह कब तक पूरा हो जायेगा, कब तक निर्णय ले लिया जायेगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

अगस्त, 1982 में उनको संस्थाधिकारी, और प्रश्नकर्त्ता महोदया के पास सुझाव आया था।

श्री राम आसरे वर्मा—

माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने मुझको महोदया कह दिया।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

होली का त्योहार आने वाला है। उसी का यह रंग है।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य पूछ रहे हैं कि कब तक निर्णय हो जायेगा।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, होली की सबको बधाई। इस पर जल्दी से जल्दी निर्णय ले लिया जायेगा।

अनुसूचित जाति तथा जनजाति के अध्यापकों को आरक्षित कोटे के अन्तर्गत अधीनस्थ शिक्षा सेवा राजपत्रित वेतनमान में पदोन्नति

श्री कुंवर सिंह नेगी—

*7 क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा अनुसूचित जाति तथा जन जाति के ऐसे अध्यापकों की सूचना शासन के अनुमोदन हेतु भेजी गयी है जिन्हें आरक्षित कोटे के अन्तर्गत अधीनस्थ शिक्षा सेवा राजपत्रित वेतनमान 770-1600 में पदोन्नत किया जाना है, क्या यह सही है कि उक्त वेतनमान में नियुक्ति अधिकारी स्वयं शिक्षा निदेशक हैं और शासन द्वारा उन विभागीय अध्यापकों को समस्त अग्रेतर पदों पर पदोन्नत करने के आदेश पूर्व ही प्रेषित किए जा चुके हैं ? यदि हां, तो उन्हें समय पर वर्तमान पदों पर अभी तक स्थायी भी नहीं किया गया है ?

7-जी नहीं।

जी हाँ

पदोन्नति के कोटे में ज्येष्ठताक्रम में रिक्तियों के अभाव में।

श्री कुंवर सिंह नेगी—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न पूछा था कि क्या शिक्षा मंत्री जी कृपया बतायेंगी कि शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा अनुसूचित जाति तथा जन जाति के ऐसे अध्यापकों

की सूची शासन के अनुमोदन हेतु भेजी गयी है जिन्हें आरक्षित कोटे के अन्तर्गत अधीनस्थ शिक्षा सेवा राजपत्रित वेतनमान रु0 770-1600 में पदोन्नति किया जाना है, इसका उत्तर माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया जी नहीं। मान्यवर, इसी प्रकार का प्रश्न डा0 शिवानन्द नौटियाल ने विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के छठे सोमवार के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या 17 किया था कि क्या मुख्य मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि मुख्य सचिव ने अर्धशासकीय पत्रांक 154/पी0 एस0 एम0 एस0-81 दिनांक 31 जनवरी, 1982 अशासकीय पत्रांक 443/पी0 एस0 एम0 एस0-81 दिनांक 16 मार्च, 1981 अ0 शा0 पत्रांक 199/पी0 एस0 एम0 एस0-81 दिनांक 28 अगस्त, 1981 अ0 शा0 पत्रांक पी0 एस0 एम0 एस0-81 दिनांक 25 अक्तूबर, 1981 अ0 शा0 पत्रांक 268/पी0 एस0 एम0 एस0-81 दिनांक 21 नवम्बर, 81 तथा अ0 शा0 पत्रांक 96/पी0 एस0 एम0 एस0। एस0 एल0 ए0 वी0-82 दिनांक 18 मई, 1982 द्वारा शिक्षा विभाग के अन्तर्गत अधीनस्थ शिक्षा सेवा राजपत्रित वेतनमान में अनुसूचित जाति के आरक्षित कोटे के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के ही अध्यापकों को पदोन्नत करके कोटा पूर्ति हेतु शिक्षा सचिव को आवश्यक कार्यवाही हेतु लिखा गया है ? तो शिक्षा मंत्री जी ने उत्तर दिया कि प्रकरण का परीक्षण किया गया तथा अनुसूचित जाति/जन जाति के अर्ह एवं पात्र अध्यापकों को अधीनस्थ शिक्षा सेवा राजपत्रित वेतन मान में पदोन्नति दी गयी, तो मान्यवर, जो भी प्रश्न पूछा जाता है मा0 मंत्री जी भिन्न-भिन्न उत्तर देती हैं।

श्री अध्यक्ष--

यह संभव नहीं होगा कि नौटियाल जी ने क्या प्रश्न किया था, आप अपना प्रश्न करें।

श्री कुंवर सिंह नेगी--

मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूं कि यहां पर अनुसूचित जाति का सिर्फ अभी तक 4 प्रतिशत कोटा ही पूरा हो पाया है और उनके कई अध्यापक अस्थायी तौर पर तदर्थ नियुक्ति में हैं, उनका प्रमोशन क्यों नहीं किया गया, इसका क्या कारण है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर माननीय विधायक ने जो प्रश्न पूछा उसके बारे में मैं यह कहना चाहती हूँ कि शिक्षा निदेशक ही शासन को लिखे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि इन पदों की पदोन्नति शिक्षा निदेशक ही करते हैं और वे ही अधिकारी हैं एवं उनके स्तर से ही कार्य होता है। दूसरी बात यह है कि कहां-कहां हमने नियुक्तियां की हैं उनकी लिस्ट मेरे पास है। मैं उसे पढ़ दूं तो स्थिति क्लियर हो जायेगी--

श्री अध्यक्ष--

पूरी लिस्ट पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, अनुसूचित जाति के श्री श्यामलाल दोहरे को 27-12-77 को प्रोन्नति दी गई, श्याम लाल पन्थारी को 7-8-78, राम प्रकाश वर्मा--19-7-80, श्यामलाल को 11-7-80, हरी राम-26-9-81, रती राम 26-9-81, सुखलाल सिंह 28-9-81, इसी तरह से मान्यवर, 16 आदमी हैं जिनको पदोन्नत किया गया है। इसके अलावा अनुसूचित

जन जाति के श्री पाम सिंह राणा को 2-5-81 तथा भूपाल सिंह चौहान को 13-6-82 को प्रोन्नति दी गई।

श्री अध्यक्ष--

सब के नामों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

इसके अतिरिक्त पांच अध्यापक ऐसे हैं जो स्थायी हैं और 10 वर्ष की अविरल सेवा पूरी कर लिये हैं उनके नाम हैं श्री मेघ सिंह जाटव निलम्बित हैं और दूसरे श्री राम दुलारे --इनकी पदोन्नति के आदेश निर्गत किये जा रहे हैं। उसके बाद श्री सरजू प्रसाद, लटूरी लाल मौर्य तथा बंश लाल प्रसाद--ये तीनों ऐसे हैं जो फरवरी, 1983 में स्थायी हुये हैं इनकी पदोन्नति हेतु कार्यवाही हो रही है।

श्री कुंवर सिंह नेगी--

मान्यवर माननीया मंत्री जी से मैं स्पष्ट पूछना चाहता हूं कि क्या शासन ने ऐसे आदेश निर्गत किये हैं कि यदि किसी कर्मचारी का स्थायीकरण समय से नहीं हुआ है तो ऐसे कर्मचारी को अग्रेत्तर पदोन्नति से वंचित नहीं किया जायेगा ? यदि हां, तो इन अनुसूचित जाति के लोगों को इसका लाभ क्यों नहीं दिया गया ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, पदोन्नति की एक प्रक्रिया है। यदि मैं वह आपको बता दूं तो स्थिति क्लियर हो जायेगी। इसमें लिखा है कि पदोन्नति तब होगी जब वह व्यक्ति अपने वर्तमान पद पर स्थायी हो और उसकी 10 साल की अविरल सर्विस हो चुकी हो। यदि यह न हो तो उसे पदोन्नति नहीं दी जा सकती।

श्री कुंवर सिंह नेगी--

मान्यवर, इनके लिखित जवाब में है कि यदि किसी कर्मचारी का समय से प्रमोशन न हुआ हो तो ऐसे कर्मचारी की पदोन्नति में बाधा नहीं होगी। इसलिये जो यह कह रही हैं कि उसका स्थायी होना जरूरी है, यह गलत कह रही हैं और सदन को ऐसा कहकर गुमराह कर रही हैं। मैं इनके खिलाफ विशेषाधिकार का मामला उठा रहा हूं और आपको जबानी बता रहा हूं, बाद में लिखकर भी दे दूंगा।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, पदोन्नति के लिये स्थायी होना जरूरी है और उसकी 10 साल की सर्विस भी होनी जरूरी है.....

श्री अध्यक्ष--

आप बिना इजाजत के बोल रही हैं। मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूं।

जनपद बस्ती के जोगिया विकास खण्ड में हरिजन पेयजल कूपों का निर्माण

श्रीमती कमला साहनी--

*8 क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद के जोगिया विकास खण्ड में 1980-81 1981-82 में कुल कितने हरिजन कूप खुदवाए गये ? क्या

सभी कूप बनकर तैयार हो गये हैं ? यदि कूप पूर्ण-रूपेण तैयार नहीं हुए और गुगतान भी कर दिया गया तो क्यों ? क्या सरकार उन कूपों को तैयार कराने एवं सम्बन्धित कर्मचारियों को दंडित करने की कृपा करेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव)--

जनपद बस्ती के जोगिया विकास खंड के ग्राम-मैसहवा में वर्ष 1980-81 में एक हरिजन पेयजल कूप तथा वर्ष 1981-82 में ग्राम-नादेपार तथा निपनिया में दो हरिजन पेयजल कूपों के निर्माण हेतु अग्रिम दिये गये थे।

भैसहवा हरिजन पेयजल कूप की केवल जगत बननी बाकी है तथा नादेपार और निपनिया का हरिजन पेयजल कूप निर्माणाधीन है।

इन तीनों कूपों के निर्माण व्यय का पूर्ण भुगतान अभी नहीं किया गया है।

ग्राम भैसहवा के कूप का निर्माण कार्य इसी माह में पूर्ण हो जाने की आशा है तथा ग्राम नादेपार और निपनिया के कूपों का निर्माण कार्य आगामी मास अप्रैल 1983 में पूरा हो जायेगा। उस क्षेत्र में अभूतपूर्व बाढ़ आ जाने तथा संबंधित कर्मचारी का स्थानान्तरण हो जाने के कारण, कार्य समय से पूरा नहीं हो सका, अतः किसी भी कर्मचारी को दंडित करने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

*9 श्री हुकम सिंह--

(माननीय मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित)

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसानों की कृषि सुविधा

श्री हरगोविन्द वर्मा--

* 10 क्या कृषि मंत्री बताने की कपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए और किसानों की हालत सुधारने के लिए सरकार वर्ष 82-83 में कृषि को भी उद्योगों की भांति सुविधा की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल सिंह--

सरकार कृषि को सुविधा दिये जाने के लिये सर्वदा प्रयत्नशील है जैसा कि माननीय सदस्य को अवगत है। यदि मा0 सदस्य का कोई विशेष सुझाव हो तो उस पर भी विचार किया जायेगा।

श्री हरगोविन्द वर्मा--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने यद्यपि उत्तर उसी तरीके से दिया जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के किसानों की उपेक्षा हो रही है लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या कृषि को उद्योग समझ कर किसानों की मदद करेंगे और जिस तरीके से पिछड़े हुए जिलों में उद्योगों को कर्जे में छूट दी जाती है, अगर कोई हानि होती है तो अनुदान दिया जाता है उसी तरह की मदद जो यहां पर 72 प्रतिशत लोग खेती में लगे हुए हैं उनको न दिये जाने का क्या कारण है ? उनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार किया जाता है, चाहे वह कर्जा लें या दूसरी चीज करें तो उनको कोई छूट नहीं दी जाती है चाहे फसल जल जाय, या बाढ़ आ जाय ?

श्री यशपाल सिंह--

मान्यवर, प्रश्न कर्ता ने जो प्रश्न किया मेरे विचार से स्वयं ही वह अपने प्रश्न को स्पष्ट नहीं कर पाये, जजबात में बह कर कह गये कि उपेक्षा की जा रही है। किसानों के संबंध में मैंने बतलाया कि ऐसी बहुत सी आवश्यकतायें हैं जिनको सरकार को पूरा करना है। उनका यह कहना कि जैसे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में उद्योगों को कुछ छूट दी जाती है। तो मैं माननीय सदस्य को बतलाना चाहता हूं कि बैकवर्ड डिस्ट्रिक्टस में विशेष अनुदान या बहुत सी सुविधायें कृषकों को दी जाती हैं।

श्री हरगोविन्द वर्मा--

पिछड़े जिलों में 33 परसेंट की छूट कर्ज में दी जाती है तो क्या उसी तरीके से जैसे सीतापुर जिला पिछड़ा है वहां किसानों को ट्रैक्टर या बैल लेने के लिए जो ऋण दिया जाता है उसमें छूट देने की कृपा करेंगे ?

श्री यशपाल सिंह--

मान्यवर, कृषि विभाग के जरिये से ट्रैक्टरों के लिए अनुदान या ऋण नहीं मिलता है वह तो बैंकों के जरिये से मिलता है या फिर लैण्ड मारगेज बैंक से मिलता है या दूसरी संस्थाओं से मिलता है। कृषकों को जो कृषि विभाग सुविधा देता है अगर आप कहें तो मैं लिस्ट पढ़ सकता हूं यह इसमें दिया हुआ है। जहां तक ट्रैक्टरों के लिए लोन या दूसरी सुविधाओं का प्रश्न है वह एक व्यापक प्रश्न है जिसके बारे में सरकार को अलग से विचार करना होगा अगर कोई माननीय सदस्य का विचार हो तो वैसा लिखित रूप में दे दें।

श्री रियासत हुसैन--

जो सुविधा आप देते हैं उसमें होल्डिंग को बेस बना कर देते हैं तो क्या इस बात पर विचार करेंगे कि प्रदेश के जो जिले ऐसे हैं जहां पर केवल 25 परसेंट इरिगेटेड एरिया है या कहिये कि 75 परसेंट से अधिक जमीन अनइरिगेटेड है। उन जिलों में ऋण या दूसरी सुविधायें जो हैं उनको देने में होल्डिंग को बेस न बना कर ऋण की सुविधा बैकवर्ड होने के कारण ब्याज में या दूसरी चीजों में छूट देने पर विचार करेंगे ?

श्री यशपाल सिंह--

मान्यवर, संभवतया, ब्याज की छूट तो उद्योगपतियों को भी नहीं मिलती है। जहां तक कृषकों को लोन देने का प्रश्न है जिस हैसियत की बात माननीय सदस्य ने कही उसमें बैंक के द्वारा लोन दिलवाने की बात है उसमें बैंक की जो प्रक्रिया है उसमें वह लोनी से वसूलयाबी के प्रश्न की जरूर संस्तुति करता है और उसी तरह से वसूली करता है। उद्योग-पतियों के साथ कृषकों को जोड़ना मेरे ख्याल में उचित नहीं है और न कमपैरिजन हो सकता है। कोई विशेष सुविधा बैंकों के जरिये से किसानों को देने के लिए माननीय सदस्य सुझाव देंगे जिससे कृषकों को राहत मिल जाय और बैंक भी सहूलियत के साथ राहत दे सकते हैं तो उस पर विचार किया जायेगा।

श्री हर गोविन्द वर्मा--

मान्यवर, मैं सीधा प्रश्न कर रहा हूं कि क्या मंत्री जी खेती को उद्योग मानकर प्रदेश के अंदर किसानों को मदद करेंगे ?

श्री यशपाल सिंह--

मान्यवर, मैं तो उद्योगों से कृषि को बेहतर मानता हूं और उसी प्रकार उसको सहूलियत देने की बातें सोची जाती हैं।

श्री मेंहदी असगर--

मान्यवर, आप सुविधा दे सकते हैं चूंकि आपके विभाग के हाथ में जैसे कि, हर ब्लाक और हर न्याय पंचायत सर्किल में क्योंकि बीज मंहगा है इसलिये, किसानों को अच्छा बीज देने के लिये विभाग अपनी देख-रेख में बीज पैदा कराये और फिर उसको सस्ता ले एवं सस्ता किसानों को बीज भंडारों से देने की क्या मंत्री जी व्यवस्था करेंगें ?

मान्यवर, दूसरा प्रश्न है कि जहां गहराई पर पानी है वहां बोरिंग के लिये किसानों को क्या मंत्री जी मुफ्त बोरिंग की सुविधा देंगें ?

श्री यशपाल सिंह--

मान्यवर, मा0 सदस्य की सूचना के लिये मैं उनको बताना चाहता हूं कि यह जो प्रमाणित सीड का संबंध है जिससे पैदावार सस्ती हो, अधिक उपज हो तो प्रमाणित बीज की उपलब्धि के लिये उसके प्रोडक्शन के लिये प्रोसेसिंग प्लांट्स का प्रोवीजन है, जो मा0 सदस्यों के हाथ में है, डिस्ट्रिक्ट प्लान में अपने जिले में एक-एक यूनिट यदि स्थापित करा दें तो मैं समझता हूं कि यह प्रमाणित बीज की कोई परेशानी किसानों को नहीं रहेगी।

बरेली जनपद की तहसील नवाबगंज में डिग्री कालेज खोलने की मांग

श्री चेतराम गंगवार--

*11 क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि जिला बरेली की तहसील नवाबगंज में उच्च शिक्षा हेतु कोई भी डिग्री कालेज नहीं है ? यदि हां, तो क्या वह एक डिग्री कालेज खोलने की व्यवस्था निकट भविष्य में करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

बरेली जनपद की तहसील नवाबगंज में कोई डिग्री कालेज नहीं है।

नवाबगंज और उसके निकटवर्ती क्षेत्र में पोषक इण्टर कालेजों से कक्षा 12 उत्तीर्ण छात्र-संख्या को देखते हुये वहाँ डिग्री कालेज खोले जाने का सम्प्रति औचित्य नहीं बनता।

दिल्ली में एशियाड समारोह में उत्तर प्रदेश की ओर से प्रस्तुत होली नृत्य पर व्यय

श्री सरदार सिंह--

*2 क्या सांस्कृतिक कार्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 10 नवम्बर, 1982 को दिल्ली में एशियाड के उद्घाटन समारोह में उ0 प्र0 की ओर से होली नृत्य प्रस्तुत किया गया था ? यदि हां, तो इस नृत्य पर कुल कितना व्यय हुआ और कलाकारों का चयन करते समय किन-किन बिन्दुओं पर विचार हुआ था ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हाँ। इस नृत्य के कार्यक्रम को तैयार कराने के लिये आयोजित प्रशिक्षण शिविरों, कोरियोग्राफी, संगीत, वेषभूषा, आभूषण तथा अन्य प्रासंगिक व्यय पर कुल 8-65 लाख रुपये व्यय हुये।

नृत्य के लिये विशेषज्ञों द्वारा 300 कलाकारों का चयन करते समय निम्नलिखित बिन्दुओं को विचार में लिया गया।

(1) चयनित कलाकार नृत्य जानते हों या उनमें नृत्य करने की क्षमता तथा रुझान हो।

(2) कलाकार स्वस्थ, चुस्त, उत्साही तथा प्रभावशाली व्यक्ति का हो।

(3) वह अनुशासित हो और 8-10 सप्ताह के प्रशिक्षण शिविरों में एक साथ रह कर प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये तैयार हों।

(4) यथा सम्भव चुने गये सभी कलाकार एक ही आयु वर्ग के हों तथा नृत्य कार्यक्रम के लिये उपयुक्त हों।

श्री सरदार सिंह—

मान्यवर, दिल्ली में हमारे प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया गया है लेकिन होना चाहिये था कि पूरे प्रदेश के छात्राओं को यह अवसर दिया जाता जिससे वह अपनी कलाओं और नृत्य को प्रदर्शित कर सकते, इसलिये क्या शासन ने इस तरह के आदेश पूरे प्रदेश में किये थे और इस संबंध में कलाकारों के नाम हर जिले से क्या मांगे गये थे जो इसमें भाग लेना चाहते थे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, प्रश्न सुर, ताल और लय का है, हमारी छात्रायें जो सुर, ताल और लय में उत्तम थीं, मान्यवर, उन्हीं को लिया जा सकता था, न कि जो इनमें सक्षम नहीं थीं।

दूसरे प्रश्न का उत्तर सुनिये, इसमें हमने एक कैम्प चलाया था और बराबर 15 दिन तक वह कैम्प रहा, जिसमें प्रशिक्षण दिया गया छात्र-छात्राओं को कि कौन सी सुर, ताल और लय के अनुरूप हैं। छात्र तो सब भाग खड़े हुए, छात्र एक भी नहीं मिला। रह गई लड़कियां, उनमें जो उत्तम थीं, उनको चुन लिया गया और बाकायदा उनका एक प्रशिक्षण कैम्प चलाया गया?

श्री सरदार सिंह—

मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। मथुरा जिले की होली दुनिया में प्रसिद्ध है और इस तरह के जब जब कम्पटीशन हुए हैं, मथुरा का होली नृत्य फर्स्ट आया है। हमारे यहां हर तरह की सुर, ताल, लय की छात्राएं उपलब्ध थीं, लेकिन वहां पर इस विषय की कोई सूचना नहीं दी गई। इससे वहां के अध्यापक, छात्र, छात्राएं और जनता में बड़ा असन्तोष और रोष है, तो प्रश्न यह है कि क्या इसके लिए हर कलाकार या नत्य करने वाले को यह मौका दिया गया, या उनको इसके लिए इन्वाईट किया गया? और जिन्होंने दिल्ली में भाग लिया, उसमें प्रत्येक जनपद के कितने-कितने कलाकार थे?

श्री अध्यक्ष--

यह बताना सम्भव नहीं होगा।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

यह प्रोग्राम जो तैयार कराया गया, एक विश्वविख्यात नृत्य निर्देशक और कलाकार जो बिरजू महराज है, उनके नेतृत्व में, निर्देशन में यह तैयार कराया गया। यह एशियाद्ध का सर्वोत्तम प्रोग्राम था और इससे भारत का नाम दुनिया भर में प्रसिद्ध हुआ है, सारे संसार में भारत का गौरव बढ़ा है, हमारी लड़कियों ने इतना शानदार प्रोग्राम दिया था।

श्री रुद्रप्रताप सिंह--

यह बात अलग है कि इसने विश्व में रिकार्ड कायम किया, लेकिन हम यह जानना चाहते हैं कि जो हमारी लड़कियां थीं जिनको सूचना नहीं दी गई, वह भी इस प्रतियोगिता में आकर और अधिक प्रसिद्धि प्राप्त कर सकती थीं, तो उनके विरोध में जो आपने कदम उठाया, उसका क्या कारण है ? (व्यवधान) इसमें प्रदेश और देश के आन-मान का सवाल था, मैं यह जानना चाहता हूं कि आपने किस आधार पर इसके लिए उत्तर प्रदेश के छात्र, छात्राओं यानी कलाकारों को इन्वाईट किया ? हो सकता है कि मेरी लड़की अच्छा गाने वाली हो, लेकिन उसको सूचना नहीं मिली, तो चयन का आधार आपने क्या बनाया ?

श्री अध्यक्ष--

लगता है आपने प्रश्न को ठीक से पढ़ा नहीं है।

श्री सरदार सिंह--

यह ठीक है कि बहुत अच्छा वहां पर नृत्य प्रदर्शन हुआ, लेकिन अगर हमारे मथुरा और दूसरे स्थानों के पारंगत कलाकारों को मौका दिया जाता, तो हो सकता था कि कार्यक्रम और अच्छा हो जाता, लेकिन आपने सबको समान रूप से मौका नहीं दिया, जो पूरे प्रदेश की ओर से प्रदर्शन हुआ, उसमें आपने केवल अपनी कान्सट्वेन्सी की छात्राओं को लेकर ही प्रदर्शन करवा दिया और पौने 9 लाख रुपया उस पर फूंक दिया। तो मथुरा और अन्य जिलों से कलाकारों और लड़कियों को न लिये जाने का क्या कारण था ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

आपने एक विश्वविख्यात की बात कही, तो मान्यवर, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहती हूं कि विश्व का जो सबसे ज्यादा विश्व विख्यात घराना है---अच्छन महाराज जी का घराना, उनके लड़के ने इसका निर्देशन किया है, और दूसरे एन० सी० सी० की लड़कियों के द्वारा उनका प्रदर्शन हुआ है.... (व्यवधान)

मान्यवर, अभी होली शुरू नहीं हुई, यह होली का रंग क्या शुरू हो गया ?

(तारांकित प्रश्नों का समय समाप्त)

नोट :--तारांकित प्रश्न संख्या 12 के उपरान्त तारांकित प्रश्नों का समय समाप्त हो गया।

निर्धारित समय के अंदर सभी तारांकित प्रश्न न लिए जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । मान्यवर, आपसे एक मेरा बड़ा नम्र निवेदन है कि तारांकित प्रश्नों के लिए एक घंटा का समय निर्धारित है, 11 बजे से 12 बजे तक, उसमें 20 सवाल होते हैं, मैं आपसे यह व्यवस्था चाहता हूं कि समय का प्रबन्ध कर दिया जाय कि ताकि सभी 20 सवाल हो जायं। इसलिए निकट-भविष्य में ऐसी व्यवस्था मान्यवर, कर दें कि बीस सवालों के लिए तीन-तीन मिनट की व्यवस्था कर दें कि बीसों सवाल तो आ जायं।

श्री अध्यक्ष--

मैंने माननीय सदस्यों से कई बार निवेदन किया है कि वह मेरा सहयोग करें, यदि महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो एक दो सवाल और हो जाया करें। मैं सभी माननीय सदस्यों से यह निवेदन करूंगा कि भविष्य में वे इस बात का ध्यान रखें कि जो प्रश्न हैं, उसमें कम से कम प्रश्न पूछे जायं।

प्रश्नोत्तर (क्रमागत)

मण्डल स्तर पर खण्ड विकास अधिकारी के रिक्त पदों पर प्रोन्नति का आधार

श्री राजकुमार राय--

*13 क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि ए0 पी0 सी0 उत्तर प्रदेश के आदेश संख्या 2637 दिनांक 15-7-82 के पैरा 3 द्वारा प्रोन्नति का आधार योगदान की तिथि निश्चित कर दी गयी थी? क्या यह सही है कि उन्होंने 30-9-82 को अपने पूर्व आदेश के विपरीत उनके स्थायीकरण की तिथि को आधार मानकर स0 वि0 अ0 की प्रोन्नति कर दी है? यदि हां, तो इसका क्या आधार है और शासन इस मामले में कौन-सी कार्यवाही कर रहा है?

श्री बलराम सिंह यादव--

मण्डल स्तर पर खण्ड विकास अधिकारी के रिक्त पदों पर प्रोन्नति हेतु तत्कालीन आयुक्त एवं सचिव कृषि उत्पादन एवं ग्राम्य विकास उ0 प्र0 के आदेश संख्या 2637/स्था0 प्र0 दिनांक 15-7-82 के प्रस्तर 3 द्वारा मण्डल स्तरीय प्रोन्नति हेतु मण्डल स्तर पर सहायक विकास अधिकारियों की ज्येष्ठता का आधार नियमित नियुक्ति की तिथि को माना गया है। लोक सेवा आयोग उ0 प्र0 के सुझाव के अनुसार खण्ड विकास अधिकारी के पद पर प्रोन्नति हेतु स्थायीकरण की तिथि का आधार मानकर प्रदेश स्तर से आदेश दिनांक 30-9-82 द्वारा अनुमोदित अधिकारियों की सूची समस्त मण्डलायुक्तों को प्रसारित की गई है।

जिला कृषि अधिकारी बाराबंकी के विरुद्ध भ्रष्टाचार, गलत नियुक्तियां तथा सरकारी धन के दुरुपयोग के सम्बन्ध में शिकायत

श्री ऊदल--

*14 क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला कृषि अधिकारी बाराबंकी के खिलाफ एक शिकायती पत्र नागरिकों ने गबन, भ्रष्टाचार, गलत नियुक्तियां, सरकारी धन के दुरुपयोग, आदि के संबंध में अक्टूबर, 82 तथा नवम्बर के प्रथम एवं दूसरे सप्ताह में कृषि मंत्री एवं कृषि सचिव को दिया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं की गई तो क्यों ?

श्री यशपाल सिंह--

जिला कृषि अधिकारी, बाराबंकी के विरुद्ध भ्रष्टाचार, गलत नियुक्तियाँ, सरकारी धन का दुरुपयोग आदि से सम्बन्धित श्री राम चन्द्र बख्श सिंह, भूतपूर्व विधायक के शिकायती पत्र दिनांक 30-10-82, 19-11-82 तथा 26-11-82 प्राप्त हुए हैं।

उत्तर प्रदेश बीज एवं तराई विकास निगम लिमिटेड के पुखराया संयंत्र पर बीज छानन से तैयार न किया जाना

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि कानपुर क्षेत्र के उत्तर प्रदेश बीज एवं तराई विकास निगम के बीज विधायन संयंत्र पुखरायां में अन्डर साइज के द्वारा छानन प्रमाणित बीज लाट न0 77/6, 77/7 व 77/8 में करीब 500 कुन्टल तैयार किया गया ? यदि हां, तो इसके लिए दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध शासन ने क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल सिंह--

उत्तर प्रदेश बीज एवं तराई विकास निगम लि0 के पुखरायां पर प्रश्नगत लाट का बीज छानन से नहीं तैयार किया गया है। अतएव किसी अधिकारी एवं कर्मचारी के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

गाजियाबाद के प्राइमरी स्कूल की सहायक अध्यापिका श्रीमती कमलादेवी शर्मा तथा अन्य अध्यापिकाओं का बकाया वेतन

श्री जियाराम शुक्ल (विकल साकेती)--

*16 क्या शिक्षा मंत्री को मेरठ और अब गाजियाबाद के प्राइमरी स्कूलों की सहायक अध्यापिका श्रीमती कमला देवी शर्मा तथा उनकी सहयोगी अध्यापिकाओं के जो गाजियाबाद के लोनी, बेहटा, निस्तौली प्राइमरी स्कूलों में कार्यरत रही हैं, सन् 1974 से 1977 तक के बकाया वेतन की 22,014-01 रु0 की धनराशि के अब तक भुगतान न होने की अगस्त 82 के तीसरे सप्ताह में कोई शिकायत उन्हें प्राप्त हुई थी ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद जालौन के दस्यु प्रभावित बीहड़ भूमि को कृषि योग्य बनाने की योजना

श्री शंकर सिंह—

*17 क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद जालौन के दस्यु प्रभावित क्षेत्रों में बीहड़ सुधार के लिये उसने कोई योजना बनायी है जिससे कि बीहड़ भूमि को समतल करके उसको कृषि योग्य बनाया जा सके तथा उक्त क्षेत्रों में सड़कें बिछा कर आवागमन के साधन बढ़ाये जायें ? यदि हां, तो उक्त योजना पर कब तक कार्य शुरू हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल सिंह—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर जिले के सरदार नगर स्थित सरैया डिस्टलरी के द्वारा (आबकारी राजस्व कर की चोरी के मामले की जाँच

श्री मोहन सिंह—

*18 क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले के सरदार नगर स्थित सरैया डिस्टीलरी में लगभग डेढ़ करोड़ रुपये की राजस्व कर की चोरी का कोई मामला आबकारी निरीक्षक श्री राणा प्रताप सिंह ने पकड़ा था जिस पर अप्रैल 1982 में सहायक आबकारी आयुक्त श्री निम ने जांच पड़ताल की ? यदि हां, तो विभाग ने डिस्टीलरी द्वारा किये जा रहे आबकारी राजस्व अपवंचन के विरुद्ध डिस्टीलरी प्रबन्ध समिति के विरुद्ध अभी तक क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

आबकारी मंत्री (श्री विद्याभूषण)—

श्री राणा प्रताप सिंह, आबकारी निरीक्षक के पत्र सं0 19/आ0 नि0 दिनांक 10-4-82 द्वारा जो आबकारी आयुक्त को संबोधित है, कथित 1,57,74,212 रुपये, आबकारी राजस्व कर अपवंचना की रिपोर्ट प्राप्त हुई है।

जी हां, प्रारम्भिक जांच सहायक आयुक्त ने की थी जांच श्री निम द्वारा नहीं की गयी थी। उक्त मामले में विस्तृत जांच टेक्निकल आफिसर मुख्यालय इलाहाबाद को सौंपी गयी है। प्रश्नगत मामले में उनकी जांच रिपोर्ट अभी प्रतीक्षित है।

केन सोसाइटी नेहरू डिग्री कालेज, हरदोई की छात्र यूनियन का उद्घाटन हेतु मैगजीन फण्ड से धन की स्वीकृति

श्री नरेश अग्रवाल—

*19 क्या शिक्षा मन्त्री को जानकारी है कि केन सोसायटी, नेहरू डिग्री कालेज, हरदोई के अध्यक्ष ने दिनांक 26-5-82 को यूनियन के उद्घाटन हेतु मैगजीन फण्ड से 5000 (पांच हजार) स्वीकृत कर दिये जब कि यूनियन का उद्घाटन अब तक नहीं हुआ है ? क्या यह

भी सत्य है कि मैगजीन फण्ड से छात्र यूनियन के उद्घाटन हेतु रुपया नहीं दिया जा सकता है ? यदि हां, तो शासन ने इस पर क्या कार्यवाही की, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हाँ,

यूनियन का उद्घाटन 8-1-83 को हो चुका है।

जी हाँ।

शासन द्वारा उक्त राशि को तुरन्त वापसी के आदेश दिए गये थे और आदेशानुसार उक्त धन मैगजीन फण्ड से वापस कर दिया गया है।

लखनऊ स्थित मोहन मेकिन फैक्टरी से इक्साईज ड्यूटी के बकाये की वसूली

श्यामलाल बाजपेयी—

*20 क्या आबकारी मन्त्री को जानकारी है कि विदेशी शराब बनाने वाली लखनऊ स्थित फैक्ट्री 'मोहन मेकिन' पर गत कई वर्षों से इक्साईज ड्यूटी का पच्चासी लाख रुपया बकाया चला आ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वह कौन से विशेष कारण थे जिससे इतनी भारी धनराशि नहीं वसूल की जा सकी ? क्या निकट भविष्य में मोहन मेकिन पर बकाया धनराशि वसूलने का प्रयास किया जायगा ?

श्री विद्या भूषण—

जी हां। विधिक कठिनाइयों और उच्च न्यायालय के स्थगन आदेशों के कारण बकाया धनराशि की वसूली नहीं की जा सकी है। उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिकाओं और छीजन पर ड्यूटी वसूलने के विषय पर सर्वोच्च न्यायालय में दायर अपीलों की प्रभावी पैरवी की जा रही है।

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

जनपद देवरिया में प्लानहेड योजना' के अन्तर्गत विद्यालयों का बकाया वेतन

श्री रुद्रप्रताप सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया में प्लानहेड योजना के अन्तर्गत 11 विद्यालयों का वेतन अभी तक सितम्बर, 82 से नहीं दिया गया है, जिसके कारण अध्यापकों में असंतोष है ? यदि हां, तो वेतन न देने का कारण क्या है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी नहीं,

प्रश्न नहीं उठता।

श्री रुद्र प्रताप सिंह—

मान्यवर, हमारे जिले देवरिया के प्लान हेड में कितने विद्यालय हैं और क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगी कि बीजापुर झंगटौर हाई स्कूल के अध्यापकों का वेतन सितम्बर, अक्तूबर, नवम्बर, दिसम्बर और जनवरी का कब दिया गया ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

मान्यवर, देवरिया जिले की यह स्थिति है कि वहां पर प्लान हेड योजना के अन्तर्गत 11 विद्यालयों का वेतन, यह सही है कि अक्टूबर से नहीं दिया गया था, लेकिन मुझे आपके माध्यम से सदन में बताने में हर्ष हो रहा है कि हमने जनवरी तक का वेतन वितरण टू-डेट कर दिया है।

श्री अध्यक्ष––

अप-टु-डेट की हिन्दी कीजिए।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी––

मान्यवर, हमने जनवरी तक का, अब तक का वेतन दे दिया है।

श्री रुद्र प्रताप सिंह––

मान्यवर, हमने 301 में प्रश्न उठाया था कि सितम्बर अक्तूबर, नवम्बर, दिसम्बर और जनवरी का वेतन नहीं दिया गया है, जिससे अध्यापकों में असंतोष और रोष व्याप्त है। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बताया कि यह 5 महीने का वेतन इकट्ठा दे दिया गया है। तो मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि यह पांच महीने का वेतन, सितम्बर से जनवरी तक देने का क्या रहस्य है तथा किस अधिकारी, किस मंत्री से मिलने से यह वेतन मिला अध्यापकों को, जिससे अध्यापक परेशान हो गये ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी––

मान्यवर, यह ऐसा हुआ कि वेतनमान का पुनरीक्षण जब हुआ 1-7-79 को और इसका निर्गत हुआ आदेश 9 जून, 1982 को, और नवीन वेतनमानों का, वेतन का विवरण कार्य प्रारम्भ हुआ अगस्त, 1982 को। तो यह जब वेतनमान के अनुसार पैसा देना शुरू हुआ, तो उसकी वजह से जनवरी में पैसे की कमी आ गयी, और हमने दिनांक 5-2-83 को देवरिया को टेलेक्स भेजा कि हमारे पास धन नहीं है और 17-2-83 को तार भेजा कि तुरन्त जनवरी, 1983 तक का वेतन वितरण कर दिया जाय और वह मान्यवर, वेतन वितरण कर दिया गया है।

श्री रुद्र प्रताप सिंह––

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूँ कि प्लानहेड में जो रुपया आबंटित था क्या वह रुपया समाप्त हो गया था ? मेरी सुनिश्चित जानकारी है कि 98 लाख रुपया उस फंड में था लेकिन जानबूझ कर डायरेक्ट्रेट से कोई पत्र नहीं गया। पैसे की मांग की जा रही थी जब पैसा लोगों ने नहीं दिया तो 5 महीने का वेतन बाकी रहा। तो यह बताने की कृपा करें कि यह पैसा कब कम हुआ और कब पैसा भेजा गया तो बात क्लियर हो जायगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी––

मान्यवर, प्लान हेड में जो अध्यापक हैं उनका भी वेतन पुनरीक्षित हुआ है। उसी की वजह से पैसा कम पड़ गया। अब पेमेंट कर दिया गया है।

श्री अध्यक्ष––

उन्होंने पूछा है कि पैसा आपके पास था लेकिन लोगों ने जानबूझकर गलती की जिसकी वजह से पैसा नहीं मिला।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मेरी सूचना है कि पैसा खत्म हो गया था जिसकी वजह से भी वेतन पुनरीक्षण और वेतन का अधिक दिया जाना। अब जनवरी तक का वेतन दे दिया गया है।

श्री पंचानन राय—

मान्यवर, देवरिया जिले के बारे में उन्होंने सवाल किया है। मान्यवर, पूरे प्रदेश में जो प्लान हेड में अनुदानित विद्यालय हैं सितंबर की तनख्वाह नहीं दिया। वेतन वितरण अधिनियम बना हुआ है जो 71 से लागू है। इस महीने की तनख्वाह अगले महीने में 20 तारीख के पहले दे दी जायगी। अगर नहीं दी जायगी तो जिम्मेदार लोगों का प्रासीक्यूशन होगा और मुकदमा चलाया जायगा। सितंबर से लेकर फरवरी तक 6 महीने का वेतन पूरे प्रदेश के जो प्लान हेड के विद्यालय हैं और वहां एक हजार से ज्यादा अध्यापकों को बांटा नहीं है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि वेतन 4-5 महीने पूरे प्रदेश में नहीं तो खासकर देवरिया में प्लान हेड के विद्यालयों में जो नहीं दिया गया इसके लिये कौन जिम्मेदार है और उनके खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं चलाया गया ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, जो स्थिति देवरिया की है वही पूरे प्रदेश की है। पैसे की कमी की वजह से यह हुआ। हमने 5 फरवरी को देवरिया ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में आदेश निर्गत कर दिया है। मैं समझती हूँ कि मिल गया होगा। प्रश्न चूंकि देवरिया के बारे में था इसलिये मैंने देवरिया के बारे में बताया है। मैं माननीय पंचानन राय जी को आश्वस्त करना चाहती हूँ कि मैं आज इस बात को देखूंगी और आवश्यकता पड़ेगी, कहीं पेमेंट नहीं हुआ होगा तो तुरंत टेलेक्स जायगा और अगर दोषी व्यक्ति कोई होगा जिसने जानबूझकर डिले की है तो अगर ध्यान आकर्षित करेंगे तो उस दोषी व्यक्ति के खिलाफ ऐक्शन लिया जायगा।

मान्यवर, दूसरी बात मैं बताना चाहूँगी कि हमने निर्णय लिया है, एक बैठक हुयी थी। पंचानन राय जी भी उसमें थे और उच्चाधिकारी भी थे तो जो उनकी चिंता है वह हमारी चिंता है अध्यापक इससे संबंधित हैं तो हमने निर्णय लिया है कि हम शीघ्र से शीघ्र अपने अध्यापक वर्ग को वेतन समय से भेजेंगे। कई सालों के बाद पहली बार वेतन पुनरीक्षण हुआ। उसकी वजह से परेशानी हुयी जिसके लिये हम क्षमा प्रार्थी हैं।

श्री पंचानन राय—

मान्यवर, प्रश्न कुछ है और उत्तर कुछ है। मैं जानना चाहता हूँ कि कानून बना हुआ है कि अगले माह की 20 तारीख तक वेतन दे दिया जायगा लेकिन 4-5 महीने पूरे प्रदेश में वेतन नहीं बटा, अध्यापक भुखमरी के शिकार हुए। मान्यवर, अब आप देखें 16 फरवरी को यह सवाल पूछा गया और 17 फरवरी को उन्हें दिलवा दिया गया, तो अगर सदन न चलता होता, सवाल न पूछा गया होता, तो इन्हें एक साल और तनख्वाह न बंटती।

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न करें।

श्री पंचानन राय--

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि यह जो 4-5 महीने तनख्वाह नहीं दी गयी, उसके लिए जिम्मेदारी किसकी है, सरकार की है, शिक्षा विभाग के अधिकारियों की या अध्यापकों की है ? दूसरे, क्या आगे के लिए कोई ऐसा इंतजाम करेंगी कि समय से, कानून के अनुसार अध्यापकों का वेतन भुगतान होता रहे ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी---

मान्यवर, मैंने अभी निवेदन किया, पंचानन राय जी के साथ एक मीटिंग हुई थी, मैं इसका प्रयास कर रही हूँ, इस संबंध में जो भी आप विरोध पक्ष की तरफ से, उस पक्ष की तरफ से, या अध्यापकों की तरफ से हमारे पास सुझाव आयेंगे, उनका जरूर पालन किया जायेगा, उस पर गौर किया जायेगा । एक फार्मूला तैयार करने का प्रयास किया जायेगा, जिससे समय से सब अध्यापकों को वेतन बट सके । मान्यवर, यह हमारा पुनीत कर्तव्य है कि हम अपने अध्यापकों को समय से वेतन बांट सकें ।

श्री रुद्र प्रताप सिंह--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीया मंत्री जी से यह स्पष्ट जानना चाहता हूँ कि जिन अधिकारियों/कर्मचारियों की त्रुटि से, लापरवाही से, अध्यापकों को इतना मानसिक तनाव हुआ, क्या तत्सम्बन्धी मामले की जांच कराके दोषी लोगों के खिलाफ कार्यवाही कराने की कृपा करेंगी ? मैं इस पर माननीया मंत्री जी का आश्वासन चाहता हूँ ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, अगर दोष सिद्ध हो जाय, तो जिस अधिकारी की वजह से यह हुआ, उसमें चाहे मैं भी क्यों न हूँ, उसके खिलाफ ऐक्शन अवश्य लिया जायेगा कार्यवाही अवश्य होगी ।

वेतन आयोग द्वारा संस्तुत को वेतनमान के अन्तर्गत बेसिक शिक्षा परिषद् के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों टी0 ए0 बिलों का भुगतान

श्रीमती प्रेमवती तिवारी--

**2 क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि वेतन आयोग (1979-81) द्वारा संस्तुत वेतनमान बेसिक शिक्षा परिषद् के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों पर लागू हो चुके हैं परन्तु तदनुरूप संशोधित टी0 ए0 रूल्स उन पर लागू नहीं किये गये हैं जिससे जिला हरदोई में बेसिक शिक्षा परिषद् के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को उनके टी0 ए0 बिलों का भुगतान जुलाई, 1982 से नहीं किया गया है ? यदि हां, तो तत्काल इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी----

जी हाँ ।

परिषदीय शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिये संशोधित टी0 ए0 रूल्स जारी करने के विषय का परीक्षण किया जा रहा है ।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीया मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि क्या वे यह बतायेंगी कि जुलाई, 1982 तक नये वेतनमान के अनुसार टी0 ए0, डी0 ए0 मिला, लेकिन जुलाई के बाद में एक नये एकाउंट आफिसर आ गये, और उनके आने के बाद टी0 ए0, डी0 ए0 नहीं दिया गया ? यदि यह नहीं दिया गया, तो क्यों नहीं दिया गया ? आज 8 महीने हो गये, कौन सी ऐसी बात है, जिसकी वजह से इसको बन्द कर दिया गया, इसे कृपया स्पष्ट करने का कष्ट करें ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, शासनादेश 16-9-82 को हुआ था, इसके अनुसार नये वेतनमान 1 जुलाई, 1979 से दिये गये। लेकिन, टी0 ए0 जो है, वह नयी दर से दिया जाय, यह प्रश्न अभी विचाराधीन है, इसलिए नयी दर मे उनको टी0 ए0 देने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी--

मान्यवर, मैं उसी बात पर आती हूँ कि जुलाई तक तो दे दिया गया, लेकिन जुलाई के बाद बंद कर दिया गया, तो मैं यह जानना चाहती हूँ कि जुलाई तक क्यों दिया गया और जुलाई के बाद क्यों बंद कर दिया गया ? दूसरे, यह बताया गया था कि जुलाई तक मिल चुका था और इसी आधार पर कर्मचारियों ने काम करना शुरू कर दिया। मैं यह जानना चाहती हूँ कि जिन्होंने सरकारी यात्रा पर अपनी जेब से खर्च किया, क्या उनके धन को दिलाने की कोशिश करेंगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, मैंने अभी निवेदन किया कि अभी टी0 ए0 से सम्बन्धित दरों को पुनरीक्षित करने का आदेश नहीं निकला है, यह अभी विचाराधीन है। नये वेतनमान पुनरीक्षित 1-7-79 से किये, पुरानी दर से उनको मिल सकता, लेकिन नयी दर से सम्बन्धित प्रश्न अभी भी विचाराधीन है, इसके ऊपर निर्णय शीघ्र लिया जायेगा और जो निर्णय होगा, उसके अनुसार शीघ्र कार्यवाही की जायेगी, यह मैं इतना कहना चाहती हूँ ।

श्री दलगंजन सिंह--

मान्यवर, जो भी सवाल शिक्षा के सम्बन्ध में सदन में आते हैं, लेकिन मंत्री जी की सुर, ताल और लय के कारण उन सवालों का स्पष्ट जवाब नहीं आ पाता है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि मंत्री जी सदन में सुर, ताल और लय को अलग करके स्पष्ट उत्तर देने की कृपा किया करेंगी ?

श्री अध्यक्ष--

मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं, कृपया इस तरह के प्रश्न न किया करें ।

श्री रामस्वरूप वर्मा--

मंत्री जी ने बताया कि जुलाई में एक महीने का देकर, फिर नहीं दिया गया और वह विचाराधीन है। तो क्या ऐसे आदेश देने का मंत्री जी कष्ट करेंगी कि इस समय पुराने

रेट के हिसाब से ही दे दिया जाय और जब शासन विचार करके नया आदेश जारी कर दे, तब नये जी० ओ० के अनुसार जो अन्तर आये वह बाद में दे दिया जाय ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

यह आपका सुन्दर सुझाव है, जरूर इस पर विचार करेंगे।

श्री प्रभूनारायण सिंह--

क्या बेसिक शिक्षा परिषद् के शिक्षक और शैक्षिक संस्थाओं के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर 22 मार्च को अनशन तथा कोई प्रदर्शन करने जा रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष--

मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूं ।

(प्रश्नों का समय समाप्त)

अतारांकित प्रश्न

अतिरिक्त कृषि निदेशक, कृषि एवं भूमि संरक्षण (पर्वतीय क्षेत्र) के पद पर नियुक्ति

श्री कुंवर सिंह नेगी---

1 क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अतिरिक्त निदेशक कृषि एवं भूमि संरक्षण (पर्वतीय क्षेत्र) का पद कब से रिक्त पड़ा है इस पद पर कब तक नियुक्ति हो जायगी ?

श्री यशपाल सिंह---

अतिरिक्त कृषि निदेशक, कृषि एवं भूमि संरक्षण (पर्वतीय क्षेत्र) पद दिनांक जून 18, 1982 से रिक्त है। इस पद पर शीघ्र नियुक्ति विचाराधीन है।

श्रीमती पूरसन्दी देवी विधवा स्व० श्री हर स्वरूप, रिटायर्ड हेडमास्टर को पारिवारिक पेंशन का भुगतान

श्री किरनपाल सिंह--

2 क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि श्रीमती पूरसन्दी देवी विधवा स्व० श्री हर-स्वरूप रिटायर्ड हेड मास्टर ने दिनांक 17-8-82 व 1-7-71 से पारिवारिक पेंशन प्राप्ति हेतु कोई प्रार्थना-पत्र बेसिक शिक्षा अधिकारी, गाजियाबाद को दिया था ? यदि हां, तो क्या उक्त विधवा को पारिवारिक पेंशन प्रदान कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

नोट:--अल्प सूचित प्रश्न संख्या 2 के उपरान्त अल्पसूचित प्रश्नों का समय समाप्त हो गया ।

स्वर्गीय श्री भरत सिंह नेगी, क्षेत्र विकास अधिकारी देवाल ब्लाक, जिला चमोली को उनके सामूहिक बीमा, पेंशन ग्रेच्युटी तथा भविष्य निर्वाह निधि का भुगतान

श्री कुंवर सिंह नेगी--

3 क्या ग्राम विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वर्गीय श्री भरत सिंह नेगी, क्षेत्र विकास अधिकारी, देवाल ब्लाक जिला चमोली की मत्यु दिनांक 6-2-81 को सेवा-काल के दौरान हुई है ? यदि हां, तो उनके सामूहिक बीमा, पेंशन, ग्रेच्युटी भविष्य निर्वाह निधि का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो कब तक भुगतान किया जायगा ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी हां !

सामूहिक बीमा की धनराशि का भुगतान करने हेतु स्व0 श्री भरत सिंह नेगी की पत्नी को चेक भेजा जा चुका है। भविष्य निधि लेखे में जमा धनराशि का भुगतान स्व0 श्री नेगी की पत्नी को किया जा चुका है। पारिवारिक पेंशन तथा ग्रेच्युटी के पत्रादि महा-लेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को स्वीकृति हेतु भेजे जा चुके हैं ।

4 श्री कुंवर सिंह नेगी--

(9वें बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 90 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

5 श्री प्रियदर्शी जेतली--

(दिनांक 28-2-83 को अतारांकित प्रश्न संख्या 31 द्वारा उत्तरित)

पर्वतीय जिलों में राजकीय इन्टर कालेजों के प्रधानाचार्यों के रिक्त पद

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

6 क्या शिक्षा मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय जिलों में राजकीय इण्टर कालेजों में प्रधानाचार्यों के कितने पद कब से रिक्त हैं ? और उनको भरने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

7 श्री हरगोविन्द वर्मा--

(9वें गुरुवार में अतारांकित प्रश्न संख्या-55 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

बेसिक शिक्षा परिषद् गोरखपुर के अन्तर्गत जूनियर हाई स्कूल सिसवा बाजार के अध्यापक श्री सूर्य नारायण सिंह के सम्बन्ध में लोक सेवा अधिकरण, लखनऊ द्वारा पारित आदेश

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

8 क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बेसिक शिक्षा परिषद् गोरखपुर के अन्तर्गत जू0 हा0 स्कूल सिसवा बाजार में कार्यरत अध्यापक श्री सूर्यनारायण सिंह के सम्बन्ध में

लोक सेवा अधिकरण, लखनऊ ने दिनांक 29-8-81 एवं 25-11-81 को कोई आदेश पारित किया है ? यदि हां, तो क्या परिषद ने इसका परिपालन किया ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

9 क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि बेसिक शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर ने दिनांक 29-8-81 को लोक सेवा अधिकरण के उक्त आदेश के सम्बन्ध में वेतन भुगतान का भी आदेश उ0 शि0 वि0 निरीक्षक को दिया ? यदि हां, तो क्या भुगतान हुआ ? यदि हां, तो कब ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

अधिशासी अभियन्ता, भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन, उत्तर प्रदेश कानपुर के विरुद्ध अनियमितताओं सम्बन्धी शिकायत की जांच

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

10 क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता द्वारा दिनांक 6-1-83 के आस-पास निदेशक, भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन, उत्तर प्रदेश लखनऊ के अधिशासी अभियन्ता, भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन, कानपुर की अनियमितताओं के सम्बन्ध में जो पत्र दिया गया था, उन्हें प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो प्रश्नकर्ता के शिकायती पत्र के आधार पर जांच कराई गयी ? यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम प्रकाश में आये ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हाँ, प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 4-1-83 को लिखे गये पत्र पर प्रारंभिक जाँच कराई गयी, जिसमें निम्न बातें प्रकाश में आयीं :—

1—वर्ष 1981-82 अथवा उसके बाद कोई छोलदारी (टेंट) किसी स्थानीय फर्म से नहीं खरीदी गयी।

2—वर्ष 1981-82 में कोई पत्थर नहीं खरीदे गये थे ।

3—भूगर्भ जल सर्वेक्षण खण्ड-कानपुर का भंडार गृह अधिशासी अभियन्ता की मां के प्लाट पर बना हुआ है। निदेशक द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार रुपया 10,000/= व्यय करके ईंट और मिट्टी के गारे से अस्थाई प्रकृति की चहारदिवारी बनाई गई, जिसकी स्वीकृति निदेशालय से इस लिये प्रदान नहीं की गई, चूंकि स्वीकृति प्रदान करना अधिशासी अभियंता के अधिकार क्षेत्र में था। इस पूरे प्रकरण की जाँच कराई जा रही है ।

4—वर्ष 1979-80 तथा 1980-81 में घुमरी साईट पर बोरिंग कार्यों पर मस्टर-रोलों के माध्यम से रु0 6600/= का भुगतान हुआ तथा यात्रा भत्ता के मद में रुपया-

5,500/=व्यय किया गया, इस प्रकार कुल व्यय रु0 12,100/=का हुआ । यात्रा भत्ता के मद में धुमरी साइट पर पम्प टेस्ट के कार्य के अतिरिक्त अन्य हाईड्रोलाजिकल कार्यों का व्यय भी सम्मिलित है ।

5—सहायक अभियन्ता, आगरा चूंकि 23-9-81 से 26-9-81 तक धुमरी साइट जनपद एटा में शासकीय दौरे पर थे, अतः 24-9-81 को धुमरी साइट से ही संबंधित सहायक अभियन्ता ने अपनी कार्यभार ग्रहण करने की सूचना दे दी थी एवं कार्यभार ग्रहण करने की रिपोर्ट देने हेतु आगरा जाने का कोई औचित्य नहीं था, अतः फर्जी यात्रा भत्ता दिखाकर शासकीय धन के दुरुपयोग का कोई प्रश्न नहीं है ।

11 श्री जमुना प्रसाद—

(5वें शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 115 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

प्रबन्धाधिकरण प्रगति आश्रम हाई स्कूल, बालागंज लखनऊ द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी लखनऊ के आदेश का अनुपालन न करने के सम्बन्ध में सर्वश्री मान्धाता सिंह एवं मधुवन सिंह, सदस्य विधान परिषद द्वारा दिये गये ज्ञापन पर कार्यवाही

श्री रामआसरे वर्मा—

12 क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रबन्धाधिकरण प्रगति आश्रम हाई स्कूल, बालागंज, लखनऊ द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, लखनऊ के पत्रांक सा0/7900-06/82-83, दिनांक 10-12-82 का अनुपालन सुनिश्चित न किए जाने के सम्बन्ध में सर्वश्री मान्धाता सिंह एवं मधुवन सिंह एम0 एल0 सी0 के ज्ञापन दिनांक 28-12-82 व 30-12-82 शिक्षा सचिव, जिला विद्यालय निरीक्षक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी लखनऊ सचिव, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो सरकार ने अब तक उक्त ज्ञापनों पर क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हाँ। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के प्रश्नगत-पत्र दिनांक 10-12-82 के संदर्भ में विद्यालय के अध्यक्ष ने कुछ आपत्तियाँ उठायी हैं । जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी लखनऊ को शासन द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि आपत्तियों पर विचारोपरान्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें । प्रश्न नहीं उठता ।

श्री पान सिंह नेगी, सहायक विकास अधिकारी (कृषि) विकास खण्ड गैर सेणा जिला चमोली का नियमितीकरण

श्री कुवर सिंह नेगी—

13 क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री पान सिंह, नेगी, सहायक विकास अधिकारी (कृषि) विकास खण्ड गैर सेणा, जिला चमोली वर्ष 1959 के माह अप्रैल से उक्त पद पर निरन्तर कार्यरत हैं ? यदि हां, तो इन्हें इतनी लम्बी अवधि बाद भी अभी तक नियमित क्यों नहीं किया गया है ? इनके कब तक नियमितीकरण के आदेश हो जायेंगे ?

श्री यशपाल सिंह--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

उद्यान विभाग, शाहजहांपुर के निलम्बित लिपिकों के प्रकरण का निस्तारण

श्री सत्यपाल सिंह यादव--

14 क्या कृषि मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उद्यान विभाग शाहजहांपुर में कितने लिपिक गत 6 महीने की अवधि से अधिक समय से निलम्बित चल रहे हैं ? क्या सरकार द्वारा ऐसे निलम्बित अल्पवेतन भोगी कर्मचारियों के निलम्बन प्रकरण कब तक निस्तारित करवा दिए जावेंगे ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री यशपाल सिंह--

केवल एक लिपिक निलम्बित है। नियमानुसार चल रही कार्यवाही सम्पन्न होने के पश्चात।

15 श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

(दिनांक 30-8-82 को तारांकित प्रश्न संख्या 8 द्वारा उत्तरित)

16 श्री कुंवर सिंह नेगी--

(आश्वासन समिति के विचारार्थ होने के कारण निरस्त।)

राजकीय आदर्श विद्यालय तथा जूनियर हाई स्कूल के अध्यापकों के वेतन-मान में असमानता

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

17 क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि रु0 210-330 में अध्यापकों के वेतनमान को जूनियर हाई स्कूल में बिना किसी शर्त एवं राजकीय आदर्श विद्यालयों में दस वर्ष के अनुभव की शर्तों के अनुसार रु0 450—720 का वेतनमान देय है जबकि आयोग के संकल्प 8 के अनुसार समान वेतनमान की प्रस्तावना का संकल्प है ? यदि हां, तो राजकीय आदर्श विद्यालय के साथ ऐसी शर्त क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

17 राजकीय आदर्श विद्यालय तथा जूनियर हाई स्कूल आपस में तुलनीय नहीं हैं ।

राजकीय आदर्श विद्यालय में कक्षा 1 से 8 तक का अध्यापन कार्य होता है जबकि जूनियर हाई स्कूल में कक्षा 6 से 8 तक का अध्यापन कार्य होता है ।

कक्ष-1 से 5 तक के अध्यापन कार्य हेतु अध्यापकों का वेतनमान रु0 400-620 से कम है जब कि राजकीय आदर्श विद्यालयों का प्रारम्भिक वेतनमान ही रु0 400-620 है ।

18 श्री जियाराम शुक्ल "विकल साकेती"--

(9वें सोमवार के लिए स्थगित)

जनपद बांदा के अतर्रा महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं के सम्बन्ध में कथित शिकायतें

श्रीमती प्रेमवती तिवारी--

19 क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बांदा के अतर्रा महा विद्यालय अतर्रा की प्रबन्ध समिति के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं के सम्बन्ध में कोई जांच 1977-78, 1978-79, 1980-81, 1981-82 तथा 1982-83 में की गयी है ? यदि हां, तो क्या तथ्य प्रकाश में आए तथा उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वाराणसी मण्डल में शिक्षा विकास के नैतिक लिपिक का स्थायीकरण

श्री प्रभूनारायण सिंह--

20 क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि वाराणसी मण्डल के अन्तर्गत कितने नैत्यिक लिपिक शिक्षा विभाग में दस वर्ष या उससे अधिक समय से अविरल कार्यरत हैं और उन्हें स्थायी नहीं किया गया है ? उन्हें कब तक स्थायी करके उनकी पदोन्नति का मार्ग प्रशस्त कर दिया जायगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

नवीन प्राइमरी पाठशाला अहरौरा, जनपद मिर्जापुर के जांच के सम्बन्ध में दिये गये पत्र पर कृत कार्यवाही

श्री रामचरण सिंह--

21 क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने दिनांक 26-11-82 का एक पत्र नवीन प्राइमरी पाठशाला अहरौरा, जनपद मिर्जापुर के जांच के सम्बन्ध में लिखा था उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां।

प्रकरण जाँच हेतु जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष, जिला बेसिक शिक्षा समिति, मिर्जापुर को भेजा गया है।

प्रश्न नहीं उठता है।

कन्या जूनियर हाई स्कूल जलालपुर माफी, चुनार, मिर्जापुर को हाई स्कूल की मान्यता

श्री रामचरण सिंह--

22 क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता के पत्र दिनांक 6-11-82 जो कन्या जूनियर हाई स्कूल जलालपुर माफी, चुनार, मिर्जापुर को हाई स्कूल की मान्यता

प्रदान करने के सम्बन्ध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

प्रश्नगत विद्यालय को हाईस्कूल की मान्यता दिये जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांकित 6-7-82 नवम्बर 1982 में प्राप्त हुआ था। मामले में पुनर्विचारोपरान्त प्रश्नगत विद्यालय को हाईस्कूल साहित्यिक वर्ग की नवीन मान्यता दिये जाने का माध्यमिक शिक्षा परिषद् का प्रस्ताव शासन के पत्र दिनांक 4 जनवरी, 1983 द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है।

राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिरसिया टकुराई टोला खैरपुर, मिर्जापुर में स्टाफ की कमी के सम्बन्ध में पत्र पर कार्यवाही

श्री रामचरण सिंह—

23 क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता ने राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सिरसिया ठकुराई टोला खैरपुर, मिर्जापुर में स्टाफ की कमी के सम्बन्ध में दिनांक 23-10-82 को पत्र उन्हें लिखा था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

जिला विद्यालय निरीक्षक, मिर्जापुर कार्यालय में उसी जिले के कार्यरत लिपिकों के स्थानान्तरण की मांग

श्री रामचरण सिंह—

24 क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इस समय 1982-83 में जिला विद्यालय निरीक्षक, मिर्जापुर कार्यालय में कितने लिपिक ऐसे हैं जो इसी जनपद के निवासी हैं तथा कितने वर्षों से उसी जनपद में कार्यरत हैं ? क्या सरकार उनके स्थानान्तरण करने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

25 श्री सन्त बक्स रावत—

(10वें बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या-30 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

लखनऊ जनपद के जूनियर बेसिक विद्यालय एवं सीनियर बेसिक विद्यालयों में नियुक्त शिक्षित अध्यापकों की कम संख्या

श्री सन्तबक्स रावत—

26 क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ जनपद के जूनियर बेसिक विद्यालय एवं सीनियर बेसिक विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या अत्यन्त कम होने के कारण

विद्यालय सुचारु रूप से नहीं चल पा रहे हैं ? यदि हां, तो शासन प्रशिक्षित अध्यापकों की कब तक नियुक्ति करके विद्यालयों में अध्यापकों की समुचित व्यवस्था करेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ शाखा, जनपद लखनऊ से अध्यापकों की समस्याओं के सम्बन्ध में प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही

श्री सन्तबक्स रावत---

27 क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ शाखा, जनपद लखनऊ के मन्त्री तथा अध्यक्ष का संयुक्त हस्ताक्षर युक्त मांग-पत्र अध्यापकों की समस्याओं के सम्बन्ध में जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष, बेसिक शिक्षा परिषद्, लखनऊ को दनांक 23-12-82 का प्राप्त हुआ है। यदि हां, तो उनकी प्रमुख मांगें क्या हैं और उन पर शासन ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

जी हाँ।

अध्यापकों को कुल 27 मांगों में पे-रोल सेविंग के लापता धन का भुगतान किया जाना, सेवा निवृत अध्यापकों के पेंशन प्रकरणों को निस्तारित किया जाना परिवार पेंशन के प्रकरणों को निस्तारित किया जाना, अध्यापकों की वरीयता सूची तैयार किया जाना, नियमानुसार पदोन्नतियों व अवशेषों का भुगतान किया जाना, समय पर वेतन का भुगतान किया जाना, राष्ट्रीय बचत पत्रों के लापता धन का पता लगाया जाना व मासिक पेंशन का भुगतान कराया जाना, मृतक आश्रितों को सेवायोजित करना, कन्टिन्जेन्सी के धन का नियमित भुगतान कराया जाना, नगर प्रतिकर भत्ता तथा मकान किराया भत्ता स्वीकार किया जाना आदि की माँगें प्रमुख हैं।

अध्यापकों के पे-रोल सेविंग स्कीम के लापता धन पेंशन व परिवार पेंशन, अवशेष देयकों, राष्ट्रीय बचत पत्र के लापता धन एवं समय से वेतन भुगतान के अनिस्तारित मामलों पर जाँच कर शीघ्र वांछित कार्यवाही सुनिश्चित कराये जाने के लिये उप शिक्षा निदेशक लखनऊ मंडल लखनऊ को निर्देश दिये गये हैं। शेष मांगों पर जिला विद्यालय निरीक्षक, लखनऊ को आदेश दिये गये हैं कि वे उन मांगों पर शीघ्र कार्यवाही कराकर उनका निस्तारण करायें। यह भी निर्देश दिये गये हैं कि जिला विद्यालय निरीक्षक लखनऊ व उप शिक्षा निदेशक, लखनऊ मंडल, लखनऊ हर माह में एक बार जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी लखनऊ व अध्यापकों के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर मांगों की पूर्ति के संबंध में समीक्षा करेंगे तथा शिक्षा निदेशक व शासन को वस्तुस्थिति से अवगत करायेंगे।

मकान किराया भत्ता शासन द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है।

28 श्री प्रभूनारायण सिंह--

(8वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या-123 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

जनपद पिथौरागढ़ में गणई में नये विकास खण्ड के सृजन का प्रस्ताव

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

29 क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि गणाई जिला पिथौरागढ़ में एक नया विकास खण्ड बनाने की योजना है ? यदि हां, तो कब तक यह योजना लागू होगी ?

श्री बलराम सिंह यादव—

29 जनपद पिथौरागढ़ में गणई में नये विकास खण्ड के सृजन का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, परन्तु वर्तमान में इस विकास खण्ड के सृजन का विचार नहीं है ।

संयुक्त कृषि निदेशक मृदा सर्वेक्षण ई0 आर0 अनुभाग कृषि भवन, उ0प्र0 लखनऊ को भेजे गये श्री तेज बहादुर मौर्य का अपने स्वर्गीय पिता श्री लाल बहादुर चपरासी कृषि विभाग के स्थान पर नियुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र पर कृत कार्यवाही

श्री ऊदल—

30 क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उप कृषि निदेशक कम-प्रभारी अधिकारी, संभागीय कृषि परीक्षण एवं प्रदर्शन केन्द्र वाराणसी ने सितम्बर सन् 1981 में एक प्रार्थना पत्र तेजबहादुर मौर्य का संयुक्त, कृषि निदेशक मृदा सर्वेक्षण ई0 आर0 अनुभाग, कृषि भवन, उ0 प्र0 लखनऊ को भेजा है कि श्री मौर्य उनके पिता लाल बहादुर चपरासी की मृत्यु हो गयी है उस स्थान पर उनकी नियुक्ति की जाय ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री यशपाल सिंह—

जी हां ।

क्योंकि प्रार्थना-पत्र विचारोपरान्त नियमानुसार नहीं पाया गया इसलिये अस्वीकार कर दिया गया ।

श्री ऊदल—

31 क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजाज्ञा संख्या 6/12/19-3 नियुक्ति-4-दिनांक 21-12-73 के द्वारा सरकार ने सेवारत कर्मचारियों की सेवाकाल में मृत्यु हो जाने पर उनके आश्रित पुत्र को सेवा में लिये जाने का प्राविधान किया है ? यदि हां, तो अब तक उक्त प्रार्थना पर विचार क्यों नहीं किया गया ? क्या सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार करके तेज बहादुर मौर्य को जगह देने की कृपा करेगी ?

श्री यशपाल सिंह—

जी हाँ ।

प्रार्थना पत्र पर विचार किया गया । लेकिन उत्तर प्रदेश सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 के अनुसार मृत कर्मचारियों के आश्रितों को दिनांक 21 दिसम्बर, 1973 से ही नौकरी में लेने के हेतु प्राविधान किया गया था और यह

नियमावली भी उक्त दिनांक से ही प्रवृत्त की गयी थी। इसलिये श्री तेजबहादुर मौर्य को नौकरी में नहीं लिया जा सका। इनके पिता की मृत्यु 21 दिसम्बर, 1973 से बहुत पहले हो चुकी थी। ऐसी परिस्थिति में श्री तेजबहादुर मौर्य को मृत सरकारी सेवक के पुत्र होने के कारण नौकरी में रखने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

न्याय पंचायत, मंगारी, ब्लाक पिंडरा जिला वाराणसी के अदालत पंचायत सरपंच के विरुद्ध धोखा धड़ी, गवन, फर्जी चलाये गये मुकदमों की जाँच

श्री ऊदल—

32 क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि न्याय पंचायत, मंगारी, ब्लाक पिंडरा, जिला वाराणसी के अदालत पचायत सरपच के खिलाफ सरकार ने धोखा धड़ी, गबन, फर्जी मुकदमा चलाने आदि के संबंध में जांच करायी है ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि सी0 डी0 ओ0 वाराणसी ने उक्त पत्रावली को परगना हाकिम, उत्तरी वाराणसी को 15-9-82 को दिया और परगना हाकिम ने अपने पत्र संख्या 544 दिनांक 14-10-82 के द्वारा शासन को भेज दिया है ? यदि, हां, तो उस पर अब तक क्या निर्णय लिया गया ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री शंकर सिंह—

(9वें सोमवार के लिये स्थगित)

महाविद्यालयों में कार्यरत शारीरिक शिक्षकों एवं पुस्तकाध्यक्षों का वेतनमान प्रवक्ता के पदों के समान करने हेतु केन्द्र से प्राप्त आदेशों पर किये गये निर्णय

श्री मोहन सिंह—

34 क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्र सरकार की ओर से हाल ही में कोई इस आशय का पत्र शासन को मिला है जिसमें इस बात के निर्देश दिये गये हैं कि महाविद्यालयों में कार्यरत शारीरिक शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों का वेतनमान प्रवक्ता के पदों के बराबर कर दिया जाय ? यदि हां, तो उत्तर प्रदेश सरकार इस संदर्भ में कब तक अनुकूल निर्णय ले लेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

34 दिसम्बर 1981 में प्रश्न में उल्लिखित कर्मचारियों को प्रवक्ता वेतनमान दिये जाने की संस्तुति प्राप्त हुई थी।

महाविद्यालयों में कार्यरत शारीरिक शिक्षा अधीक्षकों निर्देशकों को राज्य सरकार ने प्रवक्ता का पद तथा वेतनमान 19 मार्च, 1982 से स्वीकृत कर दिया है। पुस्तकालयाध्यक्षों को प्रवक्ता का वेतन मान दिया जाना सम्भव न हो सका क्योंकि वे शिक्षकों की श्रेणी में नहीं आते हैं।

सुहबल इण्टर कालेज, गाजीपुर का प्रबन्ध जिला परिषद द्वारा संचालन पर व्यय तथा प्रान्तीयकरण की मांग

श्री झिलमिट राम—

35 क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि सुहबल इण्टर कालेज, सुहबल, गाजीपुर का प्रबन्ध जिला परिषद गाजीपुर द्वारा किया जाता है ? यदि हां, तो क्या जिला परिषद, गाजीपुर को इण्टर कालेज चलाने का अधिकार है ? यदि नहीं, तो जिला परिषद द्वारा प्रतिवर्ष कितना धन इस कार्य पर व्यय किया जाता है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां।

जी हां।

प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री झिलमिट राम—

36 क्या शिक्षा मंत्री इस व्यय को रोकने के लिये सुहबल इण्टर कालेज, सुहबल को शासन (शिक्षा विभाग) द्वारा प्रान्तीयकरण किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करेंगे ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सम्प्रति ऐसा करना सम्भव नहीं है।

37 श्री मोतीलाल देहलवी—

(9वें सोमवार के लिये स्थगित)

जिला परिषद देवरिया, बस्ती, गोण्डा में सड़कों पर कार्यरत मेठ व बेलदारों की संख्या तथा वेतन क्रम तथा पूरे प्रदेश में लागू वेतन क्रम

श्री हरिवंश सहाय—

38 क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिला परिषद् देवरिया में सड़कों पर काम करने वाले कितने मेठ, व वेलदार हैं? उनका वेतन क्रम क्या है ? कितने स्थायी हैं क्या तीन वर्षों से अधिक कार्यरत मेठ व वेलदारों को स्थायी कर दिया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री बलराम सिंह यादव—

देवरिया जिला परिषद में सड़कों पर काम करने वाले 9 मेठ व 45 बेलदार कार्यरत हैं। इन्हें मस्टर रोल पर न्यूनतम दैनिक मजदूरी के आधार पर क्रमशः 200/=रु0 एवं 195/-रु0 प्रतिमाह मजदूरी दी जाती है। इनमें कोई स्थायी नहीं है। चूंकि ये सभी मेठ व बेलदार दैनिक मजदूरी पर कार्यरत है और इनके पद भी सृजित नहीं हैं, अतएव इन्हें स्थायी करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री हरिवंश सहाय—

39 क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला परिषद बस्ती, गोंडा, व देवरिया में सड़कों पर कार्यरत मेठ व बेलदारों का वेतन क्रम अलग-अलग क्या है ? क्या प्रदेश के सभी वेलदार एवं मेठों का वेतन क्रम समान किया जायेगा ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जिला परिषद गोण्डा व देवरिया में सड़कों पर कार्यरत मेठ व बेलदारों को दैनिक मजदूरी पर रखा गया है और उन्हें निम्न प्रकार से मजदूरी का भुगतान किया जाता है।

गोण्डा	देवरिया
रु0 6.50 पै0 प्रतिदिन (दैनिक मजदूरी)	रु0 6.50 पै0 प्रतिदिन तथा माप के आधार पर रविवार अवकाश को सम्मिलित करते हुए रु0 195.00 पै0 तथा मेठ को 5/- रु0 कन्टिजैन्सी का मिलाकर 200/= रु0 प्रतिमास

जिला परिषद बस्ती में नियमित रूप से कार्यरत मेठ व बेलदारों का वेतनक्रम निम्न प्रकार है :—

मेठ :—रु0 315-6-351-द0 रो0-6-363-7-384-8-400-द0 रो0-8-440

बेलदार :—रु0 305-5-330-द0 रो0-6-360-द0 रो0-6-390

उपरोक्त वेतनमान पूरे प्रदेश में नियमित रूप से कार्यरत मेठ व बेलदारों के लिए वेतन आयोग (स्थानीय निकाय) 1979-80 द्वारा समान रूप से संस्तुत किया गया है तथा शासन द्वारा लागू कर दिया गया है।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत बनेखदिउसी मोटर मार्ग का निर्माण

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी—

40 क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौढ़ी गढ़वाल के अन्तर्गत ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा द्वारा बनेखदिउसी मोटर मार्ग पर निर्माण कब पूरा किया गया, और अभी तक इस मार्ग पर मोटर यातायात चलने के कारण क्या हैं ? कब तक इस मार्ग पर बस सेवायें उपलब्ध होने की सम्भावना है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

40 जनपद पौड़ी गढ़वाल के बनेखदिउसी मार्ग पर प्रस्तावित कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है। यह मार्ग अत्यधिक वर्षा एवं स्लिप इत्यादि के कारण पिछले समय से क्षतिग्रस्त हुआ। इस निर्माण कार्य में 3.5 लाख की अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता है। धनराशि उपलब्ध हो जाने पर ही कार्य पूर्ण किया जा सकता है।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के जूनियर हाई स्कूलों में अध्यापकों के स्वीकृत पदों पर नियुक्ति

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी—

41 क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल

के अन्तर्गत ऐसे कौन-कौन से जूनियर हाई स्कूल हैं जिनमें शासन द्वारा स्वीकृत पदों पर पांच अध्यापकों की नियुक्ति 15-12-82 तक नहीं की गई है ? इसके क्या कारण हैं ? स्वीकृत पदों पर नियुक्ति न करने के प्रति कौन उत्तरदायी है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

42-43 श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी--

(8वें बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 63-64 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

44 श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी--

(8वें बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 65 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

45 श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी--

(8वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या-124 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

जनपद पौड़ी गढ़वाल के जूनियर हाई स्कूलों तथा प्राइमरी स्कूलों में साज सज्जा एवं प्रशिक्षण सामग्री

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी--

46 क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत वर्ष 1980-81, 1981-82 तथा 1982-83 के अन्तर्गत स्वीकृत जूनियर हाई स्कूलों तथा प्राइमरी स्कूलों में साज-सज्जा एवं प्रशिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई जा चुकी है ? यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद मैनपुरी की ग्राम सभा खेरिया शिकमी गोहन के प्रधान श्री मोहर सिंह के विरुद्ध शिकायत पर जांच

श्री हरगोविन्द वर्मा--

47 क्या पंचायत राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें जनपद मैनपुरी की तहसील जसराना की ग्राम सभा खेरिया शिकमी गोहन का मोहर सिंह प्रधान आदि के विरुद्ध एक शिकायती पत्र अक्टूबर, 81 में प्राप्त हुआ है ? जिसके आधार पर क्षेत्रीय नायब तहसीलदार जसराना ने मौके पर जांच करके सतर्कता विभाग से जांच कराने की संस्तुति की है ? यदि हां, तो सतर्कता विभाग को जांच के लिये आदेश दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी हां। जांच सतर्कता विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा की जा रही है।

जनपद मैनपुरी की तहसील जसराना के अन्तर्गत ग्राम गोठाना व इटाहरी व खेरिया शिकारी मोहाना के विद्यालयों के भवनों का निर्माण

श्री हरगोविन्द वर्मा--

48 विधान सभा के द्वितीय सत्र 1982 के दूसरे सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 33 व 114 के उत्तर के संदर्भ में क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि प्रश्नगत विद्यालयों भवनों के निर्माण के लिये चयन जिला परामर्शदात्री समिति में स्वीकृत होकर मुख्य अधिकारी जिला परिषद मैनपुरी के पास प्रस्ताव भेज दिया गया है ? यदि हां, तो भवन निर्माण विद्यालय में अब विलम्ब क्यों हो रहा है ? क्या शासन द्वारा प्रश्नगत विद्यालय भवन प्राथमिकता के आधार पर बनाये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद मैनपुरी के विकास क्षेत्र खैरगढ़ व एका के खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत फरिहा से अवागढ़ तक पक्की सड़क का निर्माण

श्री हरगोविन्द वर्मा--

49 क्या ग्राम्य विकास मंत्री को ज्ञात है कि जनपद मैनपुरी के विकास क्षेत्र खैरगढ़ व एका के अन्तर्गत खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत फरिहा से अवागढ़ तक सड़क पर मिट्टी का कार्य पूरा हो गया है ? क्या पक्की सड़क बनाने के सम्बन्ध में श्री रघुनाथ सिंह वर्मा, एम0 पी0 का पत्र दिनांक 27-10-81 एवं स्मरण पत्र दिनांक 3-5-82 को उन्हें प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो प्रश्नगत सड़क को पक्की कराने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

श्री बलराम सिंह यादव--

सूचना एकत्र की जा रही है।

भूमि संरक्षण विभाजन, शारदा परियोजना खण्ड द्वारा लखनऊ के कतिपय ग्रामों में की गयी अनियमितताओं के विरुद्ध प्राप्त शिकायती पत्र पर कार्यवाही

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

50 क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ग्राम निजामुद्दीनपुर, चांदन एवं फरीदीनगर, तहसील लखनऊ, जिला लखनऊ में भूमि संरक्षण विभाग, शारदा परियोजना खण्ड, लखनऊ द्वारा निर्माण करायी जा रही सिंचाई हेतु नालियों में अनियमितताओं के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता का कोई पत्र जांच हेतु माह दिसम्बर, 1982 में कृषि मंत्री/अध्यक्ष, शारदा सहायक परियोजना, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव--

माननीय विधायक द्वारा भेजा गया शिकायती पत्र दिनांक 29 दिसम्बर 1982 अध्यक्ष, शारदा सहायक कमाण्ड प्राधिकारी को प्राप्त हुआ। उप-कृषि निदेशक (भूमि

संरक्षण) प्रथम मण्डल, लखनऊ वे शिकायती पत्र में उल्लिखित तथ्यों की जांच मौके पर निरीक्षण करके किया और शिकायती पत्र में उल्लिखित तथ्य वस्तुतः यथार्थ नहीं पाये। इसलिए कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं प्रतीत होती।

जनपद फैजाबाद के ग्राम भुआंपुर निवासी श्री सुखदेव यादव, द्वारा फर्जी स्कूल दिखा कर ली गयी ग्रान्ट

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

51 क्या सरकार कृपया बतायेगी कि श्री सुखदेव यादव, निवासी ग्राम भुआंपुर, मौजा मेवापुर मुतालके देवगांव, जिला फैजाबाद द्वारा फर्जी स्कूल दिखा कर जालसाजी द्वारा सरकार से 3,000 रु0 की ग्रांट लिये जाने के विषय में श्री राम औतार दीक्षित, विधायक का कोई पत्र माह जनवरी, 1983 में परगनाधिकारी द्वारा जांच कराये जाने हेतु जिलाधिकारी फैजाबाद को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या परगनाधिकारी द्वारा जांच करायी गयी? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

52 श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

(9वें सोमवार के लिए स्थगित)

कन्या पाठशाला, देवाना, फैजाबाद की मृत अध्यापिका के आश्रित पति की चतुर्थ श्रेणी में नौकरी देने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

53—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 13-11-82 को श्रीमती कमला साहनी, सदस्य, विधान सभा के पत्र के साथ श्री सन्त प्रसाद उपाध्याय का कोई प्रार्थना-पत्र जो कन्या पाठशाला, बेवाना, फैजाबाद की मृत अध्यापिका के आश्रित पति को चतुर्थ श्रेणी में नौकरी के सम्बन्ध में था उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा में अन्य अभियन्त्रण विभागों के प्रति नियुक्त अभियन्ताओं का संविलियन तथा ज्येष्ठता सूची

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

54 क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा में अन्य अभियन्त्रण विभागों से प्रतिनियुक्ति पर आकर कार्य करने वाले अधिशासी अभियन्ताओं की इस सेवा में कोई जेष्ठता सूची बनाकर उनको संविलयन तथा स्थायी किया गया है? यदि नहीं, तो यह ज्येष्ठता सूची कब तक बन जायेगी?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी नहीं।

ज्येष्ठता सूची अब बनाने की कार्यवाही प्रगति में है।

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, गोरखपुर द्वारा कौड़ीराम मलौली बेलीपुर वेला बांध व डवरपार कतारारी मार्ग का निर्माण

श्रीमती गौरी देवी—

55 क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्रामीण अभियंत्रण सेवा गोरखपुर द्वारा विकास खण्ड कौड़ीराम में कितने कि0 मी0 सड़क का निर्माण वर्ष 80-81 व 81-82 में कराया गया ? क्या यह सच है कि कौड़ीराम विकास खण्ड में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा द्वारा विगत दो सालों में कोई कार्य नहीं किया गया। यदि हां, तो क्यों ? क्या कौड़ीराम मलौली, बेलीपार से वेला बांध व डवरपार-कतारारी मार्ग के निर्माण के लिए दिसम्बर, 81 में प्रश्न कर्त्ता ने पत्र लिखा था ? यदि हां, तो उसे अभी तक न निर्मित कराने का कारण क्या है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

वर्ष 80-81 में कौड़ीराम विकास खण्ड में कोठा गम्भीरपुर मार्ग पर। कि0 मी0 खड़ंजा का कार्य कराया गया जो मार्ग स्टेयरिंग कमेटी द्वारा स्वीकृत की गई थी। वर्ष 81-82 में ग्राम करंजही में गाँव पटाई का कार्य कराया गया। मलौली, वेलीपार से वेला बांध ने डवरपार कतारारी का निर्माण कार्य इस विभाग से सम्बन्धित नहीं है तथा इस विभाग को ऐसा कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

गोरखपुर जनपद के कौड़ीराम विकास खण्ड में खाद्यान्न योजना की सड़कों का निर्माण

श्रीमती गौरी देवी—

56 क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 81-82 में गोरखपुर जनपद के कौड़ीराम विकास खण्ड में खाद्यान्न योजना की किन-किन सड़कों को पूरा निर्मित कराया गया है ? क्या यह सच है कि कौड़ीराम विकास खण्ड में विगत 3 सालों में खाद्यान्न योजना तथा राष्ट्रीय ग्रामीण बेरोजगार योजना में किसी मार्ग का निर्माण नहीं कराया गया ? यदि हां, तो कौन-कौन मार्ग निर्मित कराए गए और उन पर कितना व्यय हुआ ?

श्री बलराम सिंह यादव—

वर्ष 1981-82 में गोरखपुर जनपद के कौड़ीराम विकास खण्ड के गांव सभा गजपुर में वर्ष 1980-81 में स्वीकृत 684.70 किमी0 खड़न्जा निर्माण का कार्य पूर्ण कराया गया था। यह सत्य नहीं है कि कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ है। वर्ष 1980-81 में डबरपार से सेनाउरदेऊर तथा चवरिया से हरिमरापार तथा वर्ष 1982-83 में डबरपार से चन्दौली खुर्द सम्पर्क मार्ग निर्मित कराया गया जिस पर कुल 15764 रुपये व्यय हुआ।

जनपद जौनपुर के विकास क्षेत्र जलालपुर एवं मुफ्तीगंज में ग्राम विकास योजना एवं विशेष समन्वित योजना के अन्तर्गत आवंटित धन पर लाभार्थियों को छूट का लाभ

श्री प्रभूनारायण सिंह—

57 क्या ग्राम्य विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विकास क्षेत्र जलालपुर एवं मुफ्तीगंज में वर्ष 1982 में एकीकृत ग्राम विकास योजना एवं विशेष समन्वित योजना के अन्तर्गत कितने व्यक्तियों में कितना धन वितरित किया गया ? क्या यह सत्य है कि वर्षों पूर्व इन योजनाओं के अन्तर्गत दिए गए धन पर मिलने वाली छूट का लाभ लाभार्थियों को नहीं मिल पा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार इस योजना में व्याप्त अनियमितता को दूर कर जनता को वांछित लाभ पहुंचाएगी ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जौनपुर जनपद के विकास खण्ड जलालपुर और मुफ्तीगंज में वर्ष 1981-82 व 1982-83, (फरवरी 83 तक) में एकीकृत ग्राम्य विकास योजना तथा विशेष समन्वित योजना के अंतर्गत लाभार्थियों में ऋण एवं अनुदान वितरण की स्थिति निम्नानुसार है :—

वर्ष 1981-82

क्रमांक	वि0 ख0 का नाम	योजना	कुल लाभार्थी सं0	कुल वितरण ऋण (रु0 लाख में)	कुल वितरण अनुदान
1	2	3	4	5	6
1—	जलालपुर	एकीकृत ग्राम्य विकास योजना	115	2.91	0.84
		विशेष समन्वित योजना।	15	0.24	0.08
2—	मुफ्तीगंज	एकीकृत ग्राम्य विकास योजना	311	8.30	3.00
		विशेष समन्वित योजना	29	0.69	0.21
		वर्ष 1982-83 (फरवरी तक)			
1—	जलालपुर	एकीकृत ग्राम्य विकास योजना	448	10.15	4.29
		विशेष समन्वित योजना	104	2.95	1.47
2—	मुफ्तीगंज	एकीकृत ग्राम्य विकास योजना	583	13.30	4.48
		विशेष समन्वित योजना	78	2.10	0.90

जी नहीं। उल्लेखनीय है कि विकास खण्डों से सम्बन्धित लाभार्थियों के अनुदान विल प्राप्त होते ही उनकी जांच के बाद जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा नियमानुसार अनुदान सम्बन्धित बैंक को अवमुक्त किया है। जिससे लाभार्थियों को लाभान्वित किया जाता है। अनियमितताओं के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों पर त्वरित जांच की जाती है। तथा योजना के माध्यम से लक्ष्य वर्ग को लाभान्वित किया जाता है।

58 श्री हरिवंश सहाय--

(8वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या -153 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

59 श्री हरिवंश सहाय--

(9वें गुरुवार में अतारांकित प्र0 संख्या -52 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

मथुरा जनपद में उर्दू के प्राइमरी विद्यालयों, छात्रों तथा अध्यापकों की संख्या

श्री सरदार सिंह--

60 क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 31-12-82 को मथुरा जनपद में उर्दू के कितने प्राइमरी विद्यालय हैं एवं उनकी छात्र एवं अध्यापक संख्या कितनी-कितनी है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

शिक्षाधिकारी, मथुरा द्वारा प्रा0 बेसिक विद्यालयों में घोषित अवकाश का औचित्य

श्री सरदार सिंह--

61 क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 5, 6 व 7 जनवरी, 1983 को जिला बेसिक शिक्षाधिकारी, मथुरा ने, प्रा0 बेसिक विद्यालयों में आम अवकाश घोषित किया था ? यदि हां, तो इसका औचित्य क्या था ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

62 श्री सरदार सिंह--

(8वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 135 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

श्रीमती कमला देवी (द्वितीय), सहायक अध्यापिका, जूनियर बेसिक विद्यालय, सफेदापार, बाराबंकी के आहरित वेतन का समायोजन

श्री कुबेर भण्डारी तथा श्री हरिवंश सहाय--

63 प्रथम सत्र 1982 के पहले मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 195 के उत्तर के संदर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वेतन समायोजित करने का आदेश किस अधिकारी द्वारा दिया गया ? क्या अगले माह में वेतन समायोजित कर लिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या संबंधित अध्यापिका माह सितम्बर 80 में अवकाश पर

रही ? यदि हां, तो वेतन क्यों आहरित किया गया ? तथा आहरित होने के बाद समायोजित करने के आदेश सहित भुगतान क्यों नहीं कराया गया ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बाराबंकी द्वारा सीनियर बेसिक विद्यालयों में संस्कृत/विज्ञान अध्यापकों/अध्यापिकाओं की नियुक्तियां

श्री कुबेर भण्डारी तथा श्री हरिवंश सहाय--

64 क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अप्रैल/मई, 82 में बेसिक शिक्षा अधिकारी, बाराबंकी ने कुछ संस्कृत/विज्ञान अध्यापकों/अध्यापिकाओं की नियुक्तियां सीनियर बेसिक विद्यालयों में की है ? यदि हां, तो कितनी ? क्या क्राफ्ट टीचरों की भी नियुक्तियां की जायेंगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री कुबेर भण्डारी तथा श्री हरिवंश सहाय--

65 क्या शिक्षा मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त की गई नियुक्तियों में से विभागीय अध्यापक कितने हैं ? क्या विभागीय अध्यापक/अध्यापिकाएं न मिलने पर बाहरी अध्यापकों की नियुक्तियां की गई ? यदि हां, तो कितनी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

जालौन जनपद के ग्राम गंधला जूनियर हाई स्कूल के मरम्मत कार्य में प्रगति

श्री शंकर सिंह--

66 क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जालौन जनपद के ग्राम गधला जू0 हाई स्कूल की मरम्मत के लिये सन् 80-81 में जब धन स्वीकृत हो चुका है तो अभी तक उसकी मरम्मत न कराये जाने के क्या कारण हैं।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जू0 हा0 स्कूल, गधला, जनपद जालौन के भवन का वर्ष 1980-81 के अनुदान से मरम्मत हेतु चयन जिला बेसिक शिक्षा समिति द्वारा किया जा चुका है तथा मरम्मत कार्य प्रगति पर है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत बलिया जनपद के विकास खण्ड दुबहर और हनुमानगंज में किये गये निर्माण कार्यों का विवरण

श्री काशीनाथ मिश्र--

67 क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जनपद अन्तर्गत विकास खण्ड दुबहर और हनुमानगंज में ग्रामीण रोजगार योजना के तहद कौन-कौन सड़कें

पुलिया तथा अन्य निर्माण कार्य वित्तीय वर्ष 81-82 में सम्पन्न हुए और कौन-कौन से निर्माण कार्य वित्तीय वर्ष 82-83 के अन्तर्गत उपरोक्त विकास खण्डों में शुरू किये गये हैं? यदि नहीं तो क्यों?

श्री बलराम सिंह यादव—

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत बलिया जनपद के अन्तर्गत विकास खण्ड दुबहर और हनुमानगंज में वर्ष 1981-82 में सम्पन्न कराए गए तथा 1982-83 में सम्पन्न कराए जा रहे कार्यों का वितरण संलग्न सूची में है।

(देखिए नत्थी "क" आगे पृष्ठ.....पर।)

श्री काशीनाथ मिश्र—

68 क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 81-82 के बलिया जनपद अन्तर्गत दुबहर एवं हनुमानगंज विकास खण्डों में कौन-कौन से कार्य सम्पन्न हुए और वित्तीय वर्ष 82-83 में इन विकास खण्डों में उपरोक्त योजना के अन्तर्गत कौन-कौन से निर्माण कार्य प्रारम्भ किये गये हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बलराम सिंह यादव—

ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत बलिया जनपद अन्तर्गत दुबहर एवं हनुमानगंज विकास खण्डों में वर्ष 1981-82 में सम्पन्न कार्य तथा वर्ष 1982-83 में प्रारम्भ निर्माण कार्यों का विवरण संलग्न सूची में प्रस्तुत है।

(देखिए नत्थी "ख" आगे पृष्ठ.....पर।)

बलिया जिले के विकास खण्ड दुबहर और हनुमानगंज में पेयजल का प्रबन्ध तथा निर्बल वर्ग आवासों का निर्माण

श्री काशी नाथ मिश्र—

69 क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कांग्रेस (आई) चुनाव घोषणा 80 के अनुसार किये गये वादों के तहत बलिया जनपद के विकास खण्ड दुबहर और हनुमानगंज में पेयजल का प्रबन्ध तथा निर्बल वर्ग आवासों का निर्माण किन-किन बस्तियों में पूरा हुआ है और कहां-कहां शुरू किया गया है?

श्री बलराम सिंह यादव—

वांछित सूचना संलग्न है।

(देखिए नत्थी "ग" आगे पृष्ठ....पर।)

मथुरा जनपद में राष्ट्रीय रोजगार योजना के अन्तर्गत निर्मित सड़कों का विवरण

श्री सरदार सिंह—

70 क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जनपद में राष्ट्रीय रोजगार योजना के अन्तर्गत गत वर्ष कितने किलोमीटर लम्बी सड़कें निर्मित हुई हैं? ब्लाक वाइज लम्बाई क्या है?

श्री बलराम सिंह यादव—

मथुरा जनपद में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष (1981-82) में कुल 109.35 किलो मीटर कच्चे मार्ग निर्माण एवं 33.80 किलोमीटर पर सोलिंग का कार्य हुआ है। निर्मित सड़कों का ब्लाक वाइज ब्यौरा संलग्न है।

(देखिए नत्थी "घ" आगे पृष्ठ.....पर।)

जनपद मैनपुरी की बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों का बकाये वेतन तथा भत्ते आदि का भुगतान

श्री हरगोविन्द वर्मा—

71 क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद मैनपुरी की बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों का बढ़ोत्तरी, मंहगाई व वेतन का अवशेष धन भुगतान के लिये बकाया है ? यदि हां, तो अवशेष धन को भुगतान करने में विलम्ब क्यों है ? क्या शासन द्वारा प्रश्नगत भुगतान कराया जावेगा ? हां तो कब तक ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री तोफान सिंह आर्य, उप विद्यालय निरीक्षक बुलन्दशहर के स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र पर विचार

श्री हरगोविन्द वर्मा—

72 क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि तोफान सिंह आर्य, प्रति उप विद्यालय निरीक्षक के पद पर बुलन्दशहर जनपद में कार्यरत है और उनकी पत्नी जनपद मैनपुरी में अनौपचारिक पर्यवेक्षिका पद पर हैं यदि यह सच है कि शासनादेश के आधार पर स्थानान्तरण के संबंध में श्री तोफान सिंह का प्रार्थना पत्र दिनांक 31-7-82 एवं श्रीमती खेमादेवी का प्रार्थना पत्र दिनांक 3-8-82 उचित माध्यम से श्री रामसिंह एम0 एल0 सी0 के पत्र दिनांक 16-9-82 के माध्यम से उन्हें प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो अब तक स्थानान्तरण शासनादेश के आधार पर किया गया ? यदि हां तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हाँ। सामान्य स्थानान्तरणों पर प्रतिबन्ध होने के कारण अभी तक स्थानान्तरण नहीं किया गया। रिक्तियों के उपलब्ध होने तथा प्रशासकीय दृष्टिकोण से औचित्य पाये जाने पर ही यथासमय स्थानान्तरण पर विचार करना सम्भव होगा।

मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों तथा शिक्षा परिषद के अध्यापकों को पंचायत चुनाव में लड़ने का अधिकार

श्री हरगोविन्द वर्मा—

73 क्या सरकार को ज्ञात है कि मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों को शासन ने 1973 में अपने अधीन कर लिया है ? क्या यह सही है कि प्रश्नगत विद्यालयों के अध्या-

पकों का वेतन का भुगतान, नियुक्ति एवं दण्ड जिला विद्यालय निरीक्षक की स्वीकृति से ही होता है ? यदि हां, तो क्या ऐसे अध्यापक पंचायत चुनाव में पद प्राप्त करने के लिये सक्षम हैं ? यदि हां तो क्यों ? क्या बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षक भी चुनाव लड़ने के अधिकारी हैं ? यदि नहीं तो, क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद मैनपुरी की ग्राम सभा खेरिया शिकमी गोहाना का पंचायत चुनाव

श्री हरगोविन्द वर्मा--

74 क्या पंचायत राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद मैनपुरी की तहसील जसराना, विकास खण्ड खैरगढ़ की ग्राम सभा खेरिया शिकमी गोहाना के पंचायत चुनाव में दिनांक 3-6-82 को मतदान अध्यक्ष ने मतदान 1-50 बजे ही संघर्ष के कारण स्थगित कर दिया था जिसके संबंध में तार द्वारा जिला चुनाव अधिकारी मैनपुरी एवं चुनाव निदेशक लखनऊ एवं खण्ड विकास अधिकारी खैरगढ़ एवं ग्राम्य विकास मंत्री को दिनांक 3-6-82 को ही सूचना दी गई थी ? तथा जगदीश आदि के शिकायती पत्र दिनांक 4-6-82 5--682 एवं 6-6-82 एवं तार के आधार पर मतगणना स्थगित कर दी गई ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि पुन: मतगणना करने की सूचना एवं स्थान दिनांक व समय की सूचना प्रत्याशियों को दी गई ? यदि हां तो कब ?

श्री बलराम सिंह यादव--

यह सही है कि उक्त दिनांक को 1.50 मिनट पर कुछ पक्षों के बीच विवाद के कारण 2 बजे तक चुनाव में व्यवधान हुआ परन्तु उसके बाद चुनाव शुरू होकर 3 बजे 55 पर समाप्त हो गया। चुनाव स्थगित नहीं किया गया। मतगणना पूर्व निर्धारित तिथि 6-6-82 को कराई गई। कुछ व्यक्तियों के इस विषय में तार तथा शिकायती पत्र प्राप्त हुये थे। चुनाव नियमानुसार हुआ।

ग्राम बेहटा संघई जिला हरदोई के बेसिक प्राइमरी पाठशाला तथा जूनियर बालिका विद्यालय भवनों की मरम्मत तथा टाट पट्टी की व्यवस्था कराने की मांग

श्री मित्र सेन--

75 क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि ग्राम बेहटा संघई तहसील व जिला हरदोई के अन्तर्गत एक बेसिक प्राइमरी पाटशाला तथा एक जूनियर बालिका विद्यालय है, जिनके भवन जर्जर अवस्था में है तथा वहां पर टाट पट्टी व पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उक्त विद्यालयों के भवनों की मरम्मत व टाट पट्टी व पीने के पानी की व्यवस्था अविलम्ब कराने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

जिला फैजाबाद के ग्राम सभा बूढ़नपुर एवं माउख के ग्राम प्रधानों के चुनाव में हुये अनियमित कार्यों के विरुद्ध जांच

श्री प्रियदर्शी जेतली--

76 क्या पंचायती राज मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला फैजाबाद स्थित ब्लाक अकबरपुर के ग्राम सभा बूढ़नपुर एवं माउख के ग्राम प्रधानों के चुनाव के मौके पर सम्बन्धित सहायक निर्वाचन अधिकारियों द्वारा किये गये पक्षपातपूर्ण एवं अनियमित कार्यों के विरुद्ध किसी शिकायत पर जिला निर्वाचन अधिकारी जिला मैजिस्ट्रेट ने कोई जांच करायी थी ? यदि हां, तो कौन सी शिकायतें थी और उन पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी हां। जांच जारी है। मुख्य आरोप यह है कि सहायक निर्वाचन अधिकारी ने अनियमित रूप से नामांकन पत्र खारिज कर दिया।

बेसिक शिक्षा परिषद, जौनपुर के ब्लाक रामपुर में कार्यरत अध्यापकों की अनिवार्य जमा योजना के अन्तर्गत जमा धनराशि का भुगतान

श्री प्रभूनारायण सिंह--

77 क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि बेसिक शिक्षा परिषद्, जौनपुर के अन्तर्गत ब्लाक रामपुर में कार्यरत समस्त अध्यापकों को उनके अनिवार्य जमा योजना के अन्तर्गत काटे गए धन का पूर्ण भुगतान अभी तक नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्या सरकार इस धन का शीघ्र भुगतान कर शिक्षकों को राहत पहुँचायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हाँ ! जनपद जौनपुर के विकास खंड रामपुर में बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन कार्यरत अध्यापकों के अनिवार्य जमा योजना के अन्तर्गत काटी गई अधिकांश धनराशि (रु0 1,82,533-80) का भुगतान किया जा चुका है तथा कुछ अवशेष देयकों की जाँच की जा रही है, जिसके पूर्ण हो जाने पर सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान कर दिया जावेगा। प्रश्नगत भुगतान कब पूर्ण कर दिया जावेगा, इसकी निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।

बेसिक शिक्षा परिषद मैनपुरी के अध्यापकों के सी0 डी0 एस0 के बकाये का भुगतान

श्री हरगोविन्द वर्मा--

78 विधान सभा के प्रथम सत्र 1981 के 7वें मंगलवार दिनांक 31 मार्च, 81 के तारांकित प्रश्न संख्या 17 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किस अध्यापक का कितना रुपया सी0 डी0 एस0 में जमा हुआ था और उसको कितने रुपयों का भुगतान किया गया और किस अध्यापक का कितना रुपया भुगतान के लिये शेष

है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या शिक्षा मंत्री को यह भी ज्ञात है कि विलम्ब करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कब क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

जिला बिजनौर में कार्यरत सहायक पर्यवेक्षकों व प्रसार अध्यापकों को मार्ग व्यय का भुगतान

श्री थम्मन सिंह—

79 क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला बिजनौर में कार्यरत सहायक पर्यवेक्षकों व प्रसार अध्यापकों के दिनांक 1-4-73 से 31-10-82 तक के मार्ग व्यय बिलों का भुगतान किस तारीख को किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों तथा कब तक भुगतान करा दिया जायेगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्रीमती भगोनिया देवी, कन्या जूनियर हाई स्कूल, कमासिन जिला बांदा की सेविका के पूर्णकालिक पद का वेतन

श्री भीखालाल—

80 क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती भगोनिया देवी, सेविका, कन्या जूनियर हाई स्कूल, कमासिन विकास खंड कमासिन, जिला बांदा को सचिव बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के पत्रांक बेसिक शिक्षा परिषद 3268-एक-2/78-79 दिनांक 19-2-79 द्वारा 165 रु0 वेतन पर पूर्ण कालिक पद पर समायोजित किया गया था ? यदि हां, तो क्या सेविका को निर्धारित वेतन दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

80 सूचना एकत्र की जा रही है।

81 श्री हरगोविन्द वर्मा—

(5वें शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 104 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

82 श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय—

(दिनांक 30-8-82 को अतारांकित प्रश्न संख्या-101 द्वारा उत्तरित)

प्राइमरी पाठशाला, काली जगदीशपुर, जिला बस्ती में पांच वर्षों से अधिक समय से कार्यरत अध्यापकों का स्थानान्तरण

श्री परमात्मा प्रसाद सिंह—

83 क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राइमरी पाठशाला, काली जगदीशपुर, तहसील खलीलाबाद, जिला बस्ती में कितने ऐसे अध्यापक हैं जो विगत पांच वर्षों या

अधिक समय से उक्त पाठशाला में ही तैनात हैं ? अब तक उनके स्थानान्तरण न किये जाने का क्या कारण है ? क्या सरकार ऐसे समस्त अध्यापकों को तुरन्त स्थानान्तरण के आदेश देगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

यू0 पी0 सैनिक स्कूल, लखनऊ के अध्यापकों तथा कर्मचारियों के लिए लागू सेवा नियमावली

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

84 क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि यू0 पी0 सैनिक स्कूल लखनऊ के अध्यापकों सहित स्कूल के समस्त कर्मचारियों के लिए सेवा नियमावली बन कर तैयार है ? यदि हां तो वह कब से लागू की गयी है ? यदि अब तक नहीं लागू है तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हाँ। तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी (प्रशासन) कर्मचारियों की सेवा नियमावली वर्ष 1972 से तथा अध्यापकों की वर्ष 1978 से लागू की गई है। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

स्पोर्टस कालेज, लखनऊ के अध्यापकों तथा समस्त कर्मचारियों के लिए सेवा नियमावली का लागू किया जाना

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

85 क्या शिक्षा मंत्री (खेलकूद मंत्री) कृपया बतायेंगे कि स्पोर्टस कालेज लखनऊ के अध्यापकों सहित समस्त कर्मचारियों की सेवा नियमावली बन कर तैयार है ? यदि हां तो वह कब से लागू की गयी है ? यदि नहीं लागू है तो क्यों तथा कब से लागू हो जायेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सेवा नियमावली का प्रारूप तैयार है इस पर अन्तिम निर्णय लिया जाना है।

प्रदेश में पांच नए विकास खण्डों की स्थापना में चयन प्रक्रिया

श्री हरिवंश सहाय--

86 क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में इस वर्ष पांच नए विकास खण्डों की स्थापना में चयन की प्रक्रिया क्या है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जिलाधिकारी/मण्डलायुक्तों से प्रस्ताव प्राप्त होने पर उनका सम्यक परीक्षण करने के उपरान्त निर्णय लिया गया।

मुरादाबाद जिले के ग्राम रफातपुर में बेसिक शिक्षा परिषद की प्राइमरी पाठशाला के लिए चयनित स्थान पर भवन बनाने का निर्णय

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

87 क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुरादाबाद जिले की तहसील मुरादाबाद के ग्राम, रफातपुर में बेसिक शिक्षा परिषद् की प्रा0 पा0 का भवन बनने हेतु स्थान चयनित करने के लिए कोई जांच जून 81 में कराई गई जिसकी रिपोर्ट जिलाधीश मुरादाबाद द्वारा अपने पत्र संख्या 302 आ-ले-पा-आ-मु स्कूल --81 दिनांक 10 जून, 1981 (शिक्षा विभाग के सचिव श्री बसंत बल्लभ को सम्बोधित) के माध्यम से शासन को मिला ? यदि हां, तो रिपोर्ट क्या है तथा भवन कहां बनना प्रारम्भ हुआ ? यदि रिपोर्ट के अलावा भवन किसी स्थान पर बन रहा है तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हाँ

शासन को जिलाधिकारी, मुरादाबाद का पृष्ठांकना सं0 300-2/आले/प0 अ0 मु0/स्कूल/-81, दिनांक 16 जून, 1981 प्राप्त हुआ है।

जिलाधिकारी ने अपने उपरोक्त पत्र में शिक्षा निदेशक, उ0 प्र0 से प्रश्नगत स्कूल के भवन स्थल के विषय में निर्णय लेने का अनुरोध किया था। चूंकि उ0 प्र0 बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 के प्राविधानों के अनुसार बेसिक स्कूल स्थापित करने के स्थान के चयन का अधिकार जिला बेसिक शिक्षा समिति को ही है, अतः, जिलाधिकारी जो जिला बेसिक शिक्षा समिति के अध्यक्ष भी हैं को शासन की ओर से परामर्श दिया गया कि स्कूल भवन के स्थान चयन के संबंध में जिला बेसिक शिक्षा समिति में गुणावगुण के आधार पर विचार कर ही निर्णय लिया जाये। तदुपरान्त जिलाधिकारी ने अपने पत्र दिनांक 2 दिसम्बर, 1981 में शासन को अवगत कराया कि जिला बेसिक शिक्षा समिति ने प्रश्नगत स्कूल रफातपुर गाँव के गाँव सभा रकबे में बनाये जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया है।

जिला बेसिक शिक्षा समिति के निर्णय के विरुद्ध अन्य कहीं स्कूल भवन बनाये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

जिला बुलन्दशहर के कृषि अधिकारी एवं परियोजना अधिकारी द्वारा सरकारी सेवा में लिये गये छटनी शुदा कृषि अमीन, चपरासी तथा कामदार

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

88 क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बुलन्दशहर के जिला कृषि अधिकारी एवं परियोजना अधिकारी ने दिनांक 4-5-82 को छटनी शुदा कृषि अमीन, चपरासी, कामदार को पुनः सेवा में लेने के लिए उनकी स्थिति जानी ? यदि हां, तो कितने अमीन, चपरासी और कामदार को सरकारी सेवा में लिया गया उनके नाम क्या हैं ? क्या इन को वरीयता के आधार पर लिया गया ? यदि नहीं तो इनको कब तक सेवा में ले लिया जावेगा ?

श्री यशपाल सिंह—

जी हां।

1 चपरासी, 7 कामदार, तथा 1 चौकीदार को अब तक सरकारी सेवा में लिया गया जिनके नाम निम्नवत हैं :—

सर्वश्री सूरज पाल— चपरासी

सुरेश चन्द्र गुप्ता
ऋषीपाल
सतीश चन्द्र
सूरज पाल सिंह
धर्म पाल
तोता राम
बाबू सिंह— } कामदार

मूल चन्द्र— चौकीदार

जी नहीं। इन कर्मचारियों से प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर इनको सेवा में लिया गया। शेष छटनीशुदा कर्मचारियों से प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने तथा रिक्तियों के उपलब्ध होने पर नियमानुसार उनको सेवा में लिया जा सकेगा।

कुकरा टाउन जिला लखीमपुर खीरी की पंचायत को हुयी आय का विवरण

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

89 क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कुकरा टाउन जिला लखीमपुर खीरी की पंचायत को पिछले 10 सालों में विभिन्न मदों से कितनी आय हुयी और किन-किन मदों में रुपया खर्च किया गया ? क्या सरकार इसका विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री बलराम सिंह यादव—

ग्राम सभा कुकरा टाउन जिला लखीमपुर खीरी की पंचायत को पिछले 10 वर्षों अर्थात् वर्ष 1972-73 से वर्ष 1981-82 तक विभिन्न मदों से कुल आय रु0 26802.26 (छब्बीस हजार आठ सौ दो रुपये छब्बीस पैसे मात्र) हुयी। जिसमें से कुल रु0 12,413.64 (बारह हजार चार सौ तेरह रुपये चौंसठ पैसे मात्र) विभिन्न मदों पर ग्राम पंचायत द्वारा व्यय किया गया।

व्यय की गयी मदों का विवरण संलग्न है।

(देखिए नत्थी "ङ" आगे पृष्ठ.....पर।)

कुकरा टाउन जिला लखीमपुर खीरी के नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान को चार्ज तथा भूतपूर्व प्रधान द्वारा अभिलेखों का आडिट न कराया जाना

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

90 क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कुकरा टाउन जिला लखीमपुर खीरी के नव निर्वाचित ग्राम प्रधान को अभी तक पुराने प्रधान (खुर्शीद रहमान) ने चार्ज नहीं दिया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी हां।

भूतपूर्व प्रधान से पंचायत के पूर्ण अभिलेख प्राप्त न होने के कारण नव निर्वाचित प्रधान को अभिलेखों का चार्ज नहीं दिया जा सका।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

91 क्या यह सही है कि पुराने प्रधान ने ग्राम पंचायत का हिसाब किताब का वर्ष 1970 से 1982 तक का कोई विवरण नहीं रक्खा है तथा न ही कभी उपरोक्त हिसाब का आडिट कराया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी नहीं। परन्तु प्रधान द्वारा अभिलेख उपलब्ध न कराने के कारण आडिट नहीं हो सका।

92 श्री प्रियदर्शी जेतली--

-(28-2-83 को अतारांकित प्रश्न संख्या-31 द्वारा उत्तरित)

93 श्री प्रियदर्शी जेतली तथा श्री शेर बहादुर सिंह--

--(दिनांक 1-2-82 को अतारांकित प्रश्न संख्या-68 द्वारा उत्तरित)

विकास खण्ड हसनगंज जनपद उन्नाव के ए0 डी0 ओ0 (एम0 आई0) द्वारा जारी किये गये बोरिंग सर्टिफिकेट

श्री मलिक मो0 कमाल यूसुफ श्री मित्रसेन--

94 क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील हसनगंज, ब्लाक हसनगज, जनपद उन्नाव के ए0 डी0 ओ0 एम0 आई0 ने सन् 1980 से 1982 तक कितने बोरिंग सर्टिफिकेट दिये और कितने बोरिंगों के पाइप लगे हैं और कितने में पाइप नहीं हैं ?

श्री बलराम सिंह यादव--

94 तहसील हसनगंज विकास खण्ड हसनगंज, जनपद उन्नाव के ए0 डी0 ओ0 (एम0 आई0) द्वारा वर्ष 1980 से 1982 तक 35 बोरिंग प्रमाण-पत्र दिये गये हैं। जिनमें सभी बोरिंग में पाईप लगे हैं। कोई भी बोरिंग ऐसी नहीं है जिसमें पाईप नहीं लगा है।

95 श्री जियाराम शुक्ल "विकल साकेती" श्री प्रियदर्शी जेतली तथा श्री शेर बहादुर सिंह--

--(दिनांक 14-2-83 को अतारांकित प्रश्न संख्या-160 द्वारा उत्तरित)

श्री बच्चू सिंह अध्यापक, शहीद भगत सिंह बाल विद्यालय औलिया रोड आगरा की सेवा समाप्ति

श्री बदन सिंह--

96 क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि श्री बच्चू सिंह अध्यापक, शहीद भगत सिंह बाल विद्यालय औलिया रोड, आगरा को वहां के मैनेजर ने दिनांक 23-11-82 को अका-

रण ही सेवा समाप्त कर दी है ? यदि हां, तो शासन उक्त अध्यापक को उसी विद्यालय में फिर से लेने की व्यवस्था शीघ्र करेगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जूनियर हाई स्कूल किरतपुर ब्लाक पिंडरा वाराणसी के लिए भवन निर्माण की मांग

श्री ऊदल--

97 क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जू0 हाई स्कूल, किरतपुर, ब्लाक पिंडरा, वाराणसी के पास इमारत नहीं थी ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी इमारत बनवाने के लिये धन की व्यवस्था करेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

97 जी हाँ।

शासन द्वारा किसी स्कूल विशेष के भवन निर्माण हेतु अनुदान स्वीकृत नहीं किया जाता है वरन् जनपदवार अनुदान की धनराशि स्वीकृत की जाती है जिससे जिला बेसिक शिक्षा समिति द्वारा चयनित स्कूलों के भवनों का निर्माण होता है। प्रश्नगत स्कूल भवन का निर्माण जिला बेसिक शिक्षा समिति द्वारा चयनोपरान्त हो सकेगा।

जूनियर हाई स्कूल, फूलपुर, ब्लाक पिंडरा जिला वाराणसी के लिए साइंस रूम

श्री ऊदल--

98 क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जू0 हाई स्कूल फूलपुर, ब्लाक पिंडरा, जिला वाराणसी के लिये साइंस रूम बनाने हेतु एक बार 9 हजार रु0 स्वीकृत किया गया था ? यदि हां, तो साइंस रूम अब तक न बनने का क्या कारण हैं ? क्या कोई योजना सभी जूनियर हाई स्कूलों में साइंस रूम बनाने की है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

99 श्री नन्द किशोर सिंह--

(9वें सोमवार के लिये स्थगित)

100 श्री शंकर सिंह--

(9वें सोमवार के लिये स्थगित)

श्री सरदार सिंह

(13वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 24 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

102 श्री कुंवर सिंह नेगी—

(9वें बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या-91 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

103 श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

(7वें बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 85 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

104 श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

(9वें सोमवार के लिये स्थगित)

जनपद ललितपुर के विकास खण्डों में खाद, बीज के अनियमित वितरण में दोषी पाये गये कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

105 क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 1981-82 में ललितपुर जनपद के जिलाधिकारी ने परगनाधिकारी, द्वारा विकास खण्डवार, जिला ललितपुर के खण्ड विकास अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी तथा अन्य कर्मचारियों द्वारा फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर चना के बीज में किए गये कथित घपले से सम्बन्धित शिकायत की जांच की है ? यदि हां, तो जांच कर्त्ता की रपट क्या है ? शासन ने इन दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां !

जांच से सहायक निरीक्षक कृषि अनियमित खाद बीज वितरण के मुख्य अभियुक्त दोषी पाये गये और उनसे शासकीय, सम्पत्ति रुपया 2807-55 की क्षति की वसूली के आदेश पारित किये गये और उनका स्थानान्तरण उरई जनपद को कर दिया गया है। जांच के आधार पर दो ग्राम्य विकास अधिकारी सहायक विकास अधिकारी (कृषि) व खण्ड विकास अधिकारी भी दोषी पाये गये। सहायक विकास अधिकारी (कृषि) व ग्राम्य विकास अधिकारियों के स्थानान्तरण कर दिये गये हैं।

मामले की विस्तृत जांच उप-कृषि निदेशक, झांसी से करायी जा रही है।

बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन चालू प्राइमरी पाठशालाओं में अध्यापकों की नियुक्ति

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

106 क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बेसिक शिक्षा अधिकारी, सीतापुर ने दिसम्बर, 1982 में सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश को यह सूचित किया है कि बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन चालू प्राइमरी पाठशालाओं में अध्यापकों की नियुक्ति के मानक के अनुसार लगभग 500 स्थान अध्यापकों के रिक्त हैं और स्थान भरने हेतु नियुक्ति की अनुमति मांगी है ? यदि हां, तो इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? छात्रों की पढ़ाई की हानि को ध्यान में रखते हुए तत्काल अध्यापकों की नियुक्ति न करने का क्या कारण है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

107 श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

(9 वें सोमवार के लिये स्थगित)

108 श्री छत्तर सिंह—

(9वें सोमवार के लिये स्थगित)

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा मण्डल झांसी, जनपद ललितपुर के लाखों रुपये के घपले के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायत पर की गयी जांच

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

109 क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 17-12-82 जो ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा मण्डल, झांसी, जनपद ललितपुर के लाखों रुपए की घपले की जांच गुप्तचर विभाग द्वारा कराने के सम्बन्ध में था उन्हें मिला? यदि हां, तो शासन द्वारा उस पर अभी तक क्या कार्यवाही की गयी?

श्री बलराम सिंह यादव—

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा मण्डल झाँसी, जनपद ललितपुर के लाखों रुपये के घपले की जाँच किसी उच्च अधिकारी से कराये जाने के सम्बन्ध में माननीय विधायक का दिनांक 18-12-82 का पत्र प्राप्त हुआ था, जिस पर जाँच की कार्यवाही की जा रही है।

जिला परिषद फैजाबाद के माध्यम से इल्फातगंज बाजार की सड़क तथा उस पर स्थित पुराने जर्जर पुल का निर्माण

श्री गोपीनाथ वर्मा—

110 क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद, फैजाबाद के माध्यम से इल्फातगंज बाजार की सड़क निर्माण किए जाने पर कार्यवाही की जा रही है? यदि हां, तो क्या उक्त सड़क निर्माण हेतु कार्य शुरू कराया जा चुका है। यदि हां, तो व्यय धन एवं सम्पूर्ण निर्माण का विवरण क्या है? क्या यह भी सही है कि उक्त बाजार की सड़क पर एक जर्जर पुराना पुल स्थित है जिसका निर्माण होना आवश्यक है? यदि हां, तो पुल निर्माण कराए जाने की व्यवस्था की जायगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हाँ।

वर्क आर्डर दे दिया गया है।

सम्पूर्ण निर्माण पर रु0 26172/=का व्यय होगा।

जी हाँ।

धन उपलब्ध होने पर इसके निर्माण की व्यवस्था की जायेगी।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत केदार नगर बाजार वाया खूखूतारा जन सम्पर्क मार्ग जनपद फैजाबाद के निर्माण में व्यय तथा कार्य में प्रगति

श्री गोपीनाथ वर्मा--

111 क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि केदारनगर बाजार वाया खूखूतारा जनसम्पर्क मार्ग ब्लाक व तहसील टांडा, जनपद फैजाबाद का निर्माण राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना (एन0 आर0 पी0) को तहत किया जा रहा है ? यदि हां, तो उक्त निर्माण पर अब तक कितना धन व्यय किया जा चुका है तथा कुल कितना धन व्यय करने का प्रस्ताव है ? कुल मार्ग की लम्बाई क्या है ? क्या उक्त जन सम्पर्क मार्ग पर मिट्टी कार्य के पश्चात ईंट सोलिंग कराया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव--

--जी हाँ। उक्त सम्पर्क मार्ग के निर्माण पर अब तक 25 हजार रुपया व्यय किया जा चुका है तथा प्राक्कलन के अनुसार मिट्टी के कार्य कराने पर लगभग 1.02 लाख रुपये व्यय किये जाने का अनुमान है। कुल मार्ग की लम्बाई 6 कि0 मी0 है परन्तु जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा 3 कि0 मी0 स्वीकृत है। वर्तमान समय में ईंट की सोलिंग कराने का कोई प्रस्ताव नहीं है। धन उपलब्ध होने पर तथा जिला ग्राम्य विकास अभिकरण का अनुमोदन प्राप्त होने पर सोलिंग कराने के विषय में निर्णय लिया जायेगा।

टांडा, जनपद फैजाबाद इण्टर कालेजों के शिक्षकों को राज्य कर्मचारियों को स्वीकृत दरों पर मकान किराये भत्ते की स्वीकृति तथा टी0 एन0 डिग्री कालेज के शिक्षकों को मकान किराया भत्ता देने पर विचार

श्री गोपीनाथ वर्मा--

112 क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पच्चास हजार की आबादी वाले नगर में इण्टरकालेजों एवं महाविद्यालयों के शिक्षकों एवं कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता दिए जाने हेतु कोई शासनादेश जारी किया गया है ? यदि हां, तो क्या टांडा, नगर फैजाबाद में स्थित इण्टर कालेजों के शिक्षकों व कर्मचारियों को उक्त शासनादेश के मुताबिक मकान किराया भत्ता दिया जा रहा है ? यदि हां, तो उक्त नगर में स्थित महाविद्यालय टी0 एन0 डिग्री कालेज के शिक्षकों को मकान किराया भत्ता न दिए जाने का क्या कारण है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

नगरों की आबादी के उल्लेख के साथ मकान किराया भत्ता दिये जाने हेतु कोई शासनादेश जारी नहीं किया गया है वरन राज्य कर्मचारियों को स्वीकृत दरों पर मकान किराया भत्ता इण्टर कालेजों के शिक्षकों व कर्मचारियों को स्वीकृत किया गया है। टान्डा नगर उसमें सम्मिलित है।

राज्य कर्मचारियों को स्वीकृत दरों पर महाविद्यालयों के शिक्षकों को मकान किराया भत्ता दिये जाने का प्रकरण विचाराधीन है। उक्त प्रकरण पर अनुकूल निर्णय हो जाने की स्थिति में ही टी0 एन0 डिग्री कालेज टान्डा के शिक्षकों को भी यह भत्ता अनुमन्य हो सकेंगे।

गोण्डा जनपद के शिक्षा व मनकापुर स्थित प्राइमरी पाठशाला सिसई रानीपुर के भवन निर्माण में प्रगति

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

113 विधान सभा के प्रथम सत्र 1982 के 6ठें मंगलवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 117 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्यालय भवन के निर्माण में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्रीमती कमलादेवी, सहायक अध्यापिका, जूनियर बेसिक विद्यालय, सफेदापार, बाराबंकी को अवकाश की स्वीकृति

श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी--

114 प्रथम सत्र 1982 के दूसरे मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 140 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या माह अक्तूबर, 1980 के बाद जब नवम्बर, 1980 में सम्बन्धित अध्यापिका ने कार्यभार ग्रहण किया था तो क्या फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था और क्या वह ठीक पाया गया था ? यदि हां, तो अब तक अवकाश क्यों नहीं स्वीकृत किया गया ? यदि वह ठीक नहीं पाया गया तो अध्यापिका को कार्यभार क्यों ग्रहण कराया गया ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

--जी हाँ ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

इस संबंध में जानकारी की जा रही है ।

115 श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

(9वें सोमवार के लिये स्थगित)

ग्राम कलौली, बुलन्दशहर में आई0 आर0 डी0 के अन्तर्गत क्रय करायी गयी भैंसों में अनियमितता के सम्बन्ध में जांच तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

श्री छत्तर सिंह--

117 क्या ग्राम्य विकास मन्त्री को ज्ञात है कि ग्राम कलौली विकास खण्ड एवं जनपद बुलन्दशहर में जनवरी, 1982 में 24 भैंसें आई0 आर0 डी0 के अन्तर्गत 24 व्यक्तियों को दी गयी थीं ? मामले में गोलमाल की शिकायत होने पर पशुपालन विभाग

के कृत्रिम गर्भाधान अधिकारी द्वारा जांच की गयी जिसकी पुष्टि एक समिति जिसमें जिला कृषि अधिकारी अपर परियोजना अधिकारी एवं जिला पशुधन अधिकारी थे के द्वारा जांच रिपोर्ट की पुष्टि की गयी ? यदि हां, तो इस मामले में दोषी पाए गये अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों कब तक कार्यवाही की जायगी ?

श्री बलराम सिंह यादव——

विकास खण्ड बुलन्दशहर के ग्राम कलौली के 24 लाभार्थियों को आई0 आर0 डी0 के अन्तर्गत दिसम्बर 1981 में 24 भैंसें क्रय करायी गयी न कि जनवरी 1982 में ।

जी हाँ

जाँच समिति ने 24 में से 14 भैंसें निर्धारित मानको से निम्न स्तर की पायी । इस मामले में जाँच समिति ने न्यू इण्डिया इन्श्योरेन्श कम्पनी से अनुबन्धित पशु चिकित्सक एवं इलाहाबाद बैंक के फील्ड आफीसर को दोषी पाया ।

जिलाधिकारी बुलन्दशहर ने सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु न्यू इण्डिया इन्श्योरेन्श कम्पनी एवं इलाहाबाद बैंक को अपनी संस्तुति भेजी है ।

श्री बी0 बी0 सिंह अध्यक्ष फैजाबाद मण्डल अधीनस्थ कृषि सेवा संघ उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि सचिव को प्रेषित प्रार्थनापत्र

श्री गोपीनाथ वर्मा——

118 क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री बी0 बी0 सिंह, अध्यक्ष, फैजाबाद मण्डल अधीनस्थ कृषि सेवा संघ, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रेषित दिनांक 13-12-82 को कोई पत्र कृषि सचिव को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो प्राप्त पत्र का पूर्ण विवरण क्या है तथा शासन स्तर पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल सिंह——

श्री बी0 बी0 सिंह, अध्यक्ष, फैजाबाद मंडल अधीनस्थ कृषि सेवा संघ उत्तर प्रदेश द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 13-12-82 को कृषि सचिव को प्राप्त नहीं हुआ है ।

अन्य प्रश्न नहीं उठते ।

गनपत महाविद्यालय सुल्तानपुर के छात्र यूनियन के चुनाव कराये जाने की माँग को लेकर अनशन

श्री गोपीनाथ वर्मा——

119 क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गनपत महाविद्यालय सुल्तानपुर के 5 छात्रों द्वारा छात्र यूनियनों के चुनाव कराए जाने की मांग लेकर जिलाधिकारी कार्यालय, सुल्तानपुर के समक्ष माह जनवरी से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं ? यदि हां, तो क्या अनशनकारियों की मांगों को मानकर छात्र यूनियनों के चुनाव करा दिए गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी——

उक्त महाविद्यालय के कुछ छात्र नेता चार छे दिन तक जिला अधिकारी कार्यालय के समक्ष अनशन पर बैठे थे ।

कुलपति, अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद के निर्देशानुसार छात्र यूनियन के चुनाव की अनुमति नहीं दी गई। अनशन कारियों ने अनशन समाप्त कर दिया है।

शारदा सहायक समादेश टांडा, फैजाबाद के कर्मचारियों द्वारा भूमि संरक्षण अधिकारी के विरुद्ध अनशन तथा दिया गया ज्ञापन

श्री गोपीनाथ वर्मा--

120 क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शारदा सहायक समादेश टांडा, फैजाबाद के कर्मचारियों द्वारा दिनांक 5, 7 व 8 नवम्बर, 1982 में भूमि संरक्षण अधिकारी के विरुद्ध टांडा, कार्यालय के समक्ष क्रमिक अनशन किया गया ? तथा अनशन के पूर्व सम्बन्धित अधिकारियों तथा कृषि मन्त्री को कोई ज्ञापन अक्तूबर व नवम्बर, 1982 को दिया गया है ? यदि हां, तो उनकी क्या मांगें थीं और उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव--

क्रमिक अनशन 5, 7 व 8 नवम्बर, 1982 को नहीं हुआ वरन् 5, 7 व 8 अक्टूबर, 1982 को किया गया।

अधीनस्थ कृषि सेवा संघ, उत्तर प्रदेश फैजाबाद मण्डल द्वारा एक सात सूत्री मांग पर दिनांक 18-9-82 आयुक्त एवं प्रशासक शारदा सहायक को भेजा गया था।

कर्मचारियों द्वारा दिये गये मांगें-पत्र में निम्नलिखित 7 मांगें थीं :--

(1) वेतन आहरण एवं वितरण की असामयिक नीति।

(2) नये वेतनमान में वेतन निर्धारण में गड़बड़ी।

(3) देय अवकाश का निस्तारण न करना।

(4) कराये गये कार्यों की डी0 एल0 सी0 व हेड-लोड के भुगतान में विलम्ब करना।

(5) आहरण के बाद विलम्ब से वेतन वितरण।

(6) वेतन में कटौती करके विलम्ब से आहरण करना और

(7) गुण्डा-गर्दी के लिये शक्ति का एकत्रीकरण।

उप कृषि निदेशक (भू0 सं0) शारदा सहायक, फैजाबाद द्वारा कर्मचारियों की समस्त मांगों का निराकरण करा देने के कारण क्रमिक अनशन समाप्त हो गया और अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं समझी गई।

गोरखपुर जनपद के जिला परिषद के अन्तर्गत स्थित जैतपुर वोकटा, महावीर छपरा कुस्मौल, रुस्तमपुर मार्गों का निर्माण

श्रीमती गौरी देवी--

121 क्या सरकार बतायेगी कि गोरखपुर जनपद के जिला परिषद के अन्तर्गत स्थिति जैतपुर-वोकटा, महावीर छपरा-कुस्मौल, रुस्तमपुर-कजाकपुर मार्गों के वर्ष 1981-82

में कई बार टेण्डर आमंत्रित किए गये परन्तु अभी तक उनका निर्माण नहीं कराया गया ? यदि हां, तो इसका कारण क्या है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

वर्ष 1981-82 में इस सड़क की विशेष मरम्मत हेतु तीन बार टेण्डर आमंत्रित किये गये। अब मार्ग के मि0 मी0-2 का ठेका 1,15,329 रु0 में स्वीकार किया जा चुका है और कार्य प्रगति पर है। सड़क के कि0 मी0-3 के मरम्मत एवं पेन्टिंग हेतु भी 1,36,622 रु0 का आगणन स्वीकार कर लिया गया है, जिसका टेन्डर होने जा रहा है।

महावीर छपरा-कुस्मौल मार्ग--

इस मार्ग की मरम्मत हेतु दो बार टेन्डर मांगे गये। प्रथमबार एक ही वैध टेंडर प्राप्त होने के कारण उसको स्वीकार नहीं किया जा सका। दूसरी बार न्यूनतम टेन्डर का रेट परिषद के अनुमान पत्र से बहुत अधिक होने के कारण ठेका स्वीकार नहीं किया जा सका।

रुस्तमपुर-कजाकपुर मार्ग--

इस मार्ग को जिला परिषद द्वारा सा0 नि0 वि0 को हस्तान्तरित किये जाने का प्रस्ताव किया गया है। मार्ग का 1.9 कि0 मी0 मार्ग अब नगर महापालिका की सीमा में आ गया है, जिस पर कार्य नगर महापालिका द्वारा ही कराया जा सकता है। जिला परिषद द्वारा इस मार्ग के निर्माण हेतु कोई टेन्डर नहीं मांगा गया है।

जनपद सीतापुर में परगना लहरपुर के अन्तर्गत मिनी शूगर प्लान्ट लगाने की योजना

श्री हरगोविन्द वर्मा--

122 क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर में परगना लहरपुर के अन्तर्गत 1982-83 में कोई मिनी शुगर प्लान्ट लगाने की योजना है ? यदि हां, तो उसके लिए सरकार ने परगना लहरपुर के अन्दर स्थान और गन्ने की जांच करा ली है ? यदि हां, तो क्या वह प्लान्ट लहरपुर व लालपुर के बीच में लगाया जायगा ? उस पर सरकार कितना पैसा खर्च करेगी ?

श्री बलराम सिंह यादव--

ऐसी कोई योजना नहीं है।

गाजियाबाद में डेयरी फार्म एवं कृषि फार्म स्थापित करने के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री द्वारा की गयी घोषणा पर कृत कार्यवाही

श्री सुरेन्द्र कुमार उर्फ मुन्नी--

123 क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजियाबाद में डेयरी फार्म एवं कृषि फार्म स्थापित करने की घोषणा मुख्य मंत्री जी द्वारा दिसम्बर, 1980 में की गई थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री यशपाल सिंह--

जी हां केवल कृषि फार्म की घोषणा की गई।

निरन्तर प्रयास के बाद भी उक्त क्षेत्र में प्रक्षेत्र हेतु उपयुक्त भूमि अभी तक नहीं मिल सकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रधानाचार्य गणेश स्मारक इण्टर कालेज नरसेना जनपद बुलन्दशहर के भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में पत्र

श्री छत्तर सिंह—

124 क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता का एक पत्र उन्हें जो 1-9-82 को प्राप्त हुआ जिसके द्वारा प्रधानाचार्य गणेश स्मारक इण्टर कालेज नरसेना जनपद बुलन्दशहर के भ्रष्टाचार की जांच कराई गई थी उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

उल्लिखित पत्र उपलब्ध नहीं हो पा रहा है।

श्रीमती पार्वती देवी अग्रवाल सहायक अध्यापिका इन्चार्ज कन्या प्राइमरी पाठशाला, पपरेन्दा, नान्दा के अवशेष वेतन का भुगतान

प्रो0 चन्द्रप्रकाश शर्मा—

125 क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद के अर्धशासकीय पत्रांक/शि0 मु0/एक (33)-77-72 दिनांक 13 अक्टूबर, 1977 के अनुसार श्रीमती पार्वती देवी अग्रवाल, इंचार्ज प्रधानाचार्य, कन्या जूनियर हाई स्कूल पपरेंदा, जनपद बांदा, का अवशेष वेतन का भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

—जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

श्रीमती पार्वती देवी अग्रवाल, कन्या प्राइमरी पाठशाला में सहायक अध्यापिका के पद पर कार्यरत थीं न कि कन्या जूनियर हाई स्कूल में। प्राप्त सूचना के आधार पर उन्होंने कभी भी कन्या जूनियर हाई स्कूल की इंचार्ज प्रधानाध्यापिका का कार्य नहीं किया है। अतः उन्हें इंचार्ज प्रधानाध्यापिका के पद का वेतन भुगतान किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर के स्थित स्वावलम्बी इण्टर कालेज विशुनपुर के जे0 टी0 सी0 वेतनक्रम से पदोन्नत सहायक शिक्षकों द्वारा सी0 टी0 वेतन क्रम दिये जाने की मांग

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

126 क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर में स्थित स्वावलम्बी इण्टर कालेज विशुनपुरा में जुलाई, 1963 में जे0 टी0 सी0 वेतन क्रम में कौन-कौन से सहायक शिक्षक नियुक्त हुए और पांच साल की शिक्षण अवधि पूरी होने के बाद की तिथि से सुमोटो

पद्धति में वर्ष 1974 से वर्ष 1979 के बीच पदोन्नति दे दी गयी ? इस श्रेणी में आने वाले किन-किन शिक्षकों ने पांच साल पूरा होने के बाद जे0 टी0 सी0 वेतनक्रम में किये गये कार्य पर सी0 टी0 वेतनक्रम की धनराशि की मांग प्रबन्धक अंशदान कोष से देने हेतु स्थानीय अधिकारियों व शासन से माह जनवरी, 1982 से माह अक्तूबर, 1982 के अन्दर कितनी बार सूचना देकर मांग किया है ? इस दिशा में क्या कार्यवाही की गयी और नहीं की, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना अभी एकत्र की जा रही है।

वाराणसी जनपद की कतिपय प्राइमरी पाठशालाओं तथा जूनियर हाई स्कूलों के अध्यापकों/अध्यापिकाओं की फर्जी बी0 टी0 सी0 सर्टिफिकेट देकर फर्जी आदेश से की गयी नियुक्तियां व स्थानान्तरण

श्री ऊदल--

127 क्या शिक्षा मन्त्री को ज्ञात है कि बेसिक प्राइमरी पाठशाला राजापुर, ब्लाक हरदुआ, प्रा0 पा0 मझ मिटिया, ब्लाक हरदुआ, प्रा0 पा0 प्रकाशपुर ब्लाक भदोही, कन्या प्रा0 पा0 बड़ागांव, जू0 हा0 स्कूल मोढ़, ब्लाक सुरियांवा तथा प्रा0 पा0 बनपुरवां ब्लाक बड़ागांव, विद्यापीठ, जिला वाराणसी में क्रमशः राजेन्द्र प्रसाद उपाध्याय, श्रीमती मिथिलेश तिवारी, राम समुझ सिंह, उर्मिवा देवी, एवं विज्ञान अध्यापक मोढ़ तथा प्रधानाध्यापक बनपुरवा की निथिक्तियां व ट्रांसफर फर्जी आदेश बनाकर दिया गया था ? क्या यह सही है कि श्रीमती मिथिलेश तिवारी की नियुक्ति अगस्त, 1981 से की गयी है ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

128 श्री ऊदल---

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि सैकड़ों अध्यापकों/अध्यापिकाओं की नियुक्तियाँ व ट्रांसफर सचिव के फर्जी आदेश बनाकर तथा फर्जी बी0 टी0 सी0 ट्रेनिंग सर्टिफिकेट देकर किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ? क्या यह सत्य है कि लाखों रुपया सरकारी कोष से तनख्वाह में दिया गया है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ?

श्री शिव प्रसाद सहायक अध्यापक जिला परिषद आजमगढ़ को वेतन न दिये जाने की शिकायत

श्री राजकुमार राय---

129 क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि शिव प्रसाद, सहायक अध्यापक, जिला परिषद, आजमगढ़ को सितम्बर, अक्तूबर, 1982 माह के वेतन देने के बारे में प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनांक 4-10-82 शासन को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उन्हें इतने दिनों बाद तक वेतन न दिए जाने का क्या कारण है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री वेचन राम परिचारक जूनियर हाई स्कूल, आजमगढ़ को दिये जा रहे वेतन के प्रकरण की जाँच

श्री राजकुमार राय—

130 क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें वेचन राम परिचारक जूनियर हाई स्कूल लखनी तहसील घोसी, जिला आजमगढ़ का पत्र प्रश्नकर्त्ता के पत्र दिनांक 3-11-82 के साथ इस आशय का मिला था कि उसे मात्र 92 रु0 माहवारी वेतन भत्ता मिलता है। जबकि अन्य चपरासियों को 165 रु0 प्रतिमाह मिलता है यदि हां, तो इस असमानता और न्यूनतम मजदूरी कानून के उल्लंघन का कारण क्या है?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी नहीं।

श्री वेचन राम परिचारक जूनियर हाई स्कूल लखनी तहसील घोसी जिला आजमगढ़ को 31-50 रुपया मासिक वेतन का भुगतान किया जा रहा है इनकी नियुक्ति अवैधानिक होने के कारण वेतन पुनरीक्षित नहीं किया जा सका। प्रकरण की जाँच की जा रही है।

रानीखेत कन्टोनमेन्ट बोर्ड द्वारा संचालित प्राइमरी एवं माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों की शिशु कल्याण योजना के अन्तर्गत आर्थिक सहायता

श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

131 क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि रानीखेत कन्टोन्मेन्ट बोर्ड द्वारा संचालित प्राइमरी एवं माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों को शिशु कल्याण योजना के अन्तर्गत सन् 1971 से 1982 तक की आर्थिक सहायता क्यों नहीं दी गयी है और कब वह सहायता दे दी जायगी?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

प्रश्नगत स्कूलों में विभाग द्वारा ऐसी कोई योजना नहीं चलायी गयी है। अतः आर्थिक सहायता देने का प्रश्न नहीं उठता।

मथुरा जनपद में राजकीय इण्टर कालेज के पुराने भवन का सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा नीलाम

श्री चन्दन सिंह—

132 क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जनपद में राजकीय इण्टर कालेज पुराने भवन को कितने रुपये में नीलाम किया गया और कितनी बार नीलाम हुआ है? क्या उक्त बिल्डिंग की नीलामी का कार्य सा0 नि0 विभाग द्वारा किया गया है? यदि हां तो ऐसा किस आधार पर किया गया है?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

अन्तिम बार भवन 34,800 रु० में नीलाम किया गया था।

तीन बार नीलाम हुआ।

जी हाँ।

इसकी जाँच की जा रही है।

जनपद हरदोई के कुछ अध्यापकों के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायत पर कार्यवाही

श्री हरीशंकर तिवारी--

133 क्या शिक्षा मंत्री को जनपद हरदोई के कुछ अध्यापकों के सम्बन्ध में प्रश्न-कर्त्ता का शिकायती पत्र दिनांक 25-8-82 को उन्हें प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी---

जी हाँ। उक्त पत्र शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश को 9-9-82 को भेजा गया।

कार्यवाही के विषय में अभी सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद जौनपुर के विकास खण्ड जलालपुर मुफ्तीगंज धर्मापुर में ग्राम समाज के नियन्त्रण में संचालित नलकूप

श्री प्रभूनारायण सिंह--

134 क्या सरकार को ज्ञात है कि जनपद जौनपुर के विकास क्षेत्र जलालपुर मुफ्तीगंज एवं धर्मापुर में ग्राम समाज के नियन्त्रण में कितने नलकूप संचालित हैं और उनकी वर्तमान समय में स्थित क्या है ? क्या यह सत्य है कि रख-रखाव के अभाव में इनमें से अधिकांश नलकूपों की मोटरें चोरी हो गयी हैं या नष्ट हो कर कार्य करने की स्थिति में नहीं हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार ग्राम समाज की इस सम्पत्ति की सुरक्षा कर ग्रामीण जनता को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करायेगी ?

श्री बलराम सिंह यादव---

जनपद जौनपुर के विकास खंड जलालपुर में 13, मुफ्तीगंज में 4 एवं धर्मापुर में 18 नलकूप लगाये गये हैं। इन नलकूपों में से वर्तमान समय में जलालपुर, मुफ्तीगंज एवं धर्मापुर में एक-एक गांव सभा नलकूप कार्यरत है। शेष गांव-सभा नलकूप बोरिंग सफल न होने, बिजली का कनेक्शन न मिलने एवं अन्य मेकेनिकल खराबी के कारण चालू स्थिति में नहीं हैं। इन नल-कूपों का रखरखाव संबंधित ग्राम प्रधान द्वारा किया जाता है। सूचना के अनुसार 4 मोटरें अवश्य चोरी चली गयी हैं तथा 28 नलकूप बंद हैं। इन नलकूपों के नीलामी के प्रस्ताव पर दिनांक 2 अगस्त 1976 को गाजीपुर में आयोजित मन्त्रि परिषद की मंडल स्तरीय स्थाई उपसमिति की बैठक में विचार किया गया था और यह निर्णय लिया गया था कि मंडलायुक्त इस सम्बन्ध में जांच करके अपनी संस्तुति शाखा को देंगे और इस पर विचार करें कि क्या मंडलीय विकास निगम इन नलकूपों को अपने अधीन ले सकता है। मंडलायुक्त वाराणसी की जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है जिस पर शीघ्र ही निर्णय ले लिया जायेगा।

प्राइमरी पाठशाला लारपुर जनपद फैजाबाद में भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में की गयी शिकायत तथा उसकी जांच रिपोर्ट

श्री गोपीनाथ वर्मा--

135 क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रा0 पा0 लारपुर, जनपद फैजाबाद में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता का कोई पत्र दिनांक 4-10-82 को उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उक्त मामले की जांच किस अधिकारी द्वारा किस तिथि को की गई तथा जांच के दौरान शिकायत-कर्त्ता से भी लिखित या मौखिक बयान लिया गया? यदि हां, तो सम्पूर्ण जांच रिपोर्ट क्या है?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी---

सूचना एकत्र की जा रही है।

मिर्जापुर जनपद में आई0 आर0 डी0 या स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत वितरित ऋण का विवरण तथा लाभार्थियों की सब्सिडी का एडजस्टमेन्ट तथा लक्ष्य अनुरूप ऋण वितरित न करने के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

136 क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद मिर्जापुर में वर्ष 1981-82 में व वर्ष 1982-83 में आई0 आर0 डी0 या स्पेशल कम्पोनेंट प्लान में कितने निर्बल वर्ग या सबलवर्ग के लोगों को ऋण देने का लक्ष्य रक्खा गया था? उनकी संख्या अलग-अलग क्या थी? कितने लोगों को इस योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किया गया? क्या लाभार्थियों की सबसीडी एडजस्टमेंट हो गयी? यदि नहीं, तो किन कारणों से नहीं हुई?

श्री बलराम सिंह यादव--

मिर्जापुर जनपद में वर्ष 1981-82 में आई0 आर0 डी0 में 12000 तथा स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान में 2860 एवं वर्ष 1982-83 में आई0 आर0 डी0 में 12000 तथा स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान में 2500 लोगों को ऋण दिलाये जाने का लक्ष्य रखा गया था। उनकी अलग-अलग संख्या निम्नवत है :--

वर्ष	वर्ग	आई0 आर0 डी0	स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान
1981-82	निर्बल	5740	
	सबल	6260	2860 हरिजन
1982-83	निर्बल	6000	
	सबल	6000	2500 हरिजन

योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किये गये लोगों की संख्या निम्नवत है :—

वर्ष	आई0 आर0 डी0	स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान
1981-82	2249	725
1982-83 (जनवरी 1983 तक)	2053	430
योग	4302	1155

आई0 आर0 डी0 में 1,385 लाभार्थियों की तथा स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान में समस्त 1155 लाभार्थियों को सब्सीडी एडजस्ट हो गयी है। आई0 आर0 डी0 में शेष लाभार्थियों की सब्सीडी वर्ष 1981-82 में बैंकों, जिनसे ऋण दिलाया जाता है, से वांछित सहयोग प्राप्त न होने के कारण एडजस्ट नहीं हो सकी। इस वर्ष सब्सीडी एडजस्टमेन्ट की नई प्रक्रिया लागू की गयी है ताकि एडजस्टमेन्ट तीव्र गति से किया जा सके।

श्री रामचरण सिंह—

137 क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि क्या लक्ष्य के अनुरूप ऋण नहीं दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ? इसके लिए कौन दोषी है ? क्या दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही की जायगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हाँ, लक्ष्य के अनुरूप ऋण नहीं दिलाया जा सका, क्योंकि ऋण बैंकों द्वारा दिया जाता है और ऋण वितरण हेतु उनका अपेक्षित सहयोग प्राप्त नहीं हुआ। इसके लिए कोई अधिकारी दोषी नहीं है। अतः किसी के खिलाफ कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है। बैंक प्रदेश शासन के सीधे नियन्त्रण में नहीं आते हैं। फिर भी बैंक के अधिकारियों व संस्थागत वित्त के अधिकारियों के बीच आपसी विचार-विमर्श करके बैंकों का अधिकाधिक सहयोग प्राप्त करने का पूरा प्रयास किया जाता है। जनपदों में "क्रेडिट कैम्प्स" आयोजित कराकर स्थल पर ही त्वरित गति से ऋण वितरण भी आरम्भ कराया गया है।

कानपुर क्षेत्र के उत्तर प्रदेश बीज एवं तराई विकास निगम के बीज विधायन संयन्त्र पुखराया से रासीड अण्डर साइज की अवैध रूप से बाजार में बेचा जाने के सम्बन्ध में दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

138 क्या कृषि मन्त्री को जानकारी है कि कानपुर क्षेत्र के उ0 प्र0 बीज एवं तराई विकास निगम के बीज विधायन संयन्त्र पुखराया पर कार्यरत कर्मचारियों द्वारा दिनांक 28-6-82 को उप मुख्य बीज उत्पादन अधिकारी को यह जानकारी दी गयी कि प्रभारी अधिकारी बीज विधायन सन्यन्त्र द्वारा रासीड अण्डर साइज की अवैध रूप से बाजार में ऊंचे

दामों में बिक्री की जा रही है ? यदि हां, तो दोषी अधिकारी के विरुद्ध शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री यशपाल सिंह--

कानपुर क्षेत्र के उत्तर प्रदेश बीज एवं तराई विकास निगम के बीज विधायन संयंत्र पुखराया पर कार्यरत कर्मचारियों द्वारा दिनांक 28-6-82 को उप मुख्य बीज उत्पादन अधिकारी को ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई कि प्रभारी अधिकारी, बीज विधायन संयंत्र द्वारा रा सीड अण्डर साइज की अवैध रूप से बाजार में ऊँचे दामों में बिक्री की जा रही है अपितु बीज विधायन संयंत्र पर कार्यरत कतिपय कर्मचारियों द्वारा एक परिवाद दिनांक 23-6-1982 अवश्य ही उप मुख्य बीज उत्पादन अधिकारी कानपुर को उक्त आशय का दिनांक 8-7-1982 को प्राप्त हुआ था । परिवाद के संदर्भ में उप मुख्य बीज उत्पादन अधिकारी ने पूछताछ के उपरान्त श्री राजा राम, पल्लेदार का आचरण संदिग्ध पाया । तदनुसार श्री राजा राम, पल्लेदार जो कि संसाधन हेतु नियुक्त ठेकेदार का आदमी था, तत्काल संयंत्र से हटा दिया गया । श्री राकेश कुमार सिंह, दैनिक वेतन भोगी श्रमिक को भी श्री राजा राम, पल्लेदार से सांठगांठ के संदेह में प्लान्ट से अलग कर दिया गया । प्रभारी अधिकारी को भी प्लान्ट से अन्यत्र स्थानान्तरित किया जा चुका है ।

गढ़वाल मण्डल के अन्तर्गत शिक्षा विभाग में सी0 टी0 या एल0 टी0 से विभागीय पदोन्नति देकर एल0 टी0 और एस0 एस0 ई0 एस0 में नियुक्त अध्यापकों को विभागीय कोटे के आधार पर स्थायीकरण

श्री रामस्वरूप वर्मा--

139 क्या शिक्षा मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि गढ़वाल मण्डल के अन्तर्गत शिक्षा विभाग में इस समय एल0 टी0 तथा एस0 एस0 ई0 एस0 के कितने-कितने अध्यापक ऐसे हैं जिन्हें 1971 के पश्चात् निचले संवर्ग सी0 टी0 या एल0 टी0 से विभागीय पदोन्नति देकर एल0 टी0 और एस0 एस0 ई0 एस0 में नियुक्त किया गया है किन्तु अभी तक उनका विभागीय चयन समिति द्वारा अनुमोदन नहीं किया गया ? यदि हां, तो उक्त श्रेणी के अध्यापकों का विभागीय चयन समिति द्वारा शीघ्र अनुमोदन हेतु शिक्षा निदेशक द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गयी तथा उन्हें कब तक अनुमोदन करा कर विभागीय कोटे के अन्तर्गत वर्तमान पदों में स्थायी किया जायगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

139 सूचना एकत्र की जा रही है ।

जिला परिषद बिजनौर के सेवामुक्त अध्यापकों की पेंशन भुगतान के सम्बन्ध में शिकायत

श्री धम्मन सिंह--

140 क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें दिनांक 3-11-1982 को प्रश्नकर्ता द्वारा प्रेषित पत्र जो जिला परिषद बिजनौर के सेवामुक्त अध्यापकों की पेंशन

भुगतान में विलम्ब तथा धांधलेबाजी किए जाने के सम्बन्ध में मिला है ? यदि हां, तो शासन द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हाँ।

सूचना अभी एकत्र की जा रही है।

बेसिक शिक्षा परिषद, जौनपुर में सीनियर एवं जूनियर बेसिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के रिक्त पदों पर नियुक्ति

श्री प्रभूनारायण सिंह—

141 क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि बेसिक शिक्षा परिषद्, जौनपुर के कितने सीनियर एवं जूनियर बेसिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के स्थान रिक्त हैं ? यह स्थान कब से और किन कारणों से रिक्त हैं ? क्या सरकार इन पदों पर शीघ्र नियुक्तियां करेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जनपद जौनपुर में बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित एक प्राइमरी स्कूल तथा एक जूनियर हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक के पद क्रमशः दिनांक 1-7-82 व 31-12-82 से क्रमशः मृत्यु तथा सेवानिवृत्ति के कारण रिक्त हैं। प्रधानाध्यापकों के उपरोक्त रिक्त पदों पर तत्काल नियुक्ति किये जाने के संबंध में सचिव, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद द्वारा आवश्यक निर्देश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जौनपुर को दे दिये गये हैं।

गोरखपुर बेसिक शिक्षा परिषद के जूनियर हाई स्कूलों में कार्यरत उर्दू पढ़ाने वाले अध्यापकों को प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों के समान वेतन

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

142 क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर बेसिक शिक्षा परिषद् के जूनियर हाई स्कूलों में कार्यरत उर्दू पढ़ाने वाले अध्यापकों को प्राइमरी स्कूल में कार्यरत अध्यापकों का ही वेतन दिया जाता है ? यदि हां तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमार बख्शी—

जी हाँ।

वर्ष 1973-74 में हाफ-ए-मिलियन जाब्स कार्यक्रम के अन्तर्गत उर्दू अध्यापकों के 4823 पद प्राइमरी स्कूल के सहायक अध्यापक के वेतनक्रम में पूरे प्रदेश के लिये सृजित किये गये थे। उपरोक्त उर्दू अध्यापकों में से 100 उर्दू अध्यापकों को जूनियर हाई स्कूलों में उर्दू पढ़ाने के लिये सम्बद्ध किया गया था। जूनियर हाई स्कूलों में कार्यरत इन उर्दू अध्यापकों के पद प्राइमरी स्कूल के सहायक अध्यापक के वेतनमान में सृजित होने के कारण उन्हें प्राइमरी स्कूल के सहायक अध्यापक का ही वेतन नियमानुसार दिया जा रहा है।

विकास खण्ड खेराबाद जिला सीतापुर में बेसिक शिक्षा परिषद के कृषिभूमि धारक प्राइमरी स्कूल्स

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

143 क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि विकास खंड खेराबाद जिला सीतापुर

में ऐसे प्राइमरी स्कूल (बेसिक शिक्षा परिषद् के) कौन कौन हैं जिनके पास कृषि भूमि है तथा उसकी आमदनी स्कूल के कोष में जमा है ? यदि हां तो कितना रुपया जमा है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

विकास खंड, खैराबाद जिला सीतापुर के बेसिक शिक्षा परिषद के निम्नलिखित प्राइमरी स्कूलों के पास कृषि भूमि है और उनके सम्मुख अंकित धनराशि स्कूल के कोष में जमा है :--

स्कूल का नाम	कोष में जमा धन (रु0)
1--मुबारकपुर	5,708-04
2--अशरफपुर	739-65
3--कैथनारी	112-50
4--कसोढ़र	959-91
5--दारानगर	90-00
6--गद्दीपुर	300-00
7--रस्योरा	347-00

प्राइमरी पाठशाला मुबारकपुर के भवन का निर्माण

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

144 क्या इस आशय की संस्तुति कि प्रा0 पा0 मुबारकपुर में जमा धन से भवन बनवा दिया जाये प्रश्नकर्त्ता द्वारा अगस्त तथा सितम्बर 1982 में कई बार की गयी है ? यदि हां, तो भवन न बनवाने का क्या कारण है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हाँ।

जमा धनराशि से प्राइमरी स्कूल भवन बन पाना संभव नहीं है।

हाई स्कूल परीक्षा 1981 के अपूर्ण परीक्षाफल को घोषित करने की मांग

श्री सत्यपाल सिंह--

145 क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगी कि वर्ष 1981 में हुई हाई स्कूल परीक्षा के कितने ऐसे परीक्षार्थी हैं जिनके परीक्षाफल अभी तक अपूर्ण हैं जिन्होंने सभी प्रश्न पत्रों में विधिवत् परीक्षा दी है ? यह परीक्षाफल कब तक घोषित होने की संभावना है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

वर्ष 1981 की हाईस्कूल परीक्षा के किसी ऐसे परीक्षार्थी का परीक्षाफल अब अपूर्ण नहीं है।

कार्यालय उपनिदेशक शिक्षा बरेली मण्डल में अनुत्तीर्ण शिविर लिपिक का स्थायीकरण

श्री सत्यपाल सिंह--

146 क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि कार्यालय उपनिदेशक शिक्षा, बरेली मण्डल, बरेली में सन् 82 में ऐसे कितने शिविर लिपिक नियुक्त किये गये हैं जो शिविर लिपिक की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो चुके हैं ? क्या ऐसे अनुत्तीर्ण लिपिकों को स्थायी भी कर दिया गया है ? यदि हां तो इस अव्यवस्था के लिए कौन अधिकारी दोषी है, और सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी---

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री वेणी माधव विद्यापीठ इण्टर कालेज हरदोई की हाई स्कूल की वर्ष 1975 में उत्तीर्ण संस्थागत छात्राओं का प्रमाण पत्र माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा न दिये जाने का कारण

श्री प्रमोद कुमार--

147 क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री वेणी माधव विद्यापीठ इण्टर कालेज, हरदोई की हाई स्कूल की वर्ष 1975 की पूरक परीक्षा में उत्तीर्ण हुई संस्थागत छात्राओं का प्रमाण-पत्र माध्यमिक शिक्षा परिषद् इलाहाबाद द्वारा अभी तक उक्त विद्यालय को न भेजे जाने का क्या कारण है ? क्या सरकार समस्त उत्तीर्ण छात्राओं के प्रमाण-पत्र शीघ्र विद्यालय को उपलब्ध कराने हेतु आदेश देगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

प्रश्नगत प्रमाण-पत्र नवम्बर, 1977 में ही परिषद् कार्यालय द्वारा जारी कर दिये गये थे, यद्यपि गणक पंजिका में विद्यालय का नाम गलत अंकित होने के कारण ये प्रमाण-पत्र प्रधानाचार्य, राजकीय इण्टर कालेज, हरदोई को भेज दिये गये थे । उक्त कालेज के प्रधानाचार्य ने इन प्रमाण-पत्रों को न तो संबंधित कालेज के प्रधानाचार्य को भेजा और न ही उन्हें परिषद् कार्यालय को वापस किया । प्रमाण-पत्र अब वापस प्राप्त कर संबंधित संस्था को उपलब्ध करा दिये गये हैं ।

श्री प्रमोद---

148 क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री वेणी माधव विद्यापीठ इण्टर कालेज, हरदोई की वर्ष 1978 की इण्टरमीडिएट की व्यक्तिगत छात्राओं का प्रमाण-पत्र इलाहाबाद बोर्ड द्वारा अभी तक कालेज को न भेजे जाने का क्या कारण है ? क्या मंत्री जी उक्त प्रमाण-पत्रों को कालेज को भेजने के आदेश देंगे ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

राजकीय प्रेस से सादे प्रमाण-पत्र प्राप्त न हो पाने के कारण अभी तक प्रमाण-पत्र तैयार नहीं किये जा सके हैं । सादे प्रमाण-पत्रों को राजकीय प्रेस से प्राप्त करने हेतु

प्रयास किया जा रहा है। इन सादे प्रमाण-पत्रों के प्राप्त होने पर उनको तैयार कर संबंधित कालेज को शीघ्रातिशीघ्र भेजने की कार्यवाही की जायेगी।

जिला वाराणसी के बेसिक प्राइमरी पाठशालाओं की सत्रवार दी गयी पाठ्य पुस्तकें व कापियां

श्री ऊदल--

149 क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला वाराणसी के बेसिक प्राइमरी पाठशालाओं के लिए सन् 79 से सन् 81 के सत्र तक कितने रुपये की पाठ्यपुस्तकें व कापियां अलग-अलग सत्र में दी गयी हैं? क्या इनमें से सभी पाठशालाओं को पूरी-पूरी पाठ्यपुस्तकें व कापियां वितरित की गयी हैं? यदि नहीं तो क्यों?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सभी छात्रों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें व कापियां उपलब्ध कराने की कोई योजना नहीं है। केवल निर्बल वर्ग के प्राइमरी कक्षाओं के बच्चों के लिए निःशुल्क पाठ्यपुस्तक दिये जाने की योजना है जिसके अन्तर्गत जनपद वाराणसी हेतु वर्ष 1979-80 में रु0 20,835 वर्ष 1980-81 में रु0 18,750 तथा वर्ष 1981-82 में रु0 1,500 की धनराशि प्राविधानित थी, जिसका उपयोग नहीं किया जा सका क्योंकि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी वाराणसी को विभागीय स्वीकृतियाँ प्राप्त नहीं हुई।

राष्ट्रीय कन्या इण्टर कालेज झांसी की अध्यापिकाओं की प्रबन्धाधिकरण द्वारा किसी प्रकार का अवकाश वेतन स्वीकार न किया जाना

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

150 क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि राष्ट्रीय कन्या इण्टर कालेज झांसी के प्रबन्धाधिकरण द्वारा विद्यालय की अध्यापिकाओं की किसी भी प्रकार का अवकाश वेतन नहीं स्वीकार किया जाता है? यदि हां तो क्यों? 1977 से अगस्त 82 तक किन-किन अध्यापिकाओं की कितने-कितने दिनों के अवकाश की कितनी धनराशि की कटौती की गई? प्रबन्धाधिकरण के इस आचरण के विरुद्ध सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

विधायकों द्वारा अपने क्षेत्र की प्राइमरी पाठशालाओं एवं मिडिल स्कूलों के निरीक्षण के प्रश्न पर विचार

श्री श्यामलाल बाजपेयी--

151 क्या शिक्षा मन्त्री वर्तमान नियमों में संशोधन करके विधायकों को अपने क्षेत्र

से सम्बन्धित प्राइमरी पाठशालाओं एवं मिडिल स्कूलों के निरीक्षण करने तथा निरीक्षण रिपोर्ट को तत्काल लागू करने पर विचार करेंगे ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बक्शी---

प्रकरण विचाराधीन है।

प्राइमरी शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए अध्यापकों का स्थानान्तरण के सम्बन्ध में शासन द्वारा नियम बनाये जाने की मांग

श्री श्यामलाल वाजपेयी---

152 क्या शासन प्राइमरी शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए सम्बन्धित अध्यापकों का तबादला एक जिले से दूसरे जिले में करने का नियम बनायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बक्शी---

प्राइमरी अध्यापकों का जिला संवर्ग है। केवल विशेष परिस्थिति में अन्तर्जिला स्थानान्तरण की व्यवस्था है। अन्तर्जिला स्थानान्तरण की व्यवस्था अतः आवश्यक नहीं है। निरीक्षण आदि से शिक्षा को प्रभावी बनाने की प्रक्रिया उपलब्ध है। बेसिक शिक्षा अधिनियम में स्थानीय जनप्रतिनिधियों की समितियों की व्यवस्था भी इस दृष्टि से की गई है।

श्री ओ0 एन0 सक्सेना, शिक्षा अधीक्षक, ललितपुर के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायती-पत्र

राजेन्द्र अग्निहोत्री---

153 क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें श्री ओ0 एन0 सक्सेना, शिक्षा अधीक्षक, ललितपुर के सम्बन्ध में दिनांक 18-11-81 को एक शिकायती-पत्र दिया गया ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं की गयी, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बक्शी---

सूचना अभी एकत्र की जा रही है।

माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के अनिवार्य जमा योजनान्तर्गत जमा धन-राशि की किस्त भविष्य निधि आयुक्त कानपुर से वापस लेकर वितरित न किया जाना

श्री धर्मवीर सिंह त्यागी---

154 क्या शिक्षा मन्त्री बतलायेंगे कि ऐसे माध्यमिक विद्यालय कितने हैं जिन्होंने भविष्य निधि आयुक्त कानपुर के यहां से एक भी अनिवार्य जमा किस्त वापस लेकर 31-12-81 तक स्टाफ को वितरित नहीं की है ? सरकार ने ऐसे विद्यालयों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बक्शी---

सूचना एकत्र की जा रही है।

आर० आई० जी० एस० मेरठ तथा बी० एस० ए० महिला बुलन्दशहर तथा प्रधानाचार्य रा० उ० मा० पहासू द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों द्वारा की गयी अनियमित नियुक्तियां

श्री छत्तर सिंह--

155 क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आर० आई० जी० एस० मेरठ ने तथा बी० एस० ए० महिला, बुलन्दशहर ने तथा प्रधानाचार्य रा० उ० मा० पहासू ने कितने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्तियां सत्र 1979-80 एवं 1980-81 और वर्तमान सत्र 1981-82 में अब तक बिना रिक्तियों का विज्ञापन किए, बिना रोजगार कार्यालय से नाम मांगे बिना आरक्षण का ध्यान रखे बिना उचित चुनाव प्रक्रिया अपनाए, अयोग्य, अधिक आयु, अशिक्षित, व्यक्तियों को नियुक्तियां कर दी हैं ? यदि हां, तो अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमत स्वरूप कुमारी बख्शी--

विभिन्न अधिकारियों द्वारा कुल मिलाकर प्रश्नगत वर्षों में 38 अनियमित नियुक्तियां की गयी। अनियमित नियुक्तियों के लिए संबंधित अधिकारियों का स्पष्टीकरण मांगा गया है। प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायगी।

आजमगढ़ जनपद के बेसिक शिक्षकों को लोक सभा व विधान सभा के चुनाव के भत्ते का भुगतान

श्री पंचानन राय---

156---क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद के बेसिक शिक्षकों को 1980 के लोक सभा एवं विधान सभा के चुनाव भत्ते का भुगतान आज तक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और यह भुगतान कब तक कर दिया जायगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी----

सूचना अभी एकत्र की जा रही है।

157 श्री पंचानन राय---

---(आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त)

श्री राजेन्द्र प्रसाद सहायक अध्यापक विद्यामन्दिर हायर सेकेण्डरी स्कूल, रामपुर का बकाये वेतन का भुगतान

श्री चेतराम गंगवार---

158 क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें 25 जनवरी, 1982 तथा 3 मार्च, 1982 को प्रश्नकर्ता द्वारा दिए गये श्री राजेन्द्र प्रसाद, स० अ०, विद्या मन्दिर हा०

से0 स्कूल, रामपुर का प्रार्थना-पत्र 16-11-76 से 2-10-81 तक का अवशेष वेतन भुगतान तथा 3-10-81 से वर्तमान समय तक के वेतन भुगतान न करने के सम्बन्ध में मिले हैं? यदि हां, तो शासन ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की तथा उक्त अध्यापक को अब तक वेतन न दिए जाने का कारण क्या है?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

प्रश्न में उल्लिखित तिथियों के पत्र तो प्राप्त नहीं हुये हैं किन्तु कुछ अन्य तिथियों के प्रश्नकर्ता के पत्र प्राप्त हुये हैं। कथित अध्यापक को प्रश्नगत अवधि के वेतन भुगतान के प्रकरण में विचार किया जा रहा है और निर्णय होने पर यथानुसार कार्यवाही की जायेगी।

कुमायूं मण्डल के मण्डलीय स्तर पर लम्बित दक्षतारोक अवकाश, टी0 ए0 बिल तथा पद सृजन प्रोन्नति के मामलों का निस्तारण

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

159 क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कुमाऊं मण्डल के मण्डलीय स्तर पर कितने दक्षतारोक, अवकाश, टी0 ए0 बिल, पद सृजन, प्रोन्नति के मामले सन् 1978 से 1981 तक अनिस्तीर्ण पड़े हैं? क्या सरकार अविलम्ब इनके निस्तारण के आदेश देगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

डी0 एस0 एम0 कालेज (इण्टर एवं डिग्री) कांठ मुरादाबाद की प्रबन्ध समिति द्वारा बरती गयी अनियमितताओं की जांच

श्री रामकृष्ण माहेश्वरी--

160 क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता ने अपने पत्र दिनांक 11-7-81 द्वारा उनमें डी0 एस0 एम0 कालेज, (इण्टर एवं डिग्री) कांठ (मुरादाबाद) की प्रबन्ध समिति द्वारा बरती गयी बहुत सी वित्तीय एवं अन्य अनियमितताओं की जांच कराने की मांग की थी? यदि हां, तो प्रबन्धक समिति के विरुद्ध क्या अब तक कोई कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां।

जांच की जा चुकी है और प्राप्त जांच आख्या पर अग्रिम कार्यवाही हेतु विचार किया जा रहा है।

जनपद अलीगढ़ में कमलादेवी जूनियर हाई स्कूल की मान्यता तथा अनुदान देने का आधार

श्री रियासत हुसैन--

161 क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद अलीगढ़ में कमला देवी जू0 हा0 स्कूल कहां स्थित है? और कब से चल रहा है? क्या विद्यालय स्थायी/अस्थायी मान्यता

प्राप्त है ? यदि नहीं, तो फिर 1977 से निरन्तर ही सरकारी अनुदान किस आधार पर दिया जा रहा है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

कमला देवी जूनियर हाई स्कूल, बदरबाग, अलीगढ़ में स्थित है तथा वर्ष 1977 से चल रहा है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से प्राप्त सूचना के अनुसार मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका, आगरा के पत्रांक अनु-5/9115-19/77-78 दिनांक 18 फरवरी 1978 द्वारा प्रश्न गत स्कूल को हायरस के पते पर स्थायी मान्यता प्रदान की गयी थी। अतिरिक्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (महिला) के पत्रांक मान्यता/2737-77-78 दिनांक 19 अगस्त, 1977 द्वारा उक्त स्कूल का स्थानांतरण हाथरस से अलीगढ़ को हुआ। विद्यालय को क्षतिपूर्ति अनुदान का भुगतान शिक्षा निदेशालय के स्वीकृति आदेशों के अनुसार वर्ष 1977 से अब तक होता रहा है। निदेशालय एवं सचिव बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा उपरोक्त सूचना का परीक्षण अभी किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश में प्राथमिक पाठशालाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के तथा अल्पसंख्यक वर्ग के अध्यापक और अध्यापिकाएं

श्री रामस्वरूप वर्मा--

162 क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक पाठशालाओं में 3 मार्च, 1982 को कुल कितने अध्यापक तथा अध्यापिकाएं अलग-अलग थीं तथा उनमें से कितने अनुसूचित जाति के, कितने जनजाति के, कितने पिछड़े वर्ग के तथा कितने अल्पसंख्यक वर्ग के थे ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

अभी सूचना एकत्र की जा रही है।

प्रधानाध्यापक, जूनियर हाई स्कूल, हलिपापुर, सुल्तानपुर द्वारा फर्जी टी0 सी0 बनाये जाने के सम्बन्ध में शिकायत की जांच

श्री गोपीनाथ वर्मा तथा श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

163 क्या सरकार बतायेगी कि प्रधानाध्यापक, जूनियर हाई स्कूल, हलियापुर, सुल्तानपुर (श्री समर बहादुर सिंह) के विरुद्ध फर्जी टी0 सी0 बनाए जाने के सम्बन्ध में श्री राजपाल सिंह, विधायक का कोई शिकायती पत्र माह अगस्त, 1982 में जिलाधिकारी, सुल्तानपुर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर शिकायतवार क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

माननीय श्री राजपाल सिंह सदस्य विधान सभा का शिकायती पत्र जिला अधिकारी,

सुल्तानपुर को नहीं वरन शासन को प्राप्त हुआ था । शिकायतों की जाँच करायी गई जो जाँचोपरान्त निराधार पाई गई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विभूति नारायण इण्टर कालेज सूरजपुर, आजमगढ़ में परिचारक को वेतन न दिया जाना

श्री राजकुमार राय--

164 क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि विभूति नारायण इण्टर कालेज, सूरजपुर, आजमगढ़ में परिचालक के सृजित पद 10-2-1982 को मुन्नी लाल की नियुक्ति की गयी और वह विद्यालय में कार्यरत भी हैं ? यदि हां, तो अब तक उसे वेतन न दिये जाने का कारण क्या हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

संस्थाधिकारियों द्वारा सृजित पद उपलब्ध न होने पर भी श्री मुन्नीलाल की नियुक्ति गई है । रिक्त के बारे में सूचना मांगे जाने पर भी प्रबंधाधिकरण से प्राप्त नहीं हुई है । अतः जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है ।

प्रश्नों के सही उत्तर न दिये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री प्रियदर्शी जेतली--

मान्यवर, आप कृपया मेरा प्रश्न अतारांकित संख्या 76 देखने का कष्ट करें जिसमें मैंने एक जांच कराये जाने के बारे में पूछा था कि शिकायत पर जिला निर्वाचन अधिकारी जिला मैजिस्ट्रेट ने कोई जांच करायी थी ? इसका उत्तर दिया गया है कि इसकी जांच की जा रही है । मान्यवर, मेरी निश्चित जानकारी यह है कि यह जांच उसी दिन हो गयी थी । जांच अधिकारी श्री राकेश परगना अधिकारी अकबरपुर ने उसी रात को अपनी जांच जिला चुनाव अधिकारी को भेज दी थी, अब क्या जांच करायी जा रही है ? यह गलत उत्तर है जो दिया जा रहा है । जांच रिपोर्ट उसी दिन सब्मिट भी हो गयी है ।

श्री अध्यक्ष--

आप इसको लिख कर मेरे पास भेज दें, मैं देख लूंगा । माननीय संसदीय कार्य मंत्री का ध्यान मैं इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा, जिस माननीय मंत्री के तारांकित या अल्पसूचित तारांकित या अतारांकित प्रश्न हुआ करें, संबंधित मंत्री को उस दिन सदन में रहना चाहिये उस समय तक जब तक कि प्रश्नों का समय समाप्त नहीं हो जाता । माननीय सदस्य जो बात कहें अपने प्रश्नों के बारे में, अगर संबंधित मंत्री यहाँ उस समय होंगे तो वे सुन सकेंगे, उनका ध्यान उस ओर आकृष्ट भी हो सकेगा और वे उस पर ध्यान देकर कोई कार्यवाही कर सकेंगे । भविष्य में इसका ध्यान रखा जाय ।

श्री राजकुमार राय--

मेरा भी प्रश्न संख्या 13 देखने का कष्ट करें । पहले ए0 पी0 सी0 के आदेश के अनुसार 15 जुलाई, 1982 के अनुसार प्रोन्नति का आधार योगदान की तिथि रखी गयी,

फिर उन्होंने उसे 30-9-82 कर दिया। इसमें करीब 100 सहायक विकास अधिकारियों का मामला लटका हुआ है....

श्री अध्यक्ष---

इस समय न तो मैं कोई उत्तर दिलवा सकता हूं और न ही मंत्री जी कोई स्पष्टीकरण दे सकते हैं। आप कृपया लिखकर मुझे भेज दें। प्रश्नों का समय समाप्त हो चुका है। मेरे माध्यम से आप मंत्री जी को लिख कर भेज सकते हैं और जानकारी कर सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद---

इसी सत्र में माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा था कि प्रश्नों के उत्तर में जो यह कह दिया जाता है कि सूचना एकत्र की जा रही है, वे उसको देखेंगी, परन्तु वही उत्तर उसी प्रकार के दिये जा रहे हैं।....

मंत्री जी का विभाग उन पर ध्यान नहीं दे रहा है। मेरे प्रश्न को आप देखें।

श्री अध्यक्ष---

मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूँ। आप बैठें, लिखकर दे दें।

*श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री---

मैं कई बार निवेदन कर चुका हूँ और पुन: निवेदन करना चाहता हूँ। माननीय शिक्षा मंत्री ने मेरे अतारांकित प्रश्न संख्या 10 जिसके बारे में 18-11-81 को पत्र द्वारा सूचित किया था, का उत्तर दिया है कि सूचना एकत्रित की जा रही है। मैंने राजकीय कन्या इण्टरमीडिएट कालेज के सम्बन्ध में प्रश्न किया था कि अध्यापिकाओं को किसी प्रकार का अवकाश सवेतन स्वीकार नहीं किया जाता है। आप महिलाओं की पक्षधर हैं। ऐसे सावल का कम से कम एक साल हो गया सूचना दिये उसमें उत्तर आता है कि सूचना एकत्रित की जा रही है। आप ऐसे निर्देश देने की कृपा करें कि ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के सम्बन्ध में समय से उत्तर दिया जाय। 15 दिन का समय इसके लिये निश्चित है 15 दिन हो गये।

श्री अध्यक्ष---

शिक्षा मंत्री जी मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि आपके बहुत बड़ी तादाद में प्रश्न आते हैं जो एक स्थान से सम्बन्धित होते हैं और उत्तर दिया जाता है कि सूचना एकत्रित की जा रही है। भविष्य में इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो और नेताओं की बैठक हुई है उसमें इस प्रकार का निर्णय लिया गया है कि दिन प्रति दिन जो दिक्कतें आती हैं उसका निवारण करने का निर्णय हो चुका है करीब-करीब। मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी और शासन खासतौर से ध्यान देगा।

श्री शंकर सिंह---

मेरा प्रश्नों के बारे में व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष---

आप बैठें, नेताओं की बैठक में निर्णय लिया गया है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री शंकर सिंह--

मान्यवर, मेरा प्रश्न तारांकित 17 था। मैंने दस्यु प्रभावित क्षेत्रों के सम्बन्ध में बीहड़ सुधार एवं सड़कों की जाल बिछाने के बारे में प्रश्न किया था। मुख्यमंत्री ने कई बार इस बात की घोषणा की है। लेकिन मेरा प्रश्न गलत विभाग को चला गया, कृषि विभाग। अगर दस्यु समस्या मंत्री को जाता तो उसका सही उत्तर आता कि बीहड़ सुधार होगा, सड़कों को बनाया जायेगा लेकिन प्रश्न गलत जगह जाने के कारण उत्तर आया जी नहीं प्रश्न नहीं उठता। तो मेरा प्रश्न करना बेकार हो गया।

श्री अध्यक्ष--

आप लिख कर दे दें।

बाबा राघवदास मेडिकल कालेज, गोरखपुर के फार्मेसिस्टों एवं टेक्नीशियनों द्वारा की जा रही हड़ताल के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष--

नियम 301 के अन्तर्गत 14 सूचनायें प्राप्त हुई। इनमें से श्री फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री नन्द किशोर सिंह, श्री गोपीनाथ वर्मा, श्री रियासत हुसैन एवं श्री अकबर हुसैन, श्री सत्यपाल सिंह की मैंने स्वीकार किया है और शेष को अस्वीकार किया है।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

महोदय, आपके माध्यम से इस माननीय सदन एवं स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान अति अविलम्बनीय लोक महत्व के नियम की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ।

जनपद गोरखपुर में स्थित राजकीय पुरुष एवं महिला अस्पतालों के साथ-साथ बाबा राघवदास मेडिकल कालेज के समस्त फार्मेसिस्ट एवं टेक्नीशियन अपनी मांग को लेकर लगभग एक सप्ताह से हड़ताल पर हैं। इस हड़ताल का इतना कुप्रभाव पड़ा है कि बहुत से भर्ती रोगियों में लगभग 70 रोगी दवादारु के अभाव में मर गये एवं बचे रोगियों के करुण क्रन्दन एवं चीत्कार से आस-पास का वातावरण काफी अशान्त एवं क्षुब्ध हो चुका है। नये रोगियों की भी भर्ती नहीं हो पा रही है। इतना ही नहीं प्राइवेट अस्पतालों में भी स्थान नहीं रह गये हैं।

यदि इस पर तत्काल विचार नहीं हुआ तो यह हड़ताल 4 अप्रैल, 1983 से प्रदेश व्यापी हो जायेगा जिससे प्रदेश जन जीवन भी प्रभावित होगा।

अतः इस लोक महत्व के विषय पर शीघ्र कार्यवाही की जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

देवरिया जनपद में ओलावृष्टि से फसलों की क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री नन्द किशोर सिंह--

महोदय, जनपद देवरिया के देवरिया तहसील के उत्तरी हिस्से में तथा हाटा तहसील के दक्षिण भाग में कल दिनांक 20-3-83 को 5 बजे शाम को भयंकर ओला गिरा जिससे सैकड़ों पशु और मनुष्यों को चोटें आयीं, आम की फसल का बौर 90 फीसदी कट कर गिर गया है। तथा मटर, चना, अरहर, सरसों आदि की फसलें चौपट हो गयी हैं। खपरैल के मकान के खपरैल आदि बुरी तरह से नष्ट हो गये हैं। ओला दो सौ ग्राम से चार सौ ग्राम तक के वजन के गिरे। सारा मैदान सफेद दिखायी दे रहा था। प्रभावित गांव अमारी बाजारु चुरहा, नरायनपुर, गौनरिया, हरखौली, रामपुर, जैनपुर, करज, घुड़ीपाकर के साथ ही साथ 200 से ऊपर गांव इस ओला बारी के चपेट में आ गया है। जनता में कोहराम मचा हुआ है।

अस्तु इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को माननीय सदन एवं सरकार के संज्ञान में लाकर उपरोक्त गांव की जांच कराने तथा सभी प्रकार की वसूलियाँ स्थगित करने की मांग करता हूँ तथा राहत कार्य करने की शासन से मांग करता हूँ तथा क्षतिग्रस्त लोगों को सरकारी सहायता तुरन्त प्रदान करें।

ग्राम फिरोजपुर (मुरादाबाद) में हुए अग्निकाण्ड से सम्पत्ति के नष्ट होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अकबर हुसैन--

महोदय, ग्राम फिरोजपुर थाना हसनपुर जनपद मुरादाबाद में दिनांक 16 मार्च, 83 को दिन में 4 बजे भीषण अग्निकाण्ड हुआ जिसमें लगभग 100 हरिजन परिवारों के घर जल गये, 11 पंपिंग सेट जो बैंक से ऋण ले कर के लगाये गये थे नष्ट हो गये, लाखों रुपयों की सम्पत्ति का नुकसान हुआ है, आदमी और बच्चे भी आग से झुलसे हैं जिसमें से कुछ की हालत गम्भीर है। अभी तक प्रशासन द्वारा उचित प्रबन्ध नहीं किया गया है। इस घटना से क्षेत्र में अविश्वास एवं असंतोष व्यापक रूप से उत्पन्न हो गया है।

अत: नियम 301 के अन्तर्गत माननीय सदन द्वारा सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ।

शाहजहांपुर जनपद में सस्ते गल्ले की दूकानों पर खाद्यान्न उपलब्ध न होने से जनता में व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सत्यपाल सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, अविलम्बनीय लोक-महत्त्व का प्रश्न सदन के संज्ञान में लाकर तत्काल कार्यवाही की मांग करता हूँ। होली के पर्व पर भी जनपद शाहजहाँपुर के शहरी व

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

देहाती आंचलों में गेहूं शकर व मिट्टी के तेल की समुचित अपूर्ति न होने के कारण सारे जिले की जनता में असंतोष व्याप्त है। सरकारी गल्ले की दुकानों पर जनता की भीड़ धूप में भी लगी रहती है। गेहूँ अभी तक दुकानों पर पहुँचा नहीं है। देहाती आंचलों में शकर बिल्कुल अपर्याप्त है। दुकानदारों एवं अधिकारियों को कोई फिकर नहीं है। जनप्रतिनिधि आलोचना के शिकार हो रहे हैं। गरीब-अमीर प्रत्येक को इस होली के त्योहार पर शकर व गेहूँ की अत्यंत आवश्यकता है। जनता लाइनों में खड़ी झगड़ा और निराशा से जूझ रही है।

उपरोक्त अभाव से शाहजहाँपुर की स्थिति अत्यंत विस्फोटक हो रही है।

अतएव सरकार से मांग करता हूँ कि होली से पहले गेहूँ, शकर आदि तत्काल जनता को उपलब्ध कराया जावे ताकि होली जैसे त्योहार को तो लोग कम से कम चैन से मना सकें।

प्रदेश में बीज निगम के पांच भण्डार गृहों को भूमि उपलब्ध न कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री भूधर नारायण मिश्र--

मान्यवर, मैं लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर आपके माध्यम से सदन और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। भारत सरकार के राष्ट्रीय बीज निगम ने विश्व बैंक की सहायता से उत्तर प्रदेश में मेरठ, आगरा, बरेली, बनारस और कानपुर आदि नगरों में पांच ट्रांजिट स्टोर बनाने का निर्णय सन् 1976 में लिया था। इस भण्डार गृहों के लिए आवश्यक मशीनरी का इंतजाम भी राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा काफी पहले से कराया जा चुका है। प्रदेश सरकार द्वारा भूमि उपलब्ध न कराने के कारण यह भंडार गृह अभी तक निर्मित न किये जा सके हैं। प्रधान मंत्री के 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रमों के अन्तर्गत अधिक अन्न उगाने पर बल दिया है। इन प्रस्तावित पांच भण्डार गृहों द्वारा अधिक अन्न उगाने के अन्तर्गत किसानों को अच्छे जाति के बीज उपलब्ध कराये जा सकेंगे। यह उल्लेखनीय है कि विश्व बैंक द्वारा इस योजना के क्रियान्वयन हेतु पहले ही दो बार अवधि बढ़ाई जा चुकी है और दिसम्बर, 1983 के बाद अवधि न बढ़ाये जाने का निर्णय किया जा चुका है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि इन भण्डार गृहों के निर्माण हेतु यथाशीघ्र भूमि उपलब्ध कराई जाये, जिससे राष्ट्रीय बीज निगम किसानों को अच्छा बीज उपलब्ध कर सके।

उत्तर प्रदेश अष्टम विधान सभा (1982-83) की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति का ग्यारहवां प्रतिवेदन

*श्री भूप सिंह केन--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सभापति अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति, उत्तर प्रदेश विधान सभा (1982-83)

*वक्ता के भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आपकी आज्ञा से उक्त समिति का ग्यारहवाँ प्रतिवेदन, जो ग्राम साढ़ूपुर, थाना शिकोहाबाद जनपद मैनपुरी में दिनांक 30 दिसम्बर, 1981 को 10 हरिजनों की निर्मम हत्या की घटना से सम्बन्धित है, प्रस्तुत करता हूँ।

*श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, जो प्रतिवेदन प्रस्तुत हो रहा है क्या 216 (3) के अंतर्गत उसका उत्तर देने के लिये तैयार होकर आये हैं। अगर नहीं आये हैं तो आपसे निवेदन है कि 216 (4) के अंतर्गत इस महत्वपूर्ण विषय पर जो कि साढ़ूपुर काण्ड से सम्बन्धित है, चर्चा करवा दें।

श्री अध्यक्ष--

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी यह किससे सम्बन्धित है?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, बजाय इस समय इस पर चर्चा के, आप इस पर निर्देश दें, बाद में इस पर चर्चा हो सकती है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, बिलकुल दूसरा बिन्दु है। मान्यवर, ये तीन प्रतिवेदन हैं।

श्री अध्यक्ष--

अभी तो यह एक ही प्रतिवेदन है।

उत्तर प्रदेश अष्टम विधान सभा (1982-83) की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति का बारहवां प्रतिवेदन†

श्री भूप सिंह केन--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सभापति अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति उत्तर प्रदेश विधान सभा (1982-83) को उक्त समिति का बारहवाँ प्रतिवेदन, जो दिनांक 20 मई, 1979 को ग्राम अतरौली विधान सभा क्षेत्र जामों थाना जगदीशपुर जिला सुल्तानपुर में हरिजनों के घरों को जलाने तथा दो हरिजनों को जिन्दा जलाने के प्रयास से सम्बन्धित समिति के अष्टम प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों के सम्बन्ध में है प्रस्तुत करता हूँ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, माननीय श्री रियासत हुसैन जी ने इसके पूर्ववर्ती प्रतिवेदन के सम्बन्ध में पूछा था। तो मैं इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि जो यह प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है और इसको पढ़ने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि राजस्व

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

†छापा नहीं गया।

विभाग के अधिकारियों की लापरवाही से हरिजनों की अपेक्षा की गई है। तथा शासन ने उनकी अनुशंसा के अनुसार कोई कार्यवाही नहीं की। मान्यवर, इस सम्बन्ध में मेरी आपसे प्रार्थना है कि इसके लिये भी कोई समय निर्धारित करें चर्चा के लिये। क्योंकि इसमें हरिजनों से सम्बन्धित मामला निहित है।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, जैसा कि मैंने निवेदन किया। इसके लिये भी आप कोई और समय निर्धारित कर दें।

श्री अध्यक्ष--

कार्य-मन्त्रणा समिति की बैठक में ही इसका निर्णय लिया जायेगा।

उत्तर प्रदेश अष्टम विधान सभा (1982-83) की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति का तेरहवां प्रतिवेदन†

*श्री भूप सिंह केन--

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं सभापति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति उत्तर प्रदेश विधान सभा (1982-83) को उक्त समिति का तेरहवाँ प्रतिवेदन, जो दिनांक 29 व 30 दिसम्बर, 1980 में ग्राम शेखवालाग्रन्ट, तहसील रुड़की जनपद सहारनपुर में एक क्रेशर के निकट झोपड़ी में आग लग जाने से ग्राम लालवाला थाना बिहारगढ़ जनपद सहारनपुर के निवासी श्री बाबूराम हरिजन को उसके परिवार के पाँच सदस्यों सहित जल कर हुई मृत्यु की घटना से सम्बन्धित है, प्रस्तुत करता हूँ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, पुलिस के प्रति यह एक गम्भीर आरोप है। नियमों में भी व्यवस्था है कि मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में डाक्टर की जो भी रिपोर्ट लिखकर दी जायेगी। किन्तु उसकी भी उपेक्षा की गई है। शासन ने यह जानबूझकर किया है। इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि इस गम्भीर विषय पर भी आप चर्चा करा दें।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, इसके लिये भी और कोई समय निर्धारित कर दें।

श्री दीप नारायण की विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर शीघ्र निर्णय की मांग

श्री पंचानन राय--

मान्यवर, मद संख्या-7 के सम्बन्ध में एक व्यवस्था का प्रश्न है।

---

*छापा नहीं गया।

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

क्या आपने कोई नोटिस दी है?

श्री पंचानन राय--

मान्यवर, श्री दीप नारायण ने 4 मार्च को विशेषाधिकार हनन की सूचना दी थी, सम्बन्धित व्यक्ति का उत्तर भी आ गया.....

श्री अध्यक्ष--

मैं इस मामले को देख रहा हूं, आप बैठें।

श्री पंचानन राय--

मान्यवर, उनके जीवन को खतरा बना हुआ है। उनको धमकी दी गयी है कि सदन के बाहर आप जा नहीं सकते हैं। 4 तारीख को सूचना दी, उसका जवाब भी आ गया है, आप इसमें जल्दी करें।

श्री अध्यक्ष--

मैं इसमें जल्दी कर रहा हूं, आप बैठें।

गढ़वाल विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, अवध विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश महिला संस्था तथा बाल संस्था, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय तथा संजय गांधी स्नात्कोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान की सभा। बोर्ड से सम्बन्धित निर्वाचन कार्यक्रम की सूचना

श्री अध्यक्ष--

मैं सदन को सूचित करता हूँ कि--

क--गढ़वाल विश्वविद्यालय की सभा,

ख--इलाहाबाद विश्वविद्यालय की सभा,

ग--अवध विश्वविद्यालय की सभा,

घ--उत्तर प्रदेश महिला संस्था तथा बाल संस्था के प्रशासकीय बोर्ड,

ङ--चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के प्रबन्धक बोर्ड,

च--संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान से सम्बन्धित निर्वाचन के लिए नामों की वापसी हेतु दिनांक 19 मार्च, 1983, को अपरान्ह 4 बजे तक का समय नियत था। उक्त समय तक निर्वाचन हेतु--

गढ़वाल विश्वविद्यालय की सभा से--

(1) श्री शिव नारायण सिंह नेगी (नैनीताल)

(2) श्री बिहारी लाल (नैनीताल)

(3) श्री रुद्र प्रताप सिंह (देवरिया)

इलाहाबाद विश्वविद्यालय की सभा से--

(1) श्रीमती कमला साहनी (बस्ती)

(2) श्री विमल प्रसाद तिवारी (फर्रुखाबाद) तथा

(3) श्री जटा शंकर सिंह (बहराइच)

अवध विश्वविद्यालय की सभा से--

(1) (1) श्री सीताराम निषाद (फैजाबाद)

(2) श्री उमेश्वर प्रताप सिंह (गोण्डा)

(3) श्री राम जनम सिंह (वाराणसी) तथा

(4) श्री मुईद अहमद (सुल्तानपुर)

चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबन्धक बोर्ड से--

(1) श्री गंगा सागर संखवार (कानपुर)

(2) कुंवर वीरेन्द्र सिंह ढाना (मेरठ) तथा

(3) श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल (हरदोई)

उत्तर प्रदेश महिला संस्था तथा बाल संस्था के प्रशासकीय बोर्ड से--

(1) श्री शिव नारायण सिंह नेगी (नैनीताल)

(2) श्री दीपक कुमार (मुजफ्फरनगर)

(3) श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी (इलाहाबाद) तथा

(4) श्री केशव राम (बदायूं)

संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान से--

(1) श्री दयाल कृष्ण (मथुरा)

(2) श्री झग्गड़ सिंह (मेरठ)

ने अपना नाम वापस ले लिया है। इस प्रकार अब भी उक्त निकायों में निर्वाचित किये जाने वाले सदस्यों की संख्या से निर्वाचन लड़ने वाले सदस्यों की संख्या अधिक है। अतः पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मतदान दिनांक 25 मार्च, 1983 को पूर्वान्ह 10.30 बजे से अपरान्ह 5 बजे तक विधान मण्डल पुस्तकालय, विधान भवन, लखनऊ में होगा।

उक्त निर्वाचन अनुपाती प्रतिनिधित्व के सिद्धान्तानुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा किया जायगा।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

इलाहाबाद स्थित करछना तहसील की लिफ्ट नहरों के सूख जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में होने वाले वक्तव्य के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—

मद संख्या —9(क), जो इलाहाबाद स्थित करछना तहसील की लिफ्ट नहरों के सूख जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सिंचाई से सम्बन्धित है, इस सम्बन्ध में उन्होंने निवेदन किया था कि उनको शाम तक के लिये आज्ञा दे दी जाय। मैं इसको 5 बजे के बाद आज लूंगा।

झांसी नगर में वर्तमान कानून व्यवस्था के कारण शिक्षण संस्थायें तथा सम्पूर्ण झांसी और पुलिस द्वारा लाठी चार्ज किये जाने के संबंध में वक्तव्य।

*हरिजन एवं समाज कल्याण राज्य मंत्री (श्री गुलाब सेहरा)—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 26-2-83 को झांसी नगर के बुन्देलखण्ड डिग्री कालेज तथा राजकीय पालीटेकनिक के छात्रों ने एक जुलूस निकाल कर नगर की शिक्षण संस्थाओं को बन्द कराया, छात्रों द्वारा तोड़-फोड़ किये जाने की संभावना पर नगर के दुकानदारों ने अपनी दुकानें बन्द कर दी थी परन्तु जुलूस निकल जाने पर स्थिति सामान्य हो गई। छात्रों के प्रतिनिधियों ने स्थानीय कचहरी में जिलाधिकारी तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मिलकर नगर में बढ़ते हुए अपराधों की रोक थाम एवं एक लापता जूनियर इंजीनियर का पता लगाये जाने की मांग की। अधिकारियों द्वारा आश्वासन देने पर छात्र वापस चले गये। छात्रों की उपरोक्त कार्यवाही में नागरिकों अथवा किसी राजनैतिक संगठन में भाग नहीं लिया। पुलिस द्वारा कोई लाठी चार्ज नहीं किया गया अतः लाठी चार्ज से छात्रों के घायल होने का प्रश्न नहीं उठता।

झांसी नगर में श्री योगेन्द्र सिंह यादव जूनियर इंजीनियर के अपहरण (न कि हत्या) के संबंध में थाना नवाबाद पर श्री मानसिंह यादव ने धारा 364 भा0 दं0 वि0 का अभियोग 20-2-83 को पंजीकृत कराया। इस संबंध में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। विवेचना जारी है।

सेन्ट्रल बैंक झांसी की गुरसहाय शाखा के बैंक मैनेजर श्री बी0 एन0 शर्मा की हत्या के मामले में थाना नवाबाद पर अभियोग अन्तर्गत धारा 302 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत किया गया। अभियुक्तों के विरुद्ध मफरुरी में आरोप पत्र न्यायालय भेजा गया है।

श्री गोविन्द दास निवासी गणेश मढ़िया झांसी की हत्या करके सामान लूट लिये जाने के संबंध में थाना कोतवाली पर अभियोग अन्तर्गत धारा 460 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत किया गया। मामले में लगभग 85,000/= का सामान चोरी हुआ बताया गया है। इस संबंध में दो अभियुक्तों को गिरफ्तार करके उनके विरुद्ध आरोप पत्र भेजा जा चुका है। शेष अभियुक्तों की तलाश एवं सामान की बरामदगी के प्रयास जारी हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री भवनेन्द्र कंचन निवासी चतुरयाना झांसी के लापता होने की सूचना पर थाना कोतवाली पर दरयाफ्तहाल कायम किया गया। श्री भवनेन्द्र कंचन का पता चल गया है एवं चलती ट्रेन से कूद जाने के कारण उनकी टांगें कट गयी जिसके संबंध में झांसी मेडिकल कालेज में उनका इलाज चल रहा है। झांसी, ललितपुर रोड पर एक सिर विहीन धड़ के एक पुलिन्दे में लिपटे होने की सूचना पर थाना प्रेम नगर पर अभियोग अन्तर्गत धारा 302/201 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत करके विवेचना की जा रही है। झांसी में एक कुंए से आदमी की दो टांगें बरामद होने की घटना के संबंध में दरयाफ्तहाल कायम करके विवेचना की जा रही है। श्री सुनील अग्रवाल निवासी गंधीनगर का टपरा, झांसी के लापता होने की सूचना पर थाना कोतवाली पर दरयाफ्तहाल कायम करके विवेचना प्रारम्भ की गयी। बाद में यह पता लगने पर कि सुनील अग्रवाल घर पर वापस आ गया है, जाँच बन्द कर दी गई।

यह कहना सही नहीं है कि झांसी में प्रतिदिन पुलिस एवं छात्रों व जनता के मध्य छुटपुट मुठभेड़ें हो रही हैं। जनपद की अपराधिक स्थिति नियंत्रण में है। जनपद की कानून व्यवस्था की स्थिति संतोषजनक है एवं इस संबंध में जनता में कोई उत्तेजना अथवा असंतोष नहीं है और न ही शांति व्यवस्था के लिये कोई खतरा है।

*श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो वक्तव्य आज दिया है, उससे यह बात स्पष्ट हो गयी कि झांसी नगर में कानून और व्यवस्था की आज क्या हालत है और मेरे द्वारा दी गयी किसी सूचना पर भी कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया है कि किस कारण यह हत्याएं हुयीं और इनके परिणाम क्या निकले, 4-4 आदमी लापता हैं और इस मामले में अब तक किनको पकड़ा गया है ? सब पर श्रीमान जी, अभी विवेचना हो रही है और एक मामले को लेकर सूचना और दी गयी थी पत्रकार सम्मेलन में कि नियमानुसार जितने पुलिस कर्मचारी व अधिकारी होने चाहिए, संख्या उससे कम है, बल्कि आधी है परन्तु माननीय मंत्री जी इस प्रश्न की कोई जानकारी अपने वक्तव्य में नहीं दी कि उस संख्या को पूरा किया जायेगा या नहीं।

श्री अध्यक्ष--

आप स्पष्टीकरण के लिए प्रश्न कीजिए।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

मैं प्रश्न कर रहा हूँ कि जिस यादव जूनियर इंजीनियर का अपहरण हुआ था उसके पिता ने पुलिस अधीक्षक को लिखकर दिया था कि जिसकी टाँगें अलग व धड़ अलग-अलग पाये गये, उसको पहचानने के लिए मुझे अवसर दिया जाए, उस पर क्या कार्यवाही हुयी ? क्या उसके पिता को उन टाँगों एवं धड़ के शिनाख्त के लिए कोई कार्यवाही की गयी ?

श्री गुलाब सेहरा--

मान्यवर, यह तो मैंने अपने वक्तव्य में भी बताया कि दरयाफ्तहाल खोल दिया गया है, इसमें जो भी चाहे आकर देखे और शिनाख्त करें, किसी को रोक नहीं है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

जैसा कि आपने स्वयं जानकारी दी कि दो टांगें और एक धड़ प्राप्त हुआ तो इसके लिए श्री यादव, इंजीनियर के पिता ने जो पुलिस अधीक्षकों को लिखित प्रार्थना पत्र दिया था कि हमको उसे देखने का अवसर दिया जाए तो इसके लिए आपने क्या व्यवस्था की ?

श्री गुलाब सेहरा--

इसके लिए आपसे अर्ज किया कि दरयाफ्तहाल खोल दिया गया है, इसमें जो चाहे आए देखें किसी अलग व्यवस्था की इसमें आवश्यकता नहीं है ।

*श्री शंकर सिंह--

जैसा कि माननीय मंत्री जी अपने वक्तव्य में बताया कि झांसी नगर में इतने थोड़े समय में कितनी हत्याएं और अपहरण हुए ।

सरकारी अधिकारी का अपहरण हो गया, सेण्ट्रल बैंक के अधिकारी की हत्या कर दी गयी, व्यवसायी की हत्या कर दी गयी और सामान लूट लिया गया । यह सिलसिला चलता चला आ रहा है और माननीय मंत्री जी अपने वक्तव्य में फरमाते हैं कि स्थिति सामान्य है । मान्यवर, झांसी शान्तिप्रिय नगर है और वहां पर यह हत्या का सिलसिला जारी है और उसके बाद भी आप कहते हैं कि स्थिति सामान्य है, तो मंत्री जी अभी कितनी और हत्यायें और हों जब आप कहेंगे कि स्थिति सामान्य नहीं है ?

श्री गुलाब सेहरा--

श्रीमन्, यह 6 अपराधों में जो योगेन्द्र सिंह यादव का केस वर्क आउट हो गया है और व्यक्ति गिरफ्तार हो गया । सेण्ट्रल बैंक वाला मामला जो था इसमें भी अभियुक्त गिरफ्तार हो गया, कोर्ट में चार्जशीट दी गयी है । तीसरे में दो अभियुक्त गिरफ्तार किये गये हैं, सामान आदि भी मिल गया है तो कहीं पुलिस की निष्क्रियता दृष्टिगोचर नहीं होती है तो हम कैसे कहें कि पुलिस निष्क्रिय है ।

श्री अध्यक्ष--

अब श्री धनीराम वर्मा के बाद इस पर प्रश्न की इजाजत नहीं होगी काफी प्रश्न हो गये हैं ।

*श्री धनीराम वर्मा--

मान्यवर, इस वक्तव्य में कहा गया है कि गोविन्द दास गणेश मड़िया, झांसी की हत्या करके सामान लूट लिये जाने के संबंध में थाना कोतवाली पर अभियोग अन्तर्गत धारा 460 भा0 द0 वि0 पंजीकृत किया गया । मंत्री जी का कहना है कि दो अभियुक्त पकड़े गये तो उनसे कौन-कौन सामान बरामद हुए और उसका चालान कौन सी धारा में हुआ ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री गुलाब सेहरा--

श्रीमन्, जांच के दौरान चार अभियुक्तों के नाम व पते आये। जिसमें से दो गिरफ्तार किये गये। माल की बरामदगी के प्रयास किये जा रहे हैं क्योंकि उन दो व्यक्तियों की तलाश अभी जारी है।

(श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री व श्री शंकर सिंह द्वारा प्रश्न करने की आज्ञा मांगे जाने पर)

श्री अध्यक्ष--

मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूँ।

उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद द्वारा 15 मार्च से शुरू होने वाली बोर्ड की परीक्षा में सहयोग न देने के सम्बन्ध में वक्तव्य

(श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी द्वारा वक्तव्य पढ़ने के लिये खड़े होने पर)

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, यह बहुत बड़ा है इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है, पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

*शिक्षा मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)--

(उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद् ने शासन के समक्ष निम्नलिखित मांगें विचारार्थ प्रस्तुत की हैं :--

1--हाईस्कूल के प्रधानाचार्य को भी चयन वेतनमान दिया जाय।

2--समानता के आधार पर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों, प्रधानाचार्यों की भांति ही गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों, प्रधानाचार्यों को आवासीय सुविधा भत्ता प्रदान किया जाये।

3--प्रधानाचार्यों, प्रधानाध्यापकों का पे-स्केल स्पैन 12 वर्ष का तथा चयन वेतनमान 10 वर्ष की सेवा के बाद प्रदान किया जाय, क्योंकि प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य के सेवा प्रारम्भ करने की न्यूनतम आयु 30 वर्ष है तथा सामान्यत: वह 45 वर्ष की आयु में उक्त पद प्राप्त करता है। वेतन आयोग की संस्तुतियों के पूर्व प्रधानाचार्य का पे-स्केल स्पैन 16 वर्ष का था, शिक्षकों का 20 से 22 वर्ष का था शिक्षकों का स्पैन घटा दिया गया जब कि प्रधानाचार्यों का बढ़ाकर सबका 17 वर्ष कर दिया है। जबकि 30 वर्ष की न्यूनतम आयु के साथ ही साथ 4 वर्ष का शिक्षण अनुभव भी प्रधानाचार्य होने के लिये अनिवार्य है।

4--अन्य शिक्षकों की भांति प्रधानाध्यापकों, प्रधानाचार्यों को भी प्रेरणा वेतन वृद्धि प्रदान की जाये।

नोट :--( ) पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया?

5—(क) स्तरोन्नयन होने पर हाईस्कूल के प्रधानाध्यापक को स्वत: ही इण्टर कालेज के प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नति प्रदान कर दी जाये।

(ख) स्तरोन्नयन होने पर न्यूनतम अर्हता से विभूषित जूनियर हाईस्कूल के प्रधानाध्यापक को स्वत: ही हाईस्कूल के प्रधानाध्यापक पद की पदोन्नति प्रदान की जाय।

(ग) तदर्थ रूप से कार्यरत प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापकों को उक्त पदों पर स्थाई रूप से नियमित कर दिया जाय।

(घ) जिला परिषदीय माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की सेवाओं का नियमितीकरण किया जाय।

(ङ) अल्पसंख्यक विद्यालयों के कर्मचारियों को भी सेवा सुरक्षा प्रदान की जाय।

6—माध्यमिक शिक्षा परिषद में प्रधानाचार्यों को उन्हीं के मतों से प्रतिनिधित्व प्राप्त हो ऐसा संबंधित विनियमों में परिवर्तन किया जाय।

7—(क) माध्यमिक शिक्षा परिषद की परीक्षाओं में कक्ष निरीक्षकों की पारिश्रमिक वृद्धि के अनुपात से केन्द्राध्यक्षों, लिपिक तथा परिचारकों के पारिश्रमिक में वृद्धि की जाय।

(ख) कक्ष निरीक्षकों के पारिश्रमिक की भांति ही केन्द्राध्यक्षों का पारिश्रमिक भी जिले स्तर से ही भुगतान किया जाय।

8—(क) विद्यालयों के आर्थिक संसाधनों में बढ़ी मंहगाई के अनुपात में वृद्धि की जाय। छात्रनिधियों, अनुपालन निधि, अनुदान तथा क्षतिपूर्ति आदि का मूल्य सूचकांक के आधार पर मानकीकरण किया जाय।

(ख) वर्तमान वेतन तथा पेंशन वितरण प्रणाली का सरलीकरण किया जाय। (मासिक अनुदान की प्रथा समाप्त की जाय तथा बैंक कलेक्शन चार्जेज का कमीशन का भुगतान शासन करे, पेंशन को वेतन के साथ जोड़ दिया जाय।

9—विद्यालयों के सभी कर्मचारियों के मानकों का नवीन पाठ्यक्रम तथा वर्तमान आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में पुनर्निधारण किया जाय। इस संबंध में प्रस्ताव उप सचिव, शिक्षा (8) को भेजा जा चुका है।

10—(क) सभी वर्गों के शैक्षिक कर्मचारियों के लिये आचार संहिता का निर्माण किया जाय (संसद द्वारा पारित दिल्ली प्रदेश में लागू आचार संहिता को उत्तर प्रदेश में भी लागू करने के लिये प्रधानाचार्य परिषद का प्रस्ताव उप शिक्षा निदेशक, लखनऊ के माध्यम से भेजा जा चुका है)

(ख) विधायक चुन लिये जाने के बाद उक्त अवधि के लिये शिक्षकों के स्थान पर अस्थाई अध्यापक प्रदान किये जायं।

11—(क) विद्यालय के आन्तरिक प्रशासन में पूर्व से प्राप्त प्रवेश, प्रोन्नति, समय-सारिणी, कार्य विभाजन, शैक्षिक नियोजन आदि संबंधी प्रधानाचार्य की स्वायत्ता में हस्तक्षेप समाप्त किया जाय।

(ख) छात्रों से भी अधिक विद्यालय कर्मचारियों में बढ़ती हुई अनुशासनहीनता घेराव अति तुच्छ कारणों पर कक्षा बहिष्कार, जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालयों में भी शिक्षक नेताओं द्वारा हिंसात्मक कार्यवाही, शिक्षा कार्य के प्रति उदासीनता आदि के परिप्रेक्ष्य में शैक्षिक प्रशासन की डूबती नैय्या को बचाने के लिये अविलम्ब समस्त सेवाओं का प्रान्तीयकरण कर उन्हें स्थानान्तरण योग्य बना दिया जाय।

2--उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद की उक्त माँगों के संबंध में शासन स्तर पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जा रहा है। इनमें से कतिपय माँगों पर शीघ्र ही निर्णय लिये जाने की संभावना है। अन्य प्रमुख माँगों पर भी कार्यवाही की जा रही है। आशा है उन पर भी यथाशीघ्र निर्णय हो सकेगा। प्रदेश के व्यापक हित में विशेष रूप से आज-कल चल रही हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट 1983 परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुये उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद से यह अपील की गई कि उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद को कोई भी इस प्रकार की कार्यवाही नहीं करनी चाहिये जिससे शिक्षा, परीक्षाओं आदि की सामान्य व्यवस्था में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न हो।

3--यह हर्ष का विषय है कि उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद ने उक्त अपील का सम्मान करते हुये 1983 की बोर्ड की परीक्षाओं का बहिष्कार करने का असहयोग आन्दोलन दिनांक, 11 मार्च 1983 को स्थगित कर दिया है। उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद ने समस्त प्रधानाचार्यों से यह आग्रह भी किया है कि वे बोर्ड की परीक्षाओं का सुचारु रूप से संचालन करें ताकि परीक्षाओं की पवित्रता, गोपनीयता तथा विश्वसनीयता बनी रहे। सम्प्रति बोर्ड की परीक्षायें निर्विघ्न रूप से सम्पन्न हो रही हैं।

(श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री शंकर सिंह के बार-बार बोलने के प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष--

आप लोग कृपा करके बैठें, देखिये मैंने अब दूसरी मद ले ली है।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

यह तो आप मौके पर बात ही नहीं कहने देते।

श्री अध्यक्ष--

अब हमने आगे की मद ले ली है। आप मेरे कक्ष में आयें, मैं मंत्री जी को भी बुला लूँगा उसके बाद बात कर लेंगे।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

झांसी नगर की कानून व्यवस्था सामान्य नहीं है। मैंने इस संबंध में एक लिखित पत्र दिया था और आपने उस पर मंत्री जी से वक्तव्य दिलाया और इस वक्तव्य में हर चीज की विवेचना ही हो रही है। मैं एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जब आपने मुझे पूछने का मौका दिया तो अब रोक रहे है, इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---

अगर आप लोग इस प्रकार से परिपाटी डालेंगे तो कोई कार्य नहीं हो पायेगा। आप मेरी बात को सुनें। आप मेरे पास मेरे कक्ष में आ जायं मैं मंत्री जी को भी बुलाता हूं, उसके बाद में आपकी शंका का निवारण हो जायेगा।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री---

आपका संरक्षण मुझे प्राप्त नहीं हो रहा है। श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री शंकर सिंह व श्री दलगंजन सिंह ने वक्तव्य की प्रतियां फाड़कर सदन के फ्लोर पर फेंकी)।

श्री अध्यक्ष---

कृपया आप अपने स्थान पर बैठें। मैं इसकी आज्ञा नहीं देता हूं।

श्री बदन सिंह---

मैं इसके विरोध में सदन का त्याग करता हूं।

(बदन सिंह, श्री शंकर सिंह, श्री दलगंजन सिंह तथा श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री सदन त्याग कर चले गये।)

(व्यवधान)

*श्री धनीराम वर्मा---

मैं इसके विरोध में सदन का त्याग करता हूं।

(श्री धनीराम वर्मा तथा श्री कुबेर भंडारी भी सदन त्याग कर चले गये)।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान उनके वक्तव्य के पृष्ठ 3 के अनुच्छेद 2 की ओर दिलाना चाहता हूं, जिसमें लिखा है कि उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद की उक्त मांगों के सम्बन्ध में शासन स्तर पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जा रहा है। इसमें कतिपय मांगों पर शीघ्र ही निर्णय लिए जाने की संभावना है। अन्य प्रमुख मांगों पर भी कार्यवाही की जा रही है। तो मैं माननीय मंत्री जी से स्पष्ट जानना चाहता हूं कि कौन सी मांगें हैं जिन पर विचार किया जा रहा है और कौन सी मांगें हैं जिन पर कार्यवाही की जा रही है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी---

मैंने अपने वक्तव्य में ही लिख दिया है कि कुछ मांगों पर हम सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रहे हैं। उनको पहले से बताना उचित नहीं है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

मान्यवर, मेरा स्पष्ट प्रश्न है कि कौन-कौन सी ऐसी मांगें हैं जिन पर विचार किया जा रहा है और कौन सी मांगें हैं जिन पर कार्यवाही की जा रही है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी---

मान्यवर सभी मांगों पर हम लोग विचार कर रहे हैं जिन मांगों पर निर्णय ले लिया जायेगा उनको प्रसारित कर दिया जायेगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री गौरी शंकर भैय्या--

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि.....

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, तीन बार सवाल किया जा चुका है। और तीनों सवाल यही हैं कि कौन कौन सी ऐसी मांगें हैं जिन पर विचार किया जा रहा है कौन सी ऐसी मांगें हैं जिन पर कार्यवाही की जा रही है ? जब तक इसका उत्तर नहीं आता है तब तक हम लोग हैमर करते रहेंगे।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सभी मांगों पर विचार कर रहे हैं। यथाशीघ्र कार्यवाही की जायेगी।

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य पूछ रहे हैं कि कौन कौन सी मांगें हैं जिन पर निर्णय ले लिया है। सूचना हो तो बता दें।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सब पर विचार किया जा रहा है।

श्री गौरी शंकर भैय्या--

प्रधानाचार्य परिषद ने आपके साथ शराफत का परिचय दिया है, तो मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकार भी शराफत का परिचय देगी और इस सदन में घोषणा करेगी कि कौन कौन सी मांगें हैं, जिनको सरकार पूरा करने जा रही है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, हमारे माननीय मुख्य मंत्री श्री श्रीपति मिश्र के नेतृत्व में हमारी सरकार हमारे प्रधानाचार्यों के प्रति न्याय तथा सहानुभूतिपूर्वक कार्यवाही कर रही है और करेगी। आज प्रधानाचार्यों ने अपना आन्दोलन वापस ले लिया है और मुझे खुशी है कि हमारे लगभग 12 लाख छात्र-छात्राओं की परीक्षायें शांतिपूर्ण वातावरण में सम्पन्न हो रही हैं।

श्री गौरी शंकर भैय्या--

मान्यवर, मैं सवाल पूछना चाहता हूं किन्तु किसी भी सवाल का जवाब नहीं आ रहा है। वक्तव्य जो मंत्री जी ने दिया उसे पढ़ा हुआ मान लिया गया। मैंने निवेदन किया था कि जिस शराफत का परिचय प्रधानाचार्यों ने दिया है क्या आप भी उसी शराफत का परिचय देते हुये जो 20/25 मांगें उनकी हैं उन्हें तत्काल मान लेने के विषय में आज सदन में घोषणा करेंगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, हमारी सरकार ने हमेशा शराफत का परिचय दिया है और हमेशा देगी।

(व्यवधान)

(विरोध पक्ष के कई सदस्य खड़े होकर एक साथ बोलने लगे।)

*श्री मोतीलाल देहलवी---

मान्यवर, आपको भलीभांति स्मरण होगा कि माननीय शिक्षा मंत्री इस सदन में सदैव मूल प्रश्न को टालने का प्रयत्न करती हैं। पिछली बार भी माननीया शिक्षा मंत्री जब गृह मंत्री थीं तो इसी प्रकार के अनर्गल उत्तरों की वजह से हम लोगों ने सदन का बहिष्कार किया था और मजबूर होकर हमें ऐसा करना पड़ता था। मैं आपसे यह व्यवस्था चाहूंगा कि माननीय सदस्य वक्तव्य के तहत जो कुछ जानना चाहते हैं और स्पष्टीकरण चाहते हैं तो क्या माननीय सदस्यों को यह अधिकार नहीं है कि उन्हें उसका सही उत्तर मिले ?

श्री अध्यक्ष---

यह बात सही है कि उनका अधिकार है और माननीय मंत्री जी को भी उसी के अनुसार उत्तर देना चाहिए।

*श्री राम गोविन्द---

मैं शिक्षा मंत्री से जानना चाहता हूं कि वक्तव्य में जो मांग संख्या 5 (क) और (ख) है उसके अनुसार हाई स्कूल में जो प्रिंसिपल हैं वह स्कूल जब इण्टरमीडियेट हो जायेगा तो वे स्वत: ही प्रिंसिपल बन जायेंगे जब कि जो जूनियर हाई स्कूल है और जब तक वे रिकाग्नाइज नहीं होते हैं तो उनको हाईस्कूल करने पर उनके प्रधानाध्यापकों को प्रिंसिपल नहीं बनाया जाता है, दूसरे लोगों को बना दिया जाता है। वे लोग बड़ी मेहनत और दौड़धूप करके कठिन परिश्रम से उसके लिये कार्य करते हैं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि उनकी मेहनत और योग्यता को देखते हुये क्या माननीया शिक्षा मंत्री यह व्यवस्था करेंगे कि जूनिपर हाईस्कूल के मास्टरों को उस स्कूल के हाई स्कूल होने पर उन्हीं को प्रिंसिपल बनाने पर विचार करके उन्हें नियुक्त करेंगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी---

मान्यवर, ये जितने भी प्रश्न हैं, वे सब विचाराधीन हैं और मुझे आपकी आज्ञा से यह निवेदन करना है कि प्रश्नों का जो उत्तर है वह हमेशा सही-सही दिया जाता है। उनकी कुछ समस्यायें हैं। मैं कैसे कह दूं कि इस सम्बन्ध में निर्णय ले लिया गया।

*श्री प्रभू नारायण सिंह---

मैं प्रधानाचार्य हूं, कुछ तो जान लूं।

श्री पंचानन राय---

माननीया मंत्री जी ने वक्तव्य में कहा है कि प्रधानाचार्यों ने 11 मार्च को अपना आन्दोलन स्थगित कर दिया। मैं जानना चाहता हूं कि माध्यमिक शिक्षा परिषद की परीक्षाओं के प्रश्न-पत्र 10 मार्च को ही उनके पास पहुंच गये थे तो अपने आन्दोलन के फलस्वरूप कितने विद्यालयों के प्रधानाचार्यों के प्रश्न पत्रों के थैले लेने से इन्कार कर दिया था ?

(समय 1 बजे अपरान्ह)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, किसी प्रधानाचार्य ने थैला लेने से इनकार कर दिया हो इसकी सूचना मेरे पास नहीं पहुंची है।

श्री प्रभूनारायण सिंह --

मान्यवर, जनपद जौनपुर में इसी प्रधानाचार्य परिषद ने अधिकारियों से मिलकर मेरे केन्द्र को अवैधानिकरूप से परीक्षा प्रारम्भ होने के 24 घंटे पहले परिवर्तित कर दिया। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह वही प्रधानाचार्य परिषद है जो इस तरह से अधिकारियों से मिल कर अवैधानिक कार्य करवाती है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, इसकी मेरे पास कोई सूचना नहीं है।

*श्री रुद्र प्रताप सिंह--

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जैसे हाईस्कूल का प्रिंसिपल जब इंटरमीडियेट स्कूल हो जाता है तो उसका प्रधानाचार्य हो जाता है उसी तारतम्य में जब जूनियर हाईस्कूल हाईस्कूल हो जाय तो जूनियर हाईस्कूल का हैडमास्टर हाईस्कूल का प्रधानाचार्य हो जाय केवल एक मांग मानने की स्थिति में वह हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, यह एक व्यापक प्रश्न है। एक जूनियर हाईस्कूल का प्रधानाचार्य हाईस्कूल का प्रधानाचार्य हो जाय। इन दोनों के स्तर में बड़ा अंतर है। यह बड़ा व्यापक प्रश्न है जैसे कोई हाईस्कूल में पढ़ा रहा हो और वह एम0 ए0 हो जाय तो उसे विश्वविद्यालय में सर्विस मिल जाय उसी प्रकार का यह व्यापक प्रश्न है। (व्यवधान)

श्री पंचानन राय--

क्या मांग नंबर एक पूरी हो गयी है, क्या चयन वेतनमान दे दिया गया है (व्यवधान)

श्री रुद्र प्रताप सिंह--

यह कभी सही उत्तर नहीं देती हैं (व्यवधान) मैं इसके विरोध में सदन का त्याग करता हूं (श्री रुद्र प्रताप सिंह व्यवधान के मध्य वक्तव्य की प्रति फाड़ कर सदन के फ्लोर पर फेंकी और सदन त्याग न कर अपने स्थान में बैठ गये।) (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप शांत रहें माननीय धनीराम वर्मा मैं आपको आज्ञा नहीं दे रहा हूं। मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं।

श्री रुद्र प्रताप सिंह--×××

श्री अध्यक्ष--

मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं। श्री रुद्र प्रताप सिंह जो बोल रहे हैं नहीं लिखा जायेगा।

नोट :--(×××) यह अंश भी अध्यक्ष के आदेशानुसार निकाल दिया गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं। कृपया आप बैठें श्री धनीराम जी आप भी बैठें। कृपया शांत रहें। (व्यवधान)

(श्री रुद्रप्रताप सिंह सदन त्याग कर चले गये)

मेरी बात आप लोग सुनें। जब इस प्रकार के प्रश्न आते हैं स्पष्टीकरण इत्यादि के लिए यहां परिपाटी रही है पुरानी रूलिंग आप देखें मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करा सकता हूं उनसे कह सकता हूं। लेकिन किसी प्रश्न का सही उत्तर देने के लिए किस प्रकार का उत्तर आना चाहिये जिसे कि माननीय सदस्य चाहते हैं उसके लिए मैं शासन को बाध्य नहीं कर सकता हूँ। (व्यवधान)

*श्री दलगंजन सिंह--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री धनीराम वर्मा--

मान्यवर, फिर सदन नहीं चलेगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

(श्री धनीराम वर्मा का नाम पुकारे जाने पर) माननीय दलगंजन सिंह आप बैठें मैंने धनीराम वर्मा का नाम पुकार लिया है।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

मान्यवर, एक बात सुन लें।

श्री दलगंजन सिंह--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न सुन लें।

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया बैठें, मैंने श्री धनीराम वर्मा को पुकार लिया है। आपकी बाद में सुनूंगा।

*श्री धनीराम वर्मा--

अभी माननीय शिक्षा मंत्री ने कहा जूनियर हाईस्कूल और हाईस्कूल के प्रधानाचार्य की योग्यता में बहुत बड़ा अंतर है इसलिए यह संभव नहीं हो सकता है। जूनियर हाई-स्कूल जब रेज होकर हाईस्कूल हो जाय तो उसका हैडमास्टर प्रधानाचार्य नहीं हो सकता है क्योंकि उसकी योग्यता में बहुत विभिन्नता है।

मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूं कि यदि जूनियर हाई स्कूल का प्रधानाध्यापक यदि उसका विद्यालय हाई स्कूल तक हो जाता है, और हाई स्कूल का प्रधानाध्यापक यदि उसका विद्यालय इंटरमीडिएट तक है या हो जाता है, और यदि शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित सभी योग्यतायें उसमें निहित हैं, तो क्या शिक्षा मंत्री जी ऐसे प्रधानाध्यापकों को प्रोमोशन देंगी ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, एक यह प्रश्न है कि मैंने कभी नहीं कहा कि जूनियर हाई स्कूल का जो प्रधानाध्यापक है चूंकि जूनियर हाई स्कूल का है इसलिये हाई स्कूल का नहीं हो सकता है।

*श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, मैं आपको नियम 56 के अन्तर्गत सूचना देता हूं। आप शासन को निर्देश देते हैं कि आप इस पर वक्तव्य दें। और जो यह वक्तव्य देते हैं उसकी सूचना आपके पास आती है और जो नियम 56 में हम आपको सूचना देते हैं वह आपके पास होती है। तो शासन का जो वक्तव्य है वह बिल्कुल झूठा है और हमारी दी गयी सूचना के विपरीत रहता है। यदि श्रीमन्, मुझे स्पष्टीकरण के लिये समय नहीं मिलेगा, आप संरक्षण नहीं देंगे, तो यह सरकार अत्याचार कराकर जनता को पीस देगी, इसलिये मैं आपको सही जानकारी देना चाहता हूँ कि झांसी के संबंध में जो वक्तव्य दिया है, मैं व्यवस्था चाहता हूं कि हमारी सूचना को और उनके वक्तव्य को देखें, और यदि आप संतुष्ट हो जायें तो हम संतुष्ट हैं अन्यथा हम संतुष्ट नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष--

यह कोई व्यवस्था का सवाल नहीं है। मैंने निवेदन किया था कि आप और मंत्री जी को अपने कक्ष में मैं बुलाऊंगा और विचार कर लें तो यदि आप संतुष्ट नहीं होंगे तो विचार किया जायेगा।

श्री दलगंजन सिंह--

व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, वक्तव्य से सदन में अव्यवस्था फैलती है। और आपको अधिकार है कि जो सदस्य यहां अव्यवस्था पैदा करेंगे उनको सदन से निष्कासित किया जायेगा, इसलिये मंत्री जी के उत्तर से जो अव्यवस्था फैलती है तो क्या उनको सदन से मार्शल द्वारा निष्कासित किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष--

इसकी मैं आज्ञा नहीं देता हूं, आप बैठ जायं। आप लोगों को नियमों का पालन करना चाहिये। वक्तव्य से यदि संतुष्ट नहीं हैं तो लिखित रूप से चर्चा के लिये कहें तो विचार के बाद हो सकता है कि चर्चा करायी जाय, इसलिये नियमों को आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिये।

श्री गौरी शंकर भैय्या--

मान्यवर, मंत्री जी के वक्तव्य के पृष्ठ 2 के 10-(ख) में लिखा है कि "विधायक चुन लिये जाने के बाद उक्त अवधि के लिये शिक्षकों के स्थान पर अस्थायी अध्यापक प्रदान किये जायं।" मान्यवर, विधान परिषद में एक नियम है कि वहां जो चुनकर आता है वह विधान परिषद का वेतन और स्कूल का वेतन लेता है, उसको देखकर विधान सभा में भी यह दोनों वेतन लेता है तो मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी इस दिशा में स्पष्ट नियम बनायेंगी कि एक जगह वेतन लें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न करें।

श्री गौरी शंकर भैय्या--

जो एम0 एल0 ए0 हो जाते हैं तो उनके स्थान पर स्थायी रूप से अध्यापकों को नियुक्त करने और जो एम0 एल0 ए0 चुन लिए जाते हैं उनको एक जगह से वेतन लेने के संबंध में क्या मंत्री जी नियम बनायेंगी।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

यह प्रश्न दोहरा दें।

श्री गौरी शंकर भैय्या--

मान्यवर, मैं शिक्षा मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि वह सब प्रधान अध्यापक हैं, इसमें एक मांग है, जो एम0 एल0 ए0 चुन लिए जाते हैं, उनके स्थान पर अस्थायी तौर पर अध्यापक चुनने का, तो यह दोनों जगह तनख्वाह लेते हैं, तो क्या आप इन दोनों मांगों को मानने का कष्ट करेंगी और यह व्यवस्था करेंगी कि यह एक ही स्थान की तनख्वाह लें? शिक्षा मंत्री खुद एक जगह अध्यापक हैं, तो इस पर शासन क्या कार्यवाही कर रहा है?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, अभी मैंने निवेदन किया कि जितनी भी इनकी समस्याएं हैं, वह शासन के विचाराधीन हैं।

बाराबंकी जिले के सरस्वती जयन्ती हायर सेकेण्डरी विद्यालय के सी0 टी0 ग्रेड के अध्यापक श्री शेर बहादुर सिंह की आमरण अनशन के कारण मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य

(मंत्री जी के वक्तव्य पढ़ने हेतु खड़े होने पर)

श्री विद्यासागर नौटियाल--

मान्यवर, इसे देख लिया है, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

शिक्षा मंत्री (श्रीमती स्वरूपकुमारी बख्शी) --

(स्व0 श्री शेर बहादुर सिंह, श्री सरस्वती जयन्ती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, त्रिवेदीगंज, बाराबंकी में सी0 टी0 वेतनक्रम में कला अध्यापक थे। स्व0 श्री सिंह जुलाई, 1982 में बीमार पड़े और वे 5-7-1982 से 21-9-1982 तक चिकित्सा अवकाश पर रहे। स्वस्थ्य होने पर विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने गये, तो उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं करने दिया गया, क्योंकि उन्होंने चिकित्सा एवं स्वस्थता प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां न प्रस्तुत करके उनकी फोटोस्टेट प्रतियां प्रस्तुत की थीं, जो विद्यालय के अधिकारियों को मान्य नहीं थीं। स्व0 श्री सिंह ने इस मामले की सूचना जिला विद्यालय निरीक्षक, बाराबंकी को अपने पत्र दिनांक 6-11-1982 द्वारा दी। फिर अपने पत्र दिनांक 19-11-1982 में आमरण अनशन की नोटिस दी। इस पर जिला विद्यालय निरीक्षक, बाराबंकी ने 1-12-1982 को

उन्हें सूचित किया कि उनके प्रकरण में संबंधित विद्यालय के प्रबन्धक को चिकित्सीय अवकाश स्वीकृत करने और उनको कार्यभार ग्रहण कराने हेतु लिखा जा चुका है। इसलिये वे अनशन की बात छोड़ दें।

2––स्व0 श्री सिंह को चिकित्सीय अवकाश प्रबन्धक ने स्वीकृत नहीं किया। दिनांक 3-12-1982 को स्व0 श्री सिंह ने जिला विद्यालय निरीक्षक, बाराबंकी को फिर प्रार्थना पत्र दिया, कि उनके प्रकरण का शीघ्र निस्तारण किया जाय, जिस पर जिला विद्यालय निरीक्षक ने दिनांक 3-12-1982 को पुन: प्रबन्धक को लिखा कि स्व0 श्री सिंह से चिकित्सक द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र प्राप्त कर नियमानुसार अवकाश स्वीकृत करने की कार्यवाही सम्पादित करते हुये वेतन बिल प्रेषित करें और उन्हें कार्यभार भी ग्रहण करायें। साथ ही साथ स्व0 श्री सिंह को भी मूल रूप में मेडिकल सर्टिफिकेट प्रधानाचार्य को देने और विद्यालय उपस्थित होकर कार्य करने के लिये कहा गया। किन्तु स्व0 श्री सिंह दिसम्बर, 1982 तथा जनवरी, 1983 के महीनों में जिला विद्यालय निरीक्षक को ही पत्र लिखते रहे कि वे चिकित्सीय अवकाश स्वीकृत कराये और वेतन दिलायें। दिनांक 1-2-1983 को उन्होंने जिला विद्यालय निरीक्षक को आमरण अनशन की नोटिस पुन: दी। इस पर जिला विद्यालय निरीक्षक ने श्री फैयाज अहमद रिजवी, सहायक पर्यवेक्षक को 1-2-1983 को निर्देश दिया कि 2-2-1983 को वे विद्यालय में उपस्थित होकर स्व0 श्री सिंह को कार्यभार ग्रहण करायें। यथानुसार सहायक पर्यवेक्षक ने उन्हें विद्यालय में 2-2-1983 को कार्यभार ग्रहण करा दिया। किन्तु यह विवादित रहा। दिनांक 4-3-1983 को जिला विद्यालय निरीक्षक से 5-7-1982 से 22-9-1982 तक का वेतन दिलाने का अनुरोध स्व0 श्री सिंह ने किया और एक दूसरा पत्र भी दिया, जिसमें उन्होंने 4-3-1983 से अनशन पर होने की सूचना दी। इस पर जिला विद्यालय निरीक्षक ने 5-3-1983 को प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को वेतन भुगतान हेतु लिखा। स्व0 श्री सिंह के वेतन भुगतान के संबंध में जिला विद्यालय निरीक्षक ने 5-3-1983 को यह भी लिखा कि उनका अवशेष वेतन फरवरी, 1983 के अन्य अध्यापकों एवं कर्मचारियों के वेतन बिल के साथ प्रस्तुत किया जाय, अन्यथा वेतन भुगतान अधिनियम के अन्तर्गत इसका भुगतान करा दिया जायेगा और उसका पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धाधिकरण का होगा।

3––दिनांक 6-3-1983 को जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में परीक्षा संबंधी कार्य हो रहा था। स्व0 श्री सिंह कार्यालय में ही बाहर बैठे थे। लगभग 12 बजे दिन में स्व0 श्री सिंह को पक्षाघात का दौरा हुआ। जिला विद्यालय निरीक्षक ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को इसकी सूचना दी और स्व0 श्री सिंह को जिला सरकारी अस्पताल ले गये और उन्हें वहां भर्ती कराया तथा उनकी देख रेख के लिये समुचित व्यवस्था भी सुनिश्चित करा दी। दिनांक 7-3-1983 को अपने कार्यालय के श्री हौसला प्रसाद सिंह, कृषि अध्यापक को स्व0 श्री सिंह के घर वालों को जानकारी देने हेतु त्रिवेदीगंज भेजा तथा विद्यालय के प्रधानाचार्य को भी सूचना भेजी। उन्होंने वापस आकर बताया कि स्व0 श्री सिंह का कोई संबंधी त्रिवेदीगंज में नहीं रहता है। स्व0 श्री सिंह की दशा में सुधार न हो सका और उनकी 10-3-1983 को रात्रि 8 बजकर 10 मिनट पर मृत्यु हो गयी। जिला विद्यालय निरीक्षक सूचना मिलते ही अपने कुछ अन्य कर्मचारियों सहित अस्पताल गये। मुख्य चिकि-

नोट :––( ) पढ़ा हुआ माना गया।

त्सा अधिकारी ने स्व0 श्री सिंह के शव को शवगृह में रखवा दिया। दूसरे दिन 11-3-1983 को कुछ अध्यापकगण शव प्राप्त करने के लिये जिलाधिकारी, बाराबंकी से मिले, क्योंकि उनका यह कहना था कि स्व0 श्री सिंह का कोई वारिश नहीं है। इनमें से श्री कैलाश नारायण तिवारी एवं श्री विनय भूषण घोष प्रमुख थे। लखनऊ से श्री ओम प्रकाश शर्मा भी आ गये थे किन्तु जिलाधिकारी ने स्व0 श्री सिंह के शव को उनके संबंधियों को ही दिये जाने का निर्देश दिया।

4---स्व0 श्री सिंह के शव का पोस्टमार्टम दिनांक 11-3-1983 को किया गया, जिससे यह मालूम हुआ कि उनकी मृत्यु कोमा तथा सेरिबरल थ्राम्बोसिस से हुई है। तदुपरान्त स्व0 श्री सिंह के शव को उनके मूल निवास ग्राम थाना-नगराम को पुलिस संरक्षण में ले जाया गया और वहां उनके वरवालों के न मिलने पर पुन: शव को ग्राम जमालपुर ददरी, पोस्ट करोरा, तहसील-मोहनलालगंज, जिला लखनऊ ले जाया गया। वहां उनके वरवालों द्वारा अंतिम संस्कार किया गया। दाह संस्कार के समय स्व0 श्री सिंह के पिता श्री रामपाल सिंह तथा उनके बहनोई श्री रामेश्वर सिंह तथा उनके भतीजे श्री माधव सिंह आदि मौजूद थे। शव के साथ शिक्षा विभाग के उप विद्यालय निरीक्षक श्री रमाकान्त अस्थाना तथा कुछ कर्मचारी भी गये थे।

5---अध्यापक कल्याण कोष से मृतक श्री सिंह की माता श्रीमती यशोदा को एक हजार रुपया दिया गया है।

6---जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में उक्त विद्यालय का मास फरवरी, 1983 का वेतन बिल जब दिनांक 8-3-1983 को प्राप्त हुआ, तो उसमें स्व0 श्री सिंह का वेतन नहीं लगा था। अत: जिला विद्यालय निरीक्षक ने 24-9-1983 से 31-1-1983 तक का उनका वेतन रु0 2803.25 उनके बैंक खाते में चेक द्वारा 9-3-1983 को भेज दिया।

*श्री पंचानन राय---

मान्यवर, स्व0 शेरबहादुर सिंह, इस भारत की धरती पर दूसरे व्यक्ति हैं जो अनशन करते हुए मारे गये। इससे गम्भीर घटना और हो नहीं सकती है। इतने अच्छे अध्यापक थे कि दो मिनट किसी को ध्यान से देखने के बाद उसकी आकृति बना देते थे और उच्चकोटि के कवि थे। इन्होंने अपने वक्तव्य में कहा है कि 9-3-83 को उनको वेतन दिया गया, 10 तारीख को यह मर गये, बैंक में 11 तारीख को गया है। उसमें कोई बैंक-डेटिंग हो नहीं सकती थी। पूरे स्टेटमेंट को व्यवस्थित करने की चेष्टा की गई है, जैसे सब उन्हीं की गलती थी। मैं यह जानना चाहता हूं कि या तो उनका वेतन देय नहीं था और यदि 2803.25 रु0 देय था तो इससे गम्भीर घटना और हो नहीं सकती है कि एक व्यक्ति को 6 माह से वेतन नहीं दिया गया है और विवश होकर वह जिला विद्यालय निरीक्षक के सामने अनशन करते हुए मारे गये, तो जो लोग इस बात के लिए---उनकी मौत के लिए उत्तरदायी हैं, उनके विरुद्ध क्या कोतवाली बाराबंकी में कोई एफ0 आई0 आर0 धारा 302 में दर्ज कराई गई है? और उस रिपोर्ट के प्रमुख विन्दु क्या हैं?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, 302 की कोई एफ0 आई0 आर0 दर्ज कराई गई, इसकी कोई सूचना नहीं है।

श्री पंचानन राय--

मान्यवर, मैं यह सूचना दे रहा हूं, श्री कैलाश नारायण तिवारी जो माध्यमिक शिक्षक संघ, बाराबंकी के अध्यक्ष हैं, ने 302 की एक एफ0 आई0 आर0 उनके खिलाफ दर्ज कराई है, जिनके कारण उनकी मृत्यु हुई है, उनको मरना पड़ा है। मंत्री जी को इस घटना की भी जानकारी नहीं है जबकि वह 10 तारीख को मारे गये और 21 तारीख को यह वक्तव्य दिया जा रहा है।

तो मान्यवर, इससे ज्यादा तो कोई दुःखद प्रकरण हो नहीं सकता। मैं यह मान्यवर, जानना चाहता हूं कि किस नियम के अन्तर्गत उनका वेतन बाकी रखा गया और अनशन करते समय जब वह मर गये, तो जो लोग इसके लिए उत्तरदायी हैं, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, एक बात तो यह है कि यह वेतन देने के संबंध में जिला विद्यालय निरीक्षक ने प्रबन्धक महोदय को कई बार लिखा, और प्रबन्धक महोदय ने हर बार यह जवाब दिया, एक पत्र में तो यही कहा कि क्योंकि यह स्वर्गीय श्री सिंह ने अपना असली मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं दिया है, केवल उसका एक फोटोस्टेट दिया है, इसलिए वह मान्य नहीं है, असली दें। दूसरे पत्र में उन्होंने इस बात का एतराज किया कि स्वर्गीय सिंह लखनऊ बलरामपुर अस्पताल में भर्ती थे, और कई दिन वहां पर उनका इलाज हुआ, वहां पर उनको दवाई दी गयी, तो यह मेडिकल सर्टिफिकेट और फिटनेस सर्टिफिकेट बलरामपुर अस्पताल का होना चाहिए था, जो नहीं था और जो फिटनेस सर्टिफिकेट और मेडिकल सर्टिफिकेट उन्होंने दिया था, वह त्रिवेदीगंज के चिकित्सालय का सर्टिफिकेट था। इसके संबंध में जिला विद्यालय निरीक्षक और प्रबन्धक के बीच हुई, उन्होंने कहा कि फरवरी की तनख्वाह के साथ ही स्वर्गीय सिंह का पूरा बिल बना कर लायें और उसमें उनका वेतन दिखायें। मान्यवर, फरवरी का जब उन्होंने बिल दिया, तो उसमें स्वर्गीय सिंह का जब वेतन नहीं लगाया गया था, तो उन्होंने एकल परिचालन के अन्तर्गत 9 तारीख को चेक काटा, 10 को रजिस्टर्ड पोस्ट से वहां पर भेज दिया गया।

*श्री प्रभू नारायण सिंह--

मान्यवर, यह माननीय शिक्षा मंत्री जी के बयान से स्पष्ट होता है कि शिक्षक अपने प्रबन्ध तंत्र से प्रताड़ित था, इसलिए उसने अपनी मेडिकल सर्टिफिकेट और फिटनेस सर्टिफिकेट की फोटो स्टेट कापी दी, वह ओरिजिनल सर्टिफिकेट अपने उच्च अधिकारी को देता। मान्यवर, वह शिक्षक अपने वेतन के संबंध में दिनांक 6-11-82 से पत्र लिखना शुरू किया और 1-2-83 तक लिखता रहा। तो मैं माननीया शिक्षा मंत्री जी से यह मान्यवर, जानना चाहता हूं कि उस विद्यालय का एकल परिपालन न करके उस अध्यापक का वेतन क्यों नहीं दिया गया ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, वाकई में यह स्थिति बड़ी गम्भीर है। मुझे बड़ा दुःख है कि एक अध्यापक जिनको 6 तारीख को पक्षाघात हुआ और जिस दिन पक्षाघात हुआ, वह डी0 आई0 ओ0 एस0 के दफ्तर में हुआ, उस समय उनको अस्पताल में भर्ती किया गया और 10 तारीख को उनका स्वर्गवास हो गया। मान्यवर, हम और पूरा शासन दुःखी है। मान्यवर, मुझे बड़ा दुःख है कि ऐसी दुर्घटना हुई है। मान्यवर, मैं आपको इतमीनान दिलाती हूं कि इसकी जांच करायी जायगी और जो भी दोषी होगा, उसके खिलाफ कार्यवाही की जायगी।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, यह पूरा बयान जो माननीय मंत्री जी ने दिया है, मान्यवर, इससे शासन की हृदयहीनता का दूसरा उदाहरण नहीं हो सकता। मान्यवर, मंत्री जी यह कह रही हैं कि जांच की जायगी। मान्यवर, मैं माननीया मंत्री जी का ध्यान उनके बयान की अंतिम पंक्ति की ओर दिलाना चाहता हूं। मान्यवर, इसमें लिखा है कि उनका वेतन रु0 2803.25 उनके बैंक खाते में चेक द्वारा 9-3-83 को भेज दिया। मान्यवर, उस अध्यापक को वेतन दे दिया गया। इसका मतलब कि वह वेतन पाने के लिए सब तरह से सक्षम था और जिला विद्यालय निरीक्षक ने उस विद्यालय को निर्देशित किया था कि उसका पेमेंट कर दिया जाय।

मान्यवर, यह भी माननीय शिक्षा मंत्री जी को जानकारी होनी चाहिये कि जिला विद्यालय निरीक्षक को अधिकार है कि वह अगर पे बिल बनकर आता है, अगर वह सहमत नहीं हैं तो पे बिल बदल कर एकल संचालन पद्धति से चेक काट सकते हैं। जो काम उन्होंने इस तिथि को किया वह काम पहले भी किया जा सकता था। वहां पर सिंगिल आपरेशन था। वित्तीय व्यवस्था डी0 आई0 ओ0 एस0 के हाथ में निहित थी। मान्यवर, वक्तव्य के अंत में भी स्वीकार किया गया है कि फरवरी का वेतन बिल जब उनको मिला तो स्व0 सिंह के वेतन का इन्कारपोरेशन नहीं था। तो हर तरह से साबित हो गया है कि जिला विद्यालय निरीक्षक की गलती थी। जिला विद्यालय निरीक्षक की अक्षमता, ढिलाई और कर्तव्यहीनता इस वक्तव्य से उजागर है। तो फिर जांच किस चीज की करायेंगे। मैं साफ जानना चाहता हूँ कि प्रबंधाधिकरण के मैनेजर हैं उनके खिलाफ और डी0 आई0 ओ0 एस0 के खिलाफ मुकदमा दायर करके कार्यवाही न करने का क्या कारण है?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, नियम यह है कि सर्विस में अगर कोई व्यक्ति मेडिकल लीव पर होता है तो जहां से उसका इलाज होता है वहां का सर्टीफिकेट होना चाहिये।.....

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

यह सवाल मैंने पूछा नहीं था। मान्यवर, आप संरक्षण दें।

(श्री सूबेदार सिंह का नाम पुकारे जाने पर।)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मेरे सवाल का उत्तर दिलवा दें।

---

*वक्ता के भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें, आप दोबारा प्रश्न कर लीजियेगा। मैंने उनको बुला लिया है।

श्री राम सागर--

मान्यवर, मुझे प्रश्न करने की इजाजत दे दें।

श्री पंचानन राय--×××

श्री अध्यक्ष--

कोई चीज नहीं लिखी जायगी। आप बैठें।

श्री सूबेदार सिंह--

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि चूंकि माननीय मंत्री जी को बहुत सहानुभूति है तो क्या इसके अंतर्गत उस अध्यापक के वारिश को उस समय तक जिस वक्त वह रिटायर होता उस समय तक उसके परिवार वालों को वेतन दिलाते रहने की कृपा करगें ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, जो हमारे कानून हैं उनके अंतर्गत जो भी सुविधायें हैं वह दी जायेगी। फैमिलीपेंशन की जो व्यवस्था हमारे कानून के अंतर्गत है, तथा जो भी सुविधा कानून के अंतर्गत होगी वह उनके जो वारिस हैं उनको दी जायगी।

(राजेन्द्र कुमार गुप्त का नाम पुकारे जाने पर।)

श्री राम सागर--

मान्यवर, आप मुझे आज्ञा नहीं दे रहे हैं। मेरे जिले बाराबंकी से यह संबंधित है।

श्री अध्यक्ष--

कृपया बैठें।

(मुख्य मंत्री जी के सदन से उठकर जाने पर।)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मुख्य मंत्री जी रुक जायं तो बड़ी कृपा होगी।

(मुख्य मंत्री जी अपने स्थान पर लौट आये।)

मान्यवर, मैं बड़ी नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूँ । मुख्य मंत्री जी सदन में हैं। जो इधर से और उधर से सवाल हुये हैं उससे एक चीज सामने आ गयी है। साफ सिद्ध होता है कि प्रबंधाधिकरण और डी0 आई0 ओ एस0 दोषी थे। तो जांच कराने का कोई सवाल नहीं है। एक शिक्षक को इस तरह से रोटी के लिये दरवाजे पर आकर अपने प्राण निछावर करने पड़े। शिक्षा मंत्री जी जवाब नहीं दे सकती हैं तो हमारे पास वाक आउट करने के अलावा कोई चारा नहीं है इसलिये मैं मुख्य मंत्री जी से जानना चाहूँगा, आदरणीय सदन की भावनाओं का ध्यान रखते हुये, अंतिम पैराग्राफ पढ़ लें, शासन खुद स्वीकार करता है कि प्रबंधाधिकरण और डी0 आई0 ओ0 एस0 दोषी हैं। एक अध्यापक की मृत्यु के लिये, एक अध्यापक की हत्या के भागी हैं। जो कानून में व्यवस्था होगी दंडित उसी को किया

नोंट :--(×××) यह अंश भी अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

जायगा। तो मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का हस्तक्षेप चाहूँगा कि इस संबंध में अब तक उनके खिलाफ कार्यवाही न करने का क्या कारण है और भविष्य में क्या कार्यवाही करने के लिये शासन विचार कर रहा है ?

मुख्य मंत्री (श्री श्रीपति मिश्र)--

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने अन्तिम पैराग्राफ देखा। इसमें कहा है कि जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में उक्त विद्यालय का मास फरवरी, 1983 का वेतन बिल जब दिनांक 8-3-1983 को प्राप्त हुआ, तो उसमें स्व0 श्री सिंह का वेतन नहीं लगा था। अतः जिला विद्यालय निरीक्षक ने 24-9-1983 से 31-1-1983 तक का उनका वेतन रु0 2803.25 उनके बैंक खाते में चेक द्वारा 9-3-1983 को भेज दिया। यह जो आपने कहा है, यह बात पढ़ने से स्पष्ट है कि वेतन उनको दिया गया, वेतन की मांग की गयी थी लेकिन वेतन प्राप्त होने में किन्हीं कारणों से विलम्ब उसमें हुआ....

श्री मुख्तार अनीस---

इसी से वह मर गये, यह जिम्मेदारी किसकी है ?

श्री श्रीपति मिश्र---

यह तो जांच की बात है।

डाक्टर बृज किशोर मिश्र ---

सुन लें, जब वे खड़े होकर बोल रहे हैं, तो उन्हें धैर्यपूर्वक सुन लें।

(व्यवधान)

श्री श्रीपति मिश्र---

मैं गम्भीरता से आपके कथन को स्वीकार करता हूँ, जो अब तक जांच हो रही है, अगर उसका कुछ नतीजा निकला तो उस पर कार्यवाही की जायेगी। नहीं हुआ तो उच्च स्तरीय जांच इसमें कराकर, एक महीने के अंदर, जो जांच का रिजेल्ट निकलेगा, उसके अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(मेजों की थपथपाहट)

*श्री राम सागर---

मान्यवर, यह जो वक्तव्य शिक्षा मंत्री जी ने दिया है, वह बिल्कुल असत्य है। श्री शेर बहादुर सिंह, जो अब स्वर्गवासी हो गये, विद्यालय में मेडिकल प्रमाण पत्र लेकर ज्वाइन करने गये थे, वे मेडिकल प्रमाण पत्र की मूल कापी न देकर उसकी फोटो स्टेट कापी दे रहे थे, जिस पर वहां के लोगों ने उन्हें ज्वाइन नहीं करने दिया। इसके अतिरिक्त, जब वे वेतन लेने आये, तो उनसे 50 प्रतिशत रिश्वत मांगी जा रही थी, विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में, इसलिए विलम्ब किया गया। और, जब वे अनशन की नोटिस देकर अनशन पर बैठे तो उसके तीन दिन बाद उनकी हालत खराब हुई, जब वे अस्पताल में गये, तो उन्हें सही दवा नहीं दी गयी। इस तरह से उनकी मृत्यु के लिए यह विद्यालय निरीक्षक, वहां का चिकित्सा अधिकारी और सारे लोग दोषी हैं। जैसा पंचानन राय जी ने कहा है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

आप प्रश्न करें।

श्री राम सागर--

कि जो दोषी लोग हैं उनके लिए एफ0 आई0 आर0 दर्ज है। तो, मैं यह जानना चाहता हूँ कि जो लोग इसमें दोषी हैं, उनके विरुद्ध 302 का मुकदमा कायम करके, उन्हें दण्ड दिलाने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

आपने प्रश्न का उत्तर नहीं सुना, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि पूरे प्रसंग की जांच कराने के बाद, जो भी दोषी व्यक्ति पाये जायेंगे, उनके खिलाफ कार्यवाही होगी। अब मैं आगे बढ़ता हूँ।

श्री धनी राम वर्मा--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का सवाल है।

श्री अध्यक्ष--

कोई व्यवस्था का सवाल नहीं है।

श्री गौरी शंकर भैय्या--

मान्यवर, इसमें बस एक अन्तिम सवाल है।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पर स्पष्ट जवाब दे दिया है, अब आप इसको समाप्त करें।

श्री सत्यपाल सिंह--

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट सुन लें...

श्री अध्यक्ष--

आप दोनों क्यों खड़े हैं, अपनी अपनी सीटों पर कृपया बैठें। श्री धनी राम वर्मा, आप क्या कहना चाह रहे हैं ?

श्री धनी राम वर्मा--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि प्रधानाचार्य संघ ने

श्री अध्यक्ष--

यह कोई व्यवस्था का सवाल नहीं है। मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूँ।

श्री धनी राम वर्मा--(×××)

श्री अध्यक्ष--

मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूँ। यह कोई व्यवस्था का सवाल नहीं है, कोई चीज नहीं लिखी जायेगी।

(श्री धनीराम वर्मा के कुछ बोलने पर)

माननीय धनीराम वर्मा जी, आप कृपया बैठें। मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं। यह कोई चीज लिखी नहीं जायेगी। (व्यवधान)

कार्यस्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

नियम 56 की 17 सूचनायें प्राप्त हुई हैं जो इस प्रकार हैं--1. श्री रामगोविन्द की, बलिया जनपद के हेल्थ गाइडों की नियुक्ति निरस्त करने के संबंध में। 2. श्री कुंवर-सिंह नेगी व श्री नरेन्द्रसिंह भंडारी की, जनपद रायबरेली के मोदी फैक्ट्री कर्मचारियों की कालोनी पर असामाजिक तत्वों द्वारा हमला किये जाने के संबंध में। 3. श्री राजेन्द्र अग्नि-होत्री की, झांसी कैंट निवासिनी श्रीमती दादखानी के साथ तामिलनाडु एक्सप्रेस में बलात्कार एवं उनकी हत्या के संबंध में। 4. श्री सरदार सिंह का भी इसी बारे में है। 5. श्री हर-गोविन्द वर्मा की, श्री जनरल शाहनवाज के नाम लिखे गये पत्र को साप्ताहिक पत्र नयी दुनियां के सम्पादक द्वारा छापे जाने के संबंध में। 6. श्री जनार्दन प्रसाद ओझा का, देवरिया में सघन सहकारी समिति के उद्घाटन के समय जिलाधिकारी द्वारा राष्ट्रपिता गांधी के प्रति दिया गया गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य के संबंध में। 7. श्री फिरंगीप्रसाद विशारद की, जनपद गोरखपुर के फार्मिस्टों द्वारा हड़ताल किये जाने के संबंध में। 8.वां है श्री नरेन्द्र सिंह व श्री धर्मवीर सिंह की, जनता वैदिक कालेज, जनपद मेरठ के दो प्रवक्ताओं द्वारा भूख हड़ताल किये जाने के संबंध में। 9. श्री केदारनाथ सिंह की, वन विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं के संबंध में। 10. सर्वश्री मित्रसेन ,रामआसरे वर्मा और खैरुलबशर की प्रदेश में जीवनोपयोगी आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती हुई वृद्धि के संबंध में। 11. श्री गौरी शंकर भैय्या की, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के उप कुलपति के आदेशों की आई0 ए0 एस0 अधिकारी द्वारा जांच कराये जाने से उत्पन्न समस्या के संबंध में। 12. श्री राजेन्द्रकुमार गुप्त की, सी0 पी0 एम0 टी0 में उत्तीर्ण छात्रों को प्रवेश न दिया जाना। 13. श्री रिया-सत हुसेन और श्री अकबर हुसैन की जनपद बहराइच में पुलिस तथा जनता में मुठभेंड़ से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। 14. श्री नन्द किशोर सिंह की, देवरिया में जंगलपार्टी के आतंक से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। 15. धनीराम वर्मा की, इटावा में कांग्रेस रैली के नाम पर जनता की कमाई का दुरुपयोग किये जाने के संबंध में। 16. श्री सत्यपाल सिंह की, जन-पद बदायूं में गन्ना किसानों द्वारा आन्दोलन किये जाने के संबंध में। 17. श्री शंकर सिंह की, प्रदेश के सभी चिकित्सालयों में नाइट्रस तथा आक्सीजन गैस की कमी के संबंध में।

मैंने इन सभी को देखा है। माननीय फिरंगी प्रसाद विशारद की सूचना का जहां तक संबंध है, वह नियम 301 में स्वीकार हो गयी है। माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त की भी 25-3-83 के लिये वक्तव्य के लिये स्वीकार हो गयी है। जहां तक माननीय नन्द किशोर सिंह जी की सूचना का सवाल है वह नियम 301 में स्वीकार की जा चुकी है। उक्त सूच-नाओं में 3 को मैं सुनूंगा। पहले श्री राम गोविन्द को। वे कृपया संक्षेप में ग्राह्यता पर बोलें। दूसरी श्री नरेन्द्रसिंह और श्री धर्म वीर सिंह की तथा तीसरी श्री शंकर सिंह की। इनको सुनूंगा।

श्री रामगोविन्द--

श्रीमन् मेरा जो कार्यस्थगन का प्रस्ताव है वह अत्यन्त लोक महत्व और अविलम्ब-नीय विषय का है। पूरे प्रदेश में एक-एक करके बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है और

नोट :--(×××) यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

सरकार आश्वासन भी दे रही है कि बेरोजगारी दूर करने के लिए ज्यादा से ज्यादा नौकरी दी जा रही है। अभी हाल ही में पूरे प्रदेश में हेल्थ गाइडों की नियुक्ति हुई थी। हर ग्राम प्रधान को यह अधिकार दिया गया था कि वह 5 आदमियों की कमेटी बनाकर अपने-अपने यहां के लिये हेल्थ गाइडों का चयन करें। पूरे प्रदेश में हेल्थ गाइडों की नियुक्ति के लिये साक्षात्कार हुआ, उनसे आवेदन पत्र मांगे गये, और उनकी नियुक्ति भी की गयी। एक विशेष योग्यता जो इस सरकार ने नौकरी के लिये जो घूस लेने की रखी गयी है, उस योग्यता को भी लोगों ने विधिवत पूरा कर लिया। बलिया जनपद में जिन लोगों की नियुक्ति हुई, उनको बाद में निरस्त कर दिया गया। बलिया जनपद में 5 हजार हेल्थ गाइडों की नियुक्ति हुई, आज वे भुखमरी के कगार पर खड़े हैं क्योंकि उन लोगों ने अपने घर के गहने तथा सभी कुछ बेचकर घूस में दे दिया।...

घर का धन चला गया और जो आमदनी होनी थी नौकरी से उससे हाथ धोना पड़ा। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यह अत्यन्त अविलम्बनीय लोकमहत्व का प्रश्न है। दसियों हजार लोग इस प्रदेश के भुखमरी की कगार पर हैं, घर का धन खो देने के कगार पर पहुँच गये हैं। यह सरकार निरंकुश तरीके से उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी है। इसमें कहीं अनियमितता होगी तो डाक्टरों ने अनियमितता की होगी उनको आप उत्पीड़ित करें उन्हें दण्ड देते और जांच कराते। लेकिन मैं कहता हूँ कि पूर्ण साक्षात्कार में उत्तीर्ण लोगों को इसमें नियुक्त किया गया था उनकी नियुक्ति निरस्त करने का कोई कारण नहीं है। मान्यवर, सारे हेल्थ गाइड बलिया में अनशन पर बैठे हैं। उन्होंने घोषणा की है कि एम0 एल0 ए0, एम0 एल0 सी0 और एम0 पी0 जो भी क्षेत्र में आयेंगे उनका हम लोग घेराव करेंगे, उनको अपने क्षेत्र में घुसने नहीं देंगे। मैं कहना चाहता हूँ कि होली का अवकाश होने वाला है सारे विधायक अपने क्षेत्र में जायेंगे और हर गांव का 2-2, 3-4 हेल्थगाइड नियुक्त थे। अगर वह विधायकों का घेराव करेंगे तो इससे संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होगी। जिससे प्रदेश की सरकार को उस अहम समस्या का सामना करना पड़ेगा। इसलिये मैं मांग कर रहा हूँ कि आप इस पर चर्चा करा दें और सरकार से तत्काल वक्तव्य दिलायें नहीं तो इससे एक तरह की आग लग जायेगी और सारा प्रशासन अस्तव्यस्त हो जायेगा।

*श्री नरेन्द्र सिंह--

मान्यवर, संयोग की बात है अभी शेर बहादुर सिंह के मामले में सदन में चर्चा चल रही थी। पिछली 12 मार्च से जनता वैदिक कालेज जनपद मेरठ के दो प्राध्यापक श्री जगमेर सिंह और डा0 वीरेन्द्र सिंह तोमर आमरण अनशन पर हैं। मेरी निजी जानकारी है कि डा0 जगमेर सिंह की स्थिति चिन्ताजनक है। बड़ौत एक छोटा कस्बा है लेकिन 15 हजार विद्यार्थी पढ़ने वाले हैं। 2 डिग्री कालेज, पोस्ट ग्रेजुएट कालेज है और 5-6 इण्टर कालेज हैं। 2-3 वर्षों से यह प्राध्यापक मांग कर रहे हैं कि लाखों रुपये का घोटाला हिसाब किताब में वहाँ पर है लेकिन आज तक जांच नहीं हुई। मान्यवर, वहाँ पर एडमिशन के टाइम पर बड़ी अनियमितता होती थी इसलिये वहाँ पर प्रो0 शिवकुमार त्यागी को भेजा गया कि वह देखें कोई अनियमितता न हो। लेकिन उनको कालेज कैम्पस में इतनी बुरी तरह पीटा गया कि वह मुर्च्छित हो गये और उनको अस्पताल ले जाया गया लेकिन आज

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तक इसकी जांच नहीं हुई। और कई जांचें हैं जिनके सारे में हमेशा मांग की जा रही है लेकिन कोई जांच नहीं हुई है। शासन की तरफ से वाइस चान्सलर की तरफ से प्रशासक की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। मैं कई बार मिल चुका हूँ। अब स्थिति यह हो गई कि सारे 15 हजार विद्यार्थी इस आन्दोलन में सम्मिलित हो गये हैं। सारे क्षेत्र की जनता उसमें सरीक हो गई है। किसी समय कोई भयावह घटना हो सकती है। मान्यवर, मेरठ यूनीवर्सिटी से 56 डिग्री कालेज एफीलियेटेड हैं। मेरठ यूनीवर्सिटी टीचर्स ऐसोशियेसन के डा0 वीरेन्द्र शर्मा 18 मार्च से आमरण अनशन पर बैठे हैं। इन्होंने लिखकर दिया है कि 24 तारीख से मैं मेरठ यूनीवर्सिटी के कैम्पस में बैठूंगा। मेरा निवेदन है कि आप इस पर चर्चा स्वीकार करें और मैं तो यह भी कहता हूँ कि पुलिस चाहे तो जबर्दस्ती उनका अनशन तुड़वा दे।

श्री पंचानन राय--

मैंने नियम 51 में नोटिस दिया है। इसको आप देख लें।

श्री अध्यक्ष--

51 का समय आयेगा तो देखूंगा।

(व्यवधान)

श्री पंचानन राय--

मैंने नियम 51 में दिया है नोटिस....

श्री अध्यक्ष--

क्या आपने नियम 56 में दिया है ?

श्री पंचानन राय--

जी हाँ।

श्री अध्यक्ष--

कहाँ है ?

श्री पंचानन राय--

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। जब कोई घटना 51 में और 56 में दी गयी है तो जब 56 की सुनी जायेगी तो उसमें भी सुनी जानी चाहिए...

श्री अध्यक्ष--

जब नियम 56 की सूचना होगी तो उसमें सुनी जायेगी और जब नियम 51 में होगी तो उसमें सुनी जायेगी। जिन माननीय सदस्यों ने नियम 51 में सूचना दी है उनको 51 के समय में सुना जायेगा। 51 में दी और मैं 56 में सुनूं, मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूँ।

(व्यवधान)

श्री धर्म वीर सिंह--

मान्यवर, बड़ौत में पोस्ट ग्रेज्युएट कालेज है। 7 तारीख से क्रमिक भूख हड़ताल चालू है और उसके बाद भी कोई सुनवायी जब नहीं हुई तो 12 तारीख से अनशन शुरू कर दिया। जो प्रेसीडेन्ट हैं कालेज यूनियन के, वीरेन्द्र शर्मा, उन्होंने मजबूर हो कर 18 तारीख

से अनशन शुरू कर दिया है। उन्होंने लिख कर दिया है कि अगर उनकी कोई मांग 24 तारीख तक नहीं मांगी गयी तो मेरठ युनिवर्सिटी में आ कर भूख हड़ताल चालू करेंगे। यह धीरे-धीरे दीर्घगामी प्रभाव हो रहा है इसका और दूसरी जो चिन्ताजनक बात है वह यह कि डाक्टर जगमेर सिंह की हालत गम्भीर हो गयी है। इसलिए कोई भी दुर्घटना हो सकती है। अतः मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस पर चर्चा अवश्य करा दें।

(व्यवधान)

* श्री शंकर सिंह--

मान्यवर, बहुत महत्त्वपूर्ण सूचना है। स्थिति यह है कि अगर कोई व्यक्ति मेडिकल साइंस का जरा भी ज्ञान रखता है तो वह जानता है कि नाइट्रस गैस और आक्सीजन गैस होती है और इन दोनों के अभाव में किसी भी चिकित्सालय में कोई आपरेशन नहीं हो सकता। प्रदेश में इन दोनों गैसों की गम्भीर कमी चल रही है। कुछ सुधार तो हो नहीं रहा लेकिन आज स्थिति इतनी गम्भीर हो गयी है कि प्रदेश में किसी भी अस्पताल में दोनों गैसों के अभाव में आपरेशन नहीं हो रहे हैं। पूर प्रदेश में केवल इण्डियन आक्सीजन फर्म लिमिटेड इन दोनों की आपूर्ति करती है और वह किन कारणों की वजह से इनकी आपूर्ति नहीं कर पा रही है। सभी मेडिकल कालेजेज, बड़े-बड़े चिकित्सालय, इनके जो अधीक्षक हैं, सरकार को, डाइरेक्टर को लिख रहे हैं, इण्डियन आक्सीजन लिमिटेड है, उससे टेलीफोन, तार कर रहे हैं, सम्पर्क कर रहे हैं लेकिन आक्सीजन उपलब्ध नहीं है जिसका नतीजा यह है कि हजारों मरीज, जिन्हें तुरन्त आपरेशन की जरूरत थी, दम तोड़ चुके हैं और कुछ मरीज मरणासन्न हैं। लखनऊ मेडिकल कालेज, जो उत्तर प्रदेश में एक महत्वपूर्ण इन्स्टीट्यूशन है, इसमें सूचना पट्ट पर नोटिस टांग कर लिखा दिया गया है कि वहाँ पर कोई आपरेशन नहीं होगा। कोई मरीज आपरेशन के लिए न आये क्योंकि आक्सीजन उपलब्ध नहीं है। जो भर्ती हैं उन को भी नोटिस दे दिया गया है कि आरेशन नहीं हो सकता, वह अपने मरीज को बाहर ले कर चले जायें। इस तरह से मरीज बचने को नहीं हैं। अगर सरकार कोई व्यवस्था नहीं कर पायी तो भीषण संकट प्रदेश में खड़ा हो जायेगा इसलिए मैं इस महत्वपूर्ण प्रश्न को तुरन्त कार्यस्थगन के रूप में स्वीकार कर चर्चा करा दें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

सभी महत्वपूर्ण हैं, मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूँ।

(व्यवधान)

मैं आप लोगों को आज्ञा नहीं दे रहा हूँ। कृपया आप लोग शान्तिपूर्वक बैठें। मैंने माननीय श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री जी को बुला लिया है।

(व्यवधान)

* श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

....मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। आज इस देश और प्रदेश के अन्दर नौकरशाही का अमन इतना बढ़ गया है कि वे सभी हमारे राष्ट्रनायक, महात्मा गाँधी जी और

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लोकनायक जयप्रकाश नारायण के सम्बन्ध में अपशब्द कह रहे हैं। इस संबंध में मैंने जिलाधिकारी, देवरिया, श्री सुबोध नाथ झा ने अपने वक्तव्य में कहा है कि इन लोगों ने देश को 56 साल पीछे कर दिया है। उन्होंने, जिलाधिकारी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि महात्मा-गाँधी जी के आन्दोलनों ने और जय प्रकाश नारायण जी के आन्दोलनों के परिप्रेक्ष्य में हमारा देश 56 साल पीछे हो गया है। उसने अपने वक्तव्य में फिर कहा है कि बिहार वालों ने जय प्रकाश नारायण को महात्मा गाँधी बनाने चले थे लेकिन वे चले गये और देश को 56 साल पीछे कर गये। और उसने यह भी कहा कि इस देश में कोई प्रगति नहीं हुई है पिछले 35 सालों में।

(एक सदस्य के खड़े होकर व्यवस्था का प्रश्न है, कहने पर)

श्री अध्यक्ष--

कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। मैं आपको आज्ञा नहीं दे रहा हूँ। और मैं समझ गया हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आज हमारे सामने एक इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसमें हमारे वरिष्ठ नेताओं को गाली दी जाती है और जिसके अन्दर इस देश में और इस प्रदेश में नौकरशाही का अमन इतना बढ़ गया है। मान्यवर, हम अपने राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी जी के खिलाफ तथा अपने लोकनायक श्री जयप्रकाश नारायण के खिलाफ एक बात भी सुनना नहीं चाहते हैं। मान्यवर, मैं आपसे चाहता हूँ कि आप इस जिलाधिकारी को तत्काल मुअत्तल करने हेतु निर्देश दें। वरना यह सदन आज नहीं चलने देंगे। मान्यवर, जिस राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी तथा लोकनायक जय प्रकाश नारायण की रहनुमाई में हमें आजादी मिली और जिनकी कुरबानी से आज इन आई0 ए0 एस0 अफसरों को यहाँ बैठने का मौका मिला है वे यदि इस बात की हिम्मत करें और दुस्साहस करें और हमारे नेताओं के चरित्र पर और उनके कार्यों के खिलाफ बात करें, हम इसे बिलकुल भी सहन नहीं कर सकते हैं।....

श्री अध्यक्ष--

कृपया आप बैठें। मैं आपको आज्ञा नहीं दे रहा हूँ।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, इस विषय की ओर इस माननीय सदन के अन्दर बार-बार, माननीय सदस्यों के जरिये से आपका ध्यान दिलाया गया है कि ब्यूरोक्रेसी जो आज प्रदेश के अन्दर है न तो वह आपके निर्देशों का पालन करती है और न समय-समय पर शासन द्वारा दिये गये आदेशों का पालन करती है। पहले तो केवल यह यहीं तक सीमित थी लेकिन अब इस हद तक पहुँच गयी है इस देश को आजाद करने के लिये राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी और लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने जो काम किया है, और जो कुरबानी उन्होंने की है और जिस प्रजातंत्र की हम दुहाई देते हैं, यदि उनके विरुद्ध यह ब्यूरोक्रेसी अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर इस तरह की पब्लिसिटी कर रही है तो मैं इस बात की व्यवस्था चाहूँगा कि क्या इस प्रदेश की जनता, इस प्रदेश का आवाम और इस प्रदेश के प्रतिनिधि जो आज बैठे हुए हैं, यदि उनके पुरखों व वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ ऐसी बात करेंगे तो क्या वह इससे सुनना बरदास्त करेंगे या नहीं ? इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष--

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। कृपया आप बैठें। मैंने माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को बुला लिया है।

डा0 बृज किशोर मिश्र--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

माननीय ओझा जी ने कहा है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, देवरिया का बयान गलत तरीके से आपके सामने पेश किया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, देवरिया ने इस तरह की कोई बात नहीं कही.....

(घोर व्यवधान)

(श्री जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री राम गोविन्द, श्री गौरीशंकर भैय्या एक अखबार हाथ में लिए सदन के फ्लोर पर आकर बोलने लगे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष--

मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूं। आप जाकर अपने-अपने स्थानों पर बैठें और मेरी बात को सुनें।

(घोर व्यवधान)

मैंने मा0 संसदीय कार्य मन्त्री को बुलाया है, आप अपने-अपने स्थानों पर बैठें।

(श्री मुख्तार अनीस तथा रियासत हुसैन के प्रयास से फ्लोर पर खड़े सदस्य अपने-अपने स्थानों पर वापस चले गये तथा खड़े होकर एक साथ बोलने लगे)

--मैं जब खड़ा हूं तो आपको कोई बात कहने का अधिकार नहीं है। आप लोग बैठ जायं।

(सभी सदस्यों के बैठ जाने पर)

मैंने मा0 ओझा जी की बात को सुना, उसके बाद मा0 रियासत सैन जी की बात को सुना....

(व्यवधान)

....मैंने इसको अस्वीकार कर दिया, यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

(व्यवधान)

आप लोगों ने अपनी-अपनी बात कह दी हैं, मैंने मा0 संसदीय कार्य मन्त्री जी को बुलाया है। उसके बाद निर्णय करने का अधिकार मुझको है। मैं क्या निर्णय करूंगा, आप थोड़ा इन्तजार करें।

*श्री मोती लाल देहलवी--

मान्यवर, नेता, विरोधी दल उपस्थित नहीं हैं। उप नेता उपस्थित हैं। प्रथा यह रही है कि गम्भीर मामला आये तो आप नेता विरोधी दल को समय देते हैं। अब वह नहीं हैं, तो क्या हमको समय नहीं देंगे ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

मेरी बात सुन लें, आप बैठें।

मैंने इस संबंध में दो माननीय सदस्यों को सुन लिया, अब आप कह रहे हैं आपको भी सुनूं, उधर से भी एक माननीय सदस्य खड़े हैं उनको सुनूं, इधर से भी खड़े हैं, उनको भी सुनूं और जब आपका नाम इसमें नहीं है तब आपको भी इसमें कैसे सुनूं ? कहिए आप अपनी बात को संक्षेप में।

श्री मोती लाल देहलवी—

माननीय अध्यक्ष जी आप भी अवश्य इससे सहमत होंगे यदि महात्मा गाँधी जैसे युग पुरुष और लोकनायक जय प्रकाश जी का अपना व्यक्तित्व जो गंगा-जमुना जैसा पवित्र है, ऐसे महान पुरुषों के प्रति नौकरशाही अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करें तो यह किसी भी प्रकार से बर्दाश्त करने योग्य नहीं है, इस पर आपने मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी को बुलवाया है तो मैं उनसे आग्रह करूँगा कि वे अपने दल की प्रतिष्ठा को कायम रखते हुए घोषणा करें कि इस मामले की जाँच करवायी जायेगी किसी उच्च स्तरीय समिति द्वारा और यदि उस जिलाधिकारी ने ऐसे अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया है तो उसे तत्काल वह निलंबित कर देंगे।

*श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि व्यक्तिगत रूप से यदि किसी व्यक्ति को कुछ भला-बुरा कहा जाए परन्तु मुझे आपत्ति यहाँ पर यह है कि उस जिलाधिकारी ने यह कहा कि राष्ट्रीय आंदोलन जो देश में किया गया, उससे यह हिंदुस्तान 50 साल पीछे चला गया। तो मान्यवर, जो अधिकारी देश के राष्ट्रीय आंदोलन पर टीका-टिप्पणी करे वह देश-द्रोही है, उसको एक मिनट का हक नहीं है कि वह इस देश में या यहाँ किसी सर्विस में काम करे। उसे तत्काल निकाल दिया जाना चाहिए। (शोर)

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

ऐसे अधिकारी को यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है।

*संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, यह बात जो सामने आयी बड़ी ही दुखद है। किसी भी राष्ट्रीय आंदोलन, या महात्मा गाँधी अथवा जय प्रकाश नारायण या जिन्होंने भी इस मुल्क की आजादी या राष्ट्रीय आंदोलन में हिस्सा लिया हो, उनके प्रति किसी अधिकारी को क्या किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है कि तौहीन या अनादर भरे शब्दों को कहे, जिससे मैं समझता हूँ कि चाहे इस पक्ष के बैठने वाले हों या उस पक्ष के किसी को इंकार नहीं होगा। और जो बात कही गयी एक सूचना के माध्यम से श्री ओझा जी द्वारा तो इस सूचना पर जाँच कराकर इस सिलसिले में जो भी उचित कार्यवाही होगी, की जायेगी।

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, इस आदरणीय सदन से यह आशा है कि इस सत्र के उठने से पहले इस चीज के ऊपर आप पूरी छानबीन करा कर इसके निर्णय की घोषणा भी सुनवा दें कि इस मामले पर क्या कार्यवाही होने जा रही है, इस बात का भी आश्वासन माननीय मंत्री जी कृपया दे दें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, जैसा कि भाई रियासत साहब ने कहा इस सदन के उठने से पहले-पहले इस मामले की सारी सूचना जाँच द्वारा एकत्र करवाकर और उस पर की गयी कार्यवाही की घोषणा अवश्य करा दी जायेगी।

*श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

मान्यवर, 17 मार्च को उत्तर प्रदेश में एक ऐसी घटना घटित हुई जो कि उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रशासन में इस सरकार पर एक काला धब्बा लगा दिया है। मान्यवर, एक झांसी से तामिलनाडू को गाड़ी जाती है एक महिला दीना दादलानी नाम की उसमें जा रही थी। मान्यवर, इस गाड़ी का आरक्षण होता है। जब गाड़ी झांसी से जा रही थी तो बीच में उसके साथ बलात्कार होता है और उसके साथ ही साथ उसे मार दिया जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। मैं ग्राह्यता के संबंध में एक बात कहना चाहता हूँ कि झांसी से दिल्ली तक के लिये उसमें पुलिस की व्यवस्था होती है। यह एक मुख्य गाड़ी है इसकी सारी बोगियां एक दूसरे से जुड़ी होती हैं सिर्फ एक बोगी को छोड़ कर और सभी बोगी आरक्षित होती हैं, उसमें यह दर्दनाक घटना घटित हुई है। उसमें मान्यवर, महाराष्ट्र की एक संसद् सदस्या भी जा रही थीं परन्तु पुलिस ने उस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की है और न कोई पकड़ा ही गया है। यह ऐसी घटना है कि लोगों का पुलिस प्रशासन से विश्वास हट गया है और इस सरकार के प्रति भी विश्वास हटता जा रहा है। इसलिये आप इस पर चर्चा करा दे ताकि सरकार इस पर अपना वक्तव्य दे सके।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, यह घटना बहुत दर्दनाक है इसमें कोई दो राय नहीं हैं। यह सारी घटना जब झांसी से गाड़ी चली तो दतिया और करारी के बीच में गाड़ी धीमी हुई और बीच में ही यह घटना हुई। एक व्यक्ति अखिलेश कुमार बरवा निवासी पकड़ा भी गया है। यह घटना सचमुच में बहुत ही दर्दनाक और दुखद है, हम सब पूरी तरह से इस बात से सहमत हैं। पूरी तरह से इसकी जाँच हो रही है। एक अभियुक्त गिरफ्तार भी हो चुका है। मैं माननीय सदस्य अग्निहोत्री जी को और पूरे सदन को शवस्त करता हूं कि पूरी तरह से इसकी जाँच करायी जायेगी, कोई कसर नहीं छोड़ी जायेगी और कोई मुलजिम पकड़ा जायेगा तो उसे सजा भी दी जायेगी।

(श्री हरगोविन्द वर्मा के खड़े होने पर।)

श्री अध्यक्ष--

मैं आपको आज्ञा नहीं दे रहा हूं।

श्री हर गोविन्द वर्मा--

एक सूचना मैं भी दे रहा हूं--

श्री मित्रसेन--

आप लोकमहत्व के प्रश्न को नहीं सुनना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष--

आप लोग बैठिये, मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मित्रसेन--

लखनऊ की सड़कों पर हजारों किसान आया हुआ है, वह सड़कों पर मार्च कर रहा है और आप यहां विधान सभा चला रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--

नियम 56 के अन्तर्गत---

श्री मित्रसेन---

आप मेरे प्रश्न पर विचार नहीं करते तो मैं अपने दल के साथ सदन का त्याग करता हूं।

(श्री मित्रसेन अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्यागकर चले गये।)

(श्री हरगोविन्द वर्मा के खड़े होने पर।)

श्री अध्यक्ष--

मैं इन सबको नहीं सुन सकूंगा।

(श्री हर गोविन्द वर्मा द्वारा बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष---

मैंने अपना निर्णय दे दिया है। मुझे नियम 56 के अन्तर्गत 17 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं।

(श्री हरगोविन्द वर्मा द्वारा बोलने का पुन: प्रयास किये जाने पर।)

श्री अध्यक्ष---

आपकी कोई चीज लिखी नहीं जायेगी, मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं।

श्री हर गोविन्द वर्मा---(×××)

श्री अध्यक्ष--

आपके नेताओं ने बैठ कर निर्णय लिया है, आप लोग ऐसा करेंगे तो कैसे हो पायेगा। मैं आज्ञा नहीं दूंगा, आपकी कोई चीज लिखी नहीं जायेगी। अपने नेताओं से पूछिये कि क्या निर्णय किये गये हैं।

श्री हर गोविन्द वर्मा---

(एक समाचार-पत्र को दिखाते हुए)

श्री अध्यक्ष---

मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं। आप बैठें। मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं। जब आपको आज्ञा नहीं दे रहा हूं तो आपको बोलने का अधिकार नहीं है।

(व्यवधान)

(श्री हरगोविन्द वर्मा लगातार बोलते रहे जो शोर में सुनाई नहीं दिया)

श्री अध्यक्ष---

आपका कोई शब्द लिखा नहीं जायेगा। आप बैठें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

आपने अपनी बात कह दी। अब आप बैठें। मैं आपको नहीं सुनूंगा। मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं।

(व्यवधान के मध्य श्री हरगोविन्द वर्मा बोलते रहे जो लिखा नहीं जा सका।)

नोट :--[×××] यह अंश मा० अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष--

आप अपने स्थान पर बैठें। यह आपको शोभा नहीं देता है।

आज नियम 56 के अन्तर्गत 17 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। मैंने सभी को अस्वीकार किया है। श्री राम गोविन्द जी की सूचना को शासन के पास ध्यान आकृष्ट करने के लिए भेज देता हूं, श्री कुंवर सिंह नेगी ने जो सूचना दी है उसको भी शासन के पास भेज दिया है, श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री की सूचना को भी शासन का ध्यान आकृष्ट करने के लिए भेज रहा हूं। श्री जनार्दन प्रसाद ओझा ने जो सूचना दी है उस पर माननीय सदस्य बोल चुके हैं और माननीय संसदीय कार्य-मंत्री जी ने कहा भी है कि वह प्रयत्न करेंगे कि सत्र के समाप्त होने के पूर्व जो भी कार्यवाही होगी, उससे सदन को सूचित कर देंगे। श्री नरेन्द्र सिंह व धर्मवीर सिंह की सूचना को भी शासन के पास भेज रहा हूं। माननीय शंकर सिंह की सूचना के विषय को मैंने वक्तव्य के लिए स्वीकार किया है और बाकी सभी को अस्वीकार किया है।

श्री रियासत हुसेन---

मान्यवर, मेरी नियम 56 के अन्तर्गत दो सूचनायें आपके निर्णय के लिए पड़ी हुई हैं। एक तो एल0 डी0 ए0 द्वारा मस्जिद गिराने के सम्बन्ध में है। यह लखनऊ का ही है। मामला काफी निपट चुका है। मैं चाहता हूं कि आपका निर्णय हो जाये।

श्री अम्मार रिजवी--

जैसा माननीय रियासत हुसैन साहेब ने कहा कि मामला काफी निबट चुका है, तो इसको समाप्त कर दें। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वह इसको वापस ले लें।

श्री रियासत हुसैन--

ठीक है।

श्री अध्यक्ष--

चूंकि यह मामला आपस की बातचीत से तय हो गया है। इसलिए मैं इसको समाप्त करता हूं।

श्री नरेन्द्र सिंह--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है.....

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिए। श्री केदार नाथ सिंह जी मैं आपसे बात करूंगा तब निर्णय दूंगा।

वित्तीय वर्ष 1983-84 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या 18-ग्राम्य विकास विभाग, अनुदान संख्या 30-पंचायती राज विभाग तथा अनुदान संख्या 82 क्षेत्रीय विकास विभाग

*पंचायती राज एवं ग्राम्य विकास मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 18-ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धन-राशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,20,62,64,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 30-पंचायती राज विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 9,22,52,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 82-क्षेत्रीय विकास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 28,79,20,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(इस समय 2 बजकर 13 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री श्यामसूरत उपाध्याय पीठासीन हुए।)

मान्यवर, ग्राम्य विकास विभाग, क्षेत्रीय विकास विभाग, लघु सिंचाई विभाग, युवा कल्याण विभाग, इनका मैं बजट प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज के समय में हमारे इन विभागों का बहुत ही महत्व है और बड़ी भारी जिम्मेदारियां हमारे इन विभाग के ऊपर हैं। आज हमारी नेता श्रीमती इंदिरा गांधी ने और हमारी सरकार ने यह फैसला किया है कि हमें गांवों का सर्वांगीण विकास करना है और चूंकि 80 फीसदी हिन्दुस्तान की जनता गांवों में रहती है इसलिये जब तक गांवों का सर्वांगीण विकास नहीं होता तब तक हम सही माने में कल्याणकारी राज्य की कल्पना नहीं कर सकते हैं। इस दिशा में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो हमारे 887 ब्लाक्स हैं इस प्रदेश के अन्दर, इनमें जन कल्याणकारी योजनायें चलायी जा रही हैं। मान्यवर, 20 सूत्री कार्यक्रम जो हमारी प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश को दिये हैं उनमें 7/8 सूत्र ऐसे हैं जो इसी विभाग से सम्बद्ध हैं। 20 सूत्री कार्यक्रम सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का एक क्रांतिकारी प्रोग्राम है। वह एक कल्याणकारी कार्यक्रम है। अगर उसको हम आप सबके सहयोग से इस धरती पर उतार सकें तो मैं समझता हूं कि हमारे प्रदेश के वे लोग जो गरीबी की रेखा से नीचे अपना जीवन-यापन करते हैं उनका कल्याण हो सकेगा और वे अपनी बेहतर जिन्दगी बना सकेंगे। मान्यवर, एकीकृत ग्राम्य विकास योजना 2 अक्टूबर 1980 से समस्त 887 ब्लाक्स में लागू की गई है। इसके अन्तर्गत 600 व्यक्ति प्रति ब्लाक में प्रति वर्ष लाभान्वित करने की योजना रखी गई है और 8 लाख रुपया प्रति ब्लाक में इस योजना को कार्यान्वित करने के लिये दिया गया है। मान्यवर, 1982-83 में 8 लाख रुपया प्रति विकास खण्ड की दर से 70.80 करोड़ रुपया व्यय करने का अनुमान है। 1983-84 में इस योजना के लिये 3540 लाख रुपया व्यय करने का प्राविधान इसमें किया गया है जिससे 5.31 लाख परिवार लाभान्वित होंगे।

मान्यवर, हरिजन पेयजल योजना का भी अपना एक विशेष महत्व है। आज भी हमारे प्रदेश में हरिजनों की ऐसी बस्तियां हैं जहां पर कि हरिजनों के लिये पेयजल की सुविधा उपलब्ध नहीं करा सके हैं। इस ओर सरकार प्रयत्नशील है और हर हालत में इन

बस्तियों को पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने का हमारा प्रोग्राम है। मान्यवर, 1980-81 में 4080 कूप बनाये गये, 782 हैंड पंप बनाये गये और 672 डिग्गियों का निर्माण हुआ। 1982-83 में हमारा जो लक्ष्य है उसके अनुसार 4200 कूप 780 हैंड पंप तथा 400 डिग्गियों को बनाने का है जिसके लिये 182 लाख रुपये योजना को सफल बनाने के लिये इस बजट में प्राविधान किया गया है।

मान्यवर, गांवों में जो हमारे निर्बल वर्ग के लोग रहते हैं, जो हरिजन भाई हैं दुर्भाग्य से उनके पास आज भी रहने के लिए आवास नहीं है। तो इस तरफ भी हमारी सरकार प्रयत्नशील है और एक प्रोग्राम चल रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बल वर्ग को आवास उपलब्ध कराने के लिए उसमें मैदानी क्षेत्र में जो लागत आती है उसका 75 परसेंट या दो हजार रुपया अनुदान के रूप में सरकार देती है और पहाड़ी क्षेत्र में 75 परसेंट या तीन हजार रुपया लाभार्थी को देती है शेष 25% लाभार्थी श्रम के रूप में देता है। निर्बल वर्ग आवास योजना के अंतर्गत जनवरी 83 तक 8405 भवनों का निर्माण पूर्ण हो चुका है और 1983-84 के लिए 139 लाख रुपया इस योजना को कार्यान्वित करने हेतु लक्ष्य रखा गया है। इस संबंध में एक सूचना मैं देना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने ग्रामीण आवास परिषद का भी गठन किया है जैसे शहरी क्षेत्र में आवास विकास परिषद है उसी प्रकार से ग्रामीण अंचलों के लिए भी आवास परिषद का गठन किया गया है। इसके माध्यम से इस योजना को प्रभावी और सक्षम बनाने का कार्यक्रम है।

राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम हमारे प्रदेश में सफलतापूर्वक चल रहा है। इस योजना के अंतर्गत जहां हम जो हमारे बेरोजगार युवक गांवों में रहते हैं उनको हम रोजगार के अवसर सुलभ कराते हैं वहीं हम स्थायी परिसंपत्ति का श्री सृजन करते हैं। यह योजना दिसम्बर 80 में हमारे प्रदेश के अंदर शुरू की गयी थी। इसमें 50 प्रतिशत योगदान भारत सरकार का रहता है और 50 प्रतिशत योगदान राज्य सरकार का रहता है दिसम्बर 82 तक इसमें 9637 हजार मानव दिवस सृजित किये जा चुके हैं और 1784 कि0 मी0 सिंचित नालियां, 350 कि0 मी0 जल निकास नालियां, 743.10 कि0 मी0 में खड़ंजा लगाने का कार्य किया गया इसी प्रकार 83-84 में 7 हजार लाख रु0 इस हेतु प्राविधान किया गया है।

निजी लघु सिंचाई में जो कृषक स्वयं बोरिंग कराते हैं और ट्यूबवैल लगाते हैं उसमें जो सीमांत कृषक हैं, जो छोटे कृषक हैं या जो अनुसूचित जाति और जनजाति के कृषक हैं उनको सरकार की तरफ से सहायता दी जाती है ताकि वे निजी लघु सिंचन की तरफ प्रेरित होकर ट्यूबवैल इत्यादि लगा सकें।

श्री अकबाल हुसैन--

ऐसी कौन सी सहायता मिलती है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

बता रहा हूं। मान्यवर, 1981-82 में 9.83 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचित क्षमता सृजित की गयी और नवम्बर 82 तक 4.75 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचित क्षमता सृजित की जा चुकी है। बड़ी रिंग मशीनें जो पठारी क्षेत्र में इस्तेमाल होतीं है उन पर 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है या 25 हजार रुपया जो भी कम हो वह अनुदान पठारी क्षेत्र में निजी ट्यूबवैल लगाने के लिए देने का फैसला अभी हमारी सरकार ने किया है।

मान्यवर, इसके अलावा जो ब्लास्टिंग वेल्स हैं उन पर 50 प्रतिशत अनुदान या 5

हजार रुपये जो भी कम हो, वह अनुदान दिया जाता है, पठारी क्षेत्र में किसानों को। इसके अलावा पंपिंग सेट और नलकूप जो किसान लगाते हैं उस पर 25 प्रतिशत अनुदान और अधिकतम 3 हजार रुपये तक का अनुदान किया जाता है। मान्यवर, 1983-84 में 683.67 लाख रुपये का क्लास्टिंग वेल्स योजना में प्राविधान किया गया है।

मान्यवर, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा योजना प्रदेश में चालू है और ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभिन्न विभागों के कार्यों को करती है। गांव में बहुत से छोटे-छोटे कार्य होते हैं जैसे कल्वर्टस बनाने का काम, प्राइमरी स्कूल, चिकित्सा भवन, पशु चिकित्सा भवन और खंड़जा एवं सड़कें बनाने के जो छोटे छोटे काम हैं इस विभाग द्वारा संपादित कराये जा रहे हैं और 16 करोड़ रुपये तक कार्य करने की क्षमता का इसमें सृर्जन हो चुका है। मान्यवर, वर्ष 1981-82 में 16 करोड़ से बढ़कर 22.70 करोड़ रुपये का इस विभाग में कार्य किया है। वर्ष 1982-83 के अंत तक 32 करोड़ रुपये का कार्य इस विभाग को समस्त विभागों से मिलने की आशा है। वर्ष 1983-84 में 282 करोड़ रुपये का कार्य इस विभाग द्वारा कराये जाने का प्राविधान किया गया है। मान्यवर, भूगर्भ सर्वेक्षण संगठन है वह जो जल की सीमा है उसकी माप और उसका लेखा जोखा इस विभाग द्वारा किया जाता है। मान्यवर 3200 नलकूप इस हेतु पूरे प्रदेश में लगाये गये हैं और विकास खंडवार जो भूगर्भ जल की उपलब्धता है उसके आंकड़े इस विभाग द्वारा संकलित किये जाते हैं इस योजना को सफल बनाने के लिये 87 करोड़ रुपये का बजट में प्राविधान किया जा रहा है।

मान्यवर, हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है और लगातार इस बात का जोर दिया जा रहा है कि कृषि उत्पादन को बढ़ाया जाये कि जो नई कृषि की टेक्नीक्स हैं उनको हम किसानों तक पहुंचायें और जो कर्मचारी और अधिकारी हैं जो इस दिशा में इक्सटेंशन का काम करते हैं उनको ठीक प्रकार से और जो नई टेक्नीकस हैं उनका प्रशिक्षण देने के लिये प्रसार प्रशिक्षण और कृषि प्रशिक्षण कार्यक्रम हमारे प्रदेश में चल रहा है, इस हेतु 21 प्रशिक्षण प्रसार केन्द्र हमारे प्रदेश में संचालित हैं और उनके द्वारा 1982-83 में 22,400 कृषकों को प्रशिक्षण दिया गया है और 9840 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है।

मान्यवर, ट्राइसम योजना भी लागू है, हम आई0 आर0 डी0 के तहत एकीकृत ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत निर्बल वर्ग के लोगों को, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, उनको ऊपर उठाने का कार्य है और इस हेतु आई0 आर0 डी0 योजना प्रदेश में चल रही है। मान्यवर, ट्राइसम योजना उसी से संबंधित है, इस योजना के अन्तर्गत व्यावसायिक प्रशिक्षण उन लाभार्थियों को, आई0 आर0 डी0 में जो लोन लेते हैं उनको इस योजना में प्रशिक्षण, दिया जा रहा है।

मान्यवर, पंचायती राज विभाग प्रदेश में कार्य कर रहा है। आप हम सभी जानते हैं कि हमारे प्रदेश के अन्दर लगभग 12-13 वर्षों से पंचायतों के निर्वाचन नहीं हुए थे। यह हमारे लिए बड़े दुर्भाग्य और शर्म की बात थी। इस सरकार ने आने के समय तक 74-102 गांव पंचायतों के चुनाव सम्पन्न करा दिये हैं। इसके साथ साथ लगभग 7 लाख गांव पंचायतों के सदस्यों के चुनाव भी कराये गये हैं। 74102 उप प्रधानों के चुनाव भी अभी अलग से सम्पन्न कराये गये हैं। मैं तो समझता हूं कि दुनिया का बहुत बड़ा यह चुनाव है, जिन्हें

बड़ी ही सफलता पूर्वक पूरे तरह से प्रदेश में सम्पन्न करा दिया गया है। अब आगे के चुनावों का जहां तक सम्बन्ध है, उनको भी कराने का फैसला सरकार ने ले लिया है। इस संबंध में मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि 4 अप्रैल से लेकर 2 जून तक क्षेत्र समितियां के चुनाव सम्पन्न करा दिये जायंगे, यह मैं यहां आज ऐलान करता हूं। इसमें मैं आपकी सिर्फ इतनी स्वीकृति चाहता हूं कि यदि कहीं किन्हीं विशेष अपरिहार्य कारणों से वहां 4-6 दिन का ऐडजस्टमेंट करना पड़े, तो उसके लिए आपकी इजाजत चाहता हूं। यों यह कार्यक्रम फाइनल है और समय पर सम्पन्न करा दिये जायेंगे और इसके बाद. . . .

श्री श्यामलाल बाजपेयी--

मंत्री जी की घोषणा के लिए बधाई प्यारे।

श्री मुख्तार अनीस--

क्षेत्र समितियों में आप कोआप्शन से करायेंगे या नामिनेशन से ?

श्री बलराम सिंह यादव--

आपकी राय क्या है, वह मुझे आप बता दीजिए।

श्री मुख्तार अनीस--

आप कोआप्शन से चुनाव करायें ?

श्री बलराम सिंह यादव--

ठीक है, मैंने आपकी राय मान ली है, कोआप्शन से ही चुनाव कराये जाएंगे। सरकार ने इसके बारे में फैसला कर लिया है। तो मान्यवर, यह तो चुनाव की बात रही . . . . (व्यवधान)

पंचायतीराज विभाग के लिए 95 लाख रुपयों का प्राविधान किया जा रहा है।

प्रादेशिक विकास दल भी हमारे प्रदेश में कार्यरत है और हम सब जानते हैं कि जो जनशक्ति निदेशालय था, इसको मिलाकर युवा कल्याण निदेशालय का गठन कर दिया गया है और इसके कार्यकलापों के बारे में हम सब जानते हैं कि हमारे युवक आज गांवों में बिखरे हुए हैं, उनको रचनात्मक कार्यों में लगाने के लिए और उनको मजबूत बनाने के लिए इसका गठन किया गया है, ताकि वह किसी भी स्थिति का मुकाबला कर सकें। प्रादेशिक विकास दल इसके लिए कार्य कर रहा है। 129.04 लाख रुपये का इस हेतु प्राविधान किया जा रहा है डी0 पी0 ए0 पी0 कार्यक्रम प्रदेश में चल रहा है। वर्ष 81-82 में 11 जनपदों के 76 विकास खण्डों में यह कार्यक्रम चलाया गया था, 82-83 में 16 जनपदों के 63 विकास खण्डों में इसे चलाया गया है और 83-84 में इस कार्यक्रम हेतु 945 लाख रुपये का प्राविधान किया जा रहा है।

समादेश विकास केन्द्र योजना को हमारे यहां लागू किया गया है और इसके अन्तर्गत गंडक, रामगंगा और शारदा सहायक 3 योजनाएं हमारे प्रदेश में चल रही हैं।

मान्यवर, जो वृहद् और मध्यम सिंचाई परियोजन हैं और जो सिंचन क्षमता सृजित होती है, उस सिंचन क्षमता को चेनालाइज करके उसे किसानों के खेतों तक पहुंचाना, पानी जो वाटर मैनेजमेंट है, वह ठीक तरह से हो, खेतों का विकास, यह तीनों हमारी जो कमांड एरिया एथारिटीज है, इस दिशा में काफी सराहनीय कार्य किया है। मैं समझता हूं, बहुत सी शिकायतें भी आती हैं, लेकिन उन शिकायतों के निराकरण के लिए तीनों जो हमारे

कमिश्नर्स हैं, वह काफी इस दिशा में सक्रिय हैं। उन्होंने खुद भी कभी-कभी मौके पर जाकर छापे मारे हैं और उन अधिकारियों को इस दिशा में दंडित भी किया है। जनता वायोगैश का कार्यक्रम भी हमारे प्रदेश के अन्तर्गत 5,283 वायोगैस संयंत्र की स्थापना की जा चुकी है। 5157 संयंत्र निर्माणाधीन हैं। 1982-83 में 14,000 संयंत्रों की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 1983-84 के लिए 402 लाख रुपये का प्राविधान किया जा रहा है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और मैं यह चाहता हूं कि हमारे माननीय सदस्य चाहे वह इस पक्ष के हों, चाहे विपक्ष के हों, अपने सुझाव दें और उनके बहुमूल्य सुझावों का मैं जो हूं, उनका स्वागत करूंगा और मैं यह चाहूंगा कि अगर माननीय सदस्य माननीय दिवाकर विक्रम सिंह अगर अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें, तो मैं बहुत-बहुत आपका शुक्रिया अदा करूंगा।

*श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

माननीय अधिष्ठाता महोदय आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 18-ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 30-पंचायतीराज विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा-कर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य--विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 82-क्षेत्रीय विकास विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य--विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपना भाषण प्रारम्भ करते ही सबसे पहले यह कहा कि ग्रामीण क्षेत्र चूंकि सबसे बड़ा क्षेत्र है, इस प्रदेश का, इस नाते उसके उत्थान की नितांत आवश्यकता है। मान्यवर, मैं यह निश्चित रूप से सदन के समक्ष कह सकता हूं कि माननीय मंत्री जी और इनकी सरकार सबसे अधिक उपेक्षा ग्रामीण क्षेत्र के उत्थान की कर रही है। श्रीमन्, मैं थोड़ा सा बजट एलोकेशन की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। मान्यवर, यह उत्तर प्रदेश आय-व्ययक की रूप-रेखा 1983-84 माननीय मंत्री जी, यह आपके शासन द्वारा दिया गया है। आप देखें, ग्रामीण राजस्व एवं अनुदान का जो आपका वितरण है, वर्ष 1977-78 में लघु सिंचाई, भू-संरक्षण और क्षेत्र विकास तथा सामूहिक विकास में कुल धन का 2.74 प्रतिशत रखा गया था।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

78-79 में यह 3.40 प्रतिशत था, 79-80 में यह 2.19 प्रतिशत था और 80-81 में जब आप पधारे तो यह घटकर 1.29 प्रतिशत हो गया। 81-82 में 1.7 प्रतिशत है। 82-83 में 1.4 प्रतिशत है और 83-84 में, 1.7 प्रतिशत है। मान्यवर, इसी प्रकार आयोजनेतर सेवाओं में राजस्व व्यय देख लें। वहां पर भी यही स्थिति है। 77-78 में 7.39 प्रतिशत है। 78-79 में 7.69 प्रतिशत है। 79-80 में 7.11 प्रतिशत है। 8-81 में 6.91 प्रतिशत है। 81-82 6.94 प्रतिशत है। 82-83 में 6.24 प्रतिशत है तथा 83-84 में 5.81 प्रतिशत है। मान्यवर, इसी तरह से आयोजनागत पर आप आयें। 77-78 में 79.37 प्रतिशत। 78-79 में 18.48 प्रतिशत। 79-80 में 20.32 प्रतिशत। 80-81 में 14.13 प्रतिशत। 81-82 में 14.25 प्रतिशत। तो जैसे ही आप पधारे हैं मान्यवर, वैसे ही लघु सिचाई, क्षेत्रीय विकास, सामुदायिक विकास जितनी ऐसी व्यवस्थायें हैं जिनसे ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था सुदृढ़ हो सकती है उन पर आपने धन घटा दिया है। आप कहते हैं कि इससे प्रदेश का विकास होगा। आप कितना विकास चाह रहे हैं यह आपकी नीतियों से स्पष्ट हो जाता है। सामुदायिक विकास, कम्युनिटी डेवलपमेंट पर 1952 में काम शुरू किया गया है। पूज्य बापू का जो स्वप्न था कि गांवों को सुदृढ़ बनाया जाय, वहां के लोगों को जागृत किया जाय ताकि वह अपनी सेवाओं को इकट्ठा करके अपने जनजीवन को सुदृढ़ बना सकें। इस समय यह जो योजना लागू हुयी थी तो बी0 डी0 ओज0 रख गये थे और ब्लाक स्तर पर कार्यकर्ता रखे गये थे। उनमें सब में एक समन्वय का कार्य चल रहा था। सन् 52 में जब यह कार्य प्रारम्भ हुआ था तो गांव के लोगों में जागृति आयी थी। बी0 डी0 ओज, ए0 डी0 ओज और ग्राम सेवक के प्रति गांवों की जनता में विश्वास प्रकट हुआ था। लेकिन आज स्थित क्या है। आपने बिल्कुल डि-सेंट्रलाइज कर दिया। बी0 डी0 ओ0 के कंट्रोल में ए0 डी0 ओ0 नहीं है। जितने ए0 डी0 ओज0 हैं वह अपने विभाग से डाइरेक्ट कंसर्ड हैं। गांव में कोई ट्यूबवेल चल रहा है या नहीं, ट्यूबवेल आपरेटर की रिपोर्ट केवल आपका बी0 डी0 ओ0 कर सकता है और इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। लघु सिचाई योजना के अंतर्गत बोरिंग मैकेनिक काम कर रहा है या नहीं इसकी रिपोर्ट केवल आपका बी0 डी0 ओ0 लघु सिचाई विभाग को कर सकता है। स्वयं कोई कार्यवाही नहीं कर सकता है।

मान्यवर, पहले जो विचारधारा थी उसमें था कि ब्लाक का जीवन कंपार्टमेंट्स में नहीं बंटा होना चाहिये। प्रथम पंचवर्षीय योजना में सामुदायिक विकास के बारे में यह लिखा हुआ है कि एक ब्लाक में किसान की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति की चीजें एक जगह पर होनी चाहिये। लेकिन यह जो आपकी नियत थी वह नियत आज समाप्त हो गयी है। आपका विभाग सचमुच कम्युनिटी डेवलपमेंट विभाग के रूप में कार्य कर ही नहीं रहा है। यह समस्या है कि बी0 डी0 ओज0 कैसे कार्य करें। दूसरी समस्या यह है कि एक तरफ तो आपका विभाग भी क्षेत्रीय विकास को चला रहा है, हरिजन विभाग भी क्षेत्रीय विकास चला रहा है और कोआपरेटिव विभाग का अलग से कार्य चल रहा है। नीचे के जो कार्यकर्ता हैं उनमें आपस में समन्वय नहीं रहा है। बहुत से विभाग इन कार्यों को अलग-अलग चला रहे हैं इससे किसान इस भ्रम में पड़ गया है कि उसको कहां से क्या चीज मिलनी है और किससे क्या चीज कहनी है। आप इस कार्य-प्रणाली से, इस कार्यशैली से सचमुच गांवों का उत्थान कैसे करेंगे। मेरी समय में यह बात नहीं आती है।

श्रीमन् गांव के उत्थान के दो मुख्य मुद्दे हैं। एक तो गांव के लोगों का मुख्य स्रोत कृषि है, उनकी कृषि को लाभदायी बनाया जाय, ताकि वे स्वयं अपने पैरों पर खड़े हो सकें। दूसरा मुद्दा जो आता है, वह ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत आता है कि उनकी कृषि के अलावा और ऐसी सुविधाएं दी जायं जिससे अगर उनकी अलाभकर जोत है, तो उनको दूसरी सुविधाओं से लाभ मिल सके, यहां पर आपका काम आता है। अपने भाषण में आपने जितने कार्य लिखाये हैं, मैं उनको एक-एक करके आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। मान्यवर, आपने अपने भाषण में जो कहा है, पहले मैं ट्राइसन योजना को लेता हूँ। मेरा यह निश्चित मत है कि गांव की बेरोजगारी, गांव की गरीबी आज केवल बेरोजगारी के नाते बढ़ रही है, अगर आप उस बेरोजगारी को किसी तरह से दूर कर सकें, तो गांव की गरीबी में निश्चित ही सुधार होगा। मान्यवर, इसी मुद्दे को ध्यान में रखते हुए, जनता शासन काल में फूड फार वर्क प्रोग्राम चलाया गया था, फूड फार वर्क प्रोग्राम में सीधे अनाज राज्य के कोष से निकलकर गांव की उस गरीब जनता तक, उस गरीब परिवार तक पहुंचता था, जिसको दो समय खाने को नहीं मिलता था, सीधे उसको उपलब्ध हो रहा था, लेकिन आपने उसमें फर्क कर दिया, आज आपने उसमें फूड फार वर्क के साथ-साथ केश कम्पोनेंट की मात्रा बढ़ा दी, कैश कम्पोनेंट की मात्रा बढ़ाने से, आज फिर ठेकेदार उसमें अधिक घुस गये हैं। आप उसको कैश कम्पोनेंट के रूप में जो पैसा देते हैं, उस पैसे को लेकर जब वह माल खरीदने जाता है, तो उस पैसे का डिवेल्यूशन हो रहा है, उसका लाभ नहीं हो रहा है। फूड फार वर्क प्रोग्राम शतप्रतिशत भारत सरकार की योजना थी, आपके उत्तर प्रदेश सरकार का उसमें कुछ भी नहीं लग रहा था, लेकिन उस योजना को समाप्त कर देने से गरीब जनता पर आघात पहुंचा है, गांव के उस वर्ग पर आघात पहुंचा है, जिसे दो वक्त खाना नहीं मिल पा रहा था। एकीकृत ग्राम्य विकास योजना चलायी गयी। एकीकृत ग्राम्य विकास योजना इस रूप में बदली, फिर, शासनकाल में एक योजना चलायी गयी थी कि हर न्याय पंचायत स्तर पर, यदि संभव हो तो, नहीं तो, ब्लाक स्तर पर एक वेयर हाउस बनाया जाय, जिसमें कि छोटे किसान, अपना गल्ला जो वे पैदा करते हैं, लाकर उसमें रख दें, उसको रखकर, उसका कुछ परसेंटेज उसे दाम के रूप में मिले, और जब गल्ले का मूल्य बढ़, तो वे उसको बेचे। मान्यवर, उसका सारा पैसा तो डाइवर्ट कर दिया आज ग्राम्य विकास योजना में आई0 आर0 डी0 योजना जनता शासनकाल में चलायी गयी...

श्री अधिष्ठाता--

माननीय दिवाकर विक्रम जी आप कितना समय और लेंगे ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

मान्यवर, थोड़ा समय तो दे ही दें, अभी बहुत कुछ कहना है। अभी तो बहुत टापिक्स पर कहना बाकी है।

श्री अधिष्ठाता--5 मिनट और ले लें।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

मान्यवर, 5 मिनट में कैसे हो पायेगा, अभी बहुत से बिन्दु बाकी हैं। अगर मैं पांच मिनट के लिए हां कह दूंगा, तो आपकी आज्ञा का उल्लंघन होगा। थोड़ा समय और लूंगा।

मान्यवर, वह जो आई0 आर0 डी0 योजना चलायी जा रही थी, उसमें वेयर हाउसिंग योजना भी उसके अंदर थी, लेकिन आपने दोनों को मिक्स करके, दोनों को एक में मिलाकर, समस्त धन आई0 आर0 डी0 और एकीकृत ग्राम्य विकास योजना में रख, भंडारण योजना जो थी, उसको आपने समाप्त कर दिया। होता क्या है कि गांव का किसान जब अपने गल्ले को खलिहान से लाता है, तो उसमें बेचने की, सबसे ज्यादा जल्दी उस छोटे किसान को होती है, जिसको कर्जा चुकाना होता है या अन्य कार्य पूरे करने होते हैं, लेकिन उस योजना को आपने बिल्कुल समाप्त कर दिया। मान्यवर, आज एक मुद्दा ग्राम्य विकास का है। किसान अपने पैरों पर स्वत: अपनी खेती लाभकर बनाकर खड़ा है, उस योजना में आधा हिस्सा आपने समाप्त कर दिया, जब केवल आपकी अनुदान पर ही वह बढ़ सकेगा, बढ़ेगा। मान्यवर, चूंकि माननीय अधिष्ठाता महोदय ने समय का नोटिस दे दिया है, इसलिए अब आइटम वाइज ही अपनी बात कहना चाहूँगा।

आपने प्रगति की बात कही है। बेरोजगारी ही गांवों की गरीबी का मुख्य कारण है। इसके लिये जो आपने अपनी ट्राइसेम योजना बनायी है, मेरा निश्चित मत है कि उससे कोई लाभ नहीं हुआ है। आपके आंकड़े कहते हैं और यह पुस्तक जो बटी है यह बताती है कि आप प्रति ब्लाक से 40 व्यक्तियों को ट्रेनिंग देंगे। 885 ब्लाक अगर मान लिये जायं तो 35,400 लोगों को आपको ट्रेनिंग देना है। इस पुस्तक में लिखा है कि 21 ऐसे केन्द्र होंगें जहां पर आप ट्रेनिंग देंगे और हर केन्द्र पर 840 प्रशिक्षार्थी होंगे। इस प्रकार आप केवल 17,640 युवकों को ही ट्रेनिंग दे पायेंगे एक वर्ष में। मैं जानना चाहता हूं कि बाकी 17,760 लोगों को आप कहां पर ट्रेनिंग देंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव—

यह कहां पर है ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

यह जो आपने पुस्तक दी ग्राम विकास विभाग की प्रगति रिपोर्ट, 1982-83, इसी में यह दिया है।

खादी ग्रामोद्योग विभाग भी कुछ लोगों को ट्रेनिंग देगा। जहां तक मेरी जानकारी है मेरे जिले में एक भी व्यक्ति को कहीं ट्रेनिंग नहीं दी गयी है इसके द्वारा। आपकी पुस्तिका में यह भी लिखा है कि आल इण्डिया हैन्डीक्राफ्ट बोर्ड हर जिले में दो मंडियां स्थापित करेगा जिसमें ऐसे लोगों की उत्पादित वस्तुओं की बिक्री का प्रबन्ध होगा। मैं जानना चाहता हूं कि यह कहां और किन जिलों में स्थापित की जायेंगी।

एक जगह यह भी लिखा है कि ट्राइसेम योजना के अन्तर्गत वर्ष 1981-82 में 29,770 नवयुवकों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया था तथा 13,717 व्यक्तियों ने प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरान्त अपना निजी रोजगार स्थापित किया। वर्ष 1982-83 में माह दिसम्बर, 1982 तक 12,173 व्यक्तियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है। (व्यवधान) मान्यवर, मेरे पास गांधी पीस फाऊण्डेशन जर्नल है मार्च, 1983 का जिसके पृष्ठ 972 पर यह फीगर्स दी हुई हैं कि आपने 29,619 लड़कों को ट्रेनिंग दी है, 17,626 लोग ट्रेनिंग पा रहे हैं, 5,575 लोग सेल्फ इम्पलायड हो चुके हैं। तो यह फीगर्स जो मैंने गांधी पीस फाऊण्डेशन जर्नल से दी हैं यह सही हैं या आपकी पुस्तक जो बटी है उसमें जो फीगर्स दी हैं वह सही हैं ?

हरिजनों के लिये आपकी पेय जल योजना है। मैं इसमें आपका ध्यान जो आपका

कार्यप्रगति है उस पर दिलाना चाहूँगा। 1982 में आवंटित धनराशि, विगत वर्षों की अवशेष धनराशि सहित। इससे पता हो जाता है कि हर वर्ष इस मद में धनराशि अवशेष रह जाती है। आप यूटीलाइज नहीं कर पा रहे हैं। 1-4-82 से 31-12-82 तक यह पृष्ठ 4 पर है। एक भी जगह ऐसी नहीं मिल रही है जहाँ 50 प्रतिशत से अधिक कार्य हुआ हो। दिसम्बर तक 50 फीसदी से अधिक कार्य नहीं हुआ तो क्या तीन महीने में आप समस्त कार्य समाप्त कर लेंगे। निश्चित ही इसमें जमकर धांधली हो रही है। हरिजनों के नाम को लेकर प्रचार करते हैं, लेकिन काम वास्तव में कहीं कुछ नहीं हो रहा है। जो काम हो रहा है उसके सम्बन्ध में मैं उत्तर प्रदेश लोक लेखा समिति का 81-82 का प्रतिवेदन जो 5 अप्रैल, 1982 को प्रस्तुत किया गया। इसकी पृष्ठ 16 पर आपकी अनुमति से तीन पैरा पढ़ना चाहता हूँ।

81-उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि विभाग ने कभी भी यह जानने का प्रयत्न नहीं किया कि इन कुओं/डिग्गियों का निर्माण सुचारु रूप से हो रहा है अथवा हुआ है। समिति को खेद है कि केवल प्रत्येक वर्ष धन का आवंटन करके ही विभाग ने अपने कर्तव्यों की इति-श्री मान लिया। ऐसी दशा में समिति संस्तुति करती है कि अवशेष धनराशि का प्रत्येक वर्ष खजाने में जमा न करने, रायबरेली तथा वाराणसी में हुये त्रुटिपूर्ण कार्यों की जांच न करने व 1978 तक कार्यों के पूरा न होने के सम्बन्ध में उत्तरदायित्व निश्चित किया जाय।

82-समिति यह भी चाहती है कि विभाग कुछ जिलों को, विशेषकर जहाँ से शिकायत प्राप्त हुई हो, जांच करके दोषी अधिकारियों के विरुद्ध भी कठोर कार्यवाही करें।

83-ग्राम्य विकास विभाग से त्रुटिपूर्ण कुओं के निर्माण के सम्बन्ध, विभागीय सचिव के एक माह का समय मांगने के बावजूद भी 6 माह पश्चात् भी स्वतः पूर्ण रिपोर्ट समिति को न भेजना समिति के मतानुसार एक गम्भीर एवं खेदजनक बात है। इसे समिति अपने आदेशों की अवहेलना मानती है तथा शासन से यह अपेक्षा करती है कि इस सम्बन्ध में शीघ्र ही समुचित कार्यवाही की जाय।

5 अप्रैल, 1982 को प्रस्तुत हुआ आज तक क्या कार्यवाही हुई। इस प्रकार इन गरीब हरिजनों के कुओं का निर्माण किया जाता है। केवल कागज में आवंटन हो गया, रेडियों पर प्रसारित हो गया, अखबार में प्रचारित कर दिया क्या इससे गरीब को पानी पीने को उपलब्ध हो जायेगा।

मेरी निश्चित राय कि बहुत बड़े पैमाने पर इसमें घपला किया जा रहा है। दूसरी बात मैं कहूँगा ग्रामीण निर्बल आवास के बारे में।

श्री अधिष्ठाता—

साढे 4 बजे तक वोटिंग होनी है। 25 मिनट से आप बोल रहे हैं एक घंटे और बोलेंगे तो अन्य माननीय सदस्य कैसे बोल पायेंगे।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

मैं एक भी शब्द अनर्गल नहीं बोल रहा हूँ न दोहरा रहा हूँ। थोड़ा समय और दे दें।

श्री अधिष्ठाता—

अगर कोई एतराज नहीं है तो आप साढ़े 4 बजे तक बोलें।

श्री बलराम सिंह यादव—

थोड़ा समय दे दीजिये सुझाव आ जायें।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

मान्यवर, निर्बल वर्ग आवास के निर्माण के बारे में आप देखें। इसकी वित्तीय प्रगति 1-4-82 में लिखा है विगत वर्षों के अवशेष तथा 82-83 की आवंटित सहित उपलब्ध धनराशि। इसमें आप देखें 81-82 की धनराशि अवशेष रह गई। पूरा धन 81-82 का समाप्त नहीं हुआ है। मान्यवर, इस सम्बन्ध में मैं 2-3 जिलों का उदाहरण देना चाहूँगा। जिला झांसी में उपलब्ध धन 24-14 लाख उपयोग 4-96 लाख, कुमायूं उपलब्ध धनराशि 15-61 लाख। पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिये मंत्री और सरकार बड़ा ढिंढोरा पीट रही है वहाँ पर उपलब्ध धनराशि 15-61 लाख और उपयोग 4-34 लाख। गढ़वाल 22.94 उपलब्ध और 4.72 उपयोग हुआ है। कहीं भी किसी भी आपके विभाग में जितनी धनराशि आज इस सदन से ले रहे हैं उसका उपयोग नहीं हो रहा है। अगर कहीं हो भी रहा है तो जैसे लोक लेखा समिति ने एक विभाग के बारे में कहा है, मेरा निश्चित मत है कि सभी विभागों का अगर देखा जाये तो सब में यही स्थिति मिलेगी। मैं निश्चित रूप से जानना चाहता हूँ कि इस तरह से इस विभाग का पूरा कार्य, पूरा संतुलन ही बिगड़ गया है तो आप ग्राम्य विकास की बात कैसे सोचते हैं, किस आधार पर सोचते हैं। एन0 आर0 ई0 पी0 की योजना ले लें, उसकी स्थिति यह है कि जितना धन इसमें आवंटित हो रहा है वह आप के यहाँ उपयोग नहीं हो रहा है। इस वर्ष, शायद आपने 15 जनवरी तक की स्थिति दी है, जो उपयोग हुआ है केवल 29 प्रतिशत। कल रात टेलीवीजन पर नेशनल न्यूज सुन रहा था, शर्म होनी चाहिए इस प्रदेश के लोगों को, उसमें कहा गया कि तामिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और एक ओर है, चार ने अपना पूरा जितना भी टार्गेट था, पूरा कर लिया और उनको अतिरिक्त आवंटन किया जा रहा है। इसी प्रकार आपका नागालैण्ड, मेघालय और त्रिपुरा थे, जितना टार्गेट था उससे उन्होंने अधिक काम कर लिया है और उनको और धन आवंटित किया जा रहा है। इसमें, इतने बड़े प्रदेश की जनता, 85 फीसदी जनसंख्या जिसकी ग्रामीण क्षेत्रों में रह रही है, वहाँ केवल 29 प्रतिशत उपयोग किया गया है। इसका क्या कारण है ? क्या इसी 29 प्रतिशत के उपयोग से इन गरीबों को अनाज बांट रहे हैं, भोजन दे रहे हैं, उत्थान का काम कर रहे हैं। अखबारों और रेडियो में जिनकी आप बात करते हैं। आपका विभाग आज बिल्कुल अक्षम हो चुका है। जो लोगों की लालसा थी, उम्मीद थी, वह समाप्त हो चुकी है। एक तरफ गरीब का गांव धधक कर जल रहा है, माँ-बेटे क्रीड़ा देख रहे हैं और यहाँ अधिकारी पैसों का दुरुपयोग कर रहे हैं। इन शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ और अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ।

*श्री धरमपाल—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आप ने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं साथ ही कटौती के प्रस्ताव का जो सामन्तवादी कृषक द्वारा रखा गया है, उसका विरोध करता हूँ।

मान्यवर, गांधी के सपनों का भारत बनाने के लिए इस कांग्रेस शासन ने पंचायत राज की स्थापना इस देश और प्रदेश में की और उसके तहत हमारे प्रदेश और देश में पंचायत राज की स्थापना की गई। पंचायतराज की दुहाई देने वाले दिवाकर जी, 1967 को याद

कर लेते जब चौधरी चरण सिंह जी ने, इनके नेता ने, जब वे उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री थे, अपनी कलम की एक नोक से जिला परिषदों का विघटन कर दिया था और जब दुबारा आये तो उन्हीं पंचायतों को भंग कर दिया। यह कांग्रेस पार्टी ही एक मात्र ऐसी पार्टी है जिसने पंचायतराज पुन: स्थापित करने के लिए स्पष्ट रूप से घोषणा कर दी और ग्राम प्रधानों के चुनाव इस बात के सबूत हैं। कहने के लिए तो कोई भी बात किसी भी समय कही जा सकती है लेकिन देखना चाहिए कि इस प्रदेश के गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को जिनको उठाने के लिए जितना 3 वर्ष में किया गया है, सम्भवत: 35 वर्षों में कहीं भी नहीं किया गया होगा। स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान, आई0 आर0 डी0 स्कीम, निर्बल वर्ग की पुनर्स्थापना के लिए ऐसी बातें रखी गयी हैं जो उनको दिखायी नहीं देती। शायद इनकी आंखों में वही चश्मा लगा है जो 1977 में ये पहने हुए थे और आज तक उतर नहीं पाया है।

(समय 3 बजे अपरान्ह)

आज तक उतर नहीं पायी। अगर उतर गई होती तो शायद उनको गाँव के किनारे किसी भी सड़क पर दुकानों की कतार दिखाई देती जो कि आर0 इ0 एस0 द्वारा बनाई गई है और इस बात का इतिहास है। आज ये जनता के लिये बनी हुई हैं तथा इनकी अपनी कहानी स्वयं कह रही हैं कि आर0 इ0 एस0 द्वारा कितना कार्य किया जा रहा है। मान्यवर, इसके रिकार्ड पीरियड के कार्य को भी देख लीजिये। आज मेरा ही जनपद इस बात का इतिहास है कि आर0 ई0 एस0 द्वारा कितना कार्य किया जा रहा है।

श्रीमन्, वर्क फार फूड के बारे हमारे माननीय सदस्य ने बड़ी तारीफ की। मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि कौन से इन्जीनियर्स के माध्यम से इन सड़कों को पाटा गया था और कौन से इन्जीनियर ने इसका ले-आउट किया था। मान्यवर, उस फूड ग्रेन्स योजना के माध्यम से जो काम हुआ है उसने देश और प्रदेश द्वारा जो गाढ़ी कमाई थी, जिसे उसने अपने खून पसीने से एकत्रित कर रखा था, वह भण्डारण इन्होंने लूट लिया। और यही नहीं ठेकेदारों ने आप लोगों के साथ साजिस करके उस स्टाक को और उस भण्डारण को बेच दिया। और आप दुहाई देते हैं कि इस योजना के अन्तर्गत हमने बहुत काम किया था। मान्यवर, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि अगर उनकी गरीबों के प्रति दर्द और पीड़ा है तो वे चलें गाँव की ओर। वहाँ जाकर आ0 आर0 डी0 की योजना को देखें, स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान को देखें। उत्तर प्रदेश में जहाँ स्वच्छ पेयजल योजना की बात कही गयी है और कहा गया कि हमने उसके लिये हैण्ड-पम्प नहीं लगाये हैं। मान्यवर, मैं चुनौती देता हूँ कि इस बात की आज वे मेरे जनपद में चले जायें, जहाँ सैकड़ों हैण्ड-पम्प इसी वर्ष लगे हैं। साथ ही माननीय सदस्य श्री दिवाकर विक्रम सिंह जी कह रहे थे एलौटेड बजट को हम 3 महीने में कैसे खर्च कर देंगें? मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति इस प्रकार की है अप्रैल, मई और जून इसके बाद जुलाई से लेकर अक्टूबर तक कोई काम नहीं होता है जो भी काम होता है वह नवम्बर से शुरू होता है तथा मार्च के अन्त तक समाप्त हो जाता

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है। श्रीमन्, मुझे अपने अधिकारियों पर पूरा विश्वास है कि हमने जितना बजट एलाट किया है उसके एक-एक पैसे को वे सही योजना पर लगाकर खर्च करेंगे और मैं इस बात की गारन्टी भी देता हूँ कि हमारे प्रदेश के अधिकारी इन योजनाओं को उत्तर प्रदेश की जनता तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे।

श्रीमन्, साथ ही साथ मैं थोड़ी बातें और कहना चाहता हूँ कि हमने निर्बल वर्ग हेतु भवन बनाने की हमारी योजना है। और यह हमारी कोई कोरी कल्पना नहीं है। इसके अन्तर्गत साक्षात रूप से गाँव उठ खड़े हो गये हैं। लेकिन इस संदर्भ में मैं माननीय मंत्री जी को सुझाव के रूप में कहना चाहूँगा कि सबसिडी के नाम पर उन्हें जो 2000/- दिया जाता है वह कम है। मैं चाहूँगा कि उन्हें साढ़े चार हजार रुपया तक अनुदान दिया जाय। नीचे के क्षेत्रों में साढ़े तीन हजार रुपए तथा पहाड़ी क्षेत्रों में 5 हजार रुपए अनुदान के रूप में निर्माण कार्य हेतु उन्हें दिया जाय।

श्रीमन्, इन्हीं शब्दों के साथ मुझे इस बात का विश्वास है कि प्रदेश के नव-निर्वाचित ग्राम प्रधानों की हत्या लोकदल के लोग नहीं करेंगे।

श्री लल्लू सिंह चौहान--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय पंचायतीराज एवं ग्राम विकास मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, उस पर कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। श्रीमन् अभी माननीय श्री दिवाकर विक्रम सिंह जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उस पर वे आँकड़ों को देखकर बोल रहे थे और कह रहे थे कि बजट का 29-30 परसेन्ट ही उपयोग हुआ है। और माननीय श्री धरमपाल जी कह रहे थे हमें अपने अधिकारियों पर विश्वास है कि वे इसे पूरा खर्च कर देंगे। मान्यवर, इस प्रकार से विकास होने वाला नहीं है। विरोध पक्ष ने जो भी बातें कही हैं वह उनकी किताब को पढ़कर कही हैं। लेकिन सत्ता पक्ष वाले कहते हैं कि वह गलत कह रहे हैं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप इस बात पर विचार करें कि जिस पंचायती राज की कल्पना की गई थी क्या आप उसे साकार कर रहे हैं। क्या आज ग्राम-प्रधान और ग्राम सभापति आज यह महसूस कर रहा है कि मैं ग्राम का प्रथम नागरिक हूँ। श्रीमन् आज कोई भी ग्राम-प्रधान अपने को ग्राम सभा का प्रथम नागरिक नहीं कहता है। जो आज ग्राम सभा का प्रथम नागरिक है उन्हें आप प्रमोट कीजिये, जो मनोनीत से जनता की सेवा करना चाहते हैं उन्हें आप निराश न कीजिये। उन्हें निराश करने से कोई काम चलने वाला नहीं है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से विकास खण्ड पर चलने वाले पंचायती उद्योग जो पंचायती राज के अंतर्गत आते हैं। लाखों रुपए इन पंचायती उद्योगों पर सरकार खर्च करती है, जो टाट पट्टी कोई और बनाता है और उसे खरीदती है सरकार और इसके बीच में एक चीज है कमीशन। लेकिन इसके बावजूद भी आप देखें कि इसमें कोई फायदा नहीं है। यहाँ तक कि इसमें जो इसके शेयर होल्डर्स हैं उनको तक प्राफिट नहीं मिलता है। सारे के सारे अधिकारी नीचे से ऊपर तक मिल-बांट कर खा जाते हैं, जनता के प्रतिनिधियों की कोई आवाज नहीं है। मैं प्रमुख भी रहा हूं, पहले भी विधायक रहा हूं, फिर विधायक हुआ हूँ। मैंने यही देखा कि जन प्रतिनिधि प्रधान कहीं बुलाया नहीं जाता है, सारी मीटिंगों में अधिकारी छाये रहते हैं। न तो बी0 डी0 ओ0 पर किसी का कण्ट्रोल है। अगर मा0 मन्त्री जी ग्राम्य विकास चाहते हैं, तो जैसा कि हम जानते हैं कि कैबीनेट में आपकी क्या पोजीशन है। सदन इस बात का फैसला कर ले कि राजस्व

मन्त्री और ग्राम्य विकास मन्त्री बराबर के स्तर पर हैं, लेकिन राजस्व विभाग का लेखपाल ऊपर बैठता है और ग्राम प्रधान नीचे बैठता है। मैं कई उदाहरण देकर कह सकता हूं कि मैनपुरी जिले में मरे हुए प्रधान, उनके जमाने के पट्टे 78 में किये गये, लेखपाल ने, जो प्रधान मर गया, उसके दस्तखत कर दिये और पट्टे बांट दिये। वर्तमान प्रधान एफीडेविट देता है कि हमने पट्टे नहीं किये, पूर्व प्रधान पहले मर गये थे, तब पट्टे नहीं हुए थे, लेकिन फिर भी पट्टे खारिज नहीं हो रहे हैं। इसी तरह चक रोड्स का मामला है.....

(व्यवधान)

श्री धरमपाल—

इसका ग्राम्य विकास से क्या सम्बन्ध है ?

श्री ललू सिंह चौहान—

सम्बन्ध है, तभी तो कहता हूं। आप सारा काम बी0 डी0 ओ0 से, अधिकारियों से और माइनर इरीगेशन से करना चाहते हैं, पंचायतों को आप कमजोर करना चाहते हैं। ग्राम्य विकास तभी होगा जब जनता के प्रतिनिधियों का उसमें पार्टीशिपेशन हो। न्याय पंचायतों के साथ आपने क्या किया, जैसे आनरेरी मैजिस्ट्रेटों का खात्मा किया, वैसे ही न्याय पंचायतों का खात्मा कर दिया। मैं आपसे सिद्धान्त की बात कहना चाहता हूं कि पंचायती राज को मजबूत करना है और उस जरिये से ग्राम्य विकास करना है तो आप उन नीतियों को लागू कीजिये, जिनके जरिये से ग्राम्य विकास हो सकता है। कम्युनिटी डेवलपमेंट की पंडित नेहरू के जमाने में जो नीति थी, वह अब खत्म हो गयी है। उन्होंने कहा था कि हम ग्राम पंचायतों को अधिकार देंगे। बाद में धीरे-धीरे नौकरशाही सब पर हावी हो गयी। बजट आपने देखा है, जितना समय दिया जा रहा है, अगर ईमानदारी से काम किया जाय, एम0 एल0 एज0 का अपनी कांस्टीटुएन्सी में से हो, अगर सबकी राय से काम किया जाय तो यह बजट लाभदायक हो सकता है। सरकारी अधिकारी ही सब कुछ करने वाले हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं है। इसी के साथ ही मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री माधव प्रसाद—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे ग्राम्य विकास के बजट पर बोलने का मौका दिया, आभारी हूं।

मा0 मन्त्री जी ने जो बजट पेश किया है, बहुत ही विस्तृत और उचित है। यह बजट ऐसे व्यक्तियों के लिये है, जिनका सीधा सम्बन्ध गांवों से है और ऐसे लोगों के लिये है, जो गरीबी की रेखा से नीचे बसते हैं। उनके उत्थान के लिये हमारे शासन की नीति है कि उनको कैसे उठाया जाय। उन उद्देश्यों को देखते हुए हमारी सरकार ने एकीकृत ग्राम्य विकास योजना और बेरोजगार योजना चलायी है। इसके अन्तर्गत अभी तक हमारी सरकार ने लगभग 887 विकास खण्डों में यह योजना लागू की है। लेकिन मैं माननीय मंत्री जी को सुझाव देना चाहता हूँ जिन 600 परिवारों को जो गरीबी रेखा से ऊपर उठाये जा रहे हैं उनके लिए कोई माप-दण्ड नहीं बनाया गया है इस परिवार के लोग किस स्थिति में हैं या किस स्तर से इनको उठाया जा रहा है। इसके लिए एक जोतबही पुस्तिका की तरह एक

पुस्तिका तैयार की जाए, जिस पर इनका फोटो हो और यह लिखा होना चाहिए कि इनको किस प्रोग्राम के तहत ऊपर उठाया जा रहा है और उस पर इनका नाम हो, दिया जाए दूसरे जो निर्बल वर्ग आवास योजना के अन्तर्गत आप गरीबों को, उनके प्रत्येक ब्लाक में 20 मकान बनाने की बात कर रहे हैं, जिस पर उन्हें 2-2 हजार रु0 देने की बात भी कह रहे हैं तो मान्यवर आपके माध्यम से मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि बजाए हर ब्लाक में 20 मकान बना के 10 ही मकान अच्छे बनें जो बाढ़ का सामना कर सकें, इसके लिए उन्हें बजाए 2 हजार रु0 देने के चार रु0 या पाँच रु0 दिया जाए ताकि वह एक अच्छा कमरा बनवा सकें। तीसरा सुझाव मान्यवर मेरा यह है कि जब पेयजल योजना के अन्तर्गत कुएं बनवाए जा रहे हैं, उसके स्थान पर यदि उसी लागत में हैण्ड पम्प लगवाएं जाएं और जो हरिजन कुछ ताकतवर हैं, वह अपने जोर से अपने घर के सामने कुआं बनवा लेते, तो इस बात का ध्यान रखा जाए, साथ ही जितनी लागत में कुएं बनवाएं जायेंगे, उससे कम लागत में उससे कहीं ज्यादा हैण्ड पम्प लगवाए जा सकते हैं। और चौथा सुझाव मान्यवर, हमारा यह है कि जो एन0 आर0 ई0 पी0 या आई0 आर0 डी0 योजना के अंतर्गत पैसे देकर अमुक दुकान से चीजें खरीदवाने की बात कही गयी, इसमें मेरा सुझाव यह है कि आप पैसे दे दें परन्तु अमुक दुकान एलाट न करें। जिससे अधिकारीगण अपना कमीशन खा जाते हैं, यह न होकर वह अपनी मर्जी से जहाँ चाहे जिस दुकान से डनलप खरीदे, या भैंस खरीदे या परचून की दुकान करे इसकी छूट दी जाए। फिर ट्राइसेम योजना के अन्तर्गत आपसे निवेदन करूँगा कि जिन 100 अभ्यर्थियों को जिस विषय में भी ट्रेनिंग दी जाती है, जब वह विषय की वह विद्यार्थी प्रवीणता हासिल कर ले तो उसे उसी से संबंधित रोजगार नगद पैसे देकर कराने की व्यवस्था करें साथ ही मैं सी0 डी0 ओ0 के बारे में कहना चाहता हूँ। डायरेक्ट सी0 डी0 ओ0 की पोस्ट जो अधिकारी बनाकर बैठा दिये जाते हैं, उन्हें यह तक तो पता नहीं होता कि आलू कैसे करता है नीचे की ओर से करता है या ऊपर की ओर से। इसलिए मेरा निवेदन है कि बी0 डी0 ओ0 से प्रोन्नति करके जिला विकास अधिकारी बनाएं जाएँ और फिर जिला विकास अधिकारी के पद से चीफ डेवलपमेंट आफिसर बनाया जाए। और अंत में मेरा सुझाव है कि ग्राम पंचायतों में इतना आवश्यकतानुसार बजट में अवश्य प्राविधान किया जाए कि जहाँ पर खड़न्जा आदि लगवाने या अन्य कोई छोटे-मोटे कार्य करवाने हों तो आसानी से कराए जा सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूँ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं लेकिन पूरे प्रदेश में गांव पंचायतों के चुनाव सफलता के साथ सम्पन्न करा देने तथा आज सदन के सामने माननीय मंत्री जी द्वारा खण्ड विकास समितियों के चुनाव जून तक करा देने की घोषणा के लिये मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा।

(सत्ता पक्ष के विधायकों द्वारा मेजों का थपथपाया जाना)

श्री श्याम लाल वाजपेयी--

आज आपने बुद्धि की बात की है।

श्री राम आसरे वर्मा--

वह बुद्धि तो आपके नजदीक बैठने की वजह से आयी है।

(हंसी)

डाक्टर बृज किशोर मिश्र—

जब इतनी बुद्धि आपको आ गयी है तो हम आपको आगे कुछ बनाने पर विचार करेंगे।

श्री राम आसरे वर्मा—

यदि आप लोग ऐसे ही करते रहेंगे तब तो मैं अपनी बात कह चुका। मान्यवर, पंचायतों के चुनाव करा दिये गये लेकिन इन पंचायतों के माध्यम से पूरे प्रदेश भर में प्रधानों का एक जाल सा फैला है। मैं उनकी प्रतिष्ठा कायम करने के लिये माननीय मंत्री जी से—

श्री सुन्दर सिंह—

अधिष्ठाता जी, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। प्रश्न यह है कि अभी माननीय सदस्य ने प्रधानों के लिये "जाल" शब्द का प्रयोग किया है, जो कि इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता—

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री राम आसरे वर्मा—

मुझे लगता है कि माननीय सदस्य का किसी जालसाज से सम्पर्क रहा है, इसीलिये उनको जाल शब्द पर आपत्ति हुई। मान्यवर, मैंने यहां जाल शब्द को नेट वर्क के रूप में इस्तेमाल किया है, मेरा अभिप्राय नेट वर्क से है। तो मैं कह रहा था कि जो चुनावों के माध्यम से प्रधान आये हैं, उनकी प्रतिष्ठा जन प्रतिनिधियों की प्रतिष्ठा की तरह ही होनी चाहिये। जैसा कि अभी एक सदस्य कह रहे थे कि लेखपाल भी अपने को प्रधान के ऊपर समझता है, यह बात सही है। एक थाने का सिपाही समझता है कि वह भी एक प्रधान के लिये काफी है। अब खण्ड विकास समितियों के चुनाव होने वाले हैं जिसमें उन्हीं प्रधानों के खिलाफ पेशबन्दियां की जायेंगी, उनके खिलाफ फर्जी मुकदमें कायम किये जायेंगे उसके बाद पैरवी करके अपना प्रभाव कायम करने की कोशिश की जायेगी। इस तरह से प्रधानों की प्रतिष्ठा जन प्रतिनिधियों की तरह नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से अपेक्षा करूंगा कि वे प्रधानों की प्रतिष्ठा जन-प्रतिनिधियों की प्रतिष्ठा की तरह कायम करने के लिये कोई कदम उठायेंगे।

मान्यवर, चुनाव तो हो गये परन्तु उनके सारे क्रिया-कलापों में निष्क्रियता है। आज भी हमारे ग्राम्य पंचायतों से कोई उम्मीद नहीं कर सकते हैं क्योंकि वे एक दम सक्रिय नहीं हैं। मैं चाहता हूं कि जो भी विकास का कार्य होता है उसके साथ गांव पंचायतों को इनसे अभिन्न रूप से जोड़ दिया जाना चाहिये। अगर गांव पंचायतों को उनसे अलग करके हम सक्रिय होने की कल्पना करते हैं तो यह हमारी नासमझी ही होगी।

(लाल बत्ती होने पर)

मान्यवर, अभी तो मैं अपनी बात कह ही नहीं पाया हूं, मुझे 5 मिनट का आप समय दे दें।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हो रहा है, केवल एक मिनट में ही अपनी बात कहिये।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, खण्ड विकास के कार्यक्रमों पर सारे प्रदेश की नजरें लगी रहती हैं और आज उनको निष्क्रिय बना कर रखा गया है। दूसरी कुछ बात मैं माननीय मंत्री जी के एक अन्य विभाग के बारे में करूंगा। मान्यवर भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन की एक करोड़ की योजना थी। यह केन्द्र सरकार की पुरोनिर्धारित योजना थी और उनको जिस तरह से मैकेनिकल एक्सपर्ट्स से कराया जाना था, वह नहीं कराया गया। इसलिए वह योजना बेकार हो गयी। मान्यवर, इसका कार्य बहुत ही जरूरी है। केन्द्र सरकार ने भी इसको

माना और राज्य सरकार भी इसके महत्व को मानती है। मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है, अन्वेषणात्मक छिद्रण कार्य कराया जाय। इस पर शासन को गौर करना चाहिए। हमारे यहाँ मैकेनिकल एवं जियोफिजिकल एक्सपर्टाइजों की जरूरत है। इसलिए उनको लाया जाय। और केंद्र सरकार की सिफारिश है कि एक अधीक्षण अभियन्ता की नियुक्ति की जाय। लेकिन अभी एक अधीक्षण अभियन्ता की आफीसिएटिंग के रूप में नियुक्ति की गयी है, मंत्री जी के आदेशों के बाद भी वह आदेश खटाई में पड़े हुए हैं। नौकरशाही उनको जारी नहीं कर रही है और टालमटोल कर रही है। इस प्रकार से वह शासन को बदनाम कर रहे हैं।

प्रदेश के गांव सभाओं, खंड समितियों और जिला परिषदों के चुनाव सम्पन्न कराकर विकास कार्यों को जब तक उनसे जोड़ा नहीं जाता तब तक जिन लोकतांत्रिक मूल्यों की इस शासन द्वारा बात की जाती है, मखौल बन जायगा। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ और एक बार पुनः मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं पंचायतों के चुनाव तुरन्त करा देने के लिए।

श्री अनवार मुहम्मद खाँ---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने जो मुझे इस बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया है, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ और समर्थन करता हूँ। जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया गया है उसका मैं विरोध करता हूँ। इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूँ, एक शेर कहता हूँ---

यह तो मुमकिन है तेरी याद भुला दूं
तेरा एहसान है महबूब से भुलाऊँ कैसे।

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट के बारे में कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। मैं अलीगढ़ के अतरौली क्षेत्र से आता हूँ। वहाँ पर एक भारी समस्या है। उसको मैं माननीय मंत्री जी के सामने रखना चाहता हूं। मान्यवर, मेरे क्षेत्र में पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या है। वहाँ पर जो कुएं हैं, वह सूखने लगे हैं, उनमें पानी नहीं है, लोग त्राहि त्राहि कर रहे हैं। पिछली बार मैंने लिखकर भी दिया था। मुझसे एक सूची मांगी गयी थी जिसको मैंने दे दिया था लेकिन एक भी कुवां ठीक नहीं किया गया और न कोई हैण्डपाइप ही लगाया गया है इसलिए मा0 मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि इस ओर वह अवश्य ध्यान दें। और पेय जल की व्यवस्था करावें इसके अतिरिक्त मैं एक और निवेदन करना चाहता हूँ कि जो आपकी स्कीम एन0 इ0 आर0 पी है उसमें 40 प्रतिशत और 60 प्रतिशत का मारजिन होता है, 40 प्रति0 मटेरियल का और 60 प्रतिशत लेबर का। इससे काम नहीं हो पाता है। पुलिया बन नहीं सकती हैं। मैं चाहता हूँ कि आप इसको बदल दें 60 प्रतिशत मटेरियल और 40 प्रतिशत लेबर कर दें तभी कार्य सम्भव है। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि आजादी के 35 वर्ष समाप्त हो गये हैं लेकिन गांव की दशा सुधारी नहीं है वहां पर खड़न्जा नहीं है, नाली नहीं है और उनके पास कोई साधन नहीं है जिससे गांव सभाएं इन चीजों को कर सकें अगर गांव सभाओं के पास फंड हों तो वह नाली, शौचालय, खड़न्जे की व्यवस्था कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त निर्बल वर्ग के लिये आवास की व्यवस्था के बारे में बातें कही गई। मान्यवर, इसके लिये 2 हजार रुपये का मैटीरियल उनको दिया जाता है। इस दो हजार रुपये में वहां पर बड़ा घपला होता है उसमें केवल गाटर, पटिया और दरवाजा ही दिया जाता है लेकिन लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता कि वे इससे पूरे आवास की व्यवस्था कर सकें। मैं चाहता हूं कि इस राशि को बढ़ाकर आप 5 हजार रुपये कर दें और मकान बना कर उन्हें दे दें। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो उसमें काफी घपला हो जायेगा... (व्यवधान)। मान्यवर, माननीय सदस्य चाहते हैं मैं एक शेर पढ़ दूं---

मैंने बख्शी हैं तारीकियों कि ज़िया
और खुद एक कुदल्ली का मोहताज हूं।

मान्यवर, रोशनी देने वाले को भी एक दिये की जरूरत होती है। मेरे क्षेत्र में सड़कें बहुत खराब हैं। वहां पर कोई सड़क नहीं है, कोई लिंक रोड नहीं है जिससे गांव जुड़ सकें। वह

बैकवर्ड क्षेत्र है। अगर आप किसी क्षेत्र की तरक्की चाहते हैं, वहां के उत्पादन को बढ़ाना चाहते हैं तो गांवों के लिये सड़कों का बनाना परमावश्यक है। लिहाजा मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि मेरे क्षेत्र अतरौली जिला अलीगढ़ में जो कि एक बैक-वर्ड क्षेत्र है जहां कि कोई आज तक तरक्की नहीं हुई है, कोई सड़क नहीं बनी है, कोई सुविधा वहां नहीं दी गई है उसके लिये आप सारी सुविधायें दें, सड़कों और नलकूपों का इन्तजाम करें जिससे वहां के लोग भी खुशहाल हो सकें। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

*श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री---

माननीय अधिष्ठाता जी, गांवों की हालत आज इतनी खराब है कि अगर उनकी दशा का चित्रण किया जाय.... (व्यवधान)। आश्चर्य की बात यह है कि शायद ही कोई भाग्यशाली विधायक होगा जिसका कि गांवों से सम्बन्ध न हो, जो गांवों की मिट्टी में न खेला हो और जो इस बात पर विश्वास न करता हो कि जब तक गांवों की तरक्की नहीं होगी तब तक देश की प्रगति नहीं होगी और प्रदेश की प्रगति का प्रश्न ही नहीं उठता है।

श्री श्याम लाल बाजपेयी---

अरहर का खेत देखा है ?

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री---

मैंने ज्वार का भी खेत देखा है। श्रीमान जी, ग्राम्य विकास विभाग के सम्बन्ध में मंत्री महोदय ने जो चर्चा की है, वे इस समय सदन में उपस्थित नहीं हैं, मैं उनसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि माननीय सदस्य ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, उस प्रस्ताव का मंत्री जी को समर्थन करना चाहिए। अपने विभाग के बारे में जितनी भी बातें उन्होंने बतायी हैं और सदन से यह अपेक्षा की है कि उससे गांवों का विकास होगा लेकिन उससे गांवों का विकास होना संभव नहीं है। मैं आपके समक्ष इनके विभाग के दो-तीन उदाहरण पेश कर रहा हूं जिनसे मालूम हो जायेगा कि लघु सिंचाई विभाग के क्या कारनामें हैं। लघु सिंचाई विभाग ने जब अपने उद्देश्यों की घोषणा की थी गांवों में निजी स्रोतों में वह सहायता प्रदान करेंगे, नलकूप खुदवायेंगे और इस प्रकार का काम करेंगे। जिला परिषदों के माध्यम से जो सिंचाई के लिये गांवों में बंदिया बनती थी जिनसे पांच-पांच सौ एकड़ की सिंचाई होती थी जिसको आप जिला परिषद, सिंचाई विभाग या कृषि विभाग के माध्यम से कराते थे। तो इनका एक शासनादेश हुआ कि सारा काम लघु सिंचाई विभाग करेगा। शासनादेश का लम्बा चौड़ा पत्र मेरे पास है उसको मैं आपके पास पहुंचा दूंगा क्योंकि उसे पढ़ने में काफी समय लग जायेगा। तो यह लघु सिंचाई का काम इस विभाग के जिम्मे कर दिया। हमारे यहां बुंदेलखंड में झांसी में बंधियां बना कर सिंचाई करने का एक मात्र साधन है, बड़ी बड़ी बंधियां बना कर सिंचाई वहां हो सकती है। एक साल पूरा हो गया जिला योजना से पास होकर वह योजना आ गयी, मैंने पत्र भी लिखा और ग्राम्य सचिव महोदय को इस संबंध में जानकारी दी। पहले तो विभाग ने कहा कि योजना जिला से पास होकर आनी चाहिये, जब उसमें काफी संघर्ष हुआ तो मेरे पास पत्र लिखकर आया कि यह हमारे अंतर्गत नहीं है। मेरे पास इनके पत्र हैं जिसमें शासन ने लघु सिंचाई विभाग को आदेश दिया है कि इस प्रकार बंधियों का निर्माण उनके संरक्षण में होगा। अब एक वर्ष के अंदर झांसी, ललितपुर, हमीरपुर और बांदा में 18 ब्लाक ऐसे हैं जहां खेती बिलकुल सूख गयी है। तो यह लघु सिंचाई विभाग के कारनामे हैं। उन्होंने पहाड़ी और पठारी क्षेत्र के अंतर्गत अनुदान की एक योजना का जिक्र किया। जिसमें 50 प्रतिशत अनुदान मिलेगा लेकिन किसान उसमें जब तक 15 हजार रुपया अग्रिम धनराशि के रूप में जमा नहीं करेगा तब तक काम शुरू नहीं होगा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और अगर कुंआ फेल हो गया तो दो हजार रुपया काट कर पैसा वापस कर देते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि किसान पैसा कहां से लायेगा (लाल बत्ती होने पर) मान्यवर, केवल चार मिनट का समय आप दे रहे हैं इससे कैसे होगा अच्छा यह होता कि कुछ सदस्यों के नाम चुन कर कम से कम 15 मिनट का समय उनको बोलने के लि दे देते।

ग्रामीण एकीकरण योजना के अंतर्गत जो रोजगार के लिए अनुदान दिया जाता है यह बैंकों के माध्यम से दिया जाता है। मेरी सुनिश्चित जानकारी है कि किसान जो विकास अधिकारी से फार्म पास कराकर ब्लाक के माध्यम से, जिले के माध्यम से बैंक तक जाता है तो बैंक के अधिकारी कहते हैं कि मुझे सिफारिश से कोई मतलब नहीं है मैं अलग से जांच करूँगा तो अलग से जांच कराने में किसान को ढाई हजार के स्थान पर डेढ़ हजार ही मिल पाता है। मेरी जानकारी है कि बुंदेलखंड में 100 प्रतिशत जो फार्म गये हैं उसमें से केवल 30 प्रतिशत लोगों को कर्ज मिलता है और उसमें से उनको बैंक अधिकारियों को पांच सौ से एक हजार रु0 तक देना पड़ता है।

श्री अधिष्ठाता—आपका समय समाप्त हुआ कृपया आप बैठें।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—एक बात कह कर समाप्त करता हूं...

श्री अधिष्ठाता—नहीं अब आप बैठें मैंने श्री चन्द्र शेखर त्रिवेदी को बुला लिया है।

श्री प्रियदर्शी जेतली—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, जिस ऐंगिल पर मैं खड़ा हूं वहां पर सामने आपका माइक आ रहा है जिससे मैं दिखाई नहीं पड़ रहा हूं। दूसरा यह कि आपने एक डाक्टर को बुला लिया है और डाक्टर पति को नहीं बुलाया है।

श्री चन्द्रशेखर त्रिवेदी—

मान्यवर, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे ग्राम्य विकास विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया। मैं पंचायती राज मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और जो विरोध पक्ष से कटौती का प्रस्ताव रखा गया है उसका विरोध करता हूं।

श्री गौरी शंकर भैय्या—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि विरोधी दल के अंदर जो अलग-अलग दल बैठे हुए हैं उनमें से एक-एक को कम से कम बुला लें...

श्री अधिष्ठाता—क्या किसी दल के दो सदस्य बोल चुके हैं ?

श्री मुख्तार अनीस—मान्यवर, कांग्रेस दल के दो से ज्यादा लोग बोल चुके हैं।

*श्री चन्द्र शेखर त्रिवेदी—

मान्यवर, मैं मा0 मंत्री जी और पंचायतीराज मंत्री का आभारी हूं कि उन्होंने पिछले 10-12 वर्षों से पड़े हुये क्षेत्रीय समितियों के चुनाव को आज संचालित करने की घोषणा यहां सदन में कर दिया। और जैसे कि मान्यवर, 10-12 वर्षों से पड़े हुये ग्राम सभाओं के चुनाव पिछले साल कराये गये। मान्यवर, जैसा कि आप जानते हैं 80-85 फीसदी आबादी देश की गांवों में रहती है तो यदि गांवों का विकास करना है तो पंचायतराज और प्रजातंत्र सुदृढ़ होगा तो गांवों के लोगों की तरक्की करने का अवसर मिलेगा। मान्यवर, इसी के अन्तर्गत हमारे अपने प्रदेश में पंचायतों को सुदृढ़ करने के लिये 'थ्री, टायर सोल सिस्टम' अपनाया गया है जैसे ग्रामसभा, ब्लाक और जिलापरिषदें। मान्यवर, पहले मैं निवेदन करना चाहता हूँ ग्रामसभाओं के प्रधानों के बारे में जिनकी स्थिति बड़ी दयनीय आज है। मान्यवर, प्रधान सतभतरे हैं क्योंकि जो भी अधिकारी उनके पास पहुंचता है जैसे कि नायब-तहसील-दार, तहसीलदार, एस0 डी0 ओ0, कोआपरेटिव के लोग, थाने के लोग, दरोगा आदि सभी प्रधान के ऊपर रोब जमाते हैं और हावी रहते हैं, इसलिये प्रजातंत्र को और न्याय पंचायतों को मजबूत करना है तो ग्राम प्रधानों की स्थिति मजबूत हमको बनाना पड़ेगा। मान्यवर, हमारे यहां ग्रामसभाओं को चलाने के लिये टैक्स की व्यवस्था है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो टैक्स वसूल होता है वह कागज पर वसूल होता है और कागज पर ही खर्च हो जाता है, इसलिये निवेदन है कि जैसे देश के दूसरे प्रदेशों में रेवेन्यू का कुछ प्रतिशत ग्राम-

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सभाओं के खर्च के लिये दिया जाता है, उसी प्रकार मैं चाहता हूं कि अपने रेवेन्यू का कुछ हिस्सा ग्रामसभाओं को उनके खर्च के लिये दिया जाये क्योंकि उनका अपना कोई बजट नहीं है, वह शासन के अनुदान पर निर्भर करते हैं, जब शासन की तरफ से अनुदान दिया जाता है तो ग्रामसभायें कोई जनता के भलाई का काम कर सकती हैं क्योंकि वह कोई टैक्स तो लगा नहीं सकती हैं।

मान्यवर, बी0 डी0 ओ0 की हालत आज बहुत खराब है। जो ग्राम विकास विभाग द्वारा वहां यह अधिकारी तैनात किये जाते हैं। उनको उरद और मूंग की पत्ती का ज्ञान नहीं है, गन्ने और पतावर की पत्ती का ज्ञान नहीं है, गेहूं और जई की पत्ती का ज्ञान नहीं होता है, इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गांवों का यदि समुचित विकास करना है तो ग्राम विकास मंत्रालय की स्थापना इस प्रदेश में तुरन्त करना चाहिये जो इस संबंध में प्रशिक्षित लोगों और जानकार अधिकारियों को गांवों में नियुक्त करे। मान्यवर, बी0 डी0 ओ0 भी सतभतरे हैं, वह किसके कंट्रोल में हैं यह उनको पता नहीं है, उनके ऊपर सभी लोग हावी हैं। मान्यवर, बी0 डी0 ओ0 के दो तरह के स्केल हैं—पी0 सी0 एस0 और तहसीलदार स्तर के स्केल हैं। इसलिये मैं चाहता हूं कि दोनों का स्केल एक किया जाये और पी0 सी0 एस0 स्केल सभी को दिया जाये। चूंकि 20 सूत्री कार्यक्रम, क्रांतिकारी कदम है और उसको पूरी तरह से लागू करने की बी0 डी0 ओ0 की जिम्मेदारी है, इसलिये उनका वेतनक्रम ठीक किया जाये।

मान्यवर, जिला परिषदों के बारे में निवेदन है कि उनकी हालत खराब है। लोकल रेट 1952 में निश्चित किया गया था और 30 वर्ष बाद आज भी वही लोकल रेट जिला-परिषदों को मिल रहा है जिससे वह अपने कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पा रहे हैं। इसके अलावा जिलापरिषदों के पास शिक्षा नहीं है, उनके भवन टूट गये हैं, टैक्स वसूल नहीं हो रहा है, इसलिये मैं चाहता हूं कि या तो जिलापरिषदों को समाप्त किया जाये या उनके आय के साधन और उपलब्ध कराये जायं जैसे जिलापरिषदें 2 हजार रुपये तक टैक्स लगा सकती हैं तो मेरा सुझाव है कि इसको बढ़ाकर 10 हजार रुपये तक किया जाये।

मान्यवर, एक्ट में यह संशोधन मंत्री जी करें कि देहात में जिला परिषद् के अध्यक्ष के पद के ऊपर वही व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, जो गांव का रहने वाला हो और जिसकी गांव के जीवन से वाकफियत हो। मान्यवर, मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जो कि मंत्री जी के विभाग से विशेष सम्बन्धित नहीं है, फिर भी वह उनकी योजना है और वह शारदा सहायक स्कीम के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं। शारदा सहायक योजना में सीपेज की गांवों में बड़ी समस्या है। सीपेज के बारे में अभी चर्चा हो चुकी है, जिनकी जमीन सीपेज से प्रभावित है, वहां से आप सीपेज को समाप्त करने की कृपा करें और जबतक वह समाप्त न हो, तब तक उनका लगान माफ होना चाहिए, तभी किसानों का और गांव का विकास हो सकता है। इसके साथ मैं मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, दिवाकर विक्रम सिंह जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, उसके समर्थन में मैं कुछ बात कहना चाहता हूं। निश्चित रूप से इस योजना का प्रादुर्भाव उस सबसे पिछड़े जिले से हुआ था—वह पहले जनपद इटावा के महेवा स्थान से शुरू हुआ था। वहां से गांवों और भारत के विकास के लिए प्रकाश किरण शुरू हुई थी। और उसी धरती से हमारे मंत्री जी आते हैं और अब उनको देखकर लगता है कि उन्हीं के सामने-सामने वह ज्वाला बुझ जाएगी। इस संबंध में मैं कहां से शुरू करूं, नीचे से न शुरू कर ऊपर से शुरू करना चाहता हूं। इसका उद्देश्य था सत्ता का विकेन्द्रीकरण और सत्ता का विकेन्द्रीकरण पंचायतों को अधिकार देने से ही सम्भव है। लेकिन उनको अधिकार दिए नहीं गये हैं। तो मैं आपसे दो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ?

मिनट चाहूंगा, इस विभाग में सर्वोच्च पद पर बैठे हैं—ए0 पी0 सी0, जिसको हिन्दी से कोई मतलब नहीं है। यह हमारी मान्यताओं के सर्वथा विपरीत है। सारा कार्य मंत्री जी के विभाग में अंग्रेजी में हो रहा है, यह शर्म और लज्जा की बात है। हम जनप्रतिनिधि जो लिखकर देते हैं उसका कोई प्रभाव नहीं होता है, कलेक्टरेट से और जिला से जो रिपोर्ट आ जाएगी, उसका कार्यान्वियन हो जाएगा। यह हमारी और आपकी सबकी अवमानना है। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि मंत्री जी का अपने विभाग पर कोई नियन्त्रण नहीं है। जिसकी मिसाल यह है कि 25 बी0 डी0 ओज0 सस्पेण्ड हुए और कितनों का ट्रांसफर हुआ, क्या मंत्री जी ने उस पर एप्रूवल दी? पचासों आदेश मंत्री जी ने दिए, लेकिन वह ए0 पी0 सी0 की फाइलों में सड़ रहे हैं। आई0 आर0 डी0 में जो जी0 आर्ये हो गये, लेकिन मुझे बता दें कि यदि इनकी जानकारी मंत्री जी को हो। इससे बड़ा नंगा नाच नौकरशाही को देखने को क्या मिलेगा। अभी चेतराम गंगवार, जिनको हम अचेत राम गंगवार कहते हैं, उन्होंने क्या कहा—आपने कभी अरहर का पेड़ देखा है, उनमें से कितनों ने अरहर और चना का खेत देखा है। आपके विभागीय अधिकारी सक्षम है उनको प्रमोशन क्यों न दिया जाए। जिन्होंने कभी अपनी आंख से गांव नहीं देखा उनके जिम्मे गांवों को सुधारने की जिम्मेदारी नहीं देनी चाहिए। इसके साथ गांव की जनता के साथ धोखा और विश्वासघात हो रहा है कम्युनिटी डेवलपमेंट की जो कल्पना है वह स्व0 पंडित जवाहरलाल नेहरू के मस्तिष्क की परिकल्पना रही है, जिससे देश को नई योजना, विकास की नई दिशा मिली थी। मैं सिद्धान्तों के लिए सदैव जवाहरलाल नेहरू से लड़ता रहा हूं, लेकिन इस परिकल्पना के लिए मैंने उनकी सराहना की है। उसमें यह भी था कि जिला परिषद का अध्यक्ष जिलाधीश का कैरेक्टर रोल लिखूंगा। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि आज वह सुन्दर कल्पना कहां चली गई है। मंत्री जी ने गांव पंचायतों के चुनाव करा दिए, उसके लिए बधाई देता हूं, जिला क्षेत्र समितियों के चुनाव कराने की घोषणा कर दी उसके लिए भी मैं उनको बधाई देता हूं। लेकिन यह भी होना चाहिए कि जिले का प्रथम नागरिक—जिला परिषद् का अध्यक्ष, जिलाधीश का कैरेक्टर रोल लिखेगा। इसमें आपने एक शब्द भी जिला परिषदों के बारे में नहीं लिखा है, कोई बजट उनके पास नहीं है और कोई कार्य उनके पास नहीं है। फिर यह किस लिए हैं। डिसेन्ट्रलाइजेशन की वह बुनियाद हैं, लेकिन उनको आपने क्या दिया है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि समादेश क्षेत्र जो हैं उनमें लूट मची हुई है। शारदा सहायक में कोई भट्ट जी हैं, प्रतापगढ़ में कोई वरिष्ठ अधिकारी जांच करने गये थे, तो उसमें सीमेंट की जगह बालू की नालियां बन रही हैं। यह कोई प्रतापगढ़ का अकेला काम नहीं है, यह पूरे प्रदेश में हो रहा है। मैं आपकी विवशता को समझता हूं, आपकी मजबूरी को भी समझता हूं, लेकिन प्रदेश की जनता ग्राम्य विकास मंत्री जी को जानती है। मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस पर कठोर कार्यवाही करें। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, एक इनके यहां ग्रामीण आवास परिषद् बनी हुई है, यह क्या है, लड़का पेट में है कि नहीं, डाक्टर सैटिस्फाई नहीं है, अभी डाक्टर का भी पता नहीं है, लेकिन उसके रहने के लिए मकान, बंगले वगैरह सब ठीक हो गये। यह जो ग्रामीण आवास परिषद् है, इसके लिए कोई विधेयक सदन मे नहीं आया, 2 करोड़, 65 लाख रुपया एल0 आई0 सी0 से लोन ले लिया गया और वह सारा का सारा पैसा केवल इस्टेब्लिशमेंट पर खर्च हो रहा है। आने वाले दो साल में सबका सब पैसा खर्च हो जायगा। यह अपव्यय का एक नमूना मैंने बताया। प्रधानों का चुनाव आपने करा दिया। आज प्रधानों को कौन सा अधिकार दिया है। जब तक उनको इक्जीक्युटिव पावर नहीं देंगे, तब तक पंचायत के चुनाव का कोई लाभ नहीं होगा। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह इन सुझावों का पालन करते हुए प्रधानों को ऐसे अधिकार दें जिसका प्रयोग करके वह पंचायतीराज की कल्पना को साकार कर सकें।

*श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, जो ग्राम्य विकास मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। (व्यवधान)

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री शम्भू नाथ--

मान्यवर, मुझे अवसर नहीं दिया गया, मैं बड़ी देर से खड़ा हो रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता--आप बैठिये, माननीय सदस्य बोल रहे हैं।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय--

हमारे विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, उसका मैं विरोध करता हूं। मान्यवर, सर्वप्रथम मैं माननीय मंत्री जी को बधाई दूंगा कि जनता सरकार ने क्षेत्रीय समितियों और जिला परिषदों को भंग किया था, उसमें आपने एकदम से ग्राम प्रधानों का चुनाव कराया। हमारे ख्याल से यह 74102 प्रधानों और उप प्रधानों का चुनाव दुनिया में सबसे बड़ा चुनाव होगा। आज मान्यवर, विपक्ष की तरफ से लोकतंत्र और प्रजातंत्र की बात कही जाती है कि वह इसके रक्षक हैं। लेकिन पहला नमूना सत्ता में आते ही उन्होंने यह किया था कि क्षेत्रीय समितियों और जिला परिषदों को जो भंग किया गया था, यह प्रजातंत्र का पहला उदाहरण दिया था। मान्यवर, वास्तव में ग्राम्य विकास प्रदेश और देश के विकास का मापदण्ड है, क्योंकि हमारे देश और प्रदेश की अधिकांश जनता ग्रामों में रहती है। शायद इसी दृष्टि से हमारी माननीया प्रधान मंत्री जी ने और माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक प्रधान के बेटे को, जो कृषक का लाडला माननीय बलराम सिंह यादव को इस विभाग का कार्यभार सौंपा, जिसे इन्होंने बड़ी ही सफलतापूर्वक सम्पादित किया और आगे भी कर रहे हैं। मान्यवर, इस विभाग के अधीन एन0 आर0 ई0 पी0 के अन्तर्गत एक अभी कार्यक्रम चलाया जा रहा है कि खड़ंजे लगाने का कार्य गांव सभाओं में है। मान्यवर, इसके साथ मैं अपने कुछ सुझाव भी रखना चाहता हूं। मान्यवर, जो भी धन यहां से गया है, उसके तहत 30,000 रुपया प्रत्येक गांव सभा में पड़ता है, अगर ब्लाक में बांटा जाय,

इस 30 हजार में यह कहा गया है कि 25 परसेंट ग्राम सभा के फंड से मिलना चाहिये। यदि 30 हजार का 25 परसेंट देखा जाय तो वह साढ़े 7 हजार रुपये होता है। लेकिन ज्यादातर ग्राम सभायें ऐसी संपन्न नहीं हैं कि साढ़े सात हजार रुपये का बैलेंस उनके पास हो। इस हालत में यह कार्यक्रम पूरा नहीं हो पायेगा। मेरा सुझाव है कि यह जो 25 परसेंट ग्राम सभाओं के लिये प्रतिबंध लगाया गया है इसको हटा दिया जाय। यदि आर्थिक अभाव है तो मेरा एक सुझाव यह भी है कि जो 25 परसेंट ग्राम सभाओं से लेने की बात कही गयी है तो इसमें श्रमदान को शामिल कर लिया जाय। जैसे खड़ंजा बनाने में जो श्रमिक लगते हैं तो वहां पर ग्राम सभा में ग्राम वासियों को लगाया जाय और उनके श्रम का मूल्यांकन करते हुये इस 25 परसेंट धनराशि को समायोजित कर दिया जाय। जहां तक ग्रामीण क्षेत्र निर्बल वर्ग आवास योजना की बात है उसमें दो राय नहीं है कि आवास व्यवस्था होने लगी है। अगर हम ब्लाक में जायें तो देख सकते हैं कि यह कार्य हो रहा है। लेकिन देखने में यह आया है कि ईंट का पाया उठा दिया जाता है और बीच में मिट्टी भरी जाती है। लेकिन डिवाइडेड रिसपांसिबिलिटी होने के कारण काम सही नहीं होता है। सरकार की तरफ से ईंट का पाया तो उठा दिया जाता है और बीच में मिट्टी भरने के लिये कहा जाता है कि हरिजन भाई भर देंगे। यह जो 2 हजार की रकम दी जाती है यह बहुत कम है। मान्यवर, माननीय सदस्यों ने भी कहा है कि यह धनराशि बढ़ा दी जाय लेकिन यह भी उतना आवश्यक है कि हमारे इन हरिजन भाइयों का योगदान भी होना चाहिये जिससे उनको लगे कि यह हमारा मकान है। मान्यवर, हरिजन पेयजल योजना की बात है। लेकिन इसमें यह छानबीन रखनी चाहिये कि यह कुयें उस गांव के असरदार लोगों के द्वारा ऐसे स्थानों पर तो नहीं बनवाये जाते हैं जहां पर हरिजनों को सुविधा नहीं मिल पाती है। मान्यवर, मैं एक मिनट समय और लूंगा। मान्यवर, ट्राइसम योजना और स्पेशल कांपोनेंट प्लान के लिये हमारे माननीय मंत्री जी बधाई के पात्र हैं क्योंकि यह कार्य निर्बल वर्ग और हरिजनों के लिये विशेष उपयोगी है। लेकिन इसके साथ ही साथ एक बात की मैं आलोचना करना चाहता हूँ कि जो पुष्टाहार योजना है उसके अंतर्गत व्यवहारिक पुष्टाहार योजना पर

25 लाख रुपये और विशेष पुष्टाहार योजना पर 33 लाख रुपये का बजट रखा गया है तो जब हमारे प्रदेश की जनता को आहार ही उपलब्ध नहीं हो पाता है और यह जो 25, 33 लाख रुपये का बजट रखा गया है यह केवल भ्रष्टाचार और बेइमान अधिकारियों और कर्मचारियों को पुष्ट करने के लिये है। मेरा सुझाव है कि इस 25 तथा 33 लाख रुपये को ट्राइसम योजना तथा स्पेशल कंपोनेंट योजना में शामिल कर दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता—आपका समय समाप्त हुआ।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय—मान्यवर, इन शब्दों के साथ मैं विपक्ष के जिन भाई ने कटौती का प्रस्ताव रखा है उनसे निवेदन करूँगा कि वह हमारे मंत्री जी से चेंबर में मिल लें और अपनी शंका का समाधान कर लें और अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें और अपनी खूबसूरत पर्सनालिटी की तरह यहां एक उदाहरण प्रस्तुत करें।

*श्री श्याम सिंह—

मान्यवर, मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने पंचायतराज और ग्राम्य विकास विभाग पर रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया है। यह ग्राम पंचायत विभाग बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। सन् 1949 में यह शुरू हुआ था और 1947 में पंचायत राज एक्ट बना था। पूज्य महात्मागांधी का जो चौखम्भा राज्य का स्वप्न था जिसके अंतर्गत एक पंचायत देहली में हो, दूसरी पंचायत प्रदेश में हो, तीसरी पंचायत जिले में हो और चौथी पंचायत ग्राम पंचायत हो। हर पंचायत को इस तरह से चलाया जाय जैसे बड़ी पंचायत को चलाया जाता है। लेकिन यह सरकारी विभाग बना दिया गया है। जैसे हमारे माननीय सदस्य ने कहा कि हमें अपने सरकारी अधिकारियों पर पूरा विश्वास है वह हमारे रुपये को अच्छे तरीके से प्रयोग में लायेंगे। तो यह पंचायतराज विभाग को सरकारी विभाग बनाकर इसके महत्व को खत्म कर दिया गया है। मान्यवर, मैं आपके द्वारा सरकार से कहना चाहूँगा कि इस ग्राम पंचायत को वही महत्व दिया जाय,जैसे कि दूसरी पंचायत, जिले की पंचायत, यू0पी0 की पंचायत और दिल्ली की पंचायतों को दिया जाता है। पूज्य महात्मा गांधी का चौखम्भा राज्य स्वप्नों का राज्य था, उसी के आधार पर यह पंचायतराज विभाग बनाया गया था, उनकी मंशा थी कि ग्राम पंचायत में प्रस्ताव पास हों, जिले का अलग, सूबे का अलग। मुझे ठीक जानकारी है कि श्री ब्रह्म दत्त, जो हमारे वित्त मंत्री हैं, यह पंचायत के प्रधान थे, इन्फील्ड पंचायत के प्रधान थे, वहां से उन्होंने नेता बनने की ट्रेनिंग पायी, और वे आज वित्त मंत्री हैं, तो यह एक प्रकार से ट्रेनिंग स्कूल है, मिनी विधान सभा है। मुझे आशा थी कि ब्रह्म दत्त जी वित्त मंत्री होकर इस पंचायत राज के लिए बहुत बड़ा बजट देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। श्री बलराम सिंह यादव जी, जो हमारे पंचायती राज मंत्री हैं, जो गांव के रहने वाले हैं, उनसे मुझे आशा थी कि वे इस पंचायत राज विभाग को महत्वपूर्ण बनायेंगे, लेकिन अभी वैसा कुछ नहीं है। प्रधानों की बात कही गयी, लेकिन आज प्रधानों की हालत क्या है। पंचायत के प्रधान तो चपरासी की हैसियत से भी कम हैं। अगर चपरासी भी उसकी रिपोर्ट कर दे, तो परगनाधिकारी उसे अवश्य सस्पेंड कर देंगे। तो मेरा अनुरोध है कि उन्हें सस्पेंड करने की पावर एस0 डी0 एम0 को नहीं होनी चाहिए। चूंकि विधायक और प्रधान दोनों वोटों से चुने जाते हैं, जनप्रतिनिधि हैं, तो उसे किसी भी नियम के तहत एस0 डी0 एम0 को सस्पेंड करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। जब तक प्रधान की इज्जत नहीं होगी, तो हमारा यहां विधायक बनकर आना बेकार है। कोई भी योजना जो आपको चलानी है, पंचायत के द्वारा चलानी है, तो उसमें उचित होगा आप योजना चलायें, उनका कार्यान्वियन इन प्रतिनिधियों के माध्यम से करायें। अगर इन योजनाओं को सरकारी अधिकारियों से चलाना चाहते हैं, तो एक प्रकार से आपने सरकारीकरण कर दिया, तो इससे पंचायत बनाना बेकार है। इससे तो अच्छा है एक राष्ट्रपति राज्य कायम कर दिया जाय, जो सारे हिन्दुस्तान को दिल्ली से बैठकर चलाये, अन्यथा इसको पंचायतराज के द्वारा चलाना चाहते हैं, तो उसे और अधिक सुदृढ़ करना होगा। नाली, कुएं सड़क आदि जो भी योजना है, उसके अनुसार बननी चाहिए। मेरा सुझाव है कि पंचायतों को भू राजस्व का 50 प्रतिशत दिया जाना चाहिए, मान्यवर, हमारे

*वक्ता के भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जैसे पिछड़े प्रदेश मध्य प्रदेश में पंचायतों को पूरा राजस्व निर्माण कार्यों के लिए दिया जाता है। इस दृष्टि से मैं सरकार से अनुरोध करूँगा कि पंचायतों को जिस तरह से पहले रुपया दिया जाता था, उसी प्रकार से रुपया दिया जाय। जो पहले रुपया दिया गया था, उसमें प्रधान को बेइमान समझकर, धन ले लिया गया। अतः मेरे माननीय मंत्री जी इस सम्बन्ध में पंचायतों के कार्यों में सुधार के लिये कुछ सुझाव हैं कि पंचायतों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए इन्हें भू राजस्व का 50 प्रतिशत दिया जाये तथा उनका कर लगान के साथ वसूल कराया जाय, पंचायतों द्वारा किये गये निर्माण कार्यों में 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाये। पंचायत राज विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों की पदोन्नति के अवसर प्रदान कर उनमें व्याप्त कुंठा को दूर किया जाये। प्रधानों को उचित सम्मान दिया जाये, उनको निलम्बित तथा बरखास्त करने का अधिकार जिले स्तर के किसी अधिकारी को न हो। अन्य विभागों की भांति मण्डल स्तर पर पंचायत विभाग के भी उपनिदेशक के पद सृजित किये जायें। और यह स्वतंत्र विभाग हो।

इन शब्दों के साथ मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं प्रस्तुत बजट पर रखे गये कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

श्री जम्भू नाथ सिंह---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मुझे प्रस्तुत बजट पर आपने बोलने का समय नहीं दिया। मान्यवर, इससे लाखों-लाखों युवकों के मन की बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ, उससे वंचित हो रहा हूँ उन पर यह कुठाराघात है---

श्री अधिष्ठाता---आप बैठें। मैंने परमात्मा प्रसाद सिंह को बुला लिया है।

श्री परमात्मा प्रसाद सिंह---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे माननीय ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूँ और माननीय दिवाकर विक्रम सिंह जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर रखे गये कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूँ।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने ग्राम सभाओं के जो चुनाव कराये, इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। दूसरे, उन्होंने जो आज ही सदन के समक्ष यह घोषणा की कि क्षेत्र समितियों के भी शीघ्र चुनाव करा दिये जायेंगे, उनका गठन शीघ्र हो जायेगा, इस घोषणा के लिए भी वे बधाई के पात्र हैं। मान्यवर, बजट के जरिये, अपनी नीतियों के जरिये, हमारी कांग्रेस पार्टी भारत वर्ष में, उत्तर प्रदेश में, गांधी और नेहरू के स्वप्नों को भारत बनाने के लिए कृत संकल्प है। मान्यवर, यह बात सही है कि आजादी के बाद बहुत कार्य हुए हैं और निरन्तर कार्य होते जा रहे हैं। लेकिन, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि कुछ ऐसे भी लोग हैं, जो कार्य सही तरीके से नहीं करते हैं।

[समय 4 बजे अपरान्ह]

इसी प्रशासन में कुछ लोग ऐसे हैं जो 9 बजे प्रातः से लेकर 9 बजे रात तक काम करते हैं, पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो काम में ढिलाई करते हैं, मन से काम नहीं करते हैं। कृष्ण ने अकेले 18 अक्षौहिणी सेना को लड़ा दिया था, और माननीय मंत्री जी, जो बलराम हैं, कृष्ण के बड़े भाई हैं, इनमें वह शक्ति है कि वे उन अधिकारियों को, जो भ्रष्ट हैं, ठीक से काम नहीं करते हैं, उन्हें ठीक कर सकते हैं। अन्याय का दमन कर सकते हैं। आपकी शक्ति से ग्राम्य विकास के तमाम कार्य सफलता के साथ हो सकते हैं। यह सारी शक्ति आप में है...

एक सदस्य---और आप तो परमात्मा ठहरे।

श्री परमात्मा प्रसाद सिंह---

मान्यवर, यह विभाग के अन्तर्गत 15 तरह के कार्यक्रम रखे गये हैं और एक व्यक्ति पर 15 रुपया खर्च आता है। तो हर विभाग के अन्तर्गत, जो 15 अलग-अलग हैं, अगर एक व्यक्ति पर खर्च देखा जाये तो वह करीब 1 रुपया ही आता है। इसलिये मेरा पहला सुझाव तो यह है कि इस बजट की धनराशि को और अधिक बढ़ाया जाये।

मैं आंकड़ों की भूल भुलइया में न जाकर कुछ अन्य उपयोगी सुझाव देना चाहता

हूं। जो आपकी एक योजना एन0 आर0 ई0 पी0 है उसको आप रूरल डेवलपमेंट विभाग के अन्तर्गत कर दीजिये। उसका उस पर कोई कन्ट्रोल न होने के कारण उस योजना के अन्तर्गत ठीक काम नहीं हो रहा है। रूरल डेवलपमेंट विभाग के प्रवर अधिकारी को यह अधिकार होना चाहिये कि वह उक्त योजना के कार्यों को देख सकें और जहां-जहां पर काम में ढिलाई हो वहां दोषी कर्मचारियों पर जिम्मेदारी फिक्स कर सकें और उनके करेक्टर रोल आदि में एन्ट्री दे सकें।

दूसरी योजना आपकी आई0 आर0 डी0 है। इसके द्वारा बैंकों से ऋण दिलाया जाता है। अब जहां जहां बी0 डी0 ओ0 और बैंक के लोगों में तालमेल बैठ जाता है, कमीशन आदि तय हो जाता है, वहां तो कमीशन आदि कटने के बाद लोगों को बैंक से ऋण मिल जाता है। जहां कमीशन तय नहीं हो पाता, बी0 डी0 ओ0 और बैंक के लोगों में तालमेल नहीं बैठता वहां लोगों को ऋण मिलने में परेशानी होती है, बैंक वाले उनको ऋण नहीं देते और इस योजना का वास्तविक लाभ कृषकों को नहीं मिल पाता। बैंक वाले कहते हैं कि हम तो केन्द्रीय सरकार से संबंधित हैं, आपको कोई शिकायत करनी हो तो उनसे बात करें। हमारी सरकार का उन पर कोई कन्ट्रोल नहीं रहता है। इस प्रकार जो कोआपरेशन बैंकों से हमको मिलना चाहिये वह नहीं मिल पा रहा है। ऐसी व्यवस्था की जाये कि बैंकों से सभी बेनिफिशरीज को लाभ पहुंच सके।

एक ऐसी कमेटी बनायी जाये जो सारे कामों को देख सके।

श्री अधिष्ठाता--आपका समय समाप्त। कृपया बैठें।

श्री परमात्मा प्रसाद सिंह--वह कमेटी यह देखे कि किस योजना के अन्तर्गत जनता को कितना लाभ पहुंचा है, कितना काम हुआ है, और कितना नहीं हुआ है।

अक्सर ऐसा भी देखने में आया है कि जो रुपया स्वीकृत होता है वह सारा ऊपर ही ऊपर बँट जाता है, नीचे के आदमी तक वह पहुंच ही नहीं पाता है। इसके कारण जो लाभ नीचे के लोगों को वास्तव में पहुँचना चाहिये वह नहीं पहुंच पाता है।

पेयजल कूपों के बारे में भी एक सुझाव देना चाहता हूं। एक कुवां बनवाने में 5-6-8 हजार रुपये लगते हैं। इसकी जगह आप हैंड पाइप अगर लगवायें तो कम खर्च आयेगा और लोगों की पेय जल की समस्या भी हल हो सकेगी। बस्ती जिले का 3/4 हिस्सा ऐसा है जो बाढ़ के कारण हर साल बर्बाद होता है और हर साल वहां बाढ़ आती है। वहां कुओं की जगह हैंडपाइप बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। माइनर इरीगेशन विभाग बोरिंग का कार्य करता है। इस विभाग से आम आदमी बोरिंग कराना ही नहीं चाहता। प्रक्रिया बड़ी जटिल है। स्टोरों में लाखों का सामान बेकार पड़ा सड़ रहा है। प्रदेश गरीब है स्टोरों का बेरीफिकेशन करा लें।

आपके आर0 ई0 एस0 विभाग के अधिकारी जीपों पर टहलते हैं, काम जाकर नहीं देखते। उनको चाहिये कि वे मौके पर जाकर होने वाले कामों का निरीक्षण किया करें।

तमाम जगहों पर सड़कों का निर्माण किया गया है उसमें थर्ड क्लास की ईंटें लगी हैं और 2-2, 3-3 इंच पर ईंटें लगी है। मान्यवर आपका भू-सर्वेक्षण विभाग है इसमें कहा जाता है कि पानी का सर्वेक्षण होता है। इसमें सिविल इंजीनियर है। अगर इसमें हाई-डोलोजिस्ट हों तो वह पानी की मात्रा बता पाते ? महज प्रोन्नति के लिये इसमें आपने सिविल इंजीनियर को लगा रखे हैं। इसमें एक पंचायत उद्योग विभाग है। इसकी हालत यह है कि पंचायत उद्योग दूसरे से सामान खरीद कर बेचता है। यह स्थिति अच्छी नहीं है। मैं मंत्री जी से चाहूँगा कि वह इसको देखें और जो अधिकारी इसमें दोषी हों उनको सजा दिलायें।

अन्त में मैं ग्राम्य विकास मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूँ और विपक्ष द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूँ।

श्री फखरे आलम--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं ग्राम्य विकास विभाग का परफारमेंस बजट देख रहा था। मैंने पेज 4 पर देखा ए0 डी0 एम0 डेवलपमेंट के साथ 12 सफेद हाथी पाले हैं। यह 12 सफेद हाथी डिफरेंट नामों से पाल रखे हैं। लेकिन काम की क्या हालत है कहीं कोई काम नहीं हो रहा है। मैं यह मंत्री जी को बताना चाहता हूं। आपके परफारमेंस बजट से मालूम होता है कि आपके विभाग में कोई काम सही तरीके से नहीं हो रहा है। 11 जिलों

में आपने अतिरिक्त विकास अधिकारी लगाये हैं लेकिन यह कोई काम नहीं कर रहे हैं। जिला विकास अधिकारी कोई काम नहीं कर रहा है। जिलाकृषि अधिकारी, सहायक निबन्धक सहकारी समितियाँ और जो अन्य डिपार्टमेंट आपसे सम्बन्धित है वह कोई काम नहीं कर रहे हैं। वह सारे विभाग पंचायत राज में आ जाते हैं। मैं सुझाव देना चाहता हूँ कि इन पर पंचायत राज विभाग को कन्ट्रोल होना चाहिये। श्रीमन् 2-3 सुझाव मैं और देना चाहता हूँ। एक सुझाव यह है कि जो गाय-भैंस काश्तकारों और किसानों के लिये खरीदे जाते हैं। उसमें उसका ब्लाक से इतना वास्ता होना चाहिये कि ब्लाक से उसको पैसा मिल जाय। वरना होता यह है कि ब्लाक का बी0 डी0 ओ0 उसके साथ जाता है, गांव का दलाल रखा जाता है और उसका ज्यादा पैसा नखासे के दलाल खा जाते हैं। नतीजा यह होता है कि 20 किलो दूध देने वाली भैंस जो उसको दी जाती है जब किसान के खूंटे पर आती है तो 10 किलो दूध भी नहीं दे पाती है। कहा यह जाता है कि 20 किलो की भैंस दी गई। मैंने बहुत से जानवर देखें कि 20-20 और 15-15 किलो का कह कर लाते हैं लेकिन वह 5 किलो भी दूध नहीं देते हैं। मेरा सुझाव है कि इसको हटा दीजिये, इस नीति को खत्म कर दीजिये इससे किसानों का बहुत नुकसान हो रहा है। एक चीज मैं यह कहना चाहता हूँ कि आर0 इ0 एस0 में कोई सही तरीके से काम नहीं हो रहा है। वहाँ का चीफ इंजीनियर मुस्तकिल नहीं है। टेम्पोरेरी है और चीफ इंजीनियर परमानेन्ट न होने के कारण कोई सही तरीके से काम नहीं हो रहा है। उसको आप परमानेन्ट करें ताकि उसका कन्ट्रोल हो और सारा काम सही तरीके से चले। एक चीज की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा कि जो पंचायत राज ऐक्ट में प्रधानों के पेटीशन का प्राविधान किया है वह इतना कम्पलीकेटेड है कि प्रधान का 5 साल खत्म हो जाता है और पेटीशन चलता रहता है। इसको सिविल कोर्ट में देना चाहिये और डिस्ट्रिक्ट जज को एपीलेट पावर होनी चाहिये। तब सही तरीके से काम हो सकता है। एक चीज की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि जो वीकर सेक्शन के मकान बनाने की बात है उसमें ब्लाक लेविल पर बहुत गड़बड़ी की जाती है। डी0 डी0 ओ0 उसमें गड़बड़ी करते हैं इसलिए जिन लोगों को पैसा दिया जाता है उनके हाथों में पैसा पहुँचे, तो जैसी सुविधा वह चाहते हैं उसी तरह का मकान बने, और उनको वे देख सकें। इसी प्रकार दूकानें भी कुछ लोगों को दी गयी हैं। उनमें भी यही चीजें हैं। उसमें भी यही हो रहा है। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। साथ ही साथ मंत्री जी ने दो तीन बातें कहीं, मैं उनका समर्थन करता हूँ, बड़े कर्मठ मंत्री हैं, काम ठीक तरीके से करते हैं, इलेक्शन जल्दी करायेंगे, यह घोषणा करके बड़ा काम किया है, बहुत बड़ी मांग थी, उसको पूरा करने का वायदा किया है, इसलिए मैं उनको बधाई देता हूँ।

*श्री जियाराम शुक्ल 'विकल' साकेती---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूँ, समय दिया ग्राम विकास के बजट पर बोलने का। मंत्री जी ने जो बजट रखा है, मैं उसका हृदय से समर्थन करते हुए आरम्भ करता हूँ।

मान्यवर, गांव हमारे देश की सभ्यता के केन्द्र रहे हैं आदि काल से आज तक और जब भी इस पर दृष्टि पड़ी बहुत बातें कही गयीं, कवितायें कही गयीं, बड़े-बड़े कवियों ने इसकी प्रशंसा में बातें कहीं दो-चार पंक्तियाँ मैं गावों के बारे में पढ़े देता हूँ---

यह गांव की छटा, धान के खेत, ताल का निर्मल पानी है,
प्रकृति की नई जवानी है।
यहाँ की धवल ज्योत्सना, सुघर सुरमयी सांझ की बेला,
पनघट पर सुकुमार सुखद लगता यौवन का मेला,
लहराती है लहर-लहर धरती की धानी सारी,
पुरवइया के झोंकों में अंगड़ाती है बंसवारी,
यहाँ सुनहरा प्रात, सुहानी रात, बात किसकी अनजानी है,
प्रकृति की नई जवानी है।।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, यह गांव की प्राचीन परम्परा के बारे में है लेकिन जब नई तकनीक के अन्तर्गत विकास हुआ तो कुछ कुण्ठायें पैदा हुई हैं। जैसे किसी लड़के की जांघिया-बण्डी, दोनों फटे हैं, तो वह घूमता रहता है और अगर जांघिया नई करा दी जाये तो उसको बंडी की चिन्ता सताने लगती है। गांव में उन्नति हुई और हम बार-बार अपने मंत्री जी की तरफ देखते हैं कि हमारे गांव के लिए, उसके विकास के लिए अधिक से अधिक धन दें, व्यवस्था करें। कुछ परम्परायें आज भी सामंतवादी हैं, लाख विकास कर दें गांवों का लेकिन अगर उनकी परम्पराओं के बारे में ध्यान नहीं देते, तो लाख कोशिश करें, गांव की उन्नति नहीं हो सकती। जैसे एक उच्च जाति का आदमी शहर में रह कर रिक्शा चलाता है और वह मजदूर वर्ग के लोगों में रहता है लेकिन जब वह गांव में जाता है तो उच्च वर्ग का बन कर हरिजन को चारपायी पर बैठने नहीं देता। इसको भी हम अपने प्रचार के माध्यम से इस तरह की बातें पैदा करें कि जो पुरानी दुर्व्यवस्था, रीति-रिवाज हैं, समाप्त हों, लोग नई क्रान्ति, नई रोशनी की तरफ बढ़ें और नई तकनीक से लाभान्वित हों। माननीय सदस्यों द्वारा, मंत्री जी द्वारा जितने प्वाइंट गिनाये गये हैं, सब जानते हैं लेकिन गांवों में बायोगैस प्लान्ट लग गये हैं, घरों में बर्नर जलते हैं, बिना धुएं के भोजन बनता है, एक नई क्रान्ति दिखाई पड़ी है। वह बड़े हों चाहे छोटे हों लेकिन गाँवों में यह बात पहुँची है। चाहे वह माननीय श्री दिवाकर विक्रम सिंह जी के यहाँ हो और चाहे माननीय श्री माताप्रसाद जी के यहाँ पहुँची हो लेकिन यह बात वहाँ पहुँची है। इस बात से आप इन्कार नहीं कर सकते। श्रीमन्, इसके बाद मैं अपने क्षेत्र के माध्यम से और कुछ अपनी तरफ से माननीय मंत्रीजी को सुझाव देना चाहूँगा। पेयजल योजना के बारे में बहुत काम हुआ है। मेरे क्षेत्र में भी बहुत से स्थानों पर हैण्ड-पम्प लगाये गये हैं। लेकिन इस संबंध में मेरा एक सुझाव है कि इन्हें केवल हरिजन बस्ती तक सीमित न रखकर निर्बल वर्ग तक बनाये जायँ। मेरे क्षेत्र कटही उनियार ग्राम में घाघरा नदी में कुछ मछुवारे जाति के लोग रहते हैं। उन लोगों ने बड़ी कोशिश की कि उन्हें हैण्ड-पम्प मिल जाय लेकिन उन्हें हैण्ड-पम्प नहीं मिल पाया। इसलिये आप ऐसी व्यवस्था करें ताकि उन्हें भी हैण्ड-पम्प मिल जाय। श्रीमन्, दूसरी बात आज गाँव को जोड़ने वाली सड़कें अभी तक पूरी नहीं हो पायी है। जब तक ये सड़कें गाँव तक नहीं पहुँचेंगी इनका विकास होना सम्भव नहीं है। मान्यवर, समय तो बहुत कम मिला। बातें बहुत कहनी थीं अन्त में मैं दो पंक्तियाँ कह कर अपनी बात समाप्त करता हूँ :—

"फिर सुन्दर दिखने लगें, सब गोकुल से ग्राम,
ऐसा कुछ कर दीजिये, हे! मेरे बलराम।।

इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूँ।

*श्री बाबू सिंह—

श्रीमन्, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस बजट पर बोलने का मौका दिया। श्रीमन् मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक ही निवेदन करना चाहता हूँ कि यह जो ग्राम्यविकास विभाग है वह आजादी के बाद का पहला चरण है और पहला महकमा है। यहाँ तो हमारी एसेम्बली में बजट आते रहते हैं लेकिन ग्राम्य विकास विभाग एक पहला विभाग है जो आजादी के बाद बना है। माननीय मंत्री जी आप इस पर तवज्जुह दें। आपके विभाग में जितना भ्रष्टाचार है मारे शर्म के शर्म आ जाती है। मान्यवर, आज जो यह विभाग है यह राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी की देन है, राष्ट्र के नेताओं की कुरबानी का फल है और यह उनका विचार है। लेकिन आज आपका जो यह विभाग है यह रेवेन्यू विभाग, सिंचाई विभाग और पुलिस विभाग से कम भ्रष्टाचारी विभाग नहीं है। इसको दूर करने का आप प्रयास करें। मान्यवर, आज इनके जो सेक्रेटरी हैं, पटवारी हैं तथा बी० डी० ओ० हैं ये अपना कार्य-कलाप नायब तहसीलदार और पुलिस के इन्सपेक्टर से कम नहीं समझते हैं। जब तक आप इस विभाग में भ्रष्टाचार को समाप्त करने का प्रयास नहीं करेंगे तब तक गाँवों का विकास होने वाला नहीं है। इसकी एक छोटी मिसाल मैं आपको देता हूँ। आज कहीं और किसी भी जगह अगर कोई दो नव-निर्वाचित ग्राम प्रधान आते हैं तो वे बहुत ही स्वच्छ और साफ आते हैं और उनका बहुत बढ़िया करेक्टर होता है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लेकिन जब वे आपके सेक्रेटरी और ए0 डी0 ओ0 के चक्कर में फँस जाते हैं तो वे भी बहुत ही गन्दे और भ्रष्ट हो जाते हैं। तो इन सब कुर्सों को देखते हुए मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि आपके विभाग के कर्मचारियों की सहादत ने उनको बिगाड़ दिया है आप इसे दुरुस्त कर दें नहीं तो आपके ग्राम्य विकास की जगह पर ग्राम्य विनाश हो जायेगा। इस प्रकार जो वे इस लालच में फँस जाते हैं उसके बारे में आपको कुछ सुझाव देना चाहता हूँ।

1---आपने सही बात कही है कि आज गाँवों की कोई आमदनी नहीं है इसलिये आप यह लगान और आपपासी ग्राम सभाओं को दें तो मेरी मान्यता है कि गाँव की प्रगति होगी।

2---ग्राम में जो टैक्स जिसे आपका अमीन वसूल करता है उसी तरह से आप आदेश दें कि आपके विभाग का जो टैक्स है वह भी अमीन वसूल करे। 10-10 साल हो जाते हैं पूरे प्रदेश में टैक्स वसूल नहीं किया जाता है आपके सेक्रेटरी के द्वारा। आप इस वसूलियाबी को करें तो गाँवों का विकास होगा। ग्राम प्रधानों की जो संस्तुतियाँ आयें, उसके बारे में मुझे एक शेर याद आया।

"शायल के तमाशाही, हर डूबने वाले पर, अफसोस तो करते हैं मगर इमदाद नहीं करते।

कहते तो उधर के भी दोस्त यही हैं कि गांव प्रधान की कोई हैसियत नहीं रखी, कोई पूछता नहीं है। गांव में अगर कोई किसी की मेंड़ तोड़ दे, अगर सबल आदमी निर्बल आदमी के खेत की मेंड़ तोड़ देता है, तो कोई कुछ कर नहीं सकता। अगर आप गांव के प्रधान को यह पावर्स दे दें कि उसकी संस्तुति पर पटवारी को उसकी मेंड़ रखनी पड़ेगी और वह उसकी माप तौल कर दे। इसी तरह नक्शा दुरुस्ती के लिये लोग भागते रहते हैं, मालूम होता है कि इसकी पावर्स तहसीलदार को हैं। आपके पास का बिहार का सूबा है, उसमें सारी पावर्स तहसीलदार की जो हैं, वे ब्लाक को दी गयी हैं। मैं समझता हूं कि तहसीलों को तोड़कर अगर आप यह सारी पावर्स बी0 डी0 ओज0 को दें और उनको अधिकार दें तो विकेन्द्रीयकरण हो जायगा, बंटवारा हो जायगा। ब्लाक प्रमुख की मार्फत, बी0 डी0 ओ0 की मार्फत काम लें, एक सब इन्सपेक्टर भी रहेगा, सारा पर्दाफाश हो जायगा।

अदालती पंचायतों के चयन की भी आज आपने खुशखबरी दी है, उसके लिये शुक्रगुजार हूं। इससे जन प्रतिनिधियों की इज्जत बढ़ जायगी। विकास खण्ड बरला में न्याय पंचायत के पंचायती सेक्रेटरी ने हजारों लाखों रुपया आपकी पंचायत के टैक्स का वसूल किया है और उसकी कोई रसीद नहीं दी है, जिसकी शिकायतें उच्च अधिकारियों को की गयी हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

फजलपुर ग्राम पंचायत में विकास खण्ड अतरौली में एक भिखारीसिंह निर्वाचित हुए, उसने ओथ ली और अब उसका नाम लिस्ट से निकाल दिया गया है।

गोबर गैस योजना में 700 बोरे ब्लाक्स को दिये गये, ट्रेन से गये हैं आज वह ट्रेन के बोरे गंगीरी ब्लाक में 59-रु0 60-रु0 प्रति बोरी की दर से बेचे हैं, जब कि उनको 38/-रु0 प्रति बोरी बिकना चाहिये था। इस प्रकार आपके महकमें में बहुत भ्रष्टाचार हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री मानपाल सिंह एडवोकेट---मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे ग्राम्य विकास के बजट पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया।

मैं मा0 ग्राम्य विकास मन्त्री द्वारा प्रस्तुत बजट का हृदय से समर्थन करता हूं। मैं उत्तर प्रदेश शासन और ग्राम्य विकास मन्त्री जी को पहले तो ग्राम प्रधानों को चुनाव कराने के लिये बधाई देता हूं और आज जो सदन में घोषणा की है कि क्षेत्र समितियों के चुनाव करायेंगे, इसके लिये हृदय से धन्यवाद देता हूं। जब तक ग्रामपंचायतों का विकास नहीं होगा, उनकी आर्थिक अवस्था नहीं सुधरेगी, तब तक प्रदेश की तरक्की नहीं हो सकती। ग्राम पंचायतों के पास न अपने कोई फण्ड्स हैं। बहुत से मा0 सदस्यों ने ऐसा विचार व्यक्त किया कि जैसे दूसरे प्रदेशों में भूराजस्व की वसूली जो किसानों से होती है, जो मालगुजारी लगान के रूप में वसूल की जाती है, उसमें से 50, 60 और 75 प्रतिशत तक ग्राम पंचायतों को दिया जाता है, जिससे ग्रामों के विकास कार्यों में उस पैसे को लगाते हैं, लेकिन अपने

उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। केवल नाम की ग्राम पंचायतें हैं, उनको अपना कार्य करने का कोई अधिकार नहीं है। एक सुझाव और देना चाहता हूं कि ग्राम सभाओं के अन्तर्गत जमींदारी एवालीशन के रूल 115 (सी) में जो जुर्माना होता है, वह गांव सभा फण्ड में जमा होना चाहिये। किसी भी ग्राम पंचायत को आज तक वह पैसा नहीं मिला और जो राजस्व के अधिकारी हैं और जिला परिषद के अधिकारी हैं, उन्हीं के चार्ज में रहता है। किसी भी ग्राम पंचायत को 115 (सी) में किये हुए जुर्माने का पैसा नहीं मिल पाता है। अगर वह जुर्माने की धनराशि गाँव सभाओं व ग्राम पंचायतों को मिल जाए तो इन स्थानों की तरक्की हो सकेगी। अब मेरा एकीकृत विकास योजना के अंतर्गत यह सुझाव है कि जो भी अनुदान लघु कृषक या सीमांत कृषक को देते हैं, उसके वितरण में करीब-करीब हर जगह से धाँधली की शिकायतें मिली हैं। तो इस विषय में जितने भी लाभार्थी हों, उसकी सूची वहाँ के क्षेत्रीय संसद, विधायक व प्रधान आदि को दी जाए ताकि इन मामलों पर नियंत्रण रख सकें और उनकी जानकारी में सारी स्थिति रहे। दूसरे आर0 ई0 एस0 में जो कर्मचारी हैं, वह जन प्रतिनिधियों से कोई सलाह-मशविरा आदि नहीं करते हैं और वहां पर हम लोग सड़क आदि का प्रस्ताव करते हैं, वह वहाँ न करके उसको दूसरे स्थान पर करवा देते हैं। हमारे क्षेत्र में एक सड़क मोहनपुर से कुतुबपुर जो सबसे पहले जनता शासन में स्वीकृत हुयी थी परन्तु आज तक उस पर सोलिंग तक नहीं हुयी है। गोला कुआं से भैसोरा व अकैया से नरयनी मार्ग जो काशगंज ब्लाक में है, जिसमें खडंजा आदि लगना था परन्तु वहाँ पर यह कार्य भी अभी नहीं हो सका है। और दूसरे मान्यवर, हमारे प्रदेश में हरिजन पेय जल योजना है, यह योजना दूसरे वर्ग के लोगों में भी लागू की जानी चाहिए चाहे किसी भी धर्म से संबंधित हों ताकि हर वर्ग का व्यक्ति इससे लाभान्वित हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूँ और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूँ। (शोर)

*दिवाकर विक्रम सिंह---माननीय अधिष्ठाता महोदय, जिन माननीय सदस्यों ने चाहे वह सत्ता पक्ष के हों या विरोध पक्ष के मैं उन सबका आभारी हूँ जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया। (व्यवधान)

(एक साथ कई सदस्य के खड़े हो कर बोलने पर व्यवधान)

मैं मान्यवर, आपके माध्यम से कुछ सुझाव माननीय मंत्री जी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं कई माननीय सदस्यों ने अपनी-अपनी बातें कही हैं, उनमें से एक सदस्य ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों पंचायतों में फण्ड दिये जाने चाहिए। मान्यवर, यह स्थिति बिल्कुल सही है कि ग्राम पंचायतों को जब तक कोई फण्ड अलग से नहीं किया जायेगा, तब तक केवल शासन के भरोसे ही रहकर कोई तरक्की नहीं कर सकती है। (शोर)

श्री हरदेव--

मान्यवर, मैं आपसे चाहूंगा, जब-जब आप जाते हैं, मेरा आपसे प्रस्ताव है कि गरीब और पिछड़े गांव से हम लोग चुन कर यहां आते हैं, हमें प्रकाश मिला, पानी मिला है।

श्री अधिष्ठाता---आपकी व्यवस्था क्या है ?

श्री हरदेव---हमें प्रकाश मिला है, पानी मिला है। हमें गरीब जनता ने चुनकर यहां भेजा है, हमें मकान दिया है, भोजन की व्यवस्था की है। इसलिये हम कहते हैं कि वह चाहता है कि हमारा जन प्रतिनिधि हमारे पूरे के लिये भोजन की व्यवस्था करे, पेय जल की व्यवस्था करे हम गरीब लोगों के लिये। तो मान्यवर, जब आप जाते हैं आपका मन और हमारा अधिकार इस पर एक कानून बनना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता---नियमावली बनी है, उसको आप पढ़ें।

श्री हरदेव---सारी परेशानियां हैं। हमको कहने की आप बराबर व्यवस्था नहीं देते हैं। मैं चाहूंगा कि इस पर आप जरूर कुछ करेंगे आने वाले समय में।

श्री रुद्र प्रताप सिंह---मेरा भी एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अधिष्ठाता---एक साथ दो-दो व्यवस्था के प्रश्न नहीं होते हैं।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह---

एन0 आई0 आर0 डी0 के बारे में इस पुस्तक रूलर इण्डिया में काफी लिखा है परन्तु समय कम है इसलिये मैं नहीं पढ़ रहा हूं। ए0 संथानम साहेब की रिपोर्ट थी और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसके अलावा अशोक मेहता की रिपोर्ट जो अभी पब्लिश हुई इसने भी लिखा है कि कुछ धन ईयर मार्क ग्राम्य पंचायतों के लिये होना चाहिये। बहुत से प्रदेशों में ऐसा है कि कुछ टैक्स मेनडेटरी हैं जो कि गांव सभाओं के लिये कर दिये गये हैं और कुछ मानेटरी रहते हैं। हमारे प्रदेश के लोग हो सकता है कि टैक्स देने की स्थिति में न हों। इसी तरह से आसाम, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, केरल और महाराष्ट्र इनमें लैण्ड रेवेन्यू का कुछ हिस्सा या समस्त हिस्सा गांव पंचायतों को दिया जाता है। उसी तरह उत्तर प्रदेश में भी भू-राजस्व का कुछ हिस्सा या समस्त हिस्सा उनको खर्च करने के लिये दिया जाना चाहिये। जब तक आप आमदनी का कोई स्रोत उन्हें नहीं देंगे तब तक विकास की कल्पना करना असम्भव है।

मान्यवर, त्रिवेदी जी ने कहा ग्राम्य विकास निदेशालय की बात को। मैं उनकी बात से सहमत हू कि ग्राम्य विकास निदेशालय का होना नितान्त आवश्यक है क्योंकि माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया, माननीय मुख्य मंत्री जी वे ग्राम्य विकास अधिकारियों की मीटिंग में आश्वासन दिया लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। यहां तक कि उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण उपलब्धियां, जनवरी, 1982 को आप देखें इसमें लिखा हुआ है नम्बर 2 पर, यह 22 जनवरी का लिखा हुआ है ग्राम्य विकास की स्थापना के बारे में। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि यह हम लोगों को उपलब्धियों की किताब तो दे दी जाती है तो क्या यह केवल फर्जी है, मिथ्या है या थोथा प्रचार है या सचमुच में कोई निर्णय पर कार्यवाही नहीं होती है। प्रमुख निर्णय ग्राम्य विकास निदेशालय की स्थापना के लिये लिया गया तो वह कहां है? यह मैं आपसे जानना चाहता हूं। मान्यवर, जो व्यक्ति कार्य करता है, और उसको कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता है तो उसका मन टूट जाता है। अगर उसको कोई लाभ नहीं मिलता है तो हतोत्साहित हो जाते हैं। इस विभाग में प्रमोशनल एवेन्यूज बहुत कम है। जो ग्राम विकास अधिकारी होता है उसकी संख्या को देखते हुए केवल 3 प्रतिशत और श्रेणी 2 के अधिकारियों को लिया जाये तो 7 प्रतिशत प्रोन्नति के अवसर उनको मिलते हैं। इतना कम प्रोन्नति के अवसर किसी भी विभाग में नहीं हैं।

आज आप की जो पे कमीशन की रिपोर्ट है, उसके आधार पर आपके 90 प्रतिशत ग्राम विकास अधिकारी हैं जो वह स्टैगनेशन के प्वाइन्ट पर पहुंच गये हैं। जिस रुझान से वह पहले काम करते थे वह रुझान अब उनमें नहीं रह गयी है। वह अपने क्षेत्र में जाना ही पसन्द नहीं करते हैं। उनका तालमेल गांव से बिछुड़ गया है। उनका भविष्य अंधकार मय दिखायी पड़ता है।

मान्यवर, एक बहुत महत्वपूर्ण बात रह गयी है, जिसको भी मैं आपके सामने रख देना चाहता हूं। ग्राम पंचायतों के चुनाव हो गये हैं। ग्राम सभा के जो चुनाव हुआ करते थे उनमें एक रूप पत्र 7 दिया जाता था। यह रूप पत्र बहुत ही स्थानों पर नहीं दिया गया है और तमाम घपलेबाजी हुई है। इसकी ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करता हूं। ग्राम सभा चरमुहा, जो गोरखपुर में है, वहां के प्रधान ने 1200 रुपये जमा किए और जब वह प्रधान चुनकर आ गया तो उसने उन 1200 रुपये का हिसाब मांगा तो वह उसको नहीं मिला। जो पैसा उसने जमा किया वही उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। यह सारी घपलेबाजी रूप पत्र 7 के न दिए जाने से है। मुजफ्फरनगर के तेवड़ा गांव विकास खंड मोरना में दो व्यक्ति हैं, एक नसीमरजा और आसिफ रजा पुत्रगण शैदा हसन, इनका नामांकन पत्र खारिज कर दिया गया। इनको रूप पत्र 7 नहीं दिया गया। इस पर कई बार लिखा गया परन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। मान्यवर, जिला परिषद में बेलदार और मेठ का जो वेतन है वह 195 व 200 रुपया है। इनका भी वेतन चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी के बराबर किया जाना चाहिए, इस पर आप रहम करें। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव को पेश करता हूं।

श्री बलराम सिंह यादव—

मान्यवर, मैंने दोनों तरफ के माननीय सदस्यों के सुझाव को सुना और मैं उनका आभारी हूं कि उन्होंने रचनात्मक सुझाव दिए। जहां तक आपके सुझाव का प्रश्न है मैं चाहूंगा

कि उनको धरती पर उतारूं। जो कमियां विभाग के कार्यों में रह जाती हैं, उनका निराकरण किया जा सके। माननीय दिवाकर विक्रम सिंह जी ने कुछ बिन्दु उठाये हैं। मैं चाहता हूं कि उनके संबंध में एक-एक मिनट अपनी बात कह दूं। आपने कहा है कि न्याय पंचायत स्तर पर भन्डारण हेतु आई0 आर0 डी0 के अन्तर्गत गोदाम बनाने की योजना थी। मैं कहना चाहता हूं कि ऐसी कोई योजना न तो पहले थी और न आज है।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह---भारत सरकार का सर्कुलर है, वह मैं आपको दिखा सकता हूं।

श्री बलराम सिंह यादव---मैं समझता हूं न तो आपके टाइम में ऐसी कोई योजना थी और न हमारे टाइम में इस वक्त है। एक योजना है और वह सहकारिता विभाग की विश्व बैंक से हर न्याय पंचायत में एक ग्राम्य गोदाम बनाने के सम्बन्ध में है। वह हर जगह एक गोदाम बना रहे हैं और लगभग पौने तीन हजार गोदाम बन रहे हैं....

श्री दिवाकर विक्रम सिंह---वह जो बन रहे हैं वह खाद के लिये बन रहे हैं जबकि यह योजना वेयर हाउसिंग की थी.... (व्यवधान)

(माइक के खराब होने के कारण कुछ नहीं सुनाई दिया।)

श्री जसवन्त सिंह विष्ट---मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय---मान्यवर, सारे माइक खराब हो गये।

(सदन के सभी माइक खराब होने के कारण कुछ नहीं सुनाई पड़ा।)

श्री जसवन्त सिंह विष्ट---अधिष्ठाता महोदय, व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता---कृपया बैठें। मंत्री जी बोल रहे हैं। (माइक ठीक होने पर)

*श्री जसवन्त सिंह विष्ट---मान्यवर, दोनों पक्षों के माननीय सदस्यों ने मंत्री जी ने, जो बजट प्रस्तुत किया है उस पर उन्हें बधाई दी है और इसलिये दी है कि आपने पंचायतों के चुनाव करा दिये और क्षेत्र समितियों को भी कराने जा रहे हैं। मैं चाहता हूं और मंत्री जी को सुझाव देना चाहता हूं कि अगर आप आम जनता के द्वारा क्षेत्र समितियों का चुनाव भी करा दें तो आप बधाई के पात्र हैं नहीं तो नहीं है। दूसरी बात यह है कि....

श्री अधिष्ठाता---यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। भाषण न दें।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट---

मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र का कोई विधायक नहीं बोला। वहां पर भी सन् 61-62 से पेयजल की योजना बनी थी लेकिन उसमें अभी तक कुछ नहीं हुआ है। मेरा सुझाव है कि आप पर्वतीय क्षेत्र के लिये भी पेयजल योजना को कार्यान्वित करें।

श्री बलराम सिंह यादव---आपकी बात पर विचार करेंगे।

मान्यवर, दिवाकर विक्रम सिंह जी ने कहा है कि ट्राइसेम की जो ट्रेनिंग है वह 21 प्रशिक्षण केन्द्र के जरिये दी जा रही है। मैं कहना चाहता हूं कि यह प्रशिक्षण केवल इन्हीं प्रशिक्षण केन्द्रों से ही नहीं बल्कि कुछ मान्यता प्राप्त संस्थाओं के जरिये भी दी जा रही है। उन्होंने भी ट्राइसेम की ट्रेनिंग देने का कार्य टेक-अप कर लिया है ताकि जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति हो सके।

कुंओं के निर्माण की बात कही गई है कि वह त्रुटिपूर्ण तरीके से हो रहा है। मान्यवर, यह बात आपकी सही हो सकती है और इस तरह की कुछ शिकायतें भी आती हैं। हमारा प्रयास होगा कि आगे से ऐसे निर्देश दिये जायेंगे कि जो कुंये बनाये जायंगे वे त्रुटिपूर्ण न बनाये जायं।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय---

यह आप हरिजन पेयजल के बारे में कह रहे हैं या निर्बल वर्ग के लिये भी हैं?

श्री बलराम सिंह यादव---

मान्यवर, ये हरिजन पेयजल कूप के लिये हैं। एन0 आर0 ए0 पी0 के सम्बन्ध में कहा गया कि उसका उपयोग पूरा नहीं हो पा रहा है। इस वर्ष नहीं हुआ है, यह बात सही है। अभी 5/6 महीने पहले भारत सरकार का एक आदेश आया कि जो स्टेयरिंग कमेटी है उसको खतम करके ग्राम विकास अधिकरण की स्थापना कर दी जाय।

(इस समय 4 बजकर 45 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

तो जब ग्रामीण विकास अधिकरण की स्थापना हुई तो विभिन्न विभागों के जो फंड

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

थे उनको ट्रांसफर करने में 3, 4 महीने का समय लग गया तो एक कारण तो यह रहा दूसरा जैसा हम और आप भी जानते हैं कि एन0 आर0 इ0 पी0 प्रोग्राम जो है उसमें भारत सरकार का भी और हमारा भी कहना है कि तमाम ग्राम विकास के काम एन0 आर0 इ0 पी0 के जो हैं वह पंचायती राज संस्थाओं के द्वारा कराये जायं। हमारा दुर्भाग्य यह रहा कि हमारे यहां ब्लाक गठित नहीं थे और फिर पंचायतों के चुनाव होने लगे तो उसकी वजह से इसमें असर पड़ा है। (व्यवधान)

श्री भगवानदीन कुशवाहा——मैं मान्यवर, एक स्पष्टीकरण चाहता हूं क्या सभी प्रधानों को दो सौ रुपया प्रतिमाह वेतन देने की घोषणा करेंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव——

इसका जवाब मैं दे चुका हूं इस पर एक प्रश्न भी हुआ था। तो मैं बता रहा था कि कुछ कारण रहे हैं जिसकी वजह से एन0 आर0 इ0 पी0 की प्रोग्रेस संतोषजनक नहीं रही, इसको मैं स्वीकार करता हूँ लेकिन आगे इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि एन0 आर0 ई0 पी0 की प्रोग्रेस सुचारु रूप से चलाई जाय।

श्री अकबाल हुसैन——मान्यवर, गोंडा जिले में एन0 आर0 ई0 पी0 का पैसा सरजू परियोजना में दे दिया गया। यह योजना तो पहले से ही करोड़ों रुपये की है तो क्या इस तरह से इसका दुरुपयोग नहीं हो रहा है, इस पर भी नियंत्रण करेंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव——

मैंने बताया कि अभी तक यह काम ग्राम विकास के जरिये से नहीं होता था, कुछ थोड़ा सा होता था बाकी अन्य विभाग करते थे। तो भारत सरकार का भी यही कंसेप्ट है कि एन0 आर0 ई0 पी, ग्राम्य विकास का काम है और पंचायती राज संस्थाओं द्वारा सुचारु-रूप से किया जाय तो इसके निर्देश जारी कर दिये हैं कि इस कार्य को पंचायती राज संस्थायें ही करेंगी।

माननीय लल्लू सिंह जी ने पंचायत उद्योगों के बारे में थोड़ी सी अलोचना की। शायद उनको वस्तुस्थिति मालूम नहीं है कि हमारे यहां 883 विकास उद्योग हैं जिसमें 16369 ग्राम पंचायतें अंशधारी हैं और एक करोड़ 56 लाख का गतवर्ष उन्होंने लाभ कमाया था इसमें करीब 10 हजार लोगों को रोजगार मिला है 81-82 में 6 करोड़ का उत्पादन किया जो लक्ष्य से ज्यादा है और 82-83 में 6 करोड़ 50 लाख का लक्ष्य रखा गया है और हमें उम्मीद है कि जो लक्ष्य रखा गया है उसे पंचायत उद्योग पूरा कर लेंगे।

अब दिवाकर विक्रम सिंह जी ने पंचायतों को अधिक फंड व साधन दिये जाने की बात कही। फंड्स देना तो संभव नहीं है लेकिन इतना जरूर है कि पंचायतों को आर्थिक तौर पर सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है उसके लिए जो भी किया जा सकता है जैसे टैक्स लगाने का अधिकार, या घाट तथा तालाबों की नीलामी करने का अधिकार, या हाट/बाजार लगाने का अधिकार वह उनको दिया जा सकता है ताकि उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो इस पर कार्यवाही की जायेगी।

एक बात ग्राम्य विकास निदेशालय की बात कही इसके लिए सरकार ने निर्णय ले लिया है उससे बैक आऊट होने की कोई बात नहीं है।

श्री राम गोविन्द——

श्रीमन् मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिस प्रकार पर्वतीय क्षेत्र के लिए पर्वतीय विकास परिषद है उसी प्रकार पूर्वांचल जो अत्यंत पिछड़ा और गरीब है उसकी गरीबी दूर करने के लिए पूर्वांचल विकास परिषद की स्थापना करेंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव——मान्यवर, उसके लिए विकास मंडल निगम हैं। आपके यहां गोरखपुर विकास मंडल निगम बना हुआ है, बनारस विकास मंडल निगम बना हुआ है।

श्री राम गोविन्द——मैंने निगम की बात नहीं की वह बेकार है, परिषद् की मैं बात कर रहा हूं।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय——मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि गन्ना किसानों के गन्ने के बकाये मूल्य को क्या मंत्री जी दिलायेंगे ?

श्री अध्यक्ष---उत्तर मंत्री जी दे दें तो उसके बाद स्पष्टीकरण के लिये प्रश्न करें।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

मान्यवर, मंत्री जी ने कहा है कि गांव पंचायतों को धन की व्यवस्था कर पाना असंभव है, इसलिये मैं एक चीज जानना चाहता हूं कि जिस तरह से किन्हीं प्रदेशों में 30 प्रतिशत रेवेन्यू का दिया जा रहा है, कहीं 45 प्रतिशत और कहीं 50 प्रतिशत रेवेन्यू का दिया जा रहा है लेकिन आप इनको छोड़ दें, जहां पूरा भू-राजस्व दे देते हैं किन्तु जहां शेअर दिया जा रहा है, तो क्या इसकी मंत्री जी व्यवस्था यहां करेंगे।

श्री बलरामसिंह यादव---मान्यवर, मा0 सदस्य का सुझाव अच्छा है, इस पर सरकार विचार करेगी।

श्री गौरी शंकर भैय्या--

मान्यवर, गाजीपुर और बलिया को मिलाकर राष्ट्रीय ग्रामीण एकीकृत क्षेत्र विकास एजेन्सी चलती थी उसके माध्यम से काम करते थे लेकिन गाजीपुर में 5 ब्लाक और बलिया में एक सोहाव ब्लाक है, 3-4 वर्षों में उसमें 30-40 लाख रुपये सड़क के लिये बलिया में और 50-60 लाख रुपये गाजीपुर ब्लाक में सडक बनाने के लिये स्वीकार किया, जमीन एक्वायर किया, पी0 डब्लू, डी0 को दे दिया, मिट्टी का काम कर दिया, लेकिन सड़क अधूरी है और पुन: शासन का आदेश हो गया कि सड़क बनाने के लिये पैसा नहीं दिया जायेगा, इसलिये 50 लाख रुपया बेकार जा रहा है, इसलिये मैं आश्वासन मंत्री जी से चाहता हूं कि जो बची हुई सड़कें, जो नहीं बन पायीं, उनको एकीकृत योजना में धन देकर बनायेंगे!

श्री बलराम सिंह यादव--

मान्यवर, जितने काम होते हैं उसमें एन0 आर0 इ0 पी0 में सड़कें बनती हैं किन्तु एकीकृत ग्रामीण विकास योजना के तहत सड़कें नहीं बनती हैं। मा0 सदस्य का सुझाव अच्छा है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आप सक्षम अधिकारी हैं और आपको निर्णय करना है कि कौन काम आप करायेंगे क्योंकि ग्रामीण अभियंत्रण सेवा जो है उनको आप अपना सुझाव दे सकते हैं, और जो बात आपने कहा है, लिखकर दे देंगे, हम जिलाधिकारी को इस संबंध में लिख देंगे कि इस पर वे विचार करें।

श्री राम कुंवर सिंह---मान्यवर, मंत्री जी ने अभी क्षेत्रीय समितियों के चुनाव की घोषणा किया तो मैं जानना चाहता हूं कि जिन गांव सभाओं के प्रधानों के स्थान रिक्त हैं तो उनके चुनाव के बाद यह समितियों के चुनाव करायेंगे या पहले?

श्री बलराम सिंह यादव---प्रोग्राम जो तय हुआ है उसके अनुसार प्रधानों के चुनाव करा पाना संभव नहीं हो पायेगा लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार कोई जगह खाली नहीं होगी लेकिन चुनाव होगा तो वहां नामांकन हो जायेगा।

श्री बदन सिंह--

मान्यवर, बुंदेलखंड, इलाहाबाद, आगरा के क्षेत्रों में जो खण्ड गहरे, कठोर क्षेत्र थे वहां तीन वृत्त खोले गये आगरा, झांसी और इलाहाबाद में किन्तु 26-2-83 को यह वृत्त तोड़ दिये गये हैं और आगरा का कार्यालय मुरादाबाद में भेजा जा रहा है। तो मैं स्पष्ट जानना चाहता हूं कि वास्तविकता क्या है?

श्री बलराम सिंह यादव---मान्यवर, ऐसा था कि यह दोनों खंड भारत सरकार की सहायता से संचालित थे, तोड़ दिये गये हैं और वे चूंकि स्पेस्फिक पीरिएड के लिये स्वीकृत थे, इसलिये तोड़ दिये गये हैं। लेकिन वह तोड़े नहीं जायेंगे, सरकार उन पर दुबारा विचार करेगी और उनको दुबारा कायम करने के बारे में निर्णय लिया जाएगा... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---यह प्रश्न-उत्तर का समय नहीं है।

श्री बलराम सिंह यादव--

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा ने कहा है कि कोई जी0 ओ0 मेरे विभाग से बगैर हमारी जानकारी के इश्यू हो गया है, इसकी मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन मैं इसकी जानकारी करूंगा और देखूंगा कि यह जी0 ओ0 कोई अधिकारी अपने दस्तखत से इश्यू कर सकता है या नहीं। अगर हमारे अधिकारी के दस्तखत आवश्यक हैं तो मैं उसे देखूंगा कि उसमें क्या हो सकता है। दूसरी, प्रतापगढ़ में शारदा सहायक के निर्माण कार्य के बारे में जो

उन्होंने बात कही है, इस संबंध में मैं आपको बताना चाहता हूं. . "व्यवधान" प्रशासन को शिकायत मिली थी, वह मौके पर गये थे, उसमें कई अधिकारियों के खिलाफ ऐक्शन हुआ है, कई सस्पेण्ड हुए हैं और कई के खिलाफ विभागीय कार्यवाही हो रही है। आई0 आर0 डी0 में भ्रष्टाचार की बात कही गई है। इस संबंध में मैं आपको बताना चाहता हूं, आई0 आर0 डी0, एन0 आर0 ई0 पी0 और निर्बल आवास वर्ग में भी भ्रष्टाचार का जिक्र किया गया है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि विभाग उसमें कोई उदासीन हो। हमने इसमें भ्रष्टाचार के नियन्त्रण के लिए काफी कार्य और प्रयास किये हैं। हमारे यहां 184 अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की गई है। इसका 18 बी0 डी0 ओज0 हैं जिनमें 7 सस्पेंड चल रहे हैं, ग्राम विकास अधिकारी 110 हैं, डी0 डी0 ओ0 2 हैं, अतिरिक्त मुख्य अधिकारी 2 हैं, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, आर0 ई0 एस0 6 हैं, ए0 ई0 माइनर ईरीगेशन 3 हैं, ए0 डी0 ओ0 (एम0 आई0) 8 हैं और इसी तरह से इसमें ग्राम पंचायत अधिकारी 35 हैं जिनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही हो रही है। दो एक्जीक्यूटि इंजीनियर और 1 ए0 डी0 ओ0 (एम0 आई0) सस्पेण्ड भी हैं। इसके अलावा क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, आफटर सस्पेंशन 29 लोगों के खिलाफ चल रही है, जिनमें बी0 डी0 ओ0-17, ग्राम विकास अधिकारी-9, कार्य अधिकारी-1, ए0 ई0, आर0 ई0 एस0-1 और ए0 डी0 ओ0 (एम0 आई0) एक है। ऐसी बात नहीं है कि विभाग इस दिशा में उदासीन हो। जहां से भी शिकायत मिलती है, उस पर सक्षम तरीके से कार्यवाही करते हैं और जो दोषी अधिकारी और कर्मचारी पाए जाते हैं...

श्री अध्यक्ष--मंत्री जी समय का जरूर ध्यान रखें।

श्री बलराम सिंह यादव--

उनके खिलाफ मुनासिब कार्यवाही अवश्य की जाती है। सरपंचों और पंचों के चुनाव के बारे में भी जिक्र किया गया है, उसके बारे में कहना चाहता हूं कि वह चुनाव कराने के आदेश जारी कर दिए गये हैं और सम्भवत: उसकी प्रक्रिया भी शुरू हो गई होगी। इन शब्दों के साथ मैं सभी माननीय सदस्यों का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने अपने अच्छे-अच्छे सुझाव दिए और इस बहस में भाग लिया।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

इस आदरणीय सदन के सभी माननीय सदस्यों को जानकारी है कि बार-बार सदन में यह बात कही गई है कि जिस समिति में जनप्रतिनिधि और एम0 एस0 ए0 लोग सदस्य होते हैं और उसमें अधिकारी अध्यक्षता करते हैं तो उसमें माननीय विधायकों का अपमान होता है, यह हमारे लिए अपमान की बात है और इस पर व्यवस्था भी दी गई है, लेकिन अभी 10 तारीख को ऐसा आदेश जारी कर दिया गया है कि जिस जिला विकास अधिकरण पर आप 33 परसेन्ट खर्च करेंगे, उससे आपके विधायकों को निकाल दिया है। अच्छा होता कि उसके अध्यक्ष के लिए हममें से किसी व्यक्ति को आप रोटेशन या अल्फावेटिकल हिसाब से रखते, जिससे माननीय विधायकों के सम्मान के साथ न्याय होता, लेकिन आपने ऐसा करने के बजाय उससे विधायकों को निकाल दिया है, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि यह नई व्यवस्था करने का उद्देश्य क्या है ? जब हम बैठे रहते हैं, तब तो वह हमारे दबाव में आते नहीं हैं, तो उसमें हमारे नामिनीज होने से क्या वह दबाव में आ जायेंगे ?

(समय 5 बजे अपरान्ह)

श्री बलराम सिंह यादव--मान्यवर, इसकी मुझे जानकारी नहीं है, हो सकता है कि वह जो इसके जी0 ओज0 का जिक्र कर रहे थे, एक जी0 ओ0 वह ही हों।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, 10 तारीख को यह अनुभाग (6) से जी0 ओ0 निकला है।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 18-ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 18-ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,20,62,64,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय। (प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 30-पंचायती राज विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 30-पंचायती राज विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 9,22,52,000 रुपये से अनाधिक धनराशि स्वीकृत की जाय। (प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 82-क्षेत्रीय विकास विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 82-क्षेत्रीय विकास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 28,79,20,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—नियम 51 के अन्तर्गत मुझको 8 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, जिसमें मैंने माननीय गौरी शंकर भैय्या की जो जनपद मेरठ के ग्राम जई के 3 व्यक्तियों को जिन्दा जलाये जाने के संबंध में है वक्तव्य के लिए स्वीकार किया है, बाकी अस्वीकृत हैं।

श्री गौरी शंकर भैय्या—कोई तारीख निश्चित कर दें, मान्यवर।

श्री अध्यक्ष—कोई डेट लगवा देंगे।

इलाहाबाद स्थित करछना तहसील की लिफ्ट नहरों के सूख जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य

*उद्योग एवं सिंचाई मंत्री (श्री वीरबहादुर सिंह)—

प्रदेश में वर्तमान समय में 234 लघु पम्प नहरें 27 जिलों में कार्यरत हैं जिनमें से रबी फसल 1982-83 में उपलब्ध विद्युत के अनुसार सभी लघु पम्प नहरें सिंचाई कर रही हैं।

जहां तक जनपद इलाहाबाद के करछना क्षेत्र में नहरों के चलने का प्रश्न है, वर्तमान समय में करछना तहसील में 4 पम्प नहरें-धरवारा, बालपुर, अरई तथा बीकर कार्यरत हैं जिनकी क्षमता क्रमशः 10, 5, 5 तथा 7.5 क्यूसेक्स है। इनमें से अरई पम्प नहर का ऊर्जीकरण माह जून/82 में किया गया।

इन नहरों की सूची तथा उनसे पिछले तीन वर्षों के सिंचाई के आंकड़े निम्नलिखित हैं :—

क्रमांक	पम्प नहर का नाम	वर्ष 80-81 में सिंचन क्षेत्र (हेक्टेयर में)			वर्ष 81-82 में सिंचन क्षेत्र (हेक्टेयर में)			वर्ष 82-83 में सिंचन क्षेत्र (हेक्टेयर में)		
		खरीफ	रबी	योग	खरीफ	रबी	योग	खरीफ (25-2-83 तक)	रबी (25-2-83 तक)	योग (25-2-83 तक)
1—	धरवारा	60	144	204	65	154	219	63	154	217
2—	बालपुर	31	114	145	42	116	158	36	116	152
3—	अरई	—	—	—	(उर्जीकरण 6/82)			3	80	83
4—	बीकर	73	183	256	108	184	292	90	184	274

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उपरोक्त के अतिरिक्त टोंस पम्प नहर से करछना/बारा में रबी 1390 में सिंचाई का लक्ष्य 16000 हेक्टेयर था जिसमें 28 फरवरी, 1983 तक की प्रगति 13,500 हेक्टयर हुई जिससे यह विदित होगा कि उक्त नहर से सिंचाई की प्रगति निर्धारित लक्ष्य की 85 प्रतिशत तक हो चुकी है तथा इस नहर पर अवशेष सिंचाई मार्च माह में पूरी हो जाने की आशा है।

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि इलाहाबाद जनपद की करछना क्षेत्र की नहरों द्वारा सिंचन की स्थिति गत वर्षों की तुलना में खराब नहीं रही है बल्कि सुधार हुआ है।

उल्लेखनीय है कि इन नहरों पर विद्युत की उपलब्धता अधिकतर सामान्य रही। रबी माह नवम्बर, दिसम्बर 1982 तथा जनवरी 1983 में अधिकांश दिनों विद्युत आपूर्ति 18 घंटे से अधिक रही। फरवरी माह के दूसरे तथा तीसरे सप्ताह में विद्युत आपूर्ति 18 घंटे से कम रही। इस प्रकार फसल रबी 82-83 में उपलब्ध विद्युत के अनुसार करछना क्षेत्र की सभी लघु पम्प नहरें सिंचाई कर रही हैं।

श्री रेवती रमण सिंह---

मान्यवर, सिंचाई मंत्री जी ने जो लिखित वक्तव्य पढ़ा है वह सत्य से परे है। आज मार्च खत्म होने जा रहा है और अभी तक 50 फीसदी से ज्यादा जमीन सिंचित नहीं हो पायी है। मंत्री जी ने पढ़ दिया कि 85 फीसदी सिंचाई हो गयी। मान्यवर, करछना में केवल लिफ्ट नहर से सिंचाई होती है और कोई सिंचाई का साधन नहीं है। पानी लिफ्ट करके दिया जाता है। कल तक की जो मुझे सूचना है उसके अनुसार 50 फीसदी से ज्यादा रकबे की सिंचाई नहीं हुयी है। तो आप बतायें कि करछना तहसील में कितनी सिंचाई हुयी है, टोंस लिफ्ट कैनाल से बारा में कितनी सिंचाई हुयी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

मान्यवर, मैंने अभी बताया। आपने करछना के बारे में पूछा है और बारा के बारे में, तो हमारे पास अलग अलग ब्रेकअप नहीं है। लेकिन यह बताया गया कि 80-81, 81-82, 82-83 में कितनी सिंचाई हुयी है। यह आंकड़े अभी आपके सामने रखे गये हैं।

श्री रेवती रमण सिंह---जो नहरें आप बता रहे हैं वह छोटी छोटी नहरें हैं। कोई 7 क्यूसेक, कोई 10 क्यूसेक की नहर है। टोंस लिफ्ट कैनाल से जिसके बारे में आपने कहा है कि करछना/बारा में 1390 फसली में 16000 हेक्टेयर का लक्ष्य था। तो मैं जानना चाहता हूं कि टोंस नहर से करछना में कितनी सिंचाई हुयी है आप बतायें ?

श्री वीर बहादुर सिंह---मान्यवर, अलग अलग तो ब्रेकअप नहीं है। गत वर्ष 16 हजार के अगेंस्ट 13500 हेक्टेयर सिंचाई हुयी है फरवरी, 1983 तक। करछना और बारा का अलग-अलग ब्रेकअप नहीं है।

श्री रेवती रमण सिंह---मान्यवर, हमने करछना के बारे में पूछा था आपने बारा भी शामिल कर लिया। प्रश्न का उत्तर नहीं आया। मंत्री जी कल चलकर देखें कि वहां पर 50 फीसदी से ज्यादा सिंचाई नहीं हुयी है और किसान की फसल सूख रही है। इनके पास ब्रेकअप भी नहीं है कि करछना में कितनी सिंचाई हुयी है ? फिर इस वक्तव्य का क्या मतलब है ? किस बात का यह वक्तव्य है ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

मान्यवर, अभी माननीय सदस्य के पूछने पर मेरे पास ब्रेक अप नहीं था, अब आ गया है।

श्री अध्यक्ष---करछना के बारे में आप इनको लिखकर भेज दीजिएगा।

श्री वीर बहादुर सिंह---

मान्यवर, ब्रेक-अप आ गया है, बताये देता हूँ। करछना में 7100 हेक्टेयर और अन्य क्षेत्र में 64000 हेक्टेयर, तो मान्यवर, करछना में 7100 हेक्टेयर है।

श्री रेवती रमण सिंह---

मान्यवर, यह 7100 हेक्टेयर और 85 प्रतिशत सींच की बात की जा रही है, लेकिन पचास प्रतिशत से ज्यादा सिंचाई नहीं हुई है। इसलिए माननीय मंत्री जी से मैं यह

जानना चाहता हूँ कि जो फसल सूख गयी है, क्या उसका मुआवजा वे देंगे व सिंचाई का जो इन्होंने झूठा रकवा पेश किया है, सिंचाई तो हुई नहीं है, तो क्या सिंचाई का शुल्क भी माफ करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह---मान्यवर, जो यहां बताया गया, 16 हजार हेक्टेयर सिंचाई पिछले साल की गयी थी इस साल 13500 हेक्टेयर हुई तो यह 85 प्रतिशत होता है, जितनी सिंचाई होनी चाहिए थी, उसका 85 प्रतिशत सिंचाई हो चुकी है।

श्री राम स्वरूप वर्मा---

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ और वे अपने को आश्वस्त करेंगे कि लिफ्ट कैनाल कितने घंटे यह चली, तीन साल का तुलनात्मक अध्ययन बताने की कृपा करेंगे कि कितने घंटे वहां की लिफ्ट कैनाल चली है, तो उससे पता चल जायेगा कि कितनी सिंचाई हुई ?

श्री वीर बहादुर सिंह---मान्यवर, अलग-अलग घंटे उपलब्ध नहीं हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

माननीय मंत्री जी, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उन्होंने वक्तव्य में स्वत: यह स्वीकार किया है कि अधिकांश दिनों विद्युत आपूर्ति 18 घंटे से अधिक रही, तो इस तरह से अधिकांश में कुछ कम भी मिली, अन्त में उन्होंने यह स्वीकार किया है फरवरी माह के दूसरे तथा तीसरे सप्ताह में विद्युत आपूर्ति 18 घंटे से कम रही। मुझे यह जानकारी है कि आपके सिंचाई विभाग से बिजली विभाग को हर महीने एक प्रोफार्मा जाता है, जिसमें जानकारी रहती है कि इतने घंटे ट्यूबवेल चले और इतनी शिकायत की गयी। तो, क्या उस प्रोफार्मा के आधार पर, और अपने को आश्वस्त करने की कृपा करेंगे कि बिजली कितने घंटे गयी ? इस बिन्दु पर जांच कराकर, माननीय सदस्य को आश्वस्त करेंगे कि वास्तव में बिजली कितने घंटे गयी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

जो बताया है कि इससे कोई फायदा की बात नहीं हम यह देखने हैं कि कितनी सिंचाई होनी थी, और उसके अगेनस्ट में कितनी सिंचाई हुई है। यह सही है कि कुछ दिन 18 घंटे से ज्यादा हुई है और कुछ दिन 18 घंटे से कम हुई। लेकिन, 16000 हेक्टेयर करनी थी, 13500 हेक्टेयर की गयी है, जो 85 प्रतिशत होता है। एक महीने की सिंचाई अभी इसमें नहीं लिखी गयी है।

श्री रेवती रमण सिंह---

जवाब तो स्पष्ट देते नहीं बनावटी बात बता रहे हैं। कृपया यह बताने का कष्ट करें कि टोटल कमांड खरीफ में एरिया कितना है सिंचाई का ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

लिफ्ट कैनाल जी है उसमें एक क्यूसेक 60 हेक्टेयर करती है यह जो पम्प कैनाल हैं, जिसमें 10 क्यूसेक पानी आता है, धरवारा, बालपुर, अरई, बीकर यह छोटी छोटी पम्प कैनाल हैं, इसका टोटल कमांड एरिया मेरे पास नहीं है।

श्री रेवती रमण सिंह---

मान्यवर, आप देखें, मैं आपका संरक्षण चाहता हूँ, माननीय मंत्री जी ठीक से जवाब नहीं दे रहे हैं। मैंने माननीय मंत्री जी से पूछा कि कमांड एरिया कितना है, तो उसमें जो यह छोटी-छोटी नहरें बना रहे हैं तो यह तो एक-एक गांव की नहर हैं, जो एक बड़ी नहर है, जिससे पूरे तहसील की सिंचाई होती है, उसकी सूचना इनके पास नहीं है। तो, मान्यवर, मुझे आप अपना संरक्षण दें और इन्हें निर्देश दें, मेरी बात को सही मान लें कि 50 प्रतिशत सिंचाई नहीं हुई है, यदि इन्हें विश्वास न हो तो मेरे साथ खुद चल कर देख लें। और यदि इसे जानने के लिए यह तैयार नहीं हैं तो इसकी जांच करवा लें, कलेक्टर से रिपार्ट ले लें। अगर मेरी बात गलत होगी, तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, नहीं तो माननीय मंत्री जी इस्तीफा दे देंगे। यह सही रिपोर्ट नहीं है। 3 फरवरी को नोटिस दिया और 21 तारीख को बता रहे हैं सारी फसल सूख गई। डेढ़ महीने तक नहरें चली नहीं। मंत्री जी को यथार्थ का पता नहीं है लिखित वक्तव्य पढ़ दिया। इससे किसान को पानी नहीं मिलेगा।

श्री वीरबहादुर सिंह--

माननीय सदस्य चाहते हैं जिलाधिकारी से जांच करा ली जाय। मैं करा लूंगा कि कहाँ तक सत्यता है इनकी बात में। जहाँ तक माननीय सदस्य वे इस्तीफा देने की बात कही इस्तीफा देंगे तो चुनाव लड़ना पड़ेगा इसलिये मैं नहीं चाहता कि चुनाव लड़ें।

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1983

पंचायती राज एवं ग्राम्य विकास मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1983 पर विचार किया जाय।

मान्यवर, 31 मार्च, 1983 तक जो जिला परिषदों के कृत्यों और कर्तव्यों का अधिकार जिला मैजिस्ट्रेट को प्रदान किये गये थे उन्हीं हेतु दुबारा संशोधन किया जा रहा है। मैंने चुनाव की घोषणा कर दी है लेकिन कुछ समय तो लगेगा 2-3 महीने लगेगें। इसलिये इसकी आवश्यकता है पुनः अधिकार दे दिया जाय और मैं गुप्ता जी से निवेदन करूँगा मैंने घोषणा कर दी है वह अपने प्रस्ताव को वापस ले लें और वर्मा जी से भी कहूँगा। इसको पास होने दें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1983 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो एक माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करें।

मान्यवर, अभी यह विधेयक प्रस्तुत करते समय माननीय ग्राम्य विकास मंत्री जी की बात मैंने बड़े ध्यान से सुनी। आज प्रातःकाल जब मंत्री जी भाषण दे रहे थे उस समय मेरे मन में यह बात आयी कि इस संशोधन का कोई मतलब नहीं है। फिर मेरे मन में आया कि एक आदमी कई-बार एक बात कहने के बाद हमेशा मुकर जाता है तो विश्वास तब होगा जब आंखों से कोई चीज देखें। मिश्र जी मुख्यमंत्री बनने के थोड़े दिन बाद 7 दिसम्बर को उनसे सभी पार्टी के नेतागण मिले रियासत साहब भी थे और मुख्य मंत्री ने एलान किया दो महीने के अन्दर शीघ्र चुनाव करायेंगे। यह कतर हमारे पास है। मुझे कोई भाषण नहीं करना है न कुछ कहना है केवल एक बात कहनी है मंत्री जी ने कहा 3 महीने में चुनाव करा देंगे। हमारे एक माननीय सदस्य राम स्वरूप वर्मा जी ने संशोधन दिया है कि खण्ड 2 की पंक्ति 2 में शब्द और अंक "31 मार्च, 1984" के स्थान पर शब्द और अंक "30 जून, 1983" रख दिये जायं। मंत्री जी ने कहा है कि 3 महीने लगेंगे। मंत्री जी इस संशोधन को मान लें एक इतिहास बन जायेगा। मंत्री जी इस संशोधन को स्वीकार कर लें तो मैं प्रस्ताव वापस लेने पर विचार करूँ। मैं बार-बार आलोचना करता हूँ इसलिये करता हूँ कि जिलाधिकारी को पावर देना बड़ा खतरनाक है। अगर उसके अन्दर वह शब्द न होता तो भी चिन्ता की बात न होती। धारा 2 देखने की कृपा करें। इसमें लिखा है, "ग" में जिलाधिकारी में सब शक्तियाँ निहित कर दी गयी हैं और डी0 एम0 स्वतः प्रशासन कर या अपनी ताकतों को डेलीकेट कर लें लेकिन उसमें नाजुक बात लिखी है कि मूल अधिनियम की धारा 2-ग में दी गयी शर्तों के अधीन तदर्थ किसी व्यक्ति या प्राधिकारी को प्रतिनिहित कर सकते हैं। किसी व्यक्ति को प्रतिनिहित कर सकते हैं, इसमें आपके पुराने इतिहास को देखते हुए आशंका होती है कि आपने प्रशासक नियुक्त किये, सदस्य नियुक्त किये तो इसमें ऐसा तो नहीं है कि किसी अपनी पार्टी के छठहिल व्यक्ति को, जो चुनाव न जीत सका हो, उसको भी, जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप भी हों, अर्हता भी न रखता हो, नियुक्त कर सकते हैं। जिलाधिकारी जो आप इन्स्ट्रक्शन कर देंगे, जैसा आप ने सहकारिता में कर दिया है। इसलिए मैं इसे प्रवर समिति के भेजने के अपने प्रस्ताव पर बल देता हूँ कि 3 महीने का समय आपने ले लिया, एक माह का समय और दे दें, विचार हो जाये। फिर भी अगर आप वर्मा जी का संशोधन स्वीकार कर लेंगे तो मैं अपने प्रस्ताव को वापस ले लूंगा।

*श्री लाल प्रताप सिंह--

इसमें कोई आशंका की बात होने की गुंजाइश नहीं है। गुप्ता जी हर बात में कुछ शंका पैदा कर देते हैं। ऐसा लगता है प्रवर समिति की बहुत ही हावी हैं। हर बिल प्रवर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

समिति को चला जाये। ऐसा महसूस हुआ कि चुनाव नहीं हो सके, इसलिए इन्होंने एक साल का समय मांगा है और यह महसूस होता है कि चुनाव एक साल में जरूर हो जायेंगे इसमें कोई संदेह की बात नहीं। मंत्री जी ने घोषणा भी की है कि क्षेत्र समितियों के चुनाव 2-3 माह के अन्दर हो जायेंगे। किसी व्यक्ति को या किसी प्राधिकारी को, तो यह शब्द "व्यक्ति" जरूर कुछ ऐसा महसूस होता है, इसका अंग्रेजी का ट्रांसलेशन क्या है, नहीं कह सकता लेकिन किसी व्यक्ति को लिख देना बहुत मीनिंग फुल नहीं मालूम होता। एनी परसन आर एनी अथारिटी, परसन से, खैर, यह संशोधन बहुत मामूली है, बहुत छोटा सा है, प्रवर समिति में जाने की कोई बात पैदा नहीं होती। वह क्या करेगी, कौन सा मश्विरा देगी। 31 मार्च 83 के स्थान पर 31 मार्च, 1984 कर दिया जाये, इसमें प्रवर समिति क्या करेगी। वर्मा जी ने जो रखा है, 3 मास के अन्दर, यह बहुत ही समझ बूझ कर रखा है। एक साल के मैक्सिमम पीरियड में ली जाय। फिर भी यदि कोई परिस्थिति पैदा हो तो यह सरकार बहुत ही सिन्सेयर है चुनाव कराने में। मुझे उम्मीद है जैसा कि माननीय मंत्रीजी ने कहा कि 3 महीने के अन्दर चुनाव हो जायेंगे तो मेरा ऐसा ख्याल है कि एक साल के अन्दर पूरे जिला-परिषदों के चुनाव हो जायेंगे तथा वे गठित हो जायेंगी। इसलिये इसे प्रवर समिति को सौंपने के प्रस्ताव को माननीय श्री वर्मा जी वापस लें। इन्हीं शब्दों के साथ में इस संशोधित विधेयक का समर्थन करता हूँ तथा इसको जो प्रवर समिति को सौंपने की बात कही गई है उसका मैं विरोध करता हूँ।

श्री राम स्वरूप वर्मा---

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री के समक्ष दो मुख्य बातें विचारार्थ रखना चाहता हूँ। पहली बात तो यह है कि सरकार के किस बात पर यकीन करें। मैं कहता हूँ कि कितने बार वायदे किये गये और कितनी बार तोड़े गये इससे सरकार के वायदे पर शंका होना स्वाभाविक है। श्रीमन्, यह कई बार टल चुका है। माननीय मंत्री जी पेशकर रहे थे प्रस्ताव विचारार्थ। लेकिन यह नहीं बताया कि कितनी बार इसकी अवधि बढ़वा चुके हैं। यदि वह इसे बता देते तो सदन के माननीय सदस्यों का दिमाग खुल जाता कि वायदा खिलाफी कितनी बार हो चुकी है।

मान्यवर, यह कठिनाई आ गई है। सरकार के प्रति यकीन तो हमें करना ही है। यकीन के लिये हम एक खूंटा बाँध देते हैं कि सरकार अपने वायदे पर पक्की होती है या नहीं। हम प्रवर समिति में न जायँ यदि सरकार 30 जून तक चुनाव करने का बचन दे दे। माननीय मंत्री जी हम सभी संविधान की मर्यादा का पालन करने की शपथ ले चुके हैं, सरकार ने जो स्वायत्तशासी संस्थायें हैं उनका नाश कर दिया। परन्तु चुनाव नहीं हो पाये। यह वर्षों से चल रहा है। मान्यवर, आज विधान परिषद् के 39 क्षेत्रों में चुनाव होने बाकी हैं। स्वायत्तशासी संस्थाओं का विधान परिषद् में अस्तित्व ही समाप्त हो गया है। यह भी हमारे सामने कठिनाई है हम जिसकी कसम खाते हैं उसका पालन नहीं करते हैं। संविधान की मर्यादा का पालन नहीं करते हैं। चाहे विरोध के लोग हों और चाहे सरकार के लोग हों। आज तो आप सरकार में बैठे हैं। आज इन स्वायत्तशासी संस्थाओं में चुनाव न होने की वजह से विधान परिषद् में 1/3 सदस्यों की कमी है लोकल बाडीज से। विधान परिषद् के चुनाव भी 6 साल से नहीं हुए हैं। जनतंत्र की हत्या करने में आप क्यों तुले हो। इस वजह से विचार करने के बाद ये अगर इसको जल्दी से पास करते हैं, तो प्रवर समिति में नहीं जाता है। यह कठिनाई पैदा हो जाती है। इस पर विचार नहीं हो पायेगा। जो माननीय श्री गुप्ताजी ने कहा है उसकी ओर भी मैं इंगित करना चाहता हूँ। अगर सरकार की मंशा निर्देशित करने की है तो कभी भी, कोई भी ऐसे आदमी की नामजदगी कर देंगे जिसका कांग्रेस आई में कोई स्थान नहीं होगा अथवा जो हिम्मतपस्त हो गया होगा। उसका नाम ये दर्ज कर देंगे और फिर वह विनाश करेंगे। माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि हमने जो कसम ली है। हम सभी संविधान की मर्यादा रखने में दिलचस्पी रखते हैं। आप अपनी शक्ति लगाकर हमें बहकाना चाहते हैं तो हम बहकने वाले नहीं हैं। किसी ऐसे व्यक्ति को न बैठायें जो स्वयं हार चुका हो परन्तु आपकी ताकत पर बैठा हो तथा ठप्पा लगाता हो।

प्रवर समिति के सुपुर्द आ जाय। वहाँ माननीय मंत्री अपनी बयानी दे दें और प्रदेश को आस्वस्त कर दें और कहें कि पास हो गया है।

*श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, बड़े पहले से कहा जा रहा है कि छोटी चीज है। यह छोटी चीज तो बड़ी के बराबर हो गई है। इसमें कोई बात नहीं मगर यह छोटी-छोटी होते हुए भी इतनी बड़ी हो गई जैसे कि अरैबियन नाइटस की हाजिम दास्तान पढ़ा करते थे। जिन्न को बोतल में बन्द कर दिया। जब बोतल को खोला गया तो वह धुंये की तरह निकलने लगा तथा धीरे-धीरे इतना बढ़ गया। बढ़ते-बढ़ते वह 50 फिट ऊँचा हो गया। उसने पूछा कि कहाँ जाना है तो उन्होंने कहा कि सात समुद्र पार जाना है। तो उसने कहा चल। मेरे कहने का मतलब यह है कि यह छोटा-छोटा होकर भी इतना बड़ा हो गया। मेरी समझ में यह बात नहीं आ रही है कि क्षेत्र समितियों के और जिला परिषदों के चुनाव एक साथ कराने जा रहे हैं, पहले अलग-अलग कराते थे। आपने आज सुबह इसकी घोषणा भी कर दी। आपने घोषणा कर दी कि जून तक क्षेत्र समितियों के चुनाव करा देंगे। जब 2 जून से पहले ही क्षेत्र समितियों और जिला परिषदों के प्रतिनिधियों के चुनाव हो जायेंगे तो 30 जून, जैसा कि एमेण्डमेण्ट है मा0 राम स्वरूप वर्मा जी का, तो उससे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इसमें तो दो राय नहीं हैं कि आपका जो मन है, वह चुनाव कराने का है। आपने राम सभा के चुनाव करा दिये, प्रधानों के चुनाव करा दिये, तो हमें यह उम्मीद तो जरूर है कि आप चुनाव करायेंगे तो जरूर, फिर 84 क्यों? 1985 के शुरू में पार्लियामेण्ट के चुनाव और सारे चुनाव शुरू हो जायेंगे तो सब का मन उसमें लग जायगा कि पार्लियामेण्ट का टिकट किसे मिलेगा, किसे नहीं मिलेगा। 84 के लगने से 6 महीने पहले प्रदेश की राजनीति और देश की राजनीति में शस्त्र चलने लगेंगे, फिर जिलों की राजनीति पर तो किसी का ध्यान नहीं रहेगा। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि इसको आप 83-84 में ही करा दीजिये। 83 के अन्दर अन्दर जैसा मा0 राम स्वरूप वर्मा जी ने कहा है, उसके अन्दर मान लीजिये और 30 जून तक इन चुनावों को जिला परिषद को गठित कर दीजिये ताकि सबको देश और प्रदेश की राजनीति में इन्हें सोचने विचारने के लिये समय मिल जाय तो वह ज्यादा अच्छा होगा। अगर 84 तक ही ले जाना चाहते हैं तो फिर एक महीने के लिये प्रवर समिति में जाने दीजिये, हो सकता है कि और भी कमियां निकलें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैं भाषण दे चुका हूं। मैं उन माननीय सदस्यों का आभारी हूं, जिन्होंने विचार व्यक्त किये हैं। श्री लाल प्रताप सिंह जी ने भी सिद्धान्ततः स्वीकार किया है कि व्यक्तिगत इन्वाल्वमेंट है। इसलिये मैं समझता हूं कि इसे प्रवर समिति में जाना चाहिये। यह एक व्यक्ति का मामला है, यह जनतांत्रिक नहीं है, इसको ओमिट होना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री श्यामलाल बाजपेयी—

एक व्यक्ति ही जनतंत्र का प्रतीक है। हमारी सरकार इसे नौकरशाही से मुक्त कराकर एक सामाजिक व्यक्ति को देने के पक्ष में है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मा0 बाजपेयी जी ने सही कहा कि प्रशासन में ऐसे लोग पीछे के दरवाजे से लाये जायेंगे, जो किसी कारणवश राजनीति में ठुकरा दिये गये हैं।

मेरा आशय बहुत साफ है कि अगर 3 महीने में चुनाव कराना है तो मा0 राम स्वरूप वर्मा जी का जो एमेण्डमेण्ट है, इसे स्वीकार कर लीजिये, या मैंने जो बिन्दु उठाया है, उसको देखने के लिये प्रवर समिति को भेज दीजिये। माननीय मन्त्री जी अगर खड़े होकर आश्वासन दे देंगे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री बलराम सिंह यादव—

माननीय गुप्ता जी, वर्मा जी और मा0 रियासत हुसैन साहब, यह तीनों ही जो सदस्य

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हैं, यह शंका रूपी रोग से ग्रस्त हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चहता हूँ दुनिया के सबसे बड़े चुनाव तो आपने करा लिये 74 हजार 100 गांव पंचायतों के चुनाव आपने करा लिये, 74102 गाँव सभाओं के ग्राम प्रधानों के चुनाव कराए और अब न्याय पंचायतों के चुनाव भी होने जा रहे हैं। इसमें अब कोई शंका करने की आवश्यकता नहीं है प्रक्रिया सारी शुरू हो गयी हैं और जहाँ तक एक साल के समय की बात है, वह आप भी लेते रहे हैं और अधिकारी और व्यक्ति वाला संशोधन तो आपका ही दिया हुआ है, जो उस समय संशोधन हुआ था, उसी को छापकर हम लोगों को दे दिया गया है, तो इसमें भी कोई शंका करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं माननीय गुप्ताजी से निवेदन करूँगा की वे कृपया अपने इस प्रस्ताव को वापस ले लें।

श्री रियासत हुसैन—

जनता पार्टी ने तो ऐसा करके अपना बंटाधार कर लिया क्या आप भी अपना बंटाधार करना चाहते हैं।

श्री बलराम सिंह यादव—

नहीं हम अपना बंटाधार नहीं करायेंगे क्योंकि हम चुनाव कराने जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

"श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी क्या आप वापस ले रहे हैं या नहीं।"

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता—

नहीं मान्यवर, मैं वापस नहीं ले रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1983 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए जो एक माह के अंदर अपना प्रतिवेदन सहज में प्रस्तुत करें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जिला परिषद (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1983 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड 2, खण्ड 1, प्रस्तावना एवं शीर्षक

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1983

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1977 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के चौंतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, 1983 कहा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन् 1977 की धारा 2 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1977 की धारा 2 में, उपधारा (1) में, शब्द और अंक "31 मार्च, 1983" के स्थान पर शब्द और अंक "31 मार्च, 1984" रख दिये जायेंगे।

श्री राम स्वरूप वर्मा—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि खण्ड 2 की पंक्ति 2 में शब्द और अंक "31 मार्च, 1984" के स्थान पर शब्द और अंक "30 जून, 1983" रख दिये जाएं।

यह संशोधन बहुत मामूली सा है और जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा उनकी भावना के अनुकूल भी है। और मैं समझता हूँ कि शायद यह उनके लिए उपयुक्त समय है जबकि उसे यह स्वीकार कर लेंगे। अभी उन्होंने कहा कि हम लोग शंकालु हो गये हैं, तो इसमें हमारा दोष नहीं है, शंका की जब बातें सामने आयेंगी तो लोग शंकालू हो ही जायेंगे क्योंकि इससे पहले कई दफा ऐसा हुआ है कि आपने चुनाव का समय दिया है और चुनाव कराए नहीं हैं यही कारण है कि हम लोग इस पर भी शंका कर रहे हैं। और दूसरी बात माननीय मंत्री जी से स्वयं अपनी पीठ ठोकी कि हमने यह कराया और वह कराया, अगर इतनी बहादुरी के काम आपने किये हैं तो एक काम यह भी बहादुरी का कर डालिये उस वक्त आपकी पीठ और ज्यादा ठोकी जायेगी और आप बहादुर भी कहलायेंगे। वरना कायर कहलायेंगे। और यह सही है कि अगर इस मामले में आपने कायरता दिखायी तो अवश्य ही आपका सब किया धरा बेकार हो जायेगा और इसके विपरीत यदि आपने इस 30 जून, 83 के संशोधन को मान लिया तो वाकई आपके कार्य दाद देने के काबिल होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने इस संशोधन को आपके समक्ष रखता हूँ।

श्री बलराम सिंह यादव---यह स्वीकार नहीं है।

श्री अध्यक्ष---माननीय राम स्वरूप जी क्या आप इसे वापिस लेते हैं।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

वापस लेने का सवाल इसलिये नहीं है कि यदि हम उसको वापस ले लेंगे तो आप विचार काहे पर करेंगे? मैंने माननीय मंत्री जी की तारीफ भी की है लेकिन अगर ये इसको आगे टालते हैं तो शंका ही नहीं सारे लोगों को विश्वास कर लेना चाहिये कि जरूर कोई गड़बड़ है। इसलिये मैं चाहूंगा कि वे अपनी बहादुरी दिखायें और ये चुनाव करवा दें और इस संशोधन के रूप को मान लें।

श्री शंकर सिंह---मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष---क्या व्यवस्था है?

श्री शंकर सिंह---मान्यवर, कोरम तो पूरा है ही नहीं और यहां बिल पास कराया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष---गिनिये, देखिये कि कोरम पूरा है कि नहीं।

(कोरम के लिये घण्टी बजायी गयी)

श्री रियासत हुसैन---मैंने तो टोका नहीं परन्तु बलराम को तो शंकर ही टोक सकता है।

(गणपूर्ति होने के उपरान्त सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खण्ड 2 की पंक्ति 2 में शब्द और अंक "31 मार्च, 1984" के स्थान पर शब्द और अंक "30 जून, 1983" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खण्ड 2, खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं। (प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री बलराम सिंह यादव---मान्यवर, आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1983 को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1983 को पारित किया जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---अब हम उठते हैं, कल 11 बजे पुनः बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 45 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
21 मार्च, 1983

भालचन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी "क'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या–67 का उत्तर पीछे पृष्ठ.....पर) 81-82 के कार्य जो रा0 ग्रा0 रो0 यो0 के अन्तर्गत सम्पन्न किये गये

क्रमांक	ब्लाक का नाम	योजना का नाम	कार्य का नाम	कार्य की मद	लागत लाख रुपया	लम्बाई किमी0 में	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1—	दुबहड़	चतुर्थ योजना के कार्य	जसगांव सोनवानी मार्ग	मिट्टी	0.40	1.30	
				पुलिया	0.15	1.00	
				मध्य सतह की कुटाई	0.20	0.30	
				उपरी सतह	0.75	1.50	
2—	,,	खा0 यो0 3	रोहुंआ पुरास मार्ग	पुलिया	0.02	2.00	
				मध्य सतह	0.06	1.40	
				उपरी सतह	0.15	2.00	
3—	,,	खा0 यो0 4	दुबहड़ पुरास	मिट्टी	0.05	0.03	
4—	,,	खा0 यो0 5	अखार डमरी उदादौनी	मिट्टी	0.10	0.20	
				खड़न्जा	0.04	0.10	
5—	,,	,,	ओझौली रामपुर टिटही	मिट्टी	0.10	0.30	
				पुलिया	0.04	2.00	
					2.14		

वर्ष 81-82 के कार्य जो रा0 ग्रा0 रो0 यो0 के अन्तर्गत सम्पन्न किये गये

1	2	3	4	5	6	7	8
1—	हनुमानगंज	लोक सभा क्षेत्र के कार्य	हनुमानगंज शंकरपुर	मिट्टी का कार्य	0.01	0.075	
2—	,,	त्वरित योजना	हनुमानगंज बसन्तपुर	लेपन प्रथम	0.03	2.00	
3—	,,	ग्रामीण मार्ग	अमृतपाली धरौली मार्ग	मिट्टी	0.12	1.50	
4—	,,	खा0 यो0 5	सागरपाली एकवारी	मिट्टी	0.06	2.00	
			सागरपाली एकवारी	खड़न्जा	0.57	5.00	
			सागरपाली एकवारी	पुलिया	0.63	—	
					1.42		

उत्तर प्रदेश विधान सभा

82-83 के किये जा रहे कार्य

1	2	3	4	5	6	7	8
1—	हनुमानगंज	लोक सभा क्षेत्र के कार्य	हनुमानगंज शंकरपुर	मिट्टी का कार्य	0.25	0.80	
2—	,,	त्वरित योजना	हनुमानगंज शंकरपुर	पुलिया	0.10	0.90	
3—	,,	,, ,,	हनुमानगंज बसन्तपुर	लेपन प्रथम	0.08	1.00	
4—	,,	ग्रामीण मार्ग	अमृतपाली धरौली	मिट्टी	0.10	1.00	
5—	,,	सूखा योजना	हनुमानगंज अमडारी	मिट्टी	0.30	0.300	
				पुलिया	0.25	3.00	
6—	,,	छठी योजना	बेना कर नई मिसिंग	मिट्टी	0.20	2.00	
			लिंक	खड़न्जा	0.10	3.00	
					1.38		

82-83 में रा0 ग्रा0 रो0 कार्यक्रम के अन्तर्गत किये जा रहे कार्य

1	2	3	4	5	6	7	8
1—	दुबहड़	चतुर्थ योजना	जसांव सोनवानी मार्ग	खड़न्जा	0.10	0.90	
				मध्य सतह	0.30	0.50	
				प्रथम लेपन	0.20	1.30	
2—	,,	खा0 यो0 5	दुबहड़ पुरास मार्ग	पुलिया	0.20	1.00	
3—	,,	खा0 यो0 5	अखार डुमरी उदादौनी	मिट्टी	0.15	0.50	
				पुलिया	0.15	1.00	
				खड़न्जा	0.20	0.30	
4—	,,	खा0 यो0 5	ओझोलिया रामपुर टिटही	मिट्टी	0.20	0.50	
				पुलिया	0.10	1.00	
				खड़न्जा	0.20	0.20	
					1.00		

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "ख"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या-68 का उत्तर पीछे पृष्ठ . . . . पर।)

अतारांकित प्रश्न-68 के उत्तर का संलग्नक

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 1981-82 में कराये गये कार्य

नाम विकास खण्ड	कार्य का नाम	कार्य की स्थिति
हनुमानगंज	तपसी बाबा के मंदिर से रेलवे लाइन	प्रगति पर
	धरहरा से कुण्डेल	,, ,,
	सागर पाली रेलवे लाइन पर पौध शाला	,,
	आदर्श नगर अप्रोच	पूर्ण
	दोहरी घाट नहर की सफाई एवं सुद्रणीकरण	
	गडवार माईनर ,, ,,	
	विशुनपुरा माइनर ,, ,,	
	बनरही माइनर	
	निधारीया ड्रेन मिट्टी का कार्य कराना	
	कटहरनाला ड्रेन ,,	
	कटहरनाला फेस ,,	
	अवरानाला ड्रेन ,,	
	हनुमानगंज-शंकरपुर मिट्टी कार्य	
	हनुमानगंज-बसंतपुर लेपन	
	अमृतपाली-घरौली मार्ग मिट्टी कार्य	
	सागरपाली एकवारी मिट्टी कार्य, खण्ड़जा, पुलिया	
दुबहड़	बलिया बीया बाँध मरम्मत	पूर्ण
	दुबहड जनाडी गोपालपुर जमुआ कमदतर	प्रगति पर
	बाँसडीह रोड पर पौधशाला	
	बाँसडीह दिवली मार्ग मिट्टी कार्य	पूर्ण
	सहरसपाली अप्रोच ,, ,,	
	नगवा अप्रोच ,, ,,	
	जसांव सोनवानी मार्ग मिट्टी कार्य, पुलिया	
	मध्य सतह की कुटाई, ऊपरी सतह	
	रोहुंबा पुरास मार्ग पुलिया मध्य सतह उपरी सतह कुटाई	
	दुवहड -पुरास मिट्टी कार्य	
	अखार-डूमरी उदोदवनी मिट्टी कार्य, खडण्जा	
	औझवलिया रामपुर टिटिही मिट्टी कार्य, पुलिया	
	1982-83	
हनुमानगंज	तपसीबाबा के मंदिर से रेलवे लाईन मिट्टी कार्य	पूर्ण
	धरहरा से कुण्डेला ,,	पूर्ण
	सागरपाली रेलवे लाईन पर पौधशाला	,,
	कपुरी मिठवार	पूर्ण
	धरहरसा अप्रोच	पूर्ण
	करनई चन्दुका	,,
	सागरपाली-बछोजी मिट्टी कार्य	प्रगति पर
	गाँव सभा करनई खडण्जा निर्माण	पूर्ण
	दोहरीघाट मुख्य नहर सुद्रणीकरण मरम्मत	पूर्ण
	गडवार माइनर सुद्रणीकरण मरम्मत	प्रगति पर
	विशुनपुरा माइनर ,, ,, ,, ,,	पूर्ण
	वनरही माइनर ,, ,, ,, ,,	,,
	कटहरनाला का ड्रेन मिट्टी का कार्य कराना	प्रगति पर
	कटहर नाला	

विधान सभा

	अवरा नाला ड्रेन मिट्टी का कार्य कराना	प्रगति पर
	हनुमानगंज शंकरपुर मिट्टी कार्य, पुलिया एवं लेपन पक्षम	,,
	अमृतपाली-घरौली मिट्टी कार्य	प्रगति
	हनुमानगंज-अमडारी मिट्टी कार्य, पुलिया	प्रगति
	बेना करनई मिसिगलिक मिटटी कार्य, खडण्जा	प्रगति
दुबहड	दुबहड जनाडी गोपाल पुर जमुआ कदमतर	अपूर्ण
	बाँसडीह रोड पर पौधशाला	,,
	छाता रेलवे क्रासिंग से छाता, मिट्टी कार्य	पूर्ण
	उग्रसेनपुर अप्रोच	प्रगति पर
	दवनी ड्रेन मिट्टी कार्य कराना	,,
	अगरौली अप्रोच ,, ,, ,, ,,	,,
	जसांव सोनवानी मार्ग खडण्जा, मध्य सतह, प्रथम लेपर	
	दुवहड पुरास मार्ग पुलिया	
	अखार डूमरी उदोदवनी मिट्टी कार्य, पुलिया, खडण्जा	
	आझवलिया रामपुर टिटही मिट्टी कार्य पुलिया, खडण्जा	

नत्थी "ग"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या—69 का उत्तर पीछे पृष्ठ. . . . . पर।)

वर्ग	विकास खंड	पेयजल कूप		निर्बल वर्ग आवास	
		कहां कहां शुरू किया गया	किन किन बस्तियों में पूरा हुआ	कहां कहां शुरू किया गया	किन किन बस्तियों में पूरा हुआ नाम/संख्या
80-81	दुबहड़	1—जड़ारी	1—जड़ारी	1—ओझा कछुआ/6	1—ओझा कछुआ/6
				2—छाता/3	2—छाता/2
				3—सेमपरी/3	3—सेमपरी/2
	हनुमानगंज	2—भीखापुर	—	4—पांडेपुर/6	4—पांडेपुर/6
				5—सागरपाली/6	5—सागर पाली/3
81-82	दुबहड़	3—डुमरी	2—डुमरी	6—सेमरी/4	6—सेमरी/1
				7—डुमरी/5	—
				8—टघरौली/3	—
	हनुमानगंज	4—बहादुरपुर	3—बहादुरपुर	9—सोनाडावर /4	7—सोनाडावर/3
82-83	दुवहड़	5—रामपुर छपरा	—	10—टघरौली /3	—
		6—दोपही	—	11—शेर/4	—
	हनुमानगंज	7—पटखौली नगरी	—	12—पटखौली नगरी/9	8—पटखौली नगरी/9
		8—विशुनपुरा	—	13—करनई/6	—

टिप्पणी :—

पेयजल कूप :—

विकास खंड दुबहड़ एवं हनुमानगंज में 1980 से (वित्तीय वर्ष 80-81 से) कुल कूप पर निर्माण कार्य प्रारम्भ हुआ, जिसमें से 3 पर कार्य पूर्ण हो चुका है शेष पांच (भीखपुर, रामपुर, छपरा, दोपही, पटखौली नगरी एवं विशुनपुरा) का कूप निर्माणाधीन है।

निर्बल वर्ग आवास :—वर्ष 80-81 से विकास खंड दुबहड़ एवं हनुमानगंज में कुल 62 आवास मकान का निर्माण तेरह बस्तियों में शुरू किया गया, जिसमें से 32 आवास मकान का निर्माण पूर्ण हो चुका है। शेष 30 में से 4 पर (सागरपाली/3 एवं छाता/1 पर) मात्र छाजन वाली है। 26 आवास पर कार्य चल रहा है।

नत्थी "घ"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या-70 का उत्तर पीछे पृष्ठ.....पर।)

अतारांकित प्रश्न संख्या-70 का संलग्नक

क्र0 सं0	विकास खण्ड का नाम	वर्ष 1981-82 में कच्चे मार्ग का निर्माण कार्य	1981-82 में सोलिंग कार्य
1—	मथुरा	16.58	13.80
2—	बरह	5.60	1.50
3—	गोवर्धन	7.00	2.50
4—	चौमुहा	12.47	1.00
5—	छाता	12.96	0.50
6—	नंदगाँव	7.64	3.20
7—	राया	6.91	0.50
8—	मांठ	5.02	3.80
9—	नोहझील	10.50	0.50
10—	बल्देव	4.56	2.80
11—	सादाबाद	12.11	×
12—	सहपऊ	7.98	3.70
	योग	109.33	33.80

नत्थी "ङ"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या-89 का उत्तर पीछे पृष्ठ.....पर।)

व्यय की मदों का विवरण

1—हैण्ड पम्प मरम्मत
2—रेडियो मरम्मत
3—मुस्तहरी तथा वेतन चौकीदार
4—नल बेयरिंग
5—स्टेशनरी, बैटरी, बल्ब आदि का क्रय
6—बिजली बिल भुगतान
7—मिठाई, चाय, नाश्ता-व्यय
8—बालू ढुलाई
9—नल उखड़वाई तथा लगवाई
10—ईंट, सीमेंट, बालू, चूना, रंग आदि का क्रय
11—सड़क तथा रास्तों पर मिट्टी डालना।
12—वेतन-चपरासी का भुगतान।
13—15 अगस्त को मिठाई का वितरण।
14—पुलिया मरम्मत।
15—पुलिया निर्माण कार्य।
16—सड़क पर बजरी निर्माण।
17—मजदूरी भुगतान।
18—समाचार पत्र टाइप, डाक खर्च, पोस्टेज आदि पर व्यय।
19—वृक्षारोपड़ हेतु पौधों का क्रय।
20—लालटेन, बाल्टी, शीशी आदि का क्रय।
21—फुटबाल तथा फुटबाल पम्प का क्रय।
22—बिजली के सामान का क्रय।
23—गांव सभाओं के चंदे की वापसी।
24—यात्रा-भत्ता व्यय।
25—26 जनवरी को मिष्ठान वितरण हेतु मिष्ठान-क्रय।
26—पंचायत सेवक भत्ता, पंचायत-मंत्री भत्ता
27—परिवार रजिस्ट्रार
28—मुस्तहरी लाउडस्पीकर आदि पर व्यय।